स्वाध्याय स्वमन्थन स्वावलम्बन

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

उत्तर प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय

।। सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ।।

B.Ed. E – 07

Creating an Inclusive School

(एक समावेशी स्कूल बनाना)

शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, प्रयागराज - 211013

www.uprtou.ac.in

टोल फ्री नम्बर- 1800-120-111-333

कुलपति

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
प्रयागराज

उत्तर प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय

संदेश

प्रयागराज की पवित्र भूमि पर भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन के नाम पर वर्ष 1999 में स्थापित उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज उ0प्र0 का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय उ0प्र0 जैसे विशाल जनसंख्या वाले राज्य में उच्च शिक्षा के प्रत्येक आकांक्षी तक गुणात्मक तथा रोजगारपरक उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने में निरन्तर अग्रसर एवं प्रयत्नशील है। तत्कालीन देश की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में एक वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा व्यवस्था के रूप में भारत में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का पदार्पण हुआ था, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों तथा तकनीकी का सार्थक प्रयोग करते हुये मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा आज की सर्वोत्तम पूरक शिक्षा व्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुकी है।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली के सामने व्याप्त पाँच मुख्य चुनौतियों - (i) पहुँच (Access), (ii) समानता (Equity), (iii) गुणवत्ता (Quality), (iv) वहनीयता (Affordability) तथा (v) जवाबदेही (Accountability) को केन्द्र में रखकर घोषित देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने में उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय कृत संकल्पित है। उ0प्र0 की माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति की सद्इच्छाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, शैक्षिक दायित्वों के साथ-साथ सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में भी लगातार नवप्रयास कर रहा है। चाहे वह गाँवों को गोद लेकर उनके समग्र विकास का प्रयास हो या ग्रामीण महिलाओं, ट्रान्सजेन्डर व सजायाफ्ता कैदियों को शुल्क में छूट प्रदान कर उनमें आत्मविश्वास जागृति व उच्च शिक्षा के प्रति अलख जगाने का प्रयास हो ।

राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा एक मूलभूत जरूरत है। ज्ञान-विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्रों में हो रहे तीव्र परिवर्तनों व वैश्विक स्तर पर रोजगार की परिस्थितियों में आ रहे परिवर्तनों के कारण भारतीय युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। इसीलिए विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हेतु शिक्षा को सर्वसुलभ, समावेशी तथा गुणवत्तापरक बनाना समसामयिक अपरिहार्य आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थितियों ने परम्परागत शिक्षा को और भी सीमित कर दिया है जिसके कारण मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था ही एकमात्र पूरक एवं प्रभावी शिक्षा व्यवस्था के रूप में सार्थक सिद्ध हो चुकी है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय का दायित्व और भी बढ़ जाता है। इस दायित्व को एक चुनौती स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय ने प्राचीन तथा सनातन भारतीय ज्ञान, परम्परा तथा सांस्कृतिक दर्शन व मूल्यों की समृद्ध विरासत के आलोक में सभी के लिए समावेशी व समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने तथा जीवन पर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अपने शैक्षिक कार्यक्रमों में जागरूकता में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, परास्नातक डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक तथा शोध उपाधि के समसामयिक शैक्षिक कार्यक्रमों की संख्या तथा गुणात्मकता में वृद्धि की है।

शैक्षिक कार्यक्रमों में संख्यात्मक वृद्धि, गुणात्मक वृद्धि तथा रोजगारपरक बनाने के साथ-साथ प्रत्येक उच्च शिक्षा आकांक्षी तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन केन्द्रों व क्षेत्रीय केन्द्रों के विस्तार के साथ-साथ प्रवेश परीक्षा, प्रशासन तथा परामर्श (शिक्षण) में आनलाइन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। विश्वविद्यालय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चियन की दृष्टि से तकनीकी के प्रयोग को बढ़ाया गया है। 'चुनौती मूल्यांकन' की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य किया गया है, तो शिक्षार्थी सहायता सेवाओं में भी वृद्धि की जा रही है। शिक्षार्थियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करने के साथ-साथ पुरातन छात्र परिषद को गतिशील किया गया है।

"गुरुकुल से छात्रकुल" के सूक्त वाक्य को आत्मसात करते हुए विश्वविद्यालय ने शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये गये गुणवत्तापूर्ण स्वअध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के साथ-साथ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। छात्रहित को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों द्वारा तैयार व्याख्यान को भी ऑनलाईन उपलब्ध कराया गया है।

शोध और नवाचार के क्षेत्र में अग्रसर होते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) नई दिल्ली तथा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, उ0प्र0 की अनुमति से विश्वविद्यालय में शोध कार्यक्रम पुनः प्रारम्भ किया गया है तथा वर्ष पर्यन्त समसामयिक विषयों पर व्याख्यान, सेमिनार, वेबिनार तथा आनलाइन संगोष्ठियों आदि की श्रृंखला भी प्रारम्भ की गयी है। विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च प्रोजेक्ट सम्पादन पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। पुस्तकालय को अत्याधुनिक तथा सुदृढ़ बनाने हेतु कदम उठाये गये हैं। शिक्षकों व कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा कल्याण की योजनायें क्रियान्वित की गयी हैं।

प्रो0 सत्यकाम
कुलपति

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन
मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

B.Ed. E – 07

Creating an Inclusive School
(एक समावेशी स्कूल बनाना)

खण्ड 01 समावेशी शिक्षा का परिचय

इकाई–01 हाशियाकरण बनाम समावेशी शिक्षा, पृथक्करण और समेकन 5–17

इकाई–02 समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त और कक्षा–कक्ष में विविधता 18–22

इकाई–03 समावेशी शिक्षा की बाधाएँ 23–27

खण्ड 02 समावेशी शिक्षा की सुविधा प्रदान करने वाली नीतियां एवं रुपरेखा

इकाई–04 मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 29–32

इकाई–05 अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और रूपरेखा 33–37

इकाई–06 राष्ट्रीय नीतियाँ, कार्यक्रम, अधिनियम और आयोग 38–47

खण्ड 03 अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन

इकाई–07 अर्थ, अन्तर, आवश्यकताएं एवं चरण 59–55

इकाई–08 संवेदी दिव्यांग, तंत्रिका संबंधी विकार, अस्थि तथा बहु–विकलांगता 56–70

इकाई–09 प्रतिभावान बच्चे 71–78

खण्ड 04 समावेशी शैक्षणिक निर्देशन

इकाई–10 अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प 80–88

इकाई–11 विभेदित एंव सहकर्मी मध्यस्थता निर्देशन 89–98

इकाई–12 निर्देशन हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी 99–110

खण्ड 05 समावेशो शिक्षा के लिए समर्थन और सहयोग

इकाई–13 समावेशी शिक्षा के हितधारक, समावेशन के लिए वकालत और नेतृत्व 112–121

इकाई–14 समावेशन के लिए परिवार एवं समुदाय की सहायता भागीदारी 122–132

इकाई–15 समावेशी शिक्षा हेतु संसाधन जुटाना 133–138

उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

संरक्षक एवं मार्गदर्शक :

प्रोफेसर सत्यकाम	**कुलपति,** **उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज**

विशेषज्ञ समिति :

प्रोफेसर पी० के० स्टालिन	निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रोफेसर पी० के० पाण्डेय	प्रोफेसर, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रोफेसर छत्रसाल सिंह	प्रोफेसर, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रोफेसर के० एस० मिश्रा	पूर्व कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रोफेसर धनन्जय यादव	विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रोफेसर मीनाक्षी सिंह	आचार्य, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
डॉ० जी० के० द्विवेदी	सह आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
डॉ० दिनेश सिंह	सह आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
डॉ० सुरेन्द्र कुमार	सहायक आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

लेखक :

प्रो० सीमा सिंह	आचार्य, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (इकाई– 1,2,3,4,5,6)
डॉ० नीता मिश्रा	सहायक आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (इकाई– 7,8,9,10,11,12,13,14,15)

सम्पादक :

डॉ० आद्या शक्ति राय	सह आचार्य, डॉ० शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (इकाई– 7,8,10,11,12,13)
प्रो० रजनी रंजन सिंह	आचार्य, डॉ० शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (इकाई– 1,2,3,4,5,6,9,14,15)

परिमापक :

प्रोफेसर पी० के० पाण्डेय	प्रोफेसर, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (इकाई– 1,2,3,4,5,6,9,14,15)
प्रो० रजनी रंजन सिंह	आचार्य, डॉ० शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (इकाई– 7,8,10,11,12,13)

समन्वयक

डॉ० सुरेन्द्र कुमार	सहायक आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

प्रकाशक : कुलसचिव, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

ISBN: 978-93-48270-56-6

Registrar, U. P. Rajarshi Tandon Open University, Prayagraj

मुद्रकः चन्द्रकला यूनिवर्सल प्रा0लि0, 42/7 जवाहरलाल नेहरू रोड, प्रयागराज– 211002

खण्ड–01 : समावेशी शिक्षा का परिचय

खण्ड परिचय

इस खण्ड में आप समावेशी शिक्षा के उद्देश्य सिद्धान्त एवं समावेशी शिक्षण में आने वाली समस्याओं से अवगत हो सकेंगे। इस खण्ड में कुल तीन इकाईया हैं।

इकाई – 01 : में आप हाशियाकरण बनाम समावेशी शिक्षा, पृथक्करण और समेकन से अवगत हो सकेंगे। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशन की उपयोगिता को समझ सकेंगे।

इकाई – 02 : में समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त और कक्षा–कक्ष में विविधिता को समझ सकेंगे।

इकाई – 03 : में आप समावेशी शिक्षा में होने वाली बाधाओं से अवगत हो सकेंगे तथा समावेशी शिक्षा के बाधाओं के निराकरण के उपायों से अवगत हो जायेगें।

इकाई– 1 : हाशियाकरण बनाम समावेशी शिक्षा, पृथक्करण और समेकन

इकाई की संरचना

1.1 प्रस्तावना

1.2 इकाई के उद्देश्य

1.3 हाशियाकरण क्या है?

1.3.1 दिव्यांगजनों पर हाशियाकरण का प्रभाव

1.3.2 हाशियाकरण को प्रभावित करने वाले कारक

1.4 समावेशी शिक्षा

1.5 पृथक्करण

1.6 समेकन

1.6.1 लक्ष्य एवं उद्देश्य

1.6.2 समेकित शिक्षा के प्रारूप

1.7 हाशियाकरण बनाम समावेशी शिक्षा, पृथक्करण और समेकन

1.8 सारांश

1.9 अभ्यास के प्रश्न

1.10 चर्चा के बिन्दु

1.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.1 प्रस्तावना

भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतन्त्रता, न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है और स्पष्ट रुप से यह दिव्यांग व्यक्तियों समेत एक संयुक्त समावेशी समाज बनाने पर जोर डालता है। हाल के वर्षों को समाज का नजरिया बदला है। यह माना जाता है कि यदि दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा मिले तो बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अतीत में दिव्यांगजनों के साथ समाज में बहिष्कृतों की तरह व्यवहार किया जाता था जिससे दिव्यांगजन स्वयं को अलग–थलग व अवांछित महसूस करते थे जबकि समाज उन्हें अपने ऊपर बोझ महसूस करता था। दिव्यांगजनों के माता–पिता, बच्चों और भाई–बहन को भी इस नकारात्मक दृष्टिकोण, गरीबी और सामाजिक बहिष्कार का दंश झेलना पड़ता था परिणामस्वरुप दिव्यांगजन हाशिए पर आ गए थे। उनकी हाशियाकरण की यह स्थिति सामाजिक अज्ञानता, अंधविश्वास व नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण थी। धीरे–धीरे सामाजिक जागरुकता, आर्थिक विकास, तकनीकी का समावेश तथा शिक्षा नीतियों में हुए परिवर्तन के कारण दिव्यांगजनों को हाशिए से समाज के मुख्यधारा में शामिल करने में सकारात्मक पहलू सामने आये है। शिक्षा की नीतियों/प्रविधियों /योजना में यह परिवर्तन पृथक्करण और समेकन के बाद समावेशी शिक्षा के स्तम्भ पर प्रकाशमान है। उनकी शिक्षा सम्बन्धी विशेष आवश्यकताओं के सम्बन्ध में भी पहले से अधिक जागरुकता उत्पन्न हुई है। दिव्यांगजनों के हाशियाकरण की स्थिति को दूर करने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण के प्रयास शुरु हो रहे हैं ताकि दिव्यांगजनों को हमारे समाज एवं राष्ट्र के अभिन्न एवं महत्वपूर्ण घटक के रुप में देखा जाए। दिव्यांगजनों के हाशियाकरण के स्थिति से निपटने के लिए शिक्षा क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ाने के लिए भिन्न प्रयास हो रहें है। हालाँकि कई तरह के शिक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन स्थिति फिर भी संतोषजनक नहीं हैं। ऐसे में बेहतर तरीके से योजनाएँ लागू करने की आवश्यकता है, जिससे दिव्यांगजनों का आने वाला समय बेहतर हो। नयी शिक्षा नीति (2015) ने इस दिशा में नई उम्मीद जगाई

है। हाशियाकरण की स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2015 ने शिक्षा व्यवस्था के सभी अंगों में दिव्यांगता को शामिल किया है चाहे शिक्षा में प्रवेश हो, प्रवेश नीतिया हों, शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, पाठ्यक्रम का विकास हो, शिक्षण की रणनीतियाँ हो, पठन सामग्री हो, मूल्यांकन व्यवस्था हो, आभासी शिक्षा माध्यम हो।

1.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई को अध्ययन करने के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. हाशियाकरण, समावेशी शिक्षा, पृथक्करण तथा समेकन का अर्थ समझ सकेंगे।
2. दिव्यांगजनों पर हाशियाकरण के प्रभावों की व्याख्या कर सकेंगे।
3. समावेशी शिक्षा की नीतियों को समझ सकेंगे।
4. पृथक्करण को स्पष्ट कर सकेंगे।
5. समेकन तथा उसके विभिन्न योजना/मॉडल को स्पष्ट कर सकेंगे।
6. दिव्यांगजनों के हाशियेकरण की स्थिति को परिवर्तित करने में विभिन्न शैक्षिक नियोजन–पृथक्करण, समेकन तथा समावेशी शिक्षा का मूल्यांकन कर सकेंगे।

1.3 हाशियाकरण क्या है?

अतीत से ही दिव्यांगजनों को व्यावहारिक, शारीरिक और सामाजिक स्तर पर बाधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का सामना करना पड़ता रहा है जिससे सामाजिक समावेशन प्रभावित रहा है। दिव्यांगता को एक सामाजिक कलंक के रुप में देखने की प्रवृत्ति से दिव्यांगजनों के प्रति समाज के व्यवहार में एक नकारात्मक रुख इस सामाजिक धारणा का परिणाम रहा है कि व्यक्ति में दिव्यांगता उसके पिछले पाप या कर्म (भाग्य) के कारण होती हे, चूँकि यह भगवान द्वारा दी गई सजा है, अतः कोई भी इस स्थिति को नहीं बदल सकता है। इन बाधाओं का संचयी प्रभाव यह है कि दिव्यांगजन समाज और अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से बाहर होकर हाशिए पर हैं। वे दैनिक जीवन के कई पहलुओं में गैर–दिव्यांग लोगों की तुलना में अधिक नुकसान का अनुभव करते हैं। कई दिव्यांग लोगों द्वारा प्रतिकूल परिणाम झेलने की वजह से उनके स्वयं और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में कमी आती है। समाज से उन्हें बहिष्कृत होने का दंश झेलना पड़ता है। नतीजन समाज में वे हाशिये पर होते हैं और उनकी हाशियाकरण की स्थिति सामाजिक देश का परिणाम होता है।

हाशियाकरण का मूल अर्थ है व्यक्तिगत, अन्तवैयंक्तिक व सामाजिक स्तरों पर पूर्ण सामाजिक जीवन तथा अन्य आवयकताओं से वंचित रखा जाना।

हाशिए पर होने पर व्यक्ति समाज के मुख्यधारा से अलग हो बहिष्कृत का दंश झेलता है जिससे उसका समावेशन अवरुद्ध हो जाता है। सामाजिक संरचना में किसी व्यक्ति या समाज के हाशिए पर होने के कई आधार **हैं।** जाति, नस्ल, धर्म, स्थान, क्षेत्र आदि अनेक कारक हाशियाकरण के आधार रहे हैं। दिव्यांगजन अपनी दिव्यांगता के कारण सामाजिक अज्ञानता, अंधविश्वास व नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण हाशिए की स्थिति पर है। उनका व्यक्तिगत, अन्तवैर्यक्तिक व सामाजिक स्तरों पर पूर्ण सामाजिक जीवन तथा अन्य आवश्यकताओं से वंचित रखा जाना उनकी दिव्यांगता को कलंक के रुप में देखे जाने का परिणाम है। इस तरह दिव्यांग व्यक्ति हाशियाकरण की स्थिति में है। शिक्षा में भी वे हाशिए पर हैं क्योंकि दिव्यांगता की वजह से इनकी सामाजिक स्वीकार्यता में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक–सांस्कृतिक एकीकरण में दिव्यांग हाशिए पर होते है क्योंकि सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश अभी भी अपने नकारात्मक दृष्टिकोण से संघर्ष कर रहा है।

1.3.1 दिव्यांगजन पर हाशियाकरण का प्रभाव – दिव्यांगता के कारण एकाधिक नुकसानों को झेलने वाले दिव्यांगजन के समूहों की समस्याओं को लैंगिक अंतर की कसौटी पर जाति, नस्ल, धर्म, स्थान, क्षेत्र आदि और जैसे अन्य सामाजिक कारकों के सापेक्ष समझा जा सकता है। दिव्यांगता और लैंगिक वर्ग दोनों ही पूर्व निर्धारित होते हैं। लेकिन इनके आधार पर खासवर्ग की उपेक्षा की जाती है। पुरुषों के मध्य दिव्यांग उसे समझा जाता है जो सामान्य व्यक्ति की परिभाषा के अनुरुप शक्ति, शारीरिक क्षमता और स्वायत्तता को पूरा करने में विफल रहा है। इसी तरह ऐसी धारणा बनी हुई है कि एक दिव्यांग महिला गृहणी, पत्नी और माँ की भूमिका को पूरा करने में असमर्थ है और

शारीरिक उपस्थिति के संदर्भ में सौंदर्य और नारीत्व के स्थापित मान्यताओं के अनुरुप नहीं है। ये ही सबसे अधिक हाशिए पर हैं और शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रुप से सबसे अधिक प्रताड़ित हैं और सदियों के लिए उपेक्षा, मौखिक, शारीरिक उत्पीड़न का शिकार बने हुए हैं। प्राथमिक शिक्षा के दौरान प्रायः साझा हितों, स्कूल की गतिविधियों और खेल के माध्यम से दोस्ती होती है। सामान्य रुप से कई दिव्यांग बच्चे आमतौर पर साथियों के साथ बातचीत करने में हिचकिचाते हैं। ऐसा कौशल की कमी के कारण होता है। इस तरह की दोस्ती बनाये रखने के लिए संचार अपरिहार्य है। इसमें संचार की कला सीखने और सम्बन्ध बनाने के कौशल शामिल हैं, जिसे बालक परिवार जैसे अन्य सामाजिक परिवेश में संवाद के जरिए सीखता है। व्यवहार की सामाजिक प्रकृति बचपन में ही तैयार हो जाती है। इतनी जल्दी सामाजिक अनुभव बच्चे के वयस्क होने पर उसके व्यवहार को निर्धारित करने में बड़ा प्रभाव डालता है। सुनने में अक्षम और मंदबुद्धि बच्चे अपने आस–पास के लोगों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने में अक्षम होते हैं। नए दोस्त बनाने में पिछड़ जाने से उनके आत्म–सम्मान में कमी आती है और इस तरह अंततः उनका सामाजिक समावेश प्रभावित होता है। अलगाव और बेचैनी में वृद्धि का मूल कारण मुख्य धारा से जुड़ने के लिए संचार में आ रही कठिनाईयों की रुकावट है। वहीं दूसरी ओर, दृश्य और चलने फिरने की निःशक्तता, उनकी सीमाओं के कारण समाज में काफी स्पष्ट है, इसलिए समाज भी काफी हद तक इस सीमाओं को स्वीकार कर रहा है और इनके प्रति एक रुढ़िबद्धता का एक स्पष्ट रवैया दर्शाता है। अतः नागरिक समाज को विभिन्न प्रकार की निःशक्तता वाले लोगों के साथ संवाद स्थापित करने और उनके सामाजिक समावेशन के उपाय तलाशने का अवसर मुहैया करना बेहद महत्वपूर्ण है।

भाषिक तौर पर मजबूत लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा दिव्यांग लोगों में हीनता भाव बढ़ाती है। उन्हें शिक्षा, रोजगार और दूसरों के साथ सार्थक सम्बन्धों की स्थाना के लिए अवसरों से संचित किया जाता है। उन पर अनुत्पादक होने का ठप्पा लगा दिया जाता है और इसलिए उन्हें बोझ समझा जाता है।

बहुत से दिव्यांगजन अपने स्थानीय समुदाय और अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रभावी योगदान करने में असमर्थ होते हैं, तब भी सहयोगपूर्ण समर्थन की बदौलत वे कार्य कर रहे है। वे अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। वर्तमान में उनमें से केई लोगों, के पास कोई काम नहीं है, जो कि सम्भावित कौशल और क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत का प्रतिनिधित्व करते है। अगर उनकी ऊर्जा का केवल सदुपयोग हो जाए, तो आशायें बढ़ जायेंगी। काम करने, कमाने के लिए उन्हें सशक्त किये जाने के बजाए कई दिव्यांग लोगों को लाभ, सरकार और परिवार के समर्थन पर आश्रित रहने के लिए छोड़ दिया गया है। कमाने के दिनों में कमजोर आर्थिक परिणामों से उनके बुढ़ापे की भी सही व्यवस्था नहीं हो पाती है इस प्रकार के नुकसान की स्थिति लम्बे समय तक जारी रहने पर वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

अगर शारीरिक बाधाओं की बात करें तो, कई दिव्यांग लोग आसपास का दिव्यांगता अनुकूल वातावरण जैसे परिवहन व्यवस्था, सुलभ इमारत आदि सुविधा उचित प्रकार से मिल पाना मुश्किल होता है। मुम्बई में दिव्यांग यात्रियों को ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों का आधारभूत संरचना उनके अनुकूल नहीं है जिससे यात्रा के दौरान वे अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि सामान्य लोगों की भांति ही दिव्यांग लोगों को भी ट्रेनों में सुरक्षित यात्रा करने और रेलवे बोर्ड से उनके शारीरिक विविधता के अनुकूल ट्रेन में सुविधाएँ मुहैया कराने की मांग करने का अधिकार है।

सरकार अलग–अलग दिव्यांगता वाले लोगों के लिए उनकी विशिष्ट जरुरतों को पूरा करने सम्बन्धी सरकारी नीतियों को बनाते समय या उन्हें लागू करने के दौरान दिव्यांग समूहों को न तो तवज्जो देती है न उनसे मशविरा करती है और न ही उन्हें शामिल करती है। बहुत बार दिव्यांग लोगों को लगता है कि वे एक ऐसी व्यवस्था से जूझ रहे हैं जो खंडित, जटिल और नौकरशाही प्रवृत्ति की है और जिसका दिव्यांग लोगों के जीवन में सुधार लाना और उनके सामाजिक समावेशन में कोई लेना–देना नहीं है। इस राजनीतिक और कानूनी प्रक्रियाओं से दिव्यांग लोगों के लिए अलगाव और उपेक्षा की स्थिति उत्पन्न होती है जो कि उनको सामाजिक बहिष्कार के तौर पर सामने आता है।

1.3.2 हाशियाकरण को प्रभावित करने वाले कारक – हाशियाकरण की स्थिति को प्रभावित करने में विभिन्न कारक निम्नवत् हैं जो हाशिए की स्थिति को दूर कर दिव्यांगजन को सामाजिक व सांस्कृतिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है–

- दिव्यांगजनों के हाशियाकरण से निपटने के लिए निर्भरता और निम्न आशा की संस्कृति का अंत हो और एक ऐसे समाज की ओर कदम बढ़ाया जाय जिसमें हम दिव्यांग लोगों के लिए सहयोगपूर्ण नजरिया रखें, उन्हें भागीदार और समावेशी बनाने के लिए उनको सशक्त करें और समर्थन दें।

- हाशियेकरण की इस स्थिति को दूर करने की जिम्मेदारी अकेले सरकार की न होकर सामूहिक रुप से दिव्यांग के स्वयं की नियोक्ताओं, स्वास्थ्य पेशेवरों, शिक्षकों, स्थानीय समुदायों और वस्तु एवं सेवा प्रदाताओं के साथ ही अन्य लोगों की भी है। सभी को अपने स्तर पर दिव्यांगों के जीवन को सहज बनाने और उनके समुचित सामाजिक समावेश के लिए कार्य करने की जरुरत है।

- विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता, उनकी जरुरतों, उनकी क्षमताओं के बारे में विभिन्न हितधारकों के लिए संवेदीकरण/जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन करना।

- चिकित्सा, पेशेवरों, अध्यापकों, वकीलों, नियोक्ताओं, रोजगार अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों के लिए दिव्यांगता के बारे में जानकारी को बढ़ाने के लिए, दिव्यांगों के साथ काम करने के दौरान कौशल विकसित करने और दिव्यांगता और दिव्यांगों के प्रति उनके नजरिए को बदलने के लिए सेवा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

- दिव्यांगों के शक्ति, दृष्टिकोण और क्षमताओं पर ध्यान केन्द्रित करने की ओर उन्हें स्वयं को सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की जरुरत है।

- दिव्यांग लोगों के लिए विशेषज्ञ और मुख्यधारा की नीति से समर्थित अवसरों तक पहुँच जरुर होनी चाहिए, जिससे वे समाज में अपना योगदान दे सकें और इससे, चूँकि समाज को उनकी क्षमताओं में विश्वास बढ़ेगा, परिणामतः, ऐसे लोगों का सामाजिक समावेश की प्रक्रिया आसान हो जायेगी।

- सामान्य नागरिकों के साथ–साथ ही दिव्यांगों की जरुरतों को भी सभी मुख्यधारा की नीतियों को बनाते समय और उन्हें लागू करते समय शीघ्रता से शामिल किया जाना चाहिए।

- दिव्यांगों में सरकार के समर्थन और सेवाओं के प्रति मनोभावों को बदलने की जरुरत है। उनके साथ समुचित संवाद स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

- बाधामुक्त और समावेशी परिवेश के लिए सार्वभौमिक प्रारुप अपनाने की जरुरत है।

- दिव्यांगजन की दिव्यांगता को अभिशाप या कलंक की जगह इसे 'प्राकृतिक' तौर पर लिए जाने के लिए समर्थन की जरुरत है।

- दिव्यांगजन के पुनर्वास व शिक्षा की समुचित व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, अवरोध–मुक्त वातावरण, रोजगार, दिव्यांगता से निपटने वाले मौजूदा अधिनियमों में सुधार, गैर–सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन, खेल–कूद, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप, दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुसंधान आदि पर समुचित ध्यान देने की जरुरत है।

1.4 समावेशी शिक्षा

समाज परिकल्पना करता है जिसमें दिव्यांगों की उत्पादक, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, उनके प्रगति और विकास हेतु समान अवसर और बाधामुक्त अनुकूल वातावरण प्रदान की जाती है। शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है और उसे पढ़ने व लिखने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की अपनी विशेषताएँ, रुचि, योग्यताएँ और अधिगम आवश्यकताएँ होती हैं और इनके इस व्यैक्तिक विभिन्नताओं का आदर किया जाना चाहिए। इस समावेशी दृष्टिकोण को समेटे समावेशी शिक्षा एक ऐसी दूरदर्शी शैक्षिक परिकल्पना है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चों को जाति, लिंग, भाषा, वर्ग, क्षेत्र, संस्कृति, दिव्यांगता आदि के आधार पर भेदभाव और समान रुप से बाधामुक्त बुनियादी सुविधाओं और शैक्षिक वातावरण में प्रभावी शिक्षा दिया जाना चाहिए। किसी भी विभिन्नता के आधार पर किसी बच्चे को शिक्षा से इंकार नहीं किया जा सकता। समावेशी शिक्षा शून्य बहिष्करण (Zero Rejection) नीति का पोषक है।

समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है, जिसमें प्रत्येक बालक को चाहे वो विशिष्ट हो या सामान्य बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक ही विद्यालय में सभी आवश्यक तकनीकों व सामग्रियों के साथ उनकी सीखने–सिखाने के जरुरतों को पूरा किया जाये।

समावेशी शिक्षा के मायने – समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधताओं को स्वीकार करने की एक मनोवृत्ति है जिसके अन्तर्गत विविध क्षमताओं वाले बालक सामान्य शिक्षा प्रणाली में एक साथ अध्ययन करते हैं। समावेशित शिक्षा के दर्शन के अन्तर्गत प्रत्येक बालक अद्वितीय है और उसे अपने सहपाठियों की भांति विकसित करने के लिए कक्षा में विविध प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। बालक के पीछे रह जाने के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, बल्कि उन्हें कक्षा में भली प्रकार समाहित न कर पाने का जिम्मेदार अध्यापक को स्वयं समझना चाहिए। जिस प्रकार हमारा संविधान किसी भी आधार पर किये जाने वाले भेदभाव को निषेध करता है, उसी प्रकार समावेशी शिक्षा विभिन्न ज्ञानेन्द्रिय, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक आदि कारणों से उत्पन्न किसी बालकों की, विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं के बावजूद उन बालकों को भिन्न देखे जाने के बजाए स्वतन्त्र अधिगमकर्ता के रुप में देखती है।

समावेशित शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता – समावेशित शिक्षा प्रत्येक बालक के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। प्रत्येक बालक स्वाभाविक रुप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है। समावेशी शिक्षा अन्य बालकों, अपने स्वयं के व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के सामंजस्य स्थापित करने में सहयोग करती है। समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनेपन की विद्यालय संस्कृति के साथ–साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा बालक को अन्य बालकों के समान कक्षा गतिविधियों में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है। समावेशित शिक्षा बालकों की शिक्षा की गतिविधियों में उनके माता–पिता को भी सम्मिलित करने की वकालत करती है। समावेशित शिक्षा सही मायनों में शिक्षा का अधिकार जैसे शब्दों का रुपान्तरित रुप है जिसे कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है, विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों को एक समतामूलक शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना। समावेशित शिक्षा समाज के सभी बालकों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का समर्थन करती है।

समावेशित शिक्षा हेतु रणनीतियाँ – समावेशित शिक्षा हेतु कुछ रणनीतियाँ इस प्रकार हो सकती है–

- **समावेशित विद्यालय वातावरण** – बालकों की शिक्षा चाहे वह किसी भी स्तर की हो, उसमें विद्यालय के वातावरण का बहुत योगदान होता है। विद्यालय का वातावरण ही कुछ चीजों की शिक्षा बालकों को स्वयं भी दे देता है। समावेशित शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय का वातावरण सुखद और स्वीकार्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यालय में विशिष्ट बालकों की विशिष्ट शैक्षिक, चलिष्णुता, दैनिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक साज, सम्मान शैक्षिक सहायताओं, उपकरणों, संसाधनों, भवन आदि का समुचित प्रबन्ध आवश्यक है। बिना इनके विद्यालय में समावेशित माहौल बनाने में कठिनाई हो सकती है।

- **सबके लिए विद्यालय** – समावेशित शिक्षा की मूल भावना है एक ऐसा विद्यालय जहाँ सभी बालक एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, परन्तु सामान्यतः इस तरह की बातें देखने और सुनने में आती रहती है कि किसी बालक को उसकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी असमर्थता दर्शाते हुए, विद्यालय में प्रवेश देने से मना कर दिया या किसी विशेष विद्यालय में उसके दाखिले के लिए कहा हो। समावेशित शिक्षा के उद्देश्यों को सभी बालकों तक पहुँचाने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय में दाखिले की नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। हालाँकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 इस संदर्भ में एक प्रभावी कदम कहा जा सकता है परन्तु धरातल पर इसकी वास्तविकता में अभी भी संदेह होता है।

- **बालकों के अनुरुप पाठ्यक्रम** – बालकों को शिक्षित करने का सबसे असरदार तरीका है कि उन्हें खेलने के तरीकों तथा गतिविधियों के माध्यम से सीखने का प्रयास किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है कि विद्यालय पाठ्यक्रम, बालकों की अभिवृत्तियों, मनोवृत्तियों, आकांक्षाओं तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम में विविधता तथा पर्याप्त लोचशीलता होनी चाहिए ताकि उसे प्रत्येक बालक की क्षमताओं, आवश्यकताओं तथा रुचि के अनुसार

अनुकूल बनाया जा सकें, बालकों में विभिन्न योग्यताओं व क्षमताओं का विकास हो सकें, उसे विद्यालय से बाहर, बालक के सामाजिक जीवन से जोड़ा जा सके। बालक को सामाजिक रुप से एक उत्पादित नागरिक बनाने में योगदान दे सकें।

इसके अतिरिक्त, बालक के समय का सदुपयोग करने की शिक्षा प्राप्त हो सकें।

- **मार्गदर्शन व निर्देशन की व्यवस्था** – विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में नियमित शिक्षक, विशेष शिक्षक, अभिभावक और परिवार, सामुदायिक अभिकरणों के साथ विद्यालय कर्मचारियों के बीच सहयोग और सहकारिता शामिल है। समावेशित शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत घर से विद्यालय जाते समय बालक को आरम्भ में नये परिवेश में अपने आपको समायोजित करने में कुछ असुविधा हो सकती है। जैसे आरम्भ में कक्षा के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई होना, दोस्तों का अभाव, नामकरण आदि के कारण बालक के आत्मविश्वास में कमी होना। इसके अतिरिक्त किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तनों में कठिनाई के दौर में मार्गदर्शन एवं निर्देशन से बालक को इस संक्रमण काल में काफी सहायता मिलती है। उचित मार्गदर्शन व निर्देशन से बालक और उसके माता–पिता दोनों ही परिवर्तनों के लिए मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रुप से तैयार किऐ जा सकते हैं।

- **सहायक तकनीको उपकरणों का उपयोग** – आज के युग में तकनीकी उपायों से मानव जीवन काफी हद तक सुगम हो गया है। मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर आज तकनीकी का प्रभाव देखा जा सकता है। समावेशित शिक्षा की सफलता के लिए और उसके प्रचार–प्रसार के लिए शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी का उपयोग किये जाने की आवश्यकता है। टी0वी0 कार्यक्रमों, कम्प्यूटर, मोबाइल फोन, सहायक शिक्षा व चलुष्णुता तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके बालकों की शिक्षा, सामाजिक अर्न्तक्रिया, मनोरंजन आदि में प्रभावशाली भूमिका निभाई जा सकती है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि समावेशित शिक्षा वातावरण हेतु बालकों, अभिभावकों, शिक्षकों को इसकी नवीन तकनीकी विधियों से परिचित करवाया जाये तथा उनके प्रयोग पर बल दिया जाए।

- **समुदाय की सक्रिय भागीदारी** – विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा की पूरी बुनियाद प्रतिभागिता निर्मित करने पर टिकी हुई है। एक अकेले व्यक्ति के प्रयासों से उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। समावेशित शिक्षा हेतु यह आवश्यक है कि विद्यालयों को सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनाया जाना चाहिए जिससे की बालक की सामुदायिक जीवन की भावना को बल मिले क्योंकि उसे एक निश्चित समय के पश्चात् उसी समुदाय का एक सक्रिय सदस्य के रुप में अपनी भूमिका का निर्वाह करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समय–समय पर विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम वाद–विवाद, खेलकूद, देशाटन जैसे मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए और उनमें बालकों के अभिभावकों को समाज के अन्य सम्मानित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए जिससे कि उन्हें इन बालकों के एक समावेशित शिक्षा वातावरण में शिक्षा ग्रहण करने के सम्बन्ध में फैली भ्राँतियों को दूर कर उन्हें इन बालकों की योग्यता व प्रतिभाग से परिचित करवाया जा सके।

- **शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण** – शिक्षक को ही शिक्षा पद्धति की वास्तविक गत्यात्मक शक्ति तथा शैक्षिक संस्थाओं की आधारशीला माना गया है। यद्यपि यह बात सत्य भी है कि विद्यालय भवन, पाठ्यक्रम, पाठ्य सहभागी क्रियायें, सहायक शिक्षक सामग्री आदि सभी वस्तुयें व क्रियाकलापों को भी शैक्षिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है, परन्तु शिक्षक ही वह शक्ति है जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रुप से शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है। समावेशित शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षकों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है क्योंकि समावेशित शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक केवल अपने आपको केवल शिक्षण कार्य तक ही अपने आपको सीमित नहीं रखता है, अपितु विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों का कक्षा में उचित ढंग से समायोजन करना, उनके लिए विशिष्ट प्रकार की शैक्षिक सामग्री का निर्माण करना, विद्यालय के अन्य कर्मचारियों, अध्यापकों तथा विशिष्ट अध्यापक से बालक की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग व सहकारपूर्ण व्यवहार करना, बालक को मिलने वाली आर्थिक सुविधाओं का वितरण करना आदि कार्य भी करने पड़ते हैं। इसलिए अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्णतः निपुण

हो। उसे विशिष्ट सामग्री की जानकारी हो। बालकों के प्रति स्वस्थ व सकारात्मक अभिवृत्तियाँ रखता हो, उनके मनोविज्ञान को समझता हो।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि समावेशन की नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रुप से लागू किये जाने की जरुरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में वह चाहे स्कूल में हो या बाहर सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने की जरुरत है। स्कूलों को ऐसा केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता है जहाँ बच्चों को जीवन की तैयारी कराई जाए और सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चों खासकर शारीरिक व मानसिक रुप से असमर्थ बच्चों, समाज के हाशिए पर जीने वाले बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को शिक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र से सबसे ज्यादा लाभ मिले।

1.5 पृथक्करण

अतीत में जब शारीरिक अथवा मानसिक दिव्यांग व्यक्ति तथा उसके परिवार को शापित मान कर समाज उन्हें बहिष्कृत कर देता था, ऐसे में इस दिव्यांग बच्चों की पुनर्वास की कोई योजना धरातल पर नहीं आ सकी थी। धीरे–धीरे गैर सरकारी संगठनों तथा सामाजिक प्रयास से दिव्यांगजनों के पुनर्वासन की योजना शुरु हो पायी। लेकिन अब भी यह पुनर्वास पूर्यातथा सामाजिक न होकर वैयक्तिक ही है। दिव्यांगजनों का पुनर्वासन पृथक्करण के रुप में शुरु हुआ। इनकी शिक्षा की व्यवस्था पृथक रुप से की गई है जिसके परिणामस्वरुप विशेष विद्यालय और गृहआधारित शिक्षा व्यवस्था का आरम्भ हुआ। पृथक्करण का आरम्भ इनके प्रति पुनर्वासन की भावना में सामाजिक अलगाव ज्यादा प्रभावी था। परिणामस्वरुप इन बच्चों को सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधियों से वंचित होना पड़ा। इनकी शिक्षा, विशेष विद्यालय में जहाँ एक दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे एक साथ पढ़ते थे वहाँ शुरु हुई।

पृथक्करण में दिव्यांग बच्चों के पुनर्वासन की शुरुआत तो हई लेकिन इस योजना का दुष्प्रभाव यह रहा कि दिव्यांग बच्चों का सामाजिक समावेशन नहीं हो सका। सामाजिक रुप से अभी भी इन बच्चों को स्वीकार्यता नहीं मिली। सामाजिक अभिवृत्ति में बदलाव लाने में सफल नहीं हो सका। पृथक्करण में दिव्यांग बच्चों को विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाता है। सामान्य अध्यापक व सामान्य बच्चों से इनका कोई जुड़ाव नहीं होता, जिसके कारण दिव्यांग बच्चों का समाज में समंजन होने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

1.6 समेकन

समेकन यानि समेकित शिक्षा का तात्पर्य दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में समेकित करने से है, उन्हें शिक्षित करने से है। दिव्यांगजन को शिक्षा के साथ–साथ सामाजिक विकास की भी जरुरत है जिससे उनका पूर्ण विकास हो। अतीत में दिव्यांगजनों को शिक्षा विशेष विद्यालयों के माध्यम से दी जाती रही थी। धीरे–धीरे यह आवश्यकता महसूस हुई कि इन बच्चों को विशेष विद्यालयों से बाहर दी जाय जिससे इनका सामाजिक विकास भी हो। इसी के तहत समेकित शिक्षा यानी समेकन शब्द प्रचलन में आया जिसके तहत विशेष विद्यालयों से दिव्यांग बच्चों को कुछ समय के लिए सामान्य विद्यालयों में पढ़ाये जाने लगा। बाद में पूर्व नियोजित निर्धारित कौशलों को विद्यालय जाने से पहले सिखाया जाने लगा और फिर इन बच्चों को सामान्य विद्यालय में नामांकन दिया जाने लगा जहाँ विशेष शिक्षक, संसाधन कक्ष, सहायक उपकरण–संसाधन की सहायता से इन बच्चों को शिक्षा दी जाने लगी। इस तरह समेकन या समेकित शिक्षा के मूल में दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना था जहाँ सामान्य विद्यालय में प्रवेश से पहले दिव्यांग बच्चों को पूर्व नियोजित कौशलों को सिखना अपरिहार्य था।

चित्र : पृथक्करण, समेकन व समावेशन के सप्रत्यय को निम्न चित्रों के माध्यम से समझा जा सकता हैः–

पृथक्करण

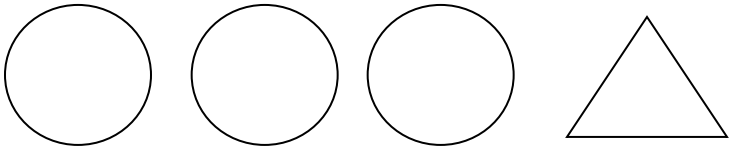

समेकन

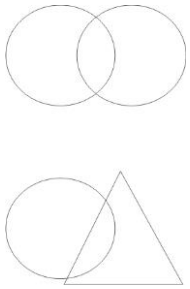

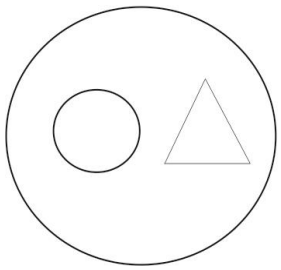

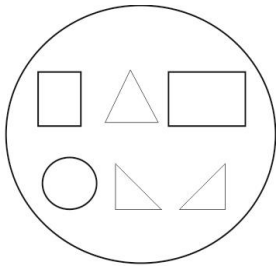

समावेशी शिक्षा

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. पृथक्करण, समेकन एवं समावेशी शिक्षा में उदाहरण सहित विभेद कीजिए?

   .....

   .....

2. हाशियाकरण को प्रभावित करने वाले किन्ही दो कारकों को लिखिए?

   .....

   .....

1.6.1 लक्ष्य एवं उद्देश्य

समेकित शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नवत है–

लक्ष्य – समेकित शिक्षा का उद्देश्य कम से कम अवरोधक पर्यावरण में दिव्यांग बच्चों के जीवन एवं शिक्षा का सामान्यीकरण करना है। इस प्रणाली में दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। ध्यानयोग्य बातें है कि दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने से पहले निर्धारित व आवश्यक पूर्वकौशलों का ज्ञान कराया जाता है। ताकि इनका समंजन बेहतर रुप से किया जा सके।

उद्देश्य – समेकित शिक्षा का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों के लिए सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक अवसर एवं शैक्षिक अनुभवों को प्रदान करना है। इन बच्चों को उनके परिवार, पड़ोसी एवं सामान्य बच्चे उनके सामान्य परिस्थितियों में उन्हें अंतःक्रिया करने का अवसर प्रदान करें। दिव्यांग बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह को प्रदर्शन के द्वारा यह अनुभव कराना कि दिव्यांग बच्चे पहले बच्चे है फिर दिव्यांग। दिव्यांग बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना ताकि समाज का अभिन्न हिस्सा बन सके, समाज में अपनी भूमिका स्पष्ट कर सके। जितना सम्भव हो समाज में समाज के सभी खण्डो में अपना योगदान दे सकें।

समेकित शिक्षा को प्राप्त करने के आवश्यक कारक – समेकित शिक्षा के सफलता के आवश्यक कारक हैं – विशिष्ट अध्यापकों का प्रावधान ताकि विभिन्न स्तरों पर संसाधन अध्यापकों की सेवाएँ प्रदान की जा सके। सभी उपयोगी शैक्षिक किताबों का प्रावधान एवं विशिष्ट सहायक सामग्री एवं उपकरणों का चयन होना चाहिए। सामान्य कक्ष अध्यापकों, विद्यालय प्रबन्धकों, परिवारों, सामान्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों एवं सामान्य जनता को दिव्यांग

बच्चों की शिक्षा के मामले में परामर्श देना। सामान्य परामर्शदाताओं, विशेषज्ञों एवं स्व–सेवकों के लिए सहायक सेवाओं जैसे पढ़ने की सेवा एवं सामग्री का पूर्णत उपयोग किया जाय। ये सभी कारक समेकित शिक्षा को प्राप्त करने के महत्वपूर्ण कारकों में सम्मिलित हैं।

1.6.2 समेकित शिक्षा के प्रारूप – भारत में समेकित शिक्षा वैकल्पिक न होकर अनिवार्य हो गयी है। प्रारम्भ की प्रक्रिया में अधिकतर दिव्यांग बच्चे शैक्षिक सेवाओं के अन्तर्गत आते हैं। समेकित शिक्षा एक मितव्ययी उपागम माना गया है और इसलिए सामान्य विद्यालयों में, सामान्य शिक्षण प्रणाली में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्वीकार करना आरम्भ कर दिया है। भारत में समेकित शिक्षा के सभी प्रकार के मॉडल पाये जाते हैं। समेकित शिक्षा के महत्वपूर्ण मॉडल निम्न हैं–

1. **संसाधन मॉडल** – इस शैक्षिक योजना के अन्तर्गत दिव्यांग बच्चे को सामान्य कक्षा में नामांकित किया जाता है। इस योजना में सामान्य विद्यालय में एक संसाधन कक्ष होता है जहाँ एक विशेष अध्यापक, जिसे संसाधन अध्यापक कहते हैं, सामान्य अध्यापक के साथ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए उपलब्ध रहता है। इसमें विशेष अध्यापक का सबसे अधिक दायित्व दिव्यांग बच्चों के विशेष कौशलयुक्त योजना का निर्माण करना होता है। सामान्य अध्यापक इन बच्चों के विषय से सम्बन्धित सामान्य शिक्षा की योजना तैयार करता है। एक पूर्णकालिक संसाधन अध्यापक एक संसाधन कार्यक्रम में 8–10 दिव्यांग बच्चों को नियंत्रित करता है।

2. **परिभ्रामी मॉडल** – इस शैक्षिक योजना के अन्तर्गत दिव्यांग बालक/बालिका अपने घर के पास स्थित सामान्य विद्यालय में नामांकित होता है जहाँ उसकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामान्य अध्यापक एवं परिभ्रामी (भ्रमणकारी) अध्यापक के संयुक्त प्रयत्नों के द्वारा किया जाता है। इस मॉडल की निम्न विशेषताएँ हैं –

   - इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चे विभिन्न विद्यालयों में बंटे होते हैं। परिभ्रामी शिक्षक प्रतिदिन यात्रा कर बच्चे के पास पहुँचता है। परिभ्रामी अध्यापक के द्वारा सप्ताह में 2 से 3 बार प्रत्येक बच्चे के पास भ्रमण करते हैं। प्रत्येक विद्यालय के पास अपना संसाधन कक्ष न होने की स्थिति में परिभ्रामी अध्यापक के लिए एक संसाधन किट रखना सुविधाजनक होता है। इस मॉडल के अन्तर्गत विद्यालय का चयन 8 किमी0 के क्षेत्र के अन्तर्गत होना चाहिए। हाँलाकि यह दूरी क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता के विस्तृत विवरण पर निर्भर है।

3. **संयुक्त योजना/मॉडल** – इस मॉडल को संसाधन व परिभ्रामी मॉडल भी कहा जाता है। इसके अन्तर्गत अध्यापकों की क्रियाओं के बीच कुछ कार्यक्रमों की संयुक्त व्यवस्था की जाती है। एक जिले के संयोजन में संसाधनों के आधार पर 3 प्राथमिक विद्यालय एवं चार माध्यमिक विद्यालय, परिभ्रामी के आधार पर होता है, या अध्यापक प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय के संसाधन कक्ष में प्रतिदिन सेवाएँ देता है और दूसरी ओर माध्यमिक स्तर पर परिभ्रामी शिक्षक के रुप में अपनी भूमिका तय करता है। एक ही शिक्षक को संसाधन कक्ष में और परिभ्रामी शिक्षक के तौर पर अपनी भूमिका निभाना पड़ता है। इसीलिए इस मॉडल को संसाधन व परिभ्रामी मॉडल/योजना कहा जाता है।

4. **सहयोगी योजना/मॉडल** – इस शैक्षिक योजना के अन्तर्गत दिव्यांग बच्चे एक विशेष अध्यापक के साथ नामांकित होकर एक विशेष कक्ष से सामान्य कक्ष के लिए दिन में कुछ समय के जाता है। इस योजना में विशेष कक्ष ही उसका मुख्य कक्ष होता है। विशेष अध्यापक सामान्य कक्षाध्यापक के सहयोग के साथ योजना बनाता है एवं दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी होता है। यह योजना/मॉडल देर से शिक्षा प्रारम्भ करने वाले दृष्टिबाधित बच्चों के साथ अतिरिक्त दिव्यांग बच्चों के लिए उपयुक्त है।

5. **समूह/समुदाय मॉडल** – ऐसे स्थान जहाँ बहुत पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पर आवागमन की व्यवस्था बहुत कम है। जहाँ की भौगोलिक विशेषता की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने में काफी समय लग जाता है। ऐसे परिवेश में समुदाय/समूह मॉडल ही विकल्प है। यह मॉडल उपग्रह की मदद से विभिन्न क्षेत्रों के मानचित्र बनाते हैं एवं सेवाएँ प्रदान करने की प्रणाली को विकेन्द्रीकृत करते हैं। क्षेत्रीय संसाधन

केन्द्र इसके प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। मुख्य संसाधन केन्द्र सभी अन्य केन्द्रों का पर्यवेक्षण करता है।

6. **द्वि–शिक्षा मॉडल** – यह योजना वहाँ सफल है जहाँ पर दिव्यांग बच्चों की संख्या बहुत कम है। ऐसे स्थिति में सामान्य शिक्षक सहायक शिक्षण सामग्री एवं सीमित क्षमता सम्बन्धी प्रशिक्षण के साथ सामान्य कक्ष के दायित्वों के अलावा दिव्यांग बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करता है। दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने व उनके साथ कार्य करने के लिए सामान्य अध्यापक को इस मॉडल के अन्तर्गत प्रेरित किया जाना चाहिए। इस मॉडल के अन्तर्गत एक अध्यापक दोनों भूमिका में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है।

7. **बहु–कौशल अध्यापक योजना** – यह मॉडल इस परिकल्पना पर आधारित है कि एक अध्यापक को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाय कि वह एक साथ कई तरह के दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हो। उसे विभिन्न दिव्यांगता से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया गया हो जिससे वह सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चों को सेवा दे सकें।

1.7 हाशियाकरण बनाम समावेशी शिक्षा, पृथक्करण और समावेशन

समावेशन, जो कि सामाजिक बहिष्कार के विपरीत है, यह उन परिस्थितियों और आदतों को बदलने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो सामाजिक बहिष्कार का नेतृत्व करते हैं अथवा जिन्होंने पहले ऐसा किया है। विश्व बैंक सामाजिक समावेश को पहचान के आधार पर वंचित या हाशियाकरण की स्थिति लोगों के लिए सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उनकी क्षमता, अवसर और गरिमा में सुधार की प्रक्रिया के रुप में परिभाषित करता है। वैश्विक स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों का समूह सबसे बड़े हाशिये पर स्थित समूहों में से एक है, जो उपेक्षा, अभाव, अलगाव और बहिष्कार का सामना कर रहा है। 20वीं सदीं के उत्तरार्द्ध में ज्यादातर देशों ने दिव्यांग व्यक्तियों को कुछ विशेष सहायता प्रदान किए हैं। इसके तहत मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के माध्यम से उनके लिए दान और संस्थागत देखभाल से लेकर उपचार और पुनर्वास तक की व्यवस्था की गई है। भारत की आजादी के बाद भारत सरकार ने बड़ी संख्या में हाशिए पर खड़े इस दिव्यांग जनसमूह के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की है और दिव्यांग लोगों के कल्याण और पुनर्वास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम तैयार किए हैं। हाशिए पर स्थित दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न शैक्षिक योजनाओं का विकास हुआ जिनमें पृथक्करण, समेकन तथा समावेशी शिक्षा योजना प्रमुख रहे हैं। दिव्यांगजनों को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल किये जाने वाले आरम्भिक प्रयास में पृथक्करण पहले आता है। पृथक्करण के अन्तर्गत हाशिए पर स्थिति दिव्यांगजन को शिक्षा दिया गया। उनके लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना हुई। गैर–सरकारी संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इन प्रयासों से सामाजिक समावेशन को व्यापक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। यह व्यैक्तिक रहा। दिव्यांगजन समाज से अलग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। पृथक्करण के पश्चात् दिव्यांगजन की शिक्षा योजना में समेकन यानि समेकित शिक्षा का आगमन हुआ जहाँ पहली बार दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य बच्चों के अनुकूल बने विद्यालयों पर शिक्षा दी जाने की पहल की गई जिससे दिव्यांगजन को मुख्यधारा में सम्मिलित किया जा सके। यह एक सराहनीय प्रयास था जहाँ हाशिए पर स्थिति दिव्यांगजन को कि समाज से अलग विशेष रुप से बने विद्यालय में शिक्षित किये जा रहे थे, उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की कवायद शुरु हो गई। लेकिन अब भी पूर्ण समावेशन नहीं हो सका क्योंकि दिव्यांगजन की समस्या अब भी व्यैक्तिक थी, विद्यालय या समाज की नहीं। कालान्तर में 1990 के दशक में समावेशी शिक्षा की दस्तक ने सम्पूर्ण विश्व में धीरे–धीरे हाशियेकरण की स्थिति में पड़े दिव्यांगजन के लिए क्रान्तिकारी परिवर्तन किये। पहली बार दिव्यांगजन के पूर्ण रुप से सामाजिक–आर्थिक समावेशन पर जोर दिया गया। 'सभी के लिए शिक्षा' के सिद्धान्त को अपने मूल में निहित कर समावेशी इस बात पर महत्व देता है कि किसी भी बच्चे को चाहे वो दिव्यांग हो या किसी भी प्रकार से भिन्न हो, उसे सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ अनुकूलित शैक्षिक वातावरण तथा बाधारहित बुनियादी सुविधाओं के माहौल में शिक्षा लेने का अधिकार है। दिव्यांगता अभिशाप नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है, इस नैतिक विचार के साथ समावेशी शिक्षा ने हाशिएकरण पर स्थित दिव्यांगजन के जीवन में आमूल–चूल परिवर्तन किये हैं। हाँलाकि समावेशी शिक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए भिन्न प्रयास हो रहे हैं, लेकिन स्थिति फिर भी बहुत संतोषजनक नहीं हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि समावेशी शिक्षा की योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू किया जाय, जिससे दिव्यांगजन हाशिए से हटकर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें, अपनी सशक्त भूमिका के साथ देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में खुद को प्रतिस्थापित कर सकें।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. संसाधन मॉडल से आप क्या समझते है ?

.....

.....

4. द्वि–शिक्षा मॉडल क्या है ?

.....

.....

1.8 सारांश

भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतन्त्रता तथा न्याय सुनिश्चित करता है और स्पष्ट रुप से यह दिव्यांग व्यक्तियों समेत संयुक्त समावेशी समाज बनाने पर जोर डालता है। हाल के बदलते नजरिये से हाशियाकरण की स्थिति में पहुँचे दिव्यांगजनों के जीवन स्तर में काफी बदलाव हुआ है। हाशियाकरण वह स्थिति है जिसमें दिव्यांगजन या हाशिए पर स्थित व्यक्ति, अन्तर्वैयक्तिक व सामाजिक स्तरों पर पूर्ण सामाजिक जीवन तथा अन्य आवश्यकताओं से वंचित कर दिया जाता है। हाशियाकरण की स्थिति में दिव्यांगजन को समाज के मुख्यधारा से अलग हो बहिष्कृत का दंश झेलना पड़ता है जिससे उसका सामाजिक समावेशन अवरुद्ध हो जाता है। परिणामस्वरुप समावेशी समाज की परिकल्पना कोरी प्रतीत होती है। यह स्पष्ट है कि हाशियाकरण की स्थिति दिव्यांगजनों के प्रति अज्ञानता, अंधविश्वास तथा नकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। हाशियाकरण की वजह से दिव्यांगजन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे समाज की मुख्य धारा से अलग–थलग पड़ जाते हैं। उनके साथ–साथ उनके परिवार के मनोसामाजिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक रुप से भी इनकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। सामाजिक – सांस्कृतिक रुप से ये पिछड़ जाते हैं तथा इनकी स्थिति दयनीय हो जाती है। दिव्यांगजनों को हाशियेकरण की स्थिति से बाहर लाने के लिए विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक–आर्थिक प्रयास किये जाते रहे हैं। शिक्षा के लिए किये गये प्रयासों में पृथक्करण, समेकन तथा समावेशी शिक्षा जैसी योजनाएँ प्रमुख रही है। पृथक्करण के तहत दिव्यांगजन को सामान्य बच्चों से अलग इनके लिए विशेष रुप से बनाये गये विशेष विद्यालयों में शिक्षा का प्रावधान किया था। पृथक्करण के तहत इनकी शिक्षा की जिम्मेदारी विशेष शिक्षक पर होती थी। पृथक्करण का एक नकारात्मक पहलू यह रहा कि बच्चों की सामाजिक विकास से वंचित रहना पड़ता था। समेकन यानि समेकित शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था से था जिसमें दिव्यांगजन को पूर्व वांधित–नियोजित कौशलों को सीखकर सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने से था। इसके तहत समेकित शिक्षा के विभिन्न योजनाओं जैसे संसाधन मॉडल, परिभ्रामी मॉडल, संयुक्त योजना, सहयोगी योजना, समूह समुदाय मॉडल, द्वि–शिक्षा मॉडल, बहु–कौशल अध्यापक योजना के द्वारा इन बच्चों को शिक्षा दिया जाने लगा। समावेशी शिक्षा 'सभी के लिए शिक्षा के सिद्धान्त' पर आधारित है जो यह संकल्पित रहती है कि किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। दिव्यांगजन को उसकी दिव्यांगता के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी बालक किसी भी देश, धर्म, संस्कृति, जाति, रंग–रुप, समुदाय या शारीरिक रुप से भिन्न हो या दिव्यांग हो उसे सामान्य विद्यालय में एक साथ बाधा रहित व सकारात्मक शैक्षिक वातावरण में शिक्षा पाने का अधिकार है। दिव्यांगजन की शिक्षा की जिम्मेदारी विद्यालय और समाज की है। इस तरह हाशियाकरण को मूल से खत्म करने में समावेशी शिक्षा अपनी महती भूमिका को संकल्पित करती है।

1.9 अभ्यास के प्रश्न

1. हाशियाकरण से आप क्या समझते हैं ? हाशियाकरण के दिव्यांगजन पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए।
2. समेकित शिक्षा का तात्पर्य है? समेकित शिक्षा के मॉडल/योजना का विवरण दें।
3. समावेशी शिक्षा तथा समेकित शिक्षा व पृथक्करण में विभेद कीजिए।

1.10 चर्चा के बिन्दु

1. हाशियाकरण से पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा करें।
2. समावेशी शिक्षा किस तरह हाशियाकरण की स्थिति को दूर करने में सक्षम है या हो सकती है, इस विषय पर सामूहिक परिचर्चा करें।

1.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. पृथक्करण – दिव्यांगजनों का पुनर्वासन पृथक्करण के रुप में शुरु हुआ। इनकी शिक्षा की व्यवस्था पृथक रुप से की गई है जिसके परिणामस्वरुप विशेष विद्यालय और गृहआधारित शिक्षा व्यवस्था का आरम्भ हुआ।

समेकन – विशेष विद्यालयों से दिव्यांग बच्चों को कुछ समय के लिए सामान्य विद्यालयों में पढ़ाये जाना। बाद में पूर्व नियोजित निर्धारित कौशलों को विद्यालय जाने से पहले सिखाया जाना तथा इन बच्चों को सामान्य विद्यालय में नामांकन करवाना।

समावेशी शिक्षा – समावेशी इस बात पर महत्व देता है कि किसी भी बच्चे को चाहे वो दिव्यांग हो या किसी भी प्रकार से भिन्न हो, उसे सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ अनुकूलित शैक्षिक वातावरण तथा बाधारहित बुनियादी सुविधाओं के माहौल में शिक्षा प्रदान करना।

2. हाशियाकरण को प्रभावित करने वाले दो कारक :–

1. व्यक्तिगत,
2. अन्तवैर्यक्तिक व सामाजिक स्तर

3. इस शैक्षिक योजना के अन्तर्गत दिव्यांग बच्चे को सामान्य कक्षा में नामांकित किया जाता है। इस योजना में सामान्य विद्यालय में एक संसाधन कक्ष होता है जहाँ एक विशेष अध्यापक, जिसे संसाधन अध्यापक कहते हैं, सामान्य अध्यापक के साथ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए उपलब्ध रहता है। इसमें विशेष अध्यापक का सबसे अधिक दायित्व दिव्यांग बच्चों के विशेष कौशलयुक्त योजना का निर्माण करना होता है। सामान्य अध्यापक इन बच्चों के विषय से सम्बन्धित सामान्य शिक्षा की योजना तैयार करता है। एक पूर्णकालिक संसाधन अध्यापक एक संसाधन कार्यक्रम में 8–10 दिव्यांग बच्चों को नियंत्रित करता है।

4. यह योजना वहाँ सफल है जहाँ पर दिव्यांग बच्चों की संख्या बहुत कम है। ऐसे स्थिति में सामान्य शिक्षक सहायक शिक्षण सामग्री एवं सीमित क्षमता सम्बन्धी प्रशिक्षण के साथ सामान्य कक्ष के दायित्वों के अलावा दिव्यांग बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करता है। दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने व उनके साथ कार्य करने के लिए सामान्य अध्यापक को इस मॉडल के अन्तर्गत प्रेरित किया जाना चाहिए। इस मॉडल के अन्तर्गत एक अध्यापक दोनों भूमिका में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है।

1.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. समर्थ (2006) : समावेशी शिक्ष हेतु तीन दिवसीय शिक्षक–प्रशिक्षण संदर्भिका, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना (2006) : इन्क्लूसिव एजुकेशन, www.unesco.org पर उपलब्ध

2. Arvanitakis, J.& Hornsby, D.J.(Eds.)(2016). University, the citizen scholar and the future of higher education. Palgrave Critical University Studies.
3. Begrer, W.(2016) A more beautiful question: The power of inquiry to spark breakthrough ideas, Bloomsbury.
4. Borghi, S., Mainardes, E., Silva, E. (2016). Expectation of higher education students: A comparison between the Perception of students and teachers. Teritary Education and Management 22(2), 171-188.

इकाई–2 : समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त और कक्षा–कक्ष में विविधता

इकाई की संरचना

2.1 प्रस्तावना

2.2 इकाई के उद्देश्य

2.3 समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त

2.4 कक्षा–कक्ष में विविधता का तात्पर्य

2.5 कक्षा–कक्ष में विविधता का संयोजन : कैसे?

2.6 सारांश

2.7 अभ्यास के प्रश्न

2.8 चर्चा के बिन्दु

2.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

2.1 प्रस्तावना

समावेशी शिक्षा सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर के सिद्धान्त में अन्तर्निहित है। यह इस बात में विश्वास करता है कि प्रत्येक बालक सीख सकता है, अगर उसे अनुकूल शैक्षिक वातावरण मुहैया कराया जाय। समावेशी शिक्षा अपने मूल में इस सिद्धान्त को अन्तर्निहित करती है कि व्यक्ति किसी भी स्थान पर हो, किसी उम्र का हो, स्त्री हो या पुरुष हो अथवा दिव्यांग हो, प्रत्येक जीवन की एक योजना है, एक उद्देश्य है, एक मूल्य है। यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि दिव्यांग व्यक्ति सर्वाधिक प्रेरणास्पद व्यक्ति होते है। उन्हें समान अवसर दिया जाना चाहिए। अपनी अलग क्षमताओं के साथ वे सामान्य व्यक्तियों के अनुरुप क्षमतावान सिद्ध होंगे और यदि हम सभी इसे स्वीकार कर लेते हैं तो हमें समाज में परिवर्तन दिख सकता है। समावेशी शिक्षा इस सिद्धान्त को निर्दिष्ट करती है कि प्रत्येक बच्चे को भेदभाव बगैर शिक्षा प्रदान किया जाए तथा दिव्यांगता का ध्यान रखने वाले बाधारहित तथा अनुकूल बुनियादी ढांचे एवं शैक्षिक वातावरण में शिक्षा का सुनिश्चियन हो। समावेशी शिक्षा अपने आदर्श संकल्पनाओं को व्यवहार मूर्त कर एक सफल समावेशी समाज का मार्ग प्रशस्त करती है।

2.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. समावेशी शिक्षा के सिद्धान्तों को समझ सकेंगे।
2. कक्षा–कक्षा में विविधता का निहितार्थ स्पष्ट कर सकेंगे।
3. समावेशी शिक्षा और कक्षा–कक्ष में विविधता के परस्पर निरुपण के यथार्थ को समझ सकेंगे।

2.3 समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त

समावेशी शिक्षा के सिद्धांत निम्नवत हैं–

1. **शैक्षिक अवसरों की समानता** – समावेशी शिक्षा सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराये जाने के सिद्धान्त को निर्दिष्ट करती है। सभी बच्चों को जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, क्षेत्र, रंग व दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव किये बिना समान रुप से बच्चों के रुचि और योग्यता के अनुकूल शैक्षिक अवसर प्रदान करने पर बल देता है।
2. **बाधारहित तथा अनुकूलित शैक्षिक वातावरण** – समावेशी शिक्षा इस बात पर विशेष ध्यान देती है कि बच्चों

को खासकर दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों को शिक्षा के लिए बाधारहित तथा अनुकूलित शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराया जाय। विद्यालय व संस्था बुनियादी आधारभूत संरचनाओं को बाधा मुक्त कर शैक्षिक अवसरों को प्रदान कर इन्हें शिक्षा के प्रति जागरुक व उत्साहित करें।

3. **''सभी के लिए शिक्षा'' का सिद्धान्त** – प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। यह जिम्मेदारी समाज की है कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे को अंगीकृत करे। यह तभी सम्भव होगा जब बिना भेदभाव के सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर बाधामुक्त व अनुकूलित शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराया जाय।
4. **प्रत्येक बालक सीख सकता है/वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धान्त** – समावेशी शिक्षा इस तथ्य को स्वीकार करती है कि प्रत्येक बालक सीख सकता है यदि उसे अनुकूल शैक्षिक वातावरण मिले। इसलिए किसी भी बच्चे को उसकी दिव्यांगता के वजह से उसे शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी बच्चे को उसके सीखने की गति या योग्यता के आधार पर उसका नकारात्मक वर्गीकरण बच्चे के लिए अवरोध ही पैदा करेगा। इसलिए व्यैक्तिक विभिन्नता को स्वीकार करने व स्वागत करने की जरुरत है। तभी सभी बच्चों खासकर दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों को शिक्षा में शामिल किया जा सकता है। क्योंकि प्रत्येक बालक की अपनी विशिष्ट योग्यता, रुचि, विशेषताएँ तथा अधिगम आवश्यकताएँ होती है। उनकी इस व्यैक्तिक विभिन्नता का सम्मान किया जाना चाहिए।
5. **दिव्यांगता समस्या नहीं विभिन्नता है** – समावेशी शिक्षा दिव्यांगता को एक समस्या के रुप में न देखकर इसे व्यैक्तिक विभिन्नता के रुप में स्वीकार करता है। शोध यह स्पष्ट करते हैं कि एक ही कक्ष में सामान्य व दिव्यांग बच्चों को पढ़ाये जाने पर उत्साहित करने वाले परिणाम मिलते है। सामान्य बच्चों में प्रतियोगिता का स्तर बढ़ा है वही दिव्यांग बच्चों का सामाजिक समावेश बेहतर हुआ है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि दिव्यांगता समस्या नहीं अपितु कक्षा–कक्ष की विभिन्नता व विविधता है जो कक्षा–कक्ष को शैक्षिक सामाजिक रुप से समृद्ध करती है।
6. **सामाजिक न्याय का सिद्धान्त** – समावेशी शिक्षा के मुख्य सिद्धान्तों में एक सामाजिक न्याय का सिद्धान्त है। यह इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि सभी को शिक्षा में शामिल किये बिना, सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किये बिना समावेशी समाज का निर्माण नहीं हो सकता तथा यह समाजिक न्याय के विरुद्ध होगा। सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है कि हाशिये पर स्थित दिव्यांगजन को समान शैक्षिक वातावरण जो अनुकूलित व बाधारहित हो उपलब्ध कराया जाय।
7. **अनुकूलित व लचीला पाठ्यक्रम, सहायक उपकरण व संसाधन** – समावेशी शिक्षा इस सिद्धान्त पर बल देता है कि सभी बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकता है अगर पाठ्यक्रम में अनुकूलन व लचीलापन बच्चों के अधिगम आवश्यकताओं तथा विशिष्ट योग्यता के आधार पर किया जा रहा हो। सहायक उपकरण व सहायक संसाधन दिव्यांग बच्चों के समावेशन में महती भूमिका तय करते है। उदाहरण के तौर पर विशेष शिक्षक एक मानव संसाधन के रुप में दिव्यांग छात्र को आ रही विशेष समस्याओं के निराकरण में सामान्य शिक्षक के साथ मिलकर एक बेहतर रुपरेखा का निर्माण व क्रियान्वयन करता है।

   इसी प्रकार पाठ्यक्रम में लचीलेपन एवं अनुकूलन हेतु विभिन्न पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिये यथा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को गणिताय संप्रत्यय को पढ़ने हेतु ABACUS, Truilor fame इत्यादि का प्रयोग वांछनीय है। श्रवण बाधित विद्यार्थियों हेतु भाषायों क्षेत्र को पाठ्यक्रम में सम्मलित किया जाना चाहिए। इसप्रकार बौद्धिक अक्षम बच्चों हेतु कार्यात्मक पठन–पाठन को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु Tactile TLM तथा बौद्धिक अक्षम बच्चों हेतु Functional TLM का प्रयोग किया जाना चाहिए।
8. **समस्या बालक में नहीं, शिक्षा व्यवस्था में है** – समावेशी शिक्षा दिव्यांगता से ग्रसित बालक को समस्या के रुप में नहीं देखता बल्कि शिक्षा व्यवस्था को इसके लिए जिम्मेदार मानता है कि ऐसे बच्चों को अनुकूल व बाधारहित शैक्षिक वातावरण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। समावेशी शिक्षा इस सिद्धान्त पर आधारित है कि अगर शिक्षा व्यवस्था अनुकूलित है तो उसे प्रत्येक बच्चे को अंगीकृत करना चाहिए। अगर उनके स्वीकार्यता में कमी है तो यह समस्या शिक्षा व्यवस्था में है–शिक्षक की अभिवृत्ति में, सही शिक्षण प्रविधि में, उपयुक्त शिक्षण सामग्री व संसाधन में, बाधायुक्त वातावरण में, खराब शिक्षक प्रशिक्षण में, विद्यालय की नीतियों में। विद्यालय को बच्चे के अनुकूल खुद को तैयार करना होगा न कि बच्चा विद्यालय के अनुरुप खुद को तैयार करेगा। इस तरह समावेशी शिक्षा में प्रत्येक बालक शिक्षा व्यवस्था के केन्द्र में स्थित होते हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. "सभी के लिए शिक्षा" के सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

2. अनुकूलित एवं लचीले पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

2.4 कक्षा–कक्ष में विविधता का तात्पर्य

एक समावेशी कक्षा में विभिन्न व विविध देश, संस्कृति, भाषा, क्षेत्र, जाति, रंग, वर्ग व विभिन्न दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों का समूह हो सकता है। जहाँ इन बच्चों की विभिन्नता व विविधता अनेकता में एक सिद्ध होकर, संकल्पित समावेशी कक्षा–कक्ष का निर्माण करती है। कक्षा–कक्ष में विविधता अनेकता में एक सिद्ध होकर, संकल्पित समावेशी कक्षा–कक्ष का निर्माण करती है। कक्षा–कक्ष में विविधता का तात्पर्य भी यही है जहाँ कक्षा के केन्द्र में स्थित बच्चों की विविधता से है। यह विविधता उनके संस्कृति, भाषा, क्षेत्र, देश, रंग, वर्ग व दिव्यांगता सहित अन्य हो सकती है। यह विविधता कक्षा–कक्ष के शैक्षिक वातावरण को समृद्ध और समावेशी बनाता है। कक्षा–कक्ष में बच्चों के इन विविधताओं का परस्पर समंजन भविष्य की समावेशी समाज की रुपरेखा तय करता है। बच्चों की विविधताओं का पारस्परिक संवाद और व्यवहार पूरे विद्यालय में सकारात्मक शैक्षिक माहौल तैयार करते हैं जो अंततः समावेशन के मार्ग को प्रशस्त करता है। विविधताओं के युक्त कक्षा–कक्ष का सफल नियंत्रण अति आवश्यक एवं चुनौतीपूर्ण होता है।

2.5 कक्षा–कक्ष में विविधताओं का संयोजन : कैसे?

समावेशी शिक्षा का सफल होना सिर्फ यह बात तय नहीं करती की दिव्यांग बच्चों का नामांकन सामान्य विद्यालयों में हो जाय जहाँ वे सामान्य बच्चों के शिक्षा प्राप्त करें बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि विद्यालय व कक्षा–कक्ष में उपस्थित विविधताओं से युक्त विभिन्न बच्चों जिनमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हो उनका सामंजस्य कितने सफल और सहज तरीके से किया जा रहा है। कक्षा–कक्ष की विविधताओं का संयोजन ही सफल समावेशी शिक्षा की कूंजी होता है। ऐसे में कक्षा–कक्ष की विविधताओं का संयोजन एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसके सफल संयोजन के लिए विभिन्न घटकों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होता है जो निम्नवत् है–

1. कक्षा–कक्ष के अध्यापक की भूमिका – कक्षा–कक्ष में विविधता का संयोजन सफल होने की महती भूमिका होती है। यह वह महत्वपूर्ण घटक है जो बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर शिक्षण कार्य के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करता है। बच्चों में एक–दूसरे की विभिन्नताओं तथा विविधताओं का सम्मान करना सीखाता है जो बच्चों में समावेशी दृष्टिकोण के विकास में नितान्त सहायक होता है। कक्षा–कक्ष में पढ़ा रहे शिक्षक को समग्र दृष्टिकोण के साथ शिक्षण कार्य को करना चाहिए। किसी भी संस्कृति, धर्म, जाति, भाषा, दिव्यांगता या अन्य किसी विभिन्नता के आधार पर पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। बच्चों में समग्र भावना का विकास करना चाहिए।

2. विविध समावेशी शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग – अध्यापक को बच्चों के संयोजन (विविधताओं) के लिए विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। बच्चों के विविधताओं के आयामों को अपने शिक्षण बिन्दुओं में शामिल कर बच्चों की सहभागिता को बढ़ाना चाहिए। नाटक संवाद, समूह कार्य, टोली योजना आदि माध्यमों से बच्चों में पारस्परिक सद्भाव व संवाद स्थापित किया जाना चाहिए। इससे बच्चों में एक दूसरे के प्रति समझ का

विकास होता है जिससे कक्षा–कक्ष में समावेशन बढ़ता है।

3. प्रधानाचार्य / संस्थाध्यक्ष की भूमिका – किसी संस्था का प्रमुख एक सफल समावेशित कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानाचार्य अथवा संस्थाध्यक्ष प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से कक्षा–कक्ष की विविधताओं के संयोजन में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। प्रधानाचार्य को विद्यालय की नीतियों में समावेशी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जहाँ किसी भी बच्चे को भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़े। विद्यालय में हो रहे सांस्कृतिक व खेल–कूद के आयोजनों में दिव्यांग बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो, इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। प्रधानाचार्य का संस्था प्रमुख को विशेषज्ञों की मदद से सामान्य अध्यापकों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कक्षा–कक्ष की विविधताओं के संयोजन व समावेशन के प्रति जागरुकता फैल सके। विद्यालय में बाधारहित बुनियादी सुविधाओं के निर्माण तथा शैक्षिक वातावरण को समावेशी बनाने के लिए सतत प्रयास, नवीनीकरण व मूल्यांकन कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। बच्चों को प्रधानाचार्य का सम्बोधन बच्चों के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करता है। प्रधानाचार्य को विद्यालय में बहुसंस्कृतिकरण के मूल्यों का विकास करना चाहिए।

4. समुदाय की भूमिका – समुदाय की भूमिका अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रुप से कक्षा–कक्ष के विविधताओं के संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विविध संस्कृति व विविधताओं तथा दिव्यांग बच्चों के प्रति समुदाय का सकारात्मक दृष्टिकोण पारस्परिक सद्भाव व समंजन का मार्ग प्रशस्त करता है। बच्चों सहित अध्यापक, प्रधानाध्यापक तथा अन्य जिम्मेदार मिशनरियों का समुदाय का सकारात्मक दृष्टिकोण विविधताओं के स्वीकार्यता व स्वागत के लिए प्रोत्साहित करता है। अभिप्रेरित बच्चे, शिक्षक व संस्था से सम्बन्धित व्यक्ति कक्षा–कक्ष के विविधताओं के संयोजन में मनोभाव से संलग्न होते हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. कक्षा कक्ष विभिधता से आप क्या समझते है ?

.....

.....

4. समावेशी शिक्षा में समुदाय की भूमिका लिखियें।

.....

.....

2.6 सारांश

समावेशी शिक्षा 'सभी के लिए' शिक्षा के सिद्धान्त पर कार्य करता है। सभी बच्चों को जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, क्षेत्र, रंग व दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव किये बिना समान रुप से शैक्षिक अवसर बाधारहित शैक्षिक वातावरण में सुनिश्चित हो इसके लिए शैक्षिक अवसरों की समानता के सिद्धान्त पर बल देता है। समावेशी शिक्षा का सिद्धान्त यह निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक बालक सीख सकता है, उसमें सीखने की योग्यता होती है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब बच्चों की रुचि व योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम में लचीलापन व अनुकूलन हो। समावेशन का सिद्धान्त सामाजिक न्याय के सिद्धान्त का अनुसारण करता है तथा दिव्यांगता को समस्या नहीं चुनौती के रुप में स्वीकार करता है। समावेशी शिक्षा का सिद्धान्त शिक्षा व्यवस्था को दिव्यांग बच्चों के समावेशन में आ रही समस्या के लिए जिम्मेदार मानता है। बच्चों के विविधताओं व विभिन्नताओं को कक्षा–कक्ष की समृद्धि के रुप में स्वीकार करता है। कक्षा–कक्ष की विविधताओं के संयोजन में समावेशी उपागम की भूमिका अग्रणी होती है। कक्षा–कक्ष के अध्यापक, विविध समावेशी शिक्षण प्रविधियाँ, प्रधानाचार्य की भूमिका तथा समुदाय का सकारात्मक दृष्टिकोण कक्षा–कक्ष की विविधताओं के संयोजन में सफल भूमिका तय करते हैं।

2.7 अभ्यास के प्रश्न

1. समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त की व्याख्या करें।
2. कक्षा–कक्ष में विविधताओं के संयोजन में समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त के महत्व का निरुपण करें।

2.8 चर्चा के बिन्दु

1. समावेशन–समावेशी शिक्षा को सफल बनाने में शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार किया जाना चाहिए? चर्चा करें।
2. समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त को अंगीकृत करने हेतु एक विद्यालय को क्या–क्या करना चाहिए? सामुहिक चर्चा करें।

2.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। यह जिम्मेदारी समाज की है कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे को अंगीकृत करे। यह तभी सम्भव होगा जब बिना भेदभाव के सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर बाधामुक्त व अनुकूलित शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराया जाय।
2. समावेशी शिक्षा इस सिद्धान्त पर बल देता है कि सभी बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकता है अगर पाठ्यक्रम में अनुकूलन व लचीलापन बच्चों के अधिगम आवश्यकताओं तथा विशिष्ट योग्यता के आधार पर किया जा रहा हो। सहायक उपकरण व सहायक संसाधन दिव्यांग बच्चों के समावेशन में महती भूमिका तय करते है।
3. एक समावेशी कक्षा में विभिन्न व विविध देश, संस्कृति, भाषा, क्षेत्र, जाति, रंग, वर्ग व विभिन्न दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों का समूह हो सकता है। जहाँ इन बच्चों की विभिन्नता व विविधता अनेकता में एक सिद्ध होकर, संकल्पित समावेशी कक्षा–कक्ष का निर्माण करती है।
4. समुदाय की भूमिका अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रुप से कक्षा – कक्ष के विविधताओं के संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विविध संस्कृति व विविधताओं तथा दिव्यांग बच्चों के प्रति समुदाय का सकारात्मक दृष्टिकोण पारस्परिक सद्भाव व समंजन का मार्ग प्रशस्त करता है।

2.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Stone, D., Patton, B., & Heen, S, (2010), Difficut conversations; How to discuss what matters mosr, Panguln Books.
2. Tanner, K.D.(2013). Structure matters; Twentey-one teaching strategies to promote student engagement and cultivate classroom equity. CBE--Life Sciences Education 12(3), 322-331.
3. Tobin, T.J.(2014). Incerase online student retenion with Universal Desgin for Learning. Quartetly Review of Distance Education15.3:13-24,48.
4. Tobin, T.J.(2013). Universal design in online courses; Beyond disanilities. Online Classroom 13(12), 1-3.
5. Walton, G.M.&Cohen G.L.(2011). A brief social-belonging intervention improve academic and health outcoms of minority student, Science 331(6023), 1447-1451.

इकाई– 3 : समावेशी शिक्षा की बाधाएँ

इकाई की संरचना

3.1 प्रस्तावना

3.2 इकाई के उद्देश्य

3.3 समावेशी शिक्षा की बाधाएँ का तात्पर्य

3.4 समावेशी शिक्षा में बाधा पहुँचाने वाले कारक

3.4.1 अभिवृत्तिय कारक

3.4.2 सामाजिक और सांस्कृतिक कारक

3.4.3 आर्थिक कारक

3.4.4 व्यावसायिक दक्षता की कमी

3.4.5 सरकारी नीतियों में अस्पष्टता और देख–रेख में कमी

3.5 समावेशी शिक्षा की बाधाएँ : इनका निदान

3.6 सारांश

3.7 अभ्यास के प्रश्न

3.8 चर्चा के बिन्दु

3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

3.1 प्रस्तावना

एक समय था, जब शारीरिक अथवा मानसिक दिव्यांगता को दिव्यांग व्यक्ति के परिवार तथा स्वयं उस व्यक्ति के लिए अभिशाप माना जाता था। इसे पिछले जन्म में किए गए पापों के बदले भगवान से मिला दण्ड माना जाता था। शुक्र है कि आधुनिक विज्ञान ने ऐसी गलतफहमी दूर करने में मदद की है। दिव्यांगता को अब ऐसी नकारात्मक पहलुओं से सम्बन्धित नहीं किया जा रहा है। विज्ञान एवं नए आविष्कारों ने उनकी दिव्यांगता के कारण उत्पन्न कमी को बहुत हद तक दूर कर उनके जीवन को बेहतर बनाया है। मानसिक दिव्यांगता ग्रसित व्यक्तियों को भी समाज में उनकी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अधिक स्वीकार्यता एवं प्रतिक्रिया होने से लाभ हुआ है। उनकी शिक्षा सम्बन्धी विशेष आवश्यकताओं के सम्बन्ध में समावेशी शिक्षा की पहल से सम्पूर्ण विश्व में स्वीकार्यता, सकारात्मकता तथा जागरुकता बढ़ी है। समावेशी शिक्षा ने दिव्यांगजन को समाज में हाशियाकरण से मुख्य धारा में लाने की समावेशी वातावरण तैयार की है। किन्तु दिव्यांगजनों को हमारे समाज एवं राष्ट्र के अभिन्न एवं महत्वपूर्ण घटक के रुप में शामिल करने के समावेशी शिक्षा के प्रयासों के राह में सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण अब भी समस्या है। समावेशी शिक्षा को चुनौती देने वाली बाधाएं दिव्यांगजन को मुख्यधारा में शामिल किये जाने के प्रयास में अस्थायी लेकिन रेखांकित बाधाएँ उत्पन्न कर रहीं है। जरुरत है इन बाधाओं को दूर करने की जिससे संकल्पित समावेशी समाज व राष्ट्र का निर्माण किया जा सके।

3.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. समावेशी शिक्षा को बाधाओं समझ सकेंगे।
2. समावेशी शिक्षा में बाधा पहुॅचाने वाले कारकों का विश्लेषण कर सकेंगे।

3. समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर किया जाय, इसका औचित्य समझ सकेंगे।

3.3 समावेशी शिक्षा की बाधाएँ का तात्पर्य

समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे को भेदभाव बगैर शिक्षा प्रदान करने हेतु कटिबद्ध है, लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांगता का ध्यान रखने वाले बाधारहित तथा अनुकूल बुनियादी ढांचे एवं शैक्षिक वातावरण में शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु केवल प्रतिबद्धता पर्याप्त नहीं है। दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में बगैर भेदभाव के शिक्षा देने की राह में आ रही प्रतिबद्धता की कमी–सामाजिक, आर्थिक, नीतिगत और अभिवृत्तिय ही समावेशी शिक्षा की बाधाएँ के रुप में परिलक्षित होती दिखती हैं। समावेशी शिक्षा की राह में आ रही बाधाएँ दिव्यांगजनों के शैक्षिक अधिकारों चाहे शिक्षा में प्रवेश हो, प्रवेश नीतियाँ हों, शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, प्रवेश नीतियाँ हों, पाठ्यक्रम का विकास हो, शिक्षण की रणनीतियाँ हों, पठन सामग्री की अनुकूलता हो, मूल्यांकन व्यवस्था हो, को प्रभावित करती दिख रहीं हैं।

3.4 समावेशी शिक्षा में बाधा पहुँचाने वाले कारक

समावेशी शिक्षा में बाधा पहुँचाने वाले कारकों में मूल तत्व यह है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा की स्पष्टता की कमी, नीतियों, कार्य योजना, कानूनी प्रावधानों, अभियान तथा संसाधन आवंटन में होना है। अतीत में हमने देखा है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग नहीं माना जाता था और सामान्य शिक्षा प्रणाली में हमारे विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को सच्चे अर्थों में समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था।

समावेशी शिक्षा की राह में बड़ी बाधा माने जाने वाले कारक निम्न हैं –

- दिव्यांग बच्चे शिक्षा व्यवस्था में उपेक्षित हैं और इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता।
- परिवारों की सहायता नहीं की जाती।
- शिक्षकों के पास पाठ्यक्रम अपनाने योग्य प्रशिक्षण, नेतृत्व, ज्ञान एवं संसाधन नहीं होते।
- शिक्षा की खराब गुणवत्ता।
- माता–पिता, शिक्षकों, प्रशासकों एवं नीति निर्माताओं के लिए बहुत कम ज्ञान एवं ज्ञानकारी उपलब्ध होना।
- समावेशी शिक्षा हेतु ढांचा–प्रशासन, नीति, योजना, वित्त, क्रियान्वयन एवं निगरानी का नहीं होना।
- समावेश के लिए जन समर्थन नहीं होना।
- जवाबदेही एवं निगरानी की व्यवस्था नहीं होना।

3.4.1 अभिवृत्तिय कारक – समावेशी शिक्षा की राह में आ रही सबसे बड़ी बाधाओं में अभिवृत्तिय कारक एक महत्वपूर्ण बाधा के रुप में स्थापित है। देश, समाज और व्यक्ति की नकारात्मक अभिवृत्ति–दिव्यांगजनों के प्रति, समावेशी शिक्षा में बड़ी बाधा पहुँचा रहा है। समावेशी शिक्षा सफल हो इसके लिए नितान्त आवश्यक है कि दिव्यांगजनों के परिवार, समाज, देश और स्वयं दिव्यांगजन भी साकारात्मक अभिवृत्ति के साथ समावेशन के लिए प्रतिबद्ध हों। नकारात्मक अभिवृत्ति के कारण दिव्यांगजनों को परिवार, समाज, विद्यालय में स्वीकार्यता में कठिनाई आती रही है जो इनके समावेशन में बाधा है।

3.4.2 सामाजिक और सांस्कृतिक कारक – सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का दिव्यांगजन की स्वीकार्यता और संयोजन में सहज नहीं दिखना समावेशी शिक्षा की राह में एक बड़ी बाधा के रुप में अवस्थित है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को सामान्य शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग नहीं मानता जिससे आवश्यक सकारात्मक वातावरण जो समावेशी शिक्षा की धूरी है स्थित हो जाती है। दिव्यांगता को एक समाजिक कलंक के रुप में देखने की प्रवृत्ति से दिव्यांग लोगों के प्रति समाज के व्यवहार में एक नकारात्मक रुख दिखाई देता है। समाज में यह धारणा है कि व्यक्ति दिव्यांगता उसके पिछले पाप या कर्म (भाग्य) के कारण होती है, चूँकि यह भगवान द्वारा दी गई सजा है, अतः कोई भी इस स्थिति को नहीं बदल सकता है। इन बाधाओं का संचयी

प्रभाव यह है कि दिव्यांगजन समावेशी शिक्षा का अभिन्न अंग बनने में वंचित हो जा रहे हैं।

3.4.3 आर्थिक कारक – समावेशी शिक्षा के लिए बनी नीतियों के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए वित्तीय अनुपलब्धता समावेशी शिक्षा की बाधाओं के प्रमुख कारकों में शामिल है। इन वित्तीय सहायता के अभाव में समावेशी शिक्षा के लिए जरुरी बुनियादी ढांचागत निर्माण, उपकरण, शिक्षक को जरुरी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, संसाधन की पूर्ति में बाधा पहुँचाती है जो प्रत्यक्ष रुप से समावेशी शिक्षा को प्रभावित करती है।

3.4.4 व्यावसायिक दक्षता की कमी – चिकित्सा पेशेवरों, अध्यापकों, सिविल सेवकों, वकीलों नियोक्ताओं, रोजगार अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों के लिए दिव्यांगता के बारे में जानकारी की कमी के साथ–साथ विशेष रुप से इन बच्चों से सम्बन्धित पेशेवर की व्यावसायिक दक्षता की कमी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से सीधे तौर पर समावेशी शिक्षा की राह में बाधा डालती है।

3.4.5 सरकारी नीतियों में अस्पष्टता और निगरानी में कमी – सरकारी नीतियों का निर्माण इस तरह से होना जिससे निर्भरता और निम्न आशा की संस्कृति का निर्माण होता है, समावेशी शिक्षा के लिए बाधा का काम करते हैं। नीतियों की अस्पष्टता भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार कारक है। क्रियान्वित नीतियों का समय–समय पर उचित मूल्यांकन न होना, उनकी निगरानी में उचित प्रबन्धन की कमी समावेशन के राह में बाधा पहुँचाने का काम करती है। शिक्षकों के बी0एड0 और एम0एड0 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांगता और शिक्षण के अध्यायपन पर अनिवार्य पाठ्यक्रम का न होना भी समावेशी शिक्षा के लिए जरुरी शिक्षक संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाता है। जिससे इस समावेशी व्यवस्था के लिए बाधा उत्पन्न करती है। सरकारी नीतियाँ स्वयं ही दिव्यांग बच्चों को अलग–थलग करने के प्रचलन को बढ़वा देती है। समावेशी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सरकारी नीतियों की नितांत कमी समावेशी शिक्षा की राह में बाधा है।

नीतियाँ इस बात को नजरअंदाज करती है कि दिव्यांग बच्चों एवं युवाओं को शैक्षिक मुख्यधारा में शामिल किए बगैर सभी के लिए शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। सभी के लिए शिक्षा में प्रगति पद नजर रखने वाला ढांचा दिव्यांग बच्चों एवं युवाओं को अनदेखा करता है। योजना, प्रशासन, निगरानी, क्रियान्वयन के स्तरों पर समावेशी शिक्षा की राह में मौजूदा व्यवस्थागत बाधाओं को पहचानने एवं दूर करने में असफलता भी बाधा खड़ा करती है। दिव्यांगता, राज्य/पीआरआई का विषय है और शिक्षा समवर्ती विषय है, जिस कारण भारत के विभिन्न राज्यों में दिव्यांग बच्चों/युवाओं को शिक्षा प्रदान करने में कठिनाई होती है। दिव्यांग बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना दो मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। समावेशी शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है तथा विशेष शिक्षा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी है। राज्य स्तर पर भी ऐसी तालमेल भरी भूमिकाएँ है। इस कारण दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में विरोधाभाषी और अस्पष्ट नीतियाँ तथा चलन दिखते हैं। दिव्यांग बच्चों को कम आयु में ही शिक्षा प्रदान करने की भारत में कोई नीति नहीं है। आरम्भिक बाल्यकाल में देखभाल एवं विकास के सबसे बड़े कार्यक्रम एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) में आंगनबाड़ी केन्द्रों को समेकित रुप में कार्य करने हेतु विकसित किया जाना अभी बाकी है। यह स्वीकार नहीं किया गया है कि समावेशी शिक्षा समूची शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का आरम्भिक बिन्दु हो सकता है, जिसमें सभी सीखने वालों को लाभ होगा और इसी कारण समावेशी शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था द्वारा अतिरिक्त घटक माना गया है।

3.5 समावेशी शिक्षा की बाधाएँ – इनका निदान – समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे को बगैर भेदभाव किये शिक्षा प्रदान करने हेतु संकल्पित है। ऐसे में दिव्यांगजनों को बाधारहित तथा अनुकूल बुनियादी ढांचे एवं शैक्षिक वातावरण में शिक्षा सुनिश्चित करने के बीच अभिवृत्तिय, सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक और सरकारी नीतियों की अस्पष्टता के रुप में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सकारात्मक दृष्टिकोण और दिव्यांगजनों की मानव संसाधन के रुप में स्वीकार्यता। समावेशी नीति के मामले में दिव्यांगता के बजाय शिक्षा का दृष्टिकोण अपनाया जाय। ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाय जो दिव्यांग बच्चों को अलग–थलग करने के प्रचलन को समाप्त करती है। प्रत्येक बच्चे के लिए ऐसे सक्षम तथा सहयोगी वातावरण में शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु समावेशी दृष्टिकोण एवं लक्ष्यों को विशिष्ट दिखाई देने वाले मापने योग्य एवं प्राप्त करने योग्य कदमों से जोड़ती हो। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिसके दरवाजे सभी दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए खुले हों और उनके लिए अनुकूल वातावरण हो। लचीली शिक्षा व्यवस्था, ई–लर्निंग सुविधाएँ, प्रस्तावित स्वयं ऑनलाइन शिक्षण, समावेशी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सभी वर्तमान शिक्षकों में क्षमता निर्माण तथा जन जागरुक कार्यक्रमों के साथ–साथ जरुरी अन्य उपायों से समावेशी शिक्षा यथार्थ बन जाएगी।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. समावेशी शिक्षा की बाधाओं से क्या तात्पर्य है ?

.....

.....

2. समावेशी शिक्षा में बाधा पहुॅचाने वाले कारकों की सूची बनाइये।

.....

.....

3.6 सारांश

समावेशी शिक्षा की बाधाओं और दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए और उन्हें नागरिक के रुप में अपनी जिम्मेदारियों (घर में, समाज में और कार्यस्थल पर) के निर्वहन के लए अवसर प्रदान करने हेतु उपरोक्त बताई गई बाधाओं को दूर किया जाना बहुत जरुरी है। हमारी नीतियों में निर्भरता और आशा की निम्न संस्कृति का अंत हो और ऐसे समाज की ओर कदम बढ़ाया जाय, जिसमें हम दिव्यांग लोगों के लिए सहयोगपूर्ण नजरिया रखें, उन्हें भागीदार और समावेशी बनाने के लिए उनको सशक्त करें और स्वीकार करे। समावेशी शिक्षा की राह में आने वाले बाधाओं के रुप में अभिवृत्तिय कारक, सामाजिक–सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, व्यावसायिक दक्षता में कमी और सरकारी नीतियों में अस्पष्टता को दूर करने के लिए शिक्षा पर समग्र नीति की आवश्यकता है ताकि हमारे मुख्यधारा में लाया जा सके। समावेशी शिक्षा के राह में आने वाले सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक–राजनीतिक–प्रशासनिक एवं अन्य प्रकार की बाधाओं को पहचानने तथा दूर करने की आवश्यकता है।

3.7 अभ्यास के प्रश्न

1. समावेशी शिक्षा की बाधाएँ से आप क्या समझते हैं? टिप्पणी करें।
2. समावेशी शिक्षा की बाधाओं को दूर करने के प्रयासों को रेखांकित करें।

3.8 चर्चा के बिन्दु

1. समावेशी शिक्षा की बाधा में सरकारी नीतियों और उनकी अस्पष्टता की भूमिका का विश्लेषण करें।
3. आस–पास के विद्यालय में समावेशी शिक्षा के लिए प्रयासों में आ रही बाधा को स्पष्ट करें।

3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में बगैर भेदभाव के शिक्षा देने की राह में आ रही प्रतिबद्धता की कमी–सामाजिक, आर्थिक, नीतिगत और अभिवृत्तिय ही समावेशी शिक्षा की बाधाएँ हैं।
2. समावेशी शिक्षा में बाधा पहुॅचाने वाले कारक निम्न हैं:–
    i. अभिवृत्तिय कारक
    ii. सामाजिक और सांस्कृतिक कारक
    iii. आर्थिक कारक
    iv. व्यावसायिक दक्षता की कमी
    v. सरकारी नीतियों में अस्पष्टता और निगरानी में कमी

3.10 संदर्भ / प्रस्तावित पठन सामग्री

1. Mittler, P. (2000). Wotking Towards Inclusive Education; social contexts, Londan, David Fulton.
2. Pijl, J., Mejier, C. and Hegarty,S. (eds) (1997) Inclusive Education: a global agenda, Londan, Routledge.
3. Rieser, R. and Mason, M. (1992, rev. edn) Disability Equality in the Classroom: a human rights issue, London, Disability Equalityin Education.
4. United National Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (1994) The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, Paris, UNESCO.
5. Dyson, A. (2001). 'Special needs as the way to equity: an alternative approach? Support for Learning, 16(13), pp- 99-104.

खण्ड– 02 : समावेशी शिक्षा की सुविधा प्रदान करने वाली नीतियां एवं रूपरेखा

खण्ड परिचय

इस खण्ड में आप मानव अधिकारों की सार्वभौमिक धोषणा (उद्धोषणा), अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन और रुपरेखा तथा राष्ट्रीय नीतियॉ, कार्यक्रम, कानून और आयोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस खण्ड में कुल तीन इकाईयां है।

इकाई –04 में आप विश्व मानवाधिकार उद्धोषणा को समझ सकेंगे, तथा समावेशी शिक्षा में उसकी उपयोगिता से अवगत हो सकेंगे।

इकाई – 05 में समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की रूपरेखा से अवगत हो सकेंगे।

इकाई – 06 में आप विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों कार्यक्रम, कानून एवं आयोग से अवगत हो सकेंगे।

इकाई–4 : मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा

इकाई की संरचना

4.1 प्रस्तावना

4.2 इकाई के उद्देश्य

4.3 विश्व मानवाधिकार उदघोषणा – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं संरचना

4.3.1 मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषण की प्रस्तावना

4.3.2 अनुच्छेद

4.3.3 विश्व मानवाधिकार उद्घोषणा की समावेशन में भूमिका

4.4 सारांश

4.5 अभ्यास के प्रश्न

4.6 चर्चा के बिन्दु

4.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

4.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ

4.1 प्रस्तावना

मानवाधिकार, किसी भी इंसान की जिदंगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार है। सम्पूर्ण विश्व में मानवता के खिलाफ हो रहे हिंसा व भेदभाव से मुक्ति व सर्व साधारण के लिए जन्मजात गौरव और सम्मान तथा अविच्छिन्न अधिकार की स्वीकृति ही विश्व–शान्ति, न्याय और स्वतन्त्रता की बुनियाद है। अन्याययुक्त शासन और जुल्म के विरूद्ध कानून द्वारा नियम बनाकर मानवाधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य हैं। विश्व में शांति, समरसता व सफलता के लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान किया जाय। ऐसे में विश्व मानवाधिकार उद्घोषणा प्रासंगिक सिद्ध होता है जो इस सिद्धान्त में यकीन रखता हे कि विश्व के सभी व्यक्ति समान हैं और उन्हें जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। इसी कथन की सफलता और संम्पूर्णता के लिए विश्व मानवाधिकार उद्घोषणा अपने आस्तित्व में आया और आज पूरे विश्व में न्याय, समानता, भाईचारा और समरसता के लिए अग्रणी भूमिका में प्रतिस्थापित हैं।

4.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई को अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. विश्व मानवाधिकार उद्घोषणा की एतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बता सकेंगे।
2. विश्व मानवाधिकार उद्घोषणा के संरचना को समझ सकेंगे।
3. विश्व मानवाधिकार उद्घोषणा की भूमिका को समावेशन के संदर्भ में समझ सकेगे।
4. विश्व मानवाधिकार उद्घोषणा की वर्तमान समय में प्रासांगिकता का मूल्यांकन कर सकेंगे।

4.3 विश्व मानवाधिकार उद्घोषणा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं संरचना

कुछ अधिकार मनुष्य को जन्मजात प्राप्त होते हैं। मानव की गरिमा के लिए ये अधिकार आवश्यक हैं तथा कभी छीने नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही मानवीय अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौम उद्घोषणा के द्वारा अंगीकार किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंम्बली ने सभी सदस्य देशों से अपील की कि वे इस घोषणा का प्रचार करें और देशों–प्रदेशों की राजनैतिक स्थिति पर आधारित भेदभाव का विचार किए बिना, विशेषतः विद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थाओं में इसके प्रचार प्रदर्शन, पठन और व्याख्या का

प्रबन्ध करें। मानव अधिकारों की सार्वभौम उद्घोषणा में प्रस्तावना के अतिरिक्त 30 अनुच्छेद शामिल हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की पाँच भाषाओं में प्राप्य है, अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश ।

4.3.1 मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषण की प्रस्तावना – मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की प्रस्तावना के अनुसार, मानव अधिकारों की उद्घोषणा इसलिए की जा रही है क्योंकि –

- मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और सम्मान तथा अविच्छिन अधिकारों की स्वीकृति ही विश्व शांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है।
- कानून द्वारा नियम बनाकर मानव अधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है।
- राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सबंधों को बढ़ाना जरूरी है।
- बुनियादी मानव अधिकार, मानव व्यक्तित्व के गौरव और योग्यता और नर– नारियों के समान अधिकार में विश्वास तथा अधिकार व्यापक स्वतंत्रता के अन्तर्गत समाजिक प्रगति तथा जीवन के बेहतर स्तर को ऊँचा किया जाना चाहिए।

4.3.2 अनुच्छेद– इस उद्घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं, जो निम्न हैं–

1. सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। उन्हें एक दूसरे के प्रति भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए।
2. किसी भी व्यक्ति को अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने के मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा धर्म, राजनीतिक प्रणाली, देश, समाज या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।
3. प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता व वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार है।
4. कोई भी गुलामी या दासता की हालत में न रखा जाएगा तथा गुलामी प्रथा और गुलामों का व्यापार सभी रूपों में निषिद्ध होगा।
5. सभी को निर्दय, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति होगी।
6. हर किसी को हर जगह कानून के समक्ष व्यक्ति के रूप में स्वीकृति पाने का अधिकार होगा।
7. सभी को समान कानूनी सुरक्षा का अधिकार होगा।
8. सभी को सक्षम राष्ट्रीय अदालतों में कारगर सहायता पाने का हक होगा।
9. किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंद या देश निष्कासित नहीं किया जाऐगा।
10. प्रत्येक व्यक्ति को आपराधिक मामने की सुनवाई स्वतंत्र व निष्पक्ष अदालत द्वारा कराने का समान हक होगा।
11. राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ही अपराधी माना जाएगा तथा उसे लागू दंड से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा।
12. प्रत्येक व्यक्ति को निजता में हस्तक्षेप या आरोप के विरूद्ध कानूनी रक्षा का अधिकार होगा।
13. प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक देश की सीमाओं में स्वतंत्रतापूर्वक आने,जाने और बसने का अधिकार होगा।
14. प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे देश में शरण लेने और रहने का अधिकार होगा।
15. प्रत्येक व्यक्ति को किसी राष्ट्र की नागरिकता का अधिकार होगा।
16. प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म के भेदभाव के विवाह करने और परिवार बसाने का अधिकार होगा।
17. प्रत्येक व्यक्ति को अपने संपत्ति रखने का अधिकार होगा।
18. प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म या विश्वास बदलने और प्रकट करने की स्वतंत्रता होगी।
19. प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है।
20. प्रत्येक व्यक्ति को शांति पूर्वक सभा करने तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार है।

21. प्रत्येक व्यक्ति को सरकार तथा चुनावों में भागीदारी करने का अधिकार है।
22. प्रत्येक व्यक्ति को समाजिक सुरक्षा का अधिकार है।
23. प्रत्येक व्यक्ति को इच्छानुसार रोजगार का चुनाव करने तथा व्यापार संघ से जुड़ने का अधिकार है।
24. प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है।
25. प्रत्येक व्यक्ति को अनुकूलित जीवन यापन स्तर प्राप्त करने का अधिकार है।
26. प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है।
27. प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने का अधिकार है।
28. प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक और अर्न्तराष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का अधिकार है जिसमें इस घोषणा में उल्लिखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्राप्त किया जा सके ।
29. प्रत्येक व्यक्ति का उसी समाज के प्रति कर्तव्य है जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव हो।
30. इस घोषणा में उल्लिखित किसी भी बात का वह अर्थ नहीं लगाया जायेगा जिसका उद्देश्य यहाँ बताए गए अधिकारों और स्वतंत्रता का विनाश करना होगा।

4.3.3 मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की समावेशन में भूमिका– संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्दिष्ट मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा दुनिया में विभिन्न देशों की अलग–अलग सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मौद्रिक दशाओं के कारण से उत्पन्न संकीर्ण विचारों को दूर कर सभी के अधिकार का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती है। यह विश्व में अनेकता में एकता के स्वरूप को स्वीकार करने पर जोर देता है। इसका अनुच्छेद–1 सभी व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति भाईचारे के बर्ताव को बढ़ावा देता हैं जो समावेशन के मूल में है। अनुच्छेद–2 में निहित तथ्य कि जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक प्रणाली, देश, समाज या किसी अन्य आधार पर भेदभाव न किया जाय, समावेशन की आत्मा को प्रतिबिम्बित करता है। अनुच्छेद–26 प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा जहां प्रारम्भिक शिक्षा होगी इसका प्रावधान करता है। अनुच्छेद–25 प्रत्येक व्यक्ति को अनूकुलित जीवन यापन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके प्रस्तावना में निहित शब्द समावेशन के भाव को ही प्रकट करते हैं। इस तरह मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा निश्चय ही रूप से समावेशन की ओर इंगित करता है जिससे एक बेहतर वैश्विक समाज का निर्माण हो सके–जहां सभी को समान अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. विश्व मानवधिकार उद्घोषणा के प्रस्तावना को उल्लेखित कीजिए।

   .....

   .....

2. मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के समावेश की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।

   .....

   .....

4.4 सारांश

संयुक्त राष्ट्र महा सभा ने 10 दिसम्बर 1948 में सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र स्वीकार किया था। तब से सम्पूर्ण विश्व में मानवीय अधिकारों को पहचान देते और वजूद को अस्तित्व में लाने के लिए तथा अधिकारों के लिए जारी प्रयासों को संजीवनी देने के लिए 10 दिसम्बर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में बनाया जाता है। अपने प्रस्तावना और 30 अनुच्छेदों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान, अधिकारों की संरक्षा तथा उनकी समाज में सहभागिता को सुनिश्चित करता है।

4.5 अभ्यास के प्रश्न

1. सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा से क्या तात्पर्य है ? इसके प्रस्तावना व अनुच्छेदों में निहित तथ्यों का विश्लेषण करें।
2. सावभौमिक मानवधिकार की समावेश में निहित भूमिका का मूल्यांकन करें।

4.6 चर्चा के बिन्दु

1. मानव अधिकारो की सार्वजनिक घोषणा के संदर्भ में अपने समुदाय में शिक्षा की स्थिति पर चर्चा करें ।

4.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की प्रस्तावना निम्नलिखित हैं –

   - मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और सम्मान तथा अविच्छिन अधिकारों की स्वीकृति ही विश्व शांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है।
   - कानून द्वारा नियम बनाकर मानव अधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है।
   - राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सबंधों को बढ़ाना जरूरी है।
   - बुनियादी मानव अधिकार, मानव व्यक्तित्व के गौरव और योग्यता और नर–नारियों के समान अधिकार में विश्वास तथा अधिकार व्यापक स्वतंत्रता के अन्तर्गत समाजिक प्रगति तथा जीवन के बेहतर स्तर को ऊँचा किया जाना चाहिए।

2. मानव अधिकारों की सावभौमिक घोषणा के समावेश की भूमिका निम्नवत है – संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्दिष्ट मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा दुनिया में विभिन्न देशों की अलग–अलग सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मौद्रिक दशाओं के कारण से उत्पन्न संकीर्ण विचारों को दूर कर सभी के अधिकार का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती है। यह विश्व में अनेकता में एकता के स्वरूप को स्वीकार करने पर जोर देता है। इसका अनुच्छेद–1 सभी व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति भाईचारे के बर्ताव को बढ़ावा देता हैं जो समावेशन के मूल में है। अनुच्छेद–2 में निहित तथ्य कि जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक प्रणाली, देश, समाज या किसी अन्य आधार पर भेदभाव न किया जाय, समावेशन की आत्मा को प्रतिबिम्बित करता है। अनुच्छेद–26 प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा जहां प्रारम्भिक शिक्षा होगी इसका प्रावधान करता है। अनुच्छेद–25 प्रत्येक व्यक्ति को अनूकुलित जीवन यापन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके प्रस्तावना में निहित शब्द समावेशन के भाव को ही प्रकट करते हैं। इस तरह मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा निश्चय ही रूप से समावेशन की ओर इंगित करता है जिससे एक बेहतर वैश्विक समाज का निर्माण हो सके–जहां सभी को समान अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो।

4.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ

- ***Universal Declaration of Human Right*** in Encyclopedia of Human Rights Length
- ***Universal Declaration of Human Right*** in Encyclopedia Dictionanry of International Length
- ***Universal Declaration of Human Right*** in A Dictionary of Law Enforcement Length
- ***Universal Declaration of Human Right*** in The Oxford Dictionary of Phrase and Fable(2) Length

इकाई– 5 : अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और रूपरेखा

इकाई की संरचना

5.1 प्रस्तावना

5.2 इकाई के उद्देश्य

5.3 विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और रूपरेखा की समावेशन में भूमिका

5.4 सारांश

5.5 अभ्यास के प्रश्न

5.6 चर्चा के बिन्दु

5.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

5.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ

5.1 प्रस्तावना

विश्व में निःशक्तता और निःशक्त अस्वीकृत और त्याज्य रहे हैं जब इनके होने की वजह अभिशाप या रूढ़िवादी विचारों में थी। विश्व कल्याणकारी संचेतना ने इनकी दिशा और दशा दोनों में व्यापक परिवर्तन किये हैं। एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में तकरीबन 1 अरब निःशक्तजन हैं जो विश्व की कुल जनसंख्या का 15 फीसदी है। यह वह वर्ग है, जिसकी क्षमता का पूर्ण उपयोग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और जीवन के विभिन्न आयामों के विकास के लिए नहीं हो सकता है। 18वीं व 19वीं शताब्दी में निःशक्तजन के विकास और समावेशन के लिए वैश्विक प्रयासों में उतनी सकारात्मकता नहीं दिखी। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और रूपरेखा ने निःशक्तजन के लिए समावेशन के मार्ग प्रशस्त किये। यह कहना उचित है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों का नतीजा रहा है कि भारत, सहित कई एशियाई देशों ने निःशक्तता के क्षेत्र में विभिन्न नीतियों कार्यक्रमों, कानूनों तथा आयोग का गठन किया। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और उनकी रूपरेखा ने समावेशी शिक्षा और समावेशन के लिए वैश्विक प्रयास की नींव रखी जो अद्यतन जारी है। इसके वैश्विक एकजुटता और प्रयासों का नतीजा पूरे विश्व में निःशक्तजन के लिए समान अधिकार, उनके अधिकारों के संरक्षण, उनकी भागीदारी, मनोवैज्ञानिक– सामाजिक पुनर्वास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए हैं।

5.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. समावेशी शिक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा प्रारूप के वैश्विक प्रयासों के बारे में बता सकेंगे।
2. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा प्रारूप की भूमिका को समावेशन के संदर्भ में समझ सकेंगे।
3. समावेशी शिक्षा तथा समावेशन पर वैश्विक प्रयासों के पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर सकेंगे।
4. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा प्रारूपों के प्रयासों का समावेशी शिक्षा के संदर्भ में मूल्यांकन कर सकेंगे।

5.3 विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और रूपरेखा की समावेसन में भूमिका

5.3.1 मानवाधिकार घोषणा (1948) – 10 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत की गयी यह वैश्विक उद्घोषणा विश्व में मानव अधिकारों के संरक्षण व आपसी समरसता को बनाये रखने का अनूठा पहल था। हाँलाकि यह प्रत्यक्ष रूप से निःशक्तता की बात नहीं करता है लेकिन उद्घोषणा की प्रस्तावना और 30 अनुच्छेदों में समावेशन के सिद्धान्त निर्दिष्ट होते हैं। इसकी प्रस्तावना में यह उपबंध करती है कि प्रत्येक व्यक्ति के जन्मजात गौरव और सम्मान तथा अविच्छिन्न अधिकारों की स्वीकृति ही विश्व शांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है। आपसी मैत्री भाव को बढ़ाने और अधिकारों की रक्षा करना इसके मूल को प्रतिविम्बित करता है।

अनुच्छेद–1 व अनुच्छेद–2 सभी के लिए स्वतंत्रता और समानता जन्मजात प्राप्त होने की वकालत करते हुए किसी भी व्यक्ति को जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक प्रणाली, देश, समाज या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं करने का उपबंध करते हैं। अनुच्छेद–26 सभी को शिक्षा देने का उपबंध करता है।

5.3.2 मानसिक मंद व्यक्तियों के अधिकारों की उद्घोषणा 1970 – संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसम्बर, 1971 में मानसिक रूप में मंद व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण किया जा सके। इस उद्घोषणा ने इस बात पर बल दिया कि मानसिक मंद व्यक्तियों को अगर हो सके तो अपने परिवार अथवा संरक्षण के साथ समाज के बीच उनका विकास किया जाय। इस उद्घोषणा ने मानसिक मंद बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश की।

5.3.3 निःशक्तजन के अधिकारों की उद्घोषणा (1975) – संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 दिसम्बर, 1975 निःशक्तजन के अधिकारों के संरक्षण के लिए इस घोषणा को अंगीकृत किया। यह घोषणा पुनरावृत्ति करता है कि निःशक्तजन को शिक्षा चिकित्सा, आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा, व्यावसाय, नौकरी के अवसर प्रदान किये जाये जिससे वे अपने परिवार के साथ जीवन–यापन कर सकें, सामाजिक – सांस्कृतिक गतिविधियों में सम्मिलित हो सकें। निःशक्त जन के प्रति नकारात्क दृष्टिकोण व व्यवहार तथा घोषणा तथा शोषण को रोकने के लिए कानूनी प्रतिबद्धता दिखाता है। अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर निःशक्तजनों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए दो बड़ी शुरूआत की गयी। निःशक्तजन के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक वर्ष– (1983–1982) तथा निःशक्तजन के लिए एशिया प्रशांत दशक वर्ष (1993–2002) ।

5.3.4 अन्तर्राष्ट्रीय निःशक्तजन वर्ष (1981)– संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने लिए अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित करने की योजना 16 दिसम्बर, 1976 को बनायी। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य निःशक्त जन को–

1. शारीरिक और मनोसामाजिक तौर पर समाज में समंजित करना।
2. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निःशक्तजन के लिए सहायता प्रशिक्षण, देखभाल, सलाह, अवसर उपलब्ध कराने तथा उनको समाज में एकीकृत करने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
3. निःशक्तजन के अधिकारों तथा उनके समावेशन के लिए समाज को जागरूक, शिक्षित तथा सूचित करना।
4. ऐसे शोध तथा अध्ययन को बढ़ावा देना जो निःशक्तजन के लिए सहायता उपकरण, बाधाराहित भौतिक वातावरण तथा उनकी निःशक्ता की प्रतिपूर्ति करने में सहायता हो।
5. निःशक्तता के रोकथाम के उपायो को तथा पुनर्वास के आयामों को बढ़ावा देना।
6. निःशक्त बच्चों को नामांकन विशेष आवासीय विद्यालयों की जगह सामान्य विद्यालयों में कराना।

5.3.5 निःशक्तजनों से संबंधित विश्व कार्य योजना (1982) – अन्तर्राष्ट्रीय निःशक्तजन वर्ष के फलस्वरूप सन् 1982 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस कार्ययोजना को 1982 में अपनाया। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक रणनीति तैयार कर निःशक्तजन के अधिकारों का संरक्षण, उनके पुनर्वास तथा अवसरों की समानता उपलब्ध कराना था। इसका उद्देश्य था कि निःशक्तजन समाज के साथ अपनी पूर्ण सहभागिता में संलग्न रह कर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विकास में अपना सहयोग दें। यह कार्ययोजना मानवाधिकार के दृष्टिकोण को अंगीकृत कर इस बात पर जोर देती है कि निः शक्त को शिक्षा व चिकित्सा समुदाय आधारित सेवाओं के माध्यम से दी जायें जिससे वे मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

5.3.6 बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधि (1989) – 20 नवम्बर, 1989 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकृत यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून बच्चों के मानवाधिकार के संरक्षण और उन्नयन की दिशा में एक अगला कदम था। इस अंतर्राष्ट्रीय कानून में (अनुच्छेद–41) हैं। यह कानून इस तथ्य को सुनिश्चित करता है कि किसी भी बच्चे को निःशक्तता के साथ साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। (अनुछेद–23) निःशक्त बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करता है। इस उद्देश्य के साथ कि इन बच्चों का सामाजिक समावेश तथा वैयक्तिक विकास, सांस्कृतिक, तथा आध्यात्मिक– हो सके जिससे इनके अधिकारों का संरक्षण हो। शिक्षा के द्वारा इनके सर्वांगीण विकास करने का

उपबंध करता है। (अनुच्छेद–23) यह भी उपबंध करता है कि निःशक्त बच्चों को विशेष देखभाल, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशिक्षण, पुनर्वास, रोजगार आधारित प्रशिक्षण और खेलकूद तथा सांस्कृतिक अवसरों में सम्मिलित होने का अधिकार है। (अनुच्छेद–28) और (अनुच्छेद–29) सभी बच्चों के लिए शिक्षा का उपबंध करता है। जो इस तथ्य को दुहराता है कि शिक्षा और शिक्षा के अवसर सभी के लिए समान होने चाहिए।

5.3.7 सभी के लिए शिक्षा, जॉमटीन उद्घोषणा (1980)–1990 जॉमटीन शहर में "सभी के लिए शिक्षा" विश्व सम्मेलन में 155 देशों के प्रतिनिधि सहित 150 से अधिक सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने वर्ष 2000 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने एवं निरक्षरता के उन्मूलन करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का सहमति जाहिर की। इस सम्मेलन में यह तथ्य स्वीकार किया गया कि निःशक्त बच्चों को विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। निःशक्तता के विभिन्न वर्गों से संबंधित निःशक्त को शिक्षा तथा पुनर्वास के समान अवसर उपलब्ध कराया जाये जिससे वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

5.3.8 संयुक्त राष्ट्र सलामांका वकतव्य–1994 – सन् 1994 में सलामांका (स्पेन) में युनेस्को द्वारा "विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष विश्व सम्मेलन सुलभता और समता का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में 92 सरकारों के प्रतिनिधि और 25 अन्तराष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। सलामांका वक्तव्य में इस बात पर बल दिया गया है कि ''हर शिशु को शिक्षा का बुनियादी अधिकार है और उसे अधिगम का एक स्वीकार्य स्तर प्राप्त करने और बनाये रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। सलामांका वक्तव्य में समावेशी शिक्षा की वकालत की गयी। समापन इस उद्घोषणा के साथ हुआ कि ''प्रत्येक बच्चे की चरित्रगत विशेषताएँ, रूचियाँ, योग्यता और सीखने की आवश्यकताएँ अनोखी होती हैं। इसलिए शिक्षा प्रणाली में इस विशिष्टताओं और आवश्यकताओं की व्यापक विविधता का ध्यान रखना चाहिए।" सम्मेलन में यह भी उद्घोषणा की गई की समावेशी प्रारूप नियमित विद्यालय तथा समाज में भेदभाव पूर्ण व्यवहार को रोकने, समावेशी समाज व समुदाय की रचना तथा सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने में समक्ष हैं। इस उद्घोषणा में निःशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समावेशी विद्यालयों में शिक्षा देने का उपबंध किया गया।

5.3.9 डाकर सम्मेलन 2000- वर्ष 2000 में आयोजित विश्व शिक्षा मंच जिसे अकर उकार सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में शिक्षा में समावेशन की बात दुहरायी गयी। सम्मेलन में स्पष्ट किया गया कि ''किसी व्यक्ति या बच्चों को उच्च कोटि की प्राथमिकता शिक्षा पूर्ण करने के अवसर से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वह समार्थ्य से परे है। सबको शिक्षा के समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

5.3.10 दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वंशन (UNCRPD) – 2006 21वीं सदी में निःशक्तजन के अधिकार, समान पूर्ण भागीदारी, पुनर्वास तथा समावेशन के लिए वृहद अन्तराष्ट्रीय कानून के रूप में उपस्थित हुआ है। 13 दिसम्बर 2006 को तैयार किये गये इस ड्राफ्ट को 30 मार्च 2007 को अधिसूचित किया गया था। 3 मई 2008 से यह प्रभावी हो सका। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जो इस उद्देश्य के साथ संघ के द्वारा प्रस्तावित की गयी कि निःशक्तजन के अधिकारों तथा सम्मान की रक्षा की जा सके। इस कानून से जुड़े सभी देशो से निःशक्तजन के अधिकारों को बढ़ावा देने, संरक्षण देने तथा पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। इस अन्तराष्ट्रीय कानून में निहित 50 अनुच्छेदों में से निःशक्तजन को पूर्ण रूप से समावेशन में सम्मिलित करने की वृहद रूपरेखा तैयार की गयी है। निःशक्तता को चिकित्सकीय प्रारूप से अलग सामाजिक प्रारूप से देखे जाने की बात की गयी। निःशक्तजन दया के पात्र नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सहभागी बने, यह उनका जन्मजात अधिकार है।

(अनुच्छेद–1) में निःशक्तजन के अधिकारो की संरक्षण देने, बढ़ावा देने तथा पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने। उनके प्रति सम्मान प्रकट हो सकें पर बल दिया गया है। इसी तरह उनके खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव को तथा समान अधिकार देने के लिए (अनुच्छेद–5) में प्रावधान किया गया है। निःशक्त महिला (अनुच्छेद–6) व निःशक्त बच्चों (Article-7) के पूर्ण भागीदारी तथा उनके अधिकारों के संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। निःशक्तजन के प्रति समाज का नजरिया सकारात्मक हो, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता (अनुच्छेद–8) में महसूस की गयी है। सुगम्य भौतिक बाधारहित वातावरण का निर्माण किया जाय जिससे इनकी पूर्ण सहभागिता बने (अनुच्छेद–9)। निःशक्त जन की निःशक्तता प्राकृतिक है, अभिशाप नहीं। इन्हें विशिष्टता के साथ ही समान्य विद्यालयों में समावेशी प्रारूयबृद्ध वातावरण में शिक्षा का प्रावधान (अनुच्छेद–24) करती है। इस

अनुच्छेद में इसके सर्वांगीण विकास के साथ समाज में समावेशन के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था को नितांत आवश्यक माना गया है।

5.3.11 इंचियान रणनीति– इंचियान रणनीति निःशक्तजनों के लिए समाज को बाधा रहित बनाने एव उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए दशक भर की लंबी कार्ययोजना है। कोरिया गणराज्य के इंचियान में एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के सदस्य देशों के मंत्रियों तथा प्रतिनिधियों की 29 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2012 तक हुई बैठक में इस रणनीति को स्वीकार किया गया। इस रणनीति में 2013 से 2022 तक चलने वाली लक्ष्यों के माध्यम से एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र अपने यहाँ रहने वाले 65 करोड़ निःशक्तजन के जीवन स्तर में सुधार तथा उनके अधिकारों की पूर्ति संबंधी प्रगति पर नजर रखना साम्मिलित है। इंचियान रणनीति का मुख्य विचार है कि निःशक्तजन का सम्मान होना चाहिए, उन्हें अपनी पसंद के विकल्प चुनने में समक्ष होना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए तथा उन्हें समाज में अन्य व्यक्तियों के समान ही प्रतिभागिता का अवसर लिना चाहिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. निःशक्तजनों से संबधित विश्व कार्य योजना–1982 के प्रमुख बिन्दुओं को लिखिए।

   .....

   .....

2. डकार सम्मेलन के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए।

   .....

   .....

5.4 सारांश

WHO के अनुमान के मुताबिक विश्वभर में निःशक्तजन की आबादी लगभग एक अरब है। निःशक्तजन के पुनर्वास के शुरूआती दौर में वैश्विक प्रयासों की कमी रही। लेकिन विश्व कल्याण, विश्व मानवाधिकार तथा समावेशन की विचारधारा ने निःशक्तजन की दशा और दिशा दोनों ही बदलने का मार्ग प्रशस्ति किया है। विश्व मानवाधिकार घोषणा (1948), मानसिक मंद व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा (1971), निःशक्तजन के अधिकारों की उद्घोषणा (1975), अन्तर्राष्ट्रीय निःशक्तजन वर्ष 1981, निःशक्तजन से संबंधित विश्व कार्य योजना (1982), UNCRO 1989, सभी के लिए शिक्षा (1990), सलामांका वकतव्य (1994), डकार सम्मेलन (2000), UNCPRD 2006 तथा इंचियान रणनीति (2012) इन सभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन व रूपरेखा ने निःशक्तजन के अधिकारों के संरक्षण, समान अवसर, पूर्ण सहभागिता, शिक्षा, चिकित्सा, मनो–समाजिक पुनर्वास तथा समावेशन के लिए वैश्विक प्रयास किया है। जिसके परिणामस्वरूप विश्व के सभी देशों में निःशक्तजनों के प्रति चली आ रही है नकारात्मक भावना में कमी आयी है, इनकी स्वीकार्यता बढ़ी है और समावेशन अपने मार्ग पर प्रशस्त हो रहा है। विश्व एक समावेशी समाज बनने की ओर अग्रसर है।

5.5 अभ्यास के प्रश्न

1. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा रूपरेखा की समावेशन में भूमिका का विस्तृत वर्णन कीजिए।
2. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा रूपरेखा की पड़ने वाले वैश्विक प्रभावों की व्याख्या कीजिए।

5.6 चर्चा के बिन्दु

1. भारत में दिव्यांगजनों के सक्षक्तिकरण हेतु बनायी गयी विभिन्न नीतियों एक्टों व घोषणाओं की तुलना अन्तर्रास्ट्रीय स्तर पर लागू विभिन्न नीतियों एक्टों व घोषणाओं से करने हेतु चर्चा कीजिए।

5.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. निःशक्तजनों से संबधित विश्व कार्य योजना–1982 के प्रमुख बिन्दु – अन्तर्राष्ट्रीय निःशक्तजन वर्ष के फलस्वरूप सन् 1982 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस कार्ययोजना को 1982 में अपनाया। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक रणनीति तैयार कर निःशक्तजन के अधिकारों का संरक्षण, उनके पुनर्वास तथा अवसरों की समानताउपलब्ध कराना था। इसका उद्देश्य था कि निःशक्तजन समाज के साथ अपनी पूर्ण सहभागिता में संलग्न रह कर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विकास में अपना सहयोग दें। यह कार्ययोजना मानवाधिकार के दृष्टिकोण को अंगीकृत कर इस बात पर जोर देती है कि निः शक्त को शिक्षा व चिकित्सा समुदाय आधारित सेवाओं के माध्यम से दी जायें जिससे वे मुख्यधारा में शामिल हो सकें।
2. वर्ष 2000 में आयोजित विश्व शिक्षा मंच जिसे अकर उकार सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में शिक्षा में समावेशन की बात दुहरायी गयी। सम्मेलन में स्पष्ट किया गया कि ''किसी व्यक्ति या बच्चों को उच्च कोटि की प्राथमिकता शिक्षा पूर्ण करने के अवसर से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वह समार्थ्य से परे है। सबको शिक्षा के समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

5.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ

1. World Bank 2019 Disability Inclusion Retrieved Auguest 29, from http://www.worldbank.org/en/topic/disabiliy
2. key Henderson et al. 2004. lilinois Early Learning Standards. vol. SU-29, August (2004).
3. David R Krathwohl. 1964. Taxonomy of education objectives: The classification of educational goals. Affective Domain (1964).
4. Autism Speacks. 2019. Speech Therapy Retrieved August 29, 2019 from http://www.autismspeaks.org/speech-threap
5. Elizabeth J Simpson. 1966. The Classification of Education Objectives. Psychomotor Domain. (1966).

इकाई–6 : राष्ट्रोय नीतियाँ, कार्यक्रम, अधिनियम और आयोग

इकाई की संरचना

6.1 परिचय

6.2 इकाई के उद्देश्य

6.3 विभिन्न राष्ट्रीय नीतियाँ, कार्यक्रमों, कानून और आयोगों की भूमिका

6.4 विभिन्न राष्ट्रीय नीतियाँ, कार्यक्रमों कानून और आयोग

6.4.1 सार्जेन्ट रिपोर्ट

6.4.2 कोठारी आयोग

6.4.3 1968–1986 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986)

6.4.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्य योजना 1992

6.4.5 जीवन काल इंटर प्राइजेज डेवलपमेंट इक्विपमेंट सेंटर (IEDC) योजना– 1974

6.4.6 मानसिक स्वास्थ्य कानून (1987)

6.4.7 निःशक्तजन के लिए एकीकृत शिक्षा परियोजना (Project Integrated Education for Disabled - 1987)

6.4.8 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1997)

6.4.9 सर्व शिक्षा अभियान (SSA) 2001

6.5 निःशक्त बच्चों और युवाओं के लिए समावेशी शिक्षा योजना (IECYD) – 2005

6.5.1 माध्यमिक स्तर पर निःशक्तजन की समावेशी शिक्षा (IEDSS)- 2009

6.5.2 सुगम्य भारत अभियान (2015)

6.6 भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम (1992)

6.6.1 निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम (1995)

6.6.2 राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क धात, मानसिक मंदता और बहु–निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याणन्याय अधिनियम 1999

6.6.3 नई शिक्षा नीति (2015)

6.6.4 निःशक्तजन अधिकार अधिनियम 2016

6.6.5 निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा

6.7 सारांश

6.8 अभ्यास के प्रश्न

6.9 चर्चा के बिन्दु

6.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ

6.1 प्रस्तावना

एक समय था, जब शारीरिक अथवा मानसिक आक्षमता को दिव्यांग व्यक्ति के परिवार तथा स्वयं दिव्याँग के लिए अभिशाप माना जाता था। दिव्यांगजन को समाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भेदभाव का सामना करना पड़ता था।

अपनी निःशक्तता के कारण उन्हें भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से भिन्नता से ग्रसिम होना पड़ता था। समाजिक बाहिष्करण उनकी निःशक्तता से जुड़ा हुआ था। शुक्र है कि आधुनिक विज्ञान, सामाजिक न्याय की भावना और समावेशन की नवचेतना ने दिव्यांगजनो को सामाजिक स्वीकार्यता और पूर्ण सहभागिता की ओर निर्दिष्ट किया हैं। समावेशन की चतेना ने दिव्यांगजनों को हमारे समाज एवं राष्ट्र के अभिन्न एवं महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्वीकार किया जाने लगा हैं। दिव्यांगजन समाज और राष्ट्र ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में अपनी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं। और ऐसा हो पाने में विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों, कानूनों और आयोग की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही हैं। राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों, कानूनों और आयोग ने दिव्यांगजनों को समान अधिकार देना, अधिकारों की रक्षा, शिक्षा, आर्थिक सवावलम्बन, और पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने का सफल प्रयास किया है। जिसके परिणामस्वरूप सदियों से चली आ रही दिव्यांगजनों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण सकरात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तित हुयी है और समाज में इनकी स्वीकार्यता मजबूत हुई हैं।

6.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. निःशक्तता के लिए विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और आयोग के बारे में अवगत हो सकेंगे।
2. विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और आयोग द्वारा दिव्यांगजनों की शिक्षा, रोजगार, पूर्ण सहभागिता, समाजिक सुरक्षा एवं उन्नयन के लिए किए गये प्रावधानों को समझ सकेंगे।
3. राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और आयोग की निःशक्तता के क्षेत्र में किए गये परिर्वतन को समझ सकेंगे।
4. इन सभी नीतियों का मूल्यांकन कर सकेंगे।

6.3 विभिन्न राष्ट्रोय नीतियाँ, कार्यक्रमों, कानून और आयोगों की भूमिका

1. समान अधिकार, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने में।
2. अधिकारों को कानूनी रूप से मजबूत करने में।
3. सामाजिक सहभागिता और स्वीकार्यता बढ़ाने व सुनिश्चित करने में।
4. दिव्यांगजनों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को दूर करने में।
5. समाज को दिव्यांगजनों के अधिकारों के प्रति सकारात्मक रूख करने व जागरूक करने में।
6. शिक्षा, रोजगार, व्यावसासिक, संरक्षण तथा उन्नयन सुनिशिचत करनें में।
7. बाधारहित वातावरण व सुगम्य संरचनाओं के निमार्ण को सुनिशिचत करने में।
8. राष्ट्र को समावेशी बनाने में।

6.4 विभिन्न राष्ट्रोय नीतियाँ, कार्यक्रमों कानून और आयोग

1968 इस नीति में शारीरिक व मानसिक रूप से निःशक्त बच्चों के शिक्षा को बढ़ावा देने का सुझाव दिया साथ ही एकीकृत कार्यक्रमों के विकास पर जोर डालने की बात की जिससे निःशक्त बच्चों को सामान्य विद्यालय में शामिल किया जा सके। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन् 1968 में गठित हुयी। सन् 1985 में इसका पुर्नमूल्यांकन व नवीनीकरण हुआ। राष्ट्रीव्यापी विचार विमर्श के पश्चात् मई, 1986 में नई शिक्षा नीति अस्तित्व में आया। नई शिक्षा नीति में सामान्य बच्चों के शिक्षा के साथ–साथ निःशक्त बच्चों के शिक्षा के पहलुओं को शामिल किया गया जो नई शिक्षा नीति के अध्याय – छः में निर्दिष्ट है। इस अध्याय में शारीरिक व मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को समाज के सहभागी बनाने के साथ जीवन को दृढ़ निश्चय एवं धैर्य के साथ व्यतीत करने के लिए तैयार करने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) संगठित शिक्षा पर जोर देती हैं एवं स्पष्ट करती हैं कि निःशक्त बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों की शिक्षा के साथ हो निःशक्त बच्चों के लिए किए गए मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैः–

1. निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) ईसीसीई के अन्तर्गत तैयार किए जायेंगे जो (ICDS) एकीकृत बाल विकास सेवायें के माध्यम से संचालित होगा।
2. पाठ्यक्रम में अनूकुलन पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल।
3. लचीली परीक्षा प्रणाली विकसित करने का सुझाव।
4. शिक्षको की सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिव्यांगता संम्बन्धित प्रशिक्षण धारकों को शामिल करना।
5. निःशक्त बच्चों के पहचान, हस्तक्षेप और मनोवैज्ञानिक सेवाओं का प्रबंध करना।
6. विशेष विद्यालयों में शिक्षा देना ।
7. निःशक्त बच्चों को शिक्षा में शामिल होने को प्रोत्साहन करना।
8. निःशुल्क पुस्तक व गणवेशों की आपुर्ति करना।
9. आवगमन भत्ते और रियायत देना।

6.4.1 सार्जेन्ट रिपोर्ट– (1944) में Certral Advisory Board of Education (CABE) ने देश में हो रहे शिक्षा के विकास पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की, जो सार्जेन्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में निःशक्तजनों की शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकृत करने का सुझाव दिया गया। जहां तक संभव हो सके निःशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ अलग न करने पर जोर डाला गया। इय रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया कि निःशक्त बच्चों को आवश्यकतानुसार विशेष ध्यान दिये जाने की जस्रत है। मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में समान शिक्षा विभाग द्वारा किये जाने पर जोर दिया गया।

6.4.2 कोठारी आयोग– (1964–66) भारत में पहले राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के रूप में कोठारी आयोग ने शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास के नाम से प्रस्तुत अपनी विस्तृत रिपोर्ट में पहली बार निःशक्त बच्चों की शिक्षा को देश के हित के रूप में रेखांकित किया। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि बेहतर शिक्षा से निःशक्तजन अपनी अक्षमता पर काबू कर स्वयं को राष्ट्र के लिए बेहतर मानव संसाधन के रूप में विकसित कर सकेंगे। आयोग ने एकीकृत शिक्षा की अनुशंसा की। आयोग ने निःशक्तजनों के लिए शिक्षा को प्रमुख कार्य में रूप में इनमें सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में समंजन पर जोड़ डाला। आयोग ने इस बात को भी महसुस किया कि इन बच्चों की शिक्षा में मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है जिससे शिक्षकों की कमी व आर्थिक संसाधन प्रमुख है।

6.4.3 1968–1986 (राष्ट्रोय शिक्षा नीति 1968 तथा राष्ट्रोय शिक्षा नीति 1986)– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति को बढ़ाना तथा सपमपन्य नागरिकता व संस्कृति और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करना था। इसमे शिक्षा प्रणाली के सर्वागीण पुनर्निमाण तथा हर स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को ऊँचा उठाने पर जोर दिया गया था। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिव्यांगो को शिक्षा देने का उद्देश्य यह है कि वे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, उनकी सामान्य तरीके से प्रगति हो और वे पुरे भरोसे और हिम्मत के साथ जीवन निर्वाह कर सकें। इस हेतु निम्मलिखित सुझाव दिये गए –

- दिव्यांगता अगर हाथ पैर की या सामान्य है, तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई सामान्य बच्चों क साथ होने चाहिए।
- गंभीर रुप से दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रावास वाले विशेष स्कूलों की जरूरत होगी। इस तरह के स्कूल, जहाँ तक सम्भव होगा, जिला मुख्यालयों में बनाए जाए।
- दिव्यांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।
- शिक्षकों, खासतौर से प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों, के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी नया रूप दिया जायें ताकि वे दिव्यांग बच्चों की कठिनाइयों को ठीक से समझ कर उनकी सहायता कर सकें।
- दिव्यांगों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को हरसंभव तरीके से प्रोत्साहित किया जाय।

6.4.4 राष्ट्रोय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्य योजना 1992 – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्ययोजना 1992 का उद्देश्य निःशक्त बच्चों के सामान्य विद्यालयों में शैक्षिक अवसर प्रदान करना है ताकि उनको

मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। इस कार्ययोजना के अन्तर्गत निम्न संस्तुतियां की गयी –

1) निःशक्त बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण करना।
2) निःशक्त बच्चों के मुल्यांकन, जिसमें एक डॉक्टर, एक मनोवैज्ञानिक और दो विशेष शिक्षक की व्यवस्था करना।
3) विशेष अध्यापकों की नियुक्ति निःशक्त बच्चों के लिए मूलभूत सुविधायें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफलतापुर्वक संचालन के लिए प्रशासकों, संस्था प्रधानों तथा विशेष विद्यालय कार्यक्रम से जुड़े सामान्य अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
4) पाठ्यक्रम अनुकूलन व निर्माण व पाठ्यक्रम में लचीलापन।
5) अभिभावक सम्मेलन तथा समुदाय समर्थन कार्यक्रम।
6) शिक्षक–प्रशिक्षक कार्यक्रम में निःशक्तता में धारकों को शामिल करना।
7) कक्षा–शिक्षण सामग्री का निर्माण करना।
8) स्वयं सेवी संबठनों को प्रोत्साहित करना।
9) प्राथमिक विद्यालय और ईसीसीई सुविधाएं सुनिश्चित करना।
10) मूल्यांकन तथा निरीक्षण।

6.4.5 जीवन काल इंटर प्राइजेज डेवलपमेंट इक्विपमेंट सेंटर (IEDC) योजना– 1974

प्रथम शिक्षा नीति के आठ वर्ष के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित IDEC योजना का प्रमुख उद्देश्य निःशक्त बच्चों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा के अवसर को सुनिश्चित करना था। इस योजना के अन्तर्गत संसाधन शिक्षकों को वेतनमान, निःशक्त बच्चों में वाहन भत्ते Reade Allowance, Escort Allowance, Boarding and Lodging Allowace, सहायक उपकरणों में रियायत, बाधारहित वातावरण के निर्माण, सामान्य विद्यालय में संसाधन कक्ष बनाने इत्यादि पर जोर दिया गया इस योजना के अन्तर्गत एक विशेष पर अध्यापक 8 छात्र की जिम्मेदारी सुनिशिचत करने का सुझाव दिया गया।

6.4.6 मानसिक स्वास्थ्य कानून (1987)– यह कानून ILAC (Indian Lunacy Act. 1912) के नाम से जाना जाता हैं इस कानून के तहत मानसिक बिमारी से ग्रसित व्यक्तियों को अस्पताल में इलाज सुनिश्चित कराने, ऐसे व्यक्तियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी तय करने, मूल भूत सुविधाओं को पहुँचाने और मानसिक अस्पताल व नर्सिंग होम की स्थापना संबन्धी नियमन व नियंत्रण को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया।

6.4.7 निःशक्तजन के लिए एकीकृत शिक्षा परियोजना (Project Integrated Education for Disabled (1987) - UNICEF की सहायता से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 1987 में निःशक्तजन के लिए एकीकृत शिक्षा परियोजना की शुरूआत की। इस परियोजना के तहत अध्यापक प्रश्क्षिण पर जोर दिया गया। यह प्रशिक्षण तीन स्तर पर चलाया जाता था। पहले चरण में एक सप्ताह, दूसरे चरण में छः सप्ताह तथा अंत में हर प्रखंड के 8–10 शिक्षकों को एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता था परियोजना की समप्ति पर निःशक्त बच्चों, (मंदबुद्धि बच्चों को छोड़कर) की उपलब्धि समान्य बच्चों के बराबर पायी गयी।

6.4.8 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1997) – 1994 ई में शुरू हुए इस कार्यक्रम में वर्ष 1997 में निःशक्तजनों के लिए एकीकृत शिक्षा को DPEP में शामिल कर लिया गया। देश के 18 राज्यों के कुल 2014 प्रखंडों को इसके दायरे में लाया गया। इस कार्यक्रम के तहत निःशक्त बच्चों को संसाधन मुहैया कराने, शीध्र पहचान, सेवा कालीन प्रशिक्षण और बाधारहित वातावरण उपलब्ध कराने पर बल दिया गया।

6.4.9 सर्व शिक्षा अभियान (SSA), 2001 – इस महत्वाकांक्षी अभियान में शून्य बहिस्करण (Zero Rejection) के तहत अमल करते हुए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि सामान्य बच्चों के साथ–साथ निःशक्त बच्चों को शिक्षा के लिए अनूकूल वातावरण उपलब्ध कराना है। किसी भी बच्चे को उसके मानसिक या निःशक्तता की वजह से शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता।

86वां संशोधन 2002 – सन् 2002 में भारत सरकार ने 86वां संशोधन करते हुए अनुच्छेद 21 A शिक्षा के अधिकार के तहत 'निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा' देने का प्रावधान किया।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1- सार्जेन्ट रिपोर्ट 1944 पर प्रकाश डालिए।

.....

.....

2- IEDC योजना की चर्चा कीजिए।

.....

.....

6.5 निःशक्त बच्चों और युवाओं के लिए समावेशी शिक्षा योजना (IECYD) - 2005

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2005 में निःशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा (IEDC) योजना में 14–18 वर्ष आयु के निःशक्त युवाओं को शामिल कर एक संशोधित योजना IECYD का आरम्भ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैः–

1. बच्चों और युवाओं (निःशक्त) को समावेशी शिक्षा प्रदान करना।
2. मुख्यधारा के विद्यालयों में निःशक्त बच्चों में नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करना।
3. विश्विद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं में दिव्यांगता केन्द्रित अनुसंधान को बढ़ावा देना।
4. समावेशी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सिद्धान्त व नीतियों का निर्माण ।
5. दिव्यांग मित्रवत् भौतिक वातावरण व मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करना।
6. 0–6 वर्ष के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शैशव पूर्व देख–रेख एवं शिक्षा कार्यक्रम (ICCE) के तहत नामांकन एवं हस्तक्षेप सुनिश्चित करना।
7. विशिष्ट शिक्षक, संसाधन कक्ष, उपर्युक्त शिक्षण अधिगम सामग्रियों हार्डवयर और साप्टवेयर आदि के निर्माण तथा खेल–कूद एवं सहगामी गतिविधियों को प्रोत्साहन देना।

6.5.1 माध्यमिक स्तर पर निःशक्तजन की समावेशी शिक्षा (IEDSS)- 2009 - IEDC को प्रतिस्थापित करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस योजना को अप्रैल 2005 में लाया। इस योजना के तहत कक्षा 11–12 के निःशक्त बच्चों को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के तहत लड़कियों को विशेष ध्यान दिया जा सके। इस योजना में आठ की Primary Elementary Education में पश्चात् चार वर्षो की माध्यमिक शिक्षा समावेशी वातावरण में ही, इसको सुनिश्चित किया गया है। हॉलाकि वर्ष 2013 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में इसे शामिल कर लिया गया।

6.5.2 सुगम्य भारत अभियान (2015)– सुगम्य भारत अभियान सार्वभौमिक सुगम्यता को पाने के लिए देशव्यापी एक प्रमुख अभियान है। जो निःशक्तजन को एक समावेशी समाज में अवसर तक पहुँच बनाने, स्वतंत्र रूप से रहने और जीवन के विभिन्न आयामों में पूर्ण भागीदार बनने की योग्यता प्रदान करने को सुनिश्चित करने का प्रयास है। इस अभियान की शुरूआत 3, दिसम्बर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्रालय के निःशक्तजन व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (डीईपी डब्ल्यूडी) द्वारा किया गया हैं। इस अभियान का

प्रमुख उद्देश्य – लोगों के लिए सुलभ भौतिक परिवेशों में सुगम्यता को बढ़ावा देना (सार्वजनिक परिवहन) और सूचना एवं संचार प्रोद्यौगिकी सेवाओं की सुगम्यता और उपयोगिता को बढ़ावा देना (सूचना एवं संचार प्रोद्यौगिकी) है।

6.6 भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम (1992)

भारत सरकार ने बहारूल इस्लाम समिति के सिफारिश पर पुनर्वास व्यावसायिकों के प्रशिक्षण को नियमित करने, केन्द्रीय पुनर्वास से जुड़े अन्य शैक्षिक मुद्दों को सुलझाने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम बनाया जिसे संक्षिप्त में RCI Act 1992 कहा जाता है। इसे 22 जून 1993 को अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम में तीन अध्याय हैं। इस अधिनियम में मुख्य रूप से निःशक्तता से जुड़े–हुए पुनर्वास व्यावसायिकें की गुणवत्ता बनाये रखने, पुनर्वास व्यावसायिकों का विकास, इनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मानकी–करण लाना, प्रशिक्षण नीतियो और कार्यक्रमों का विनियमन करना, संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र को मान्यता प्रदान करना, निःशक्त व्यक्यिों से संबंधित व्यावसायिक कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों के शिक्षण और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित हैं।

6.6.1 निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम (1995)– निःशक्त जनों को समाज में समान अवसर, उनके अधिकारों के संरक्षण एवं समाज में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने संसद में 12 दिसम्बर, 1995 को इस अधिनिसम को पास किया था। इस अधिनियम को 17 फरवरी, 1996 को अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम में 14 अध्याय तथा 74 धाराएं हैं। इस अधिनियम के तहत पहली बार 7 तरह की निःशक्तता को सम्मिलित किया गया।

1. अंधता
2. कम दृष्टि
3. कुष्ट रोग मुक्त
4. श्रवण शक्ति का ह्रास/श्रवण बाधिता
5. चलन निःशक्तता
6. मनसिक मंदता
7. मनसिक रूग्णता

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य को निःशक्तजनों को समान अधिकार दिलाने उनके अधिकारों के संरक्षण, उनकी पूर्ण सहभागिता सूनिश्चित कराने, किसी भी तरह के भेदभाव को दूर करने, बाधारहित वातावरण तथा सुगम्य भौतिक निर्माण, कानूनी सहायता रियायतें उपलब्ध कराने, समाजिक सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी तय करनी हैं।

इस अधिनियम के पंचम अध्याय में निःशक्तजन के लिए शिक्षा का उपबंध किया गया हैं। यह अधिनियम निःशक्तजन को 18 वर्ष की उम्र तक निःशुक्ल शिक्षा का प्रावधन करता हैं। अध्याय 12 के अन्तर्गत निःशक्त व्यक्ति के समस्याओं को सुलझाने के लिए मुख्य आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है।

6.6.2 राष्ट्रोय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क धात, मानसिक मंदता और बहु–निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याणन्याय अधिनियम 1999 – यह अधिनियम सन् 1999 में अस्तित्व आया जो चार तरह की निःशक्तता को सम्मिलित करता हैं। स्वपरायणता, प्रमास्तिष्कधात, मानसिक मंदता और बहु–निःशक्तता। इस अधिनियम में 9 अध्याय हैं। इस अधिनियम का मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है–

1. निःशक्त व्यक्तियों को यथासंभव स्वतंत्र और पूर्ण जीवन जीने के लिए उस समुदाय के भीतर और उसके नजदीक रहने के लिए समर्थ बनाना और सशक्त बनाना।
2. निःशक्त व्यक्तियों को उनके अपने कुटुम्ब में रहने में सहायता प्रदान करना।
3. निःशक्त व्यक्तियों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संगठनों को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए सहायता देना।
4. निःशक्त व्यक्तियों के माता–पिता अथवा संरक्षक की मृत्यु की दशा में देखभाल करना और संरक्षण करना।

5. निःशक्त जन के लिए समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण और उनकों पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना।

6.6.3 नई शिक्षा नीति (2015) – अतीत में ऐसा देखा गया है कि निःशक्त बच्चों को शिक्षा प्रदान करना शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग नहीं माना जाता था। नई शिक्षा नीति– 2015 में समावेशी शिक्षा की व्यापक समझ दिखती हैं। भारत में पहली बार नई शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा का भारतीय दृष्टिकोण शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति– 2015 ने शिक्षा व्यवस्था के सभी अंगों में निःशक्तता को शामिल किया है चाहे शिक्षा में प्रवेश नीतियाँ हो। शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, पाठ्यक्रम का विकास हो, शिक्षण की रणनीतियाँ हो, पठनसामग्री हो, मूल्यांकन व्यवस्था हो, आभासी शिक्षा माध्यम हो।

6.6.4 निःशक्तजन अधिकार अधिनियम (2016) – यह विधेयक निःशक्तजन अधिनियम (1995) की जगह प्रतिस्थापित किया गया है। इस विधेयक में निःशक्तजन को और अधिक सशक्त और उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था। इस विधेयक में 21 तरह के निःशक्ततओं को शामिल किया गया जो निम्न है :–

1. अंधापन (Blindness)
2. कम–दृष्टि (Low-vision)
3. कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति (Leprosy Cured Persons)
4. सुनवाई हानि (बहरा और सुनने में कठिन) (Hearing Impairment)
5. लोकोमोटर विकलांगता (Locomotor Disability)
6. बौनापन (Dwarfism)
7. बौद्धिक विकलांगता (Intellectual Disability)
8. मानसिक बीमारी (Mental Iliness)
9. ऑटिज्म स्पेक्ट्रप विकार (Aulism Spectrum Disorder)
10. सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy)
11. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (Muscular Dystrophy)
12. जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियां (Chronic Neurological Conditions)
13. विशिष्ट सीखने की अक्षमता (Specific Learning Disabilities)
14. मल्टीपल स्केलेरोसिस (Multiple Sclerosis)
15. भाषण और भाषा विकलांगता (Speech and Language Disability)
16. थैलेसीमिया (Thalassemia)
17. हीमोफिलिया (Hemophilia)
18. सिकल सेल रोग (Sickle Cell Disease)
19. बहरापन सहित कई विकलांगता (Multiple Disabilities)
20. एसिड अटैक पीड़ित (Acid Attack Victims)
21. र्किसंस रोग (Parkinson's disease)

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 दिसम्बर, 2006 को निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय (समझौता) को अंगीकृत किया है। अतः निःशक्त व्यक्तियों के सशक्ती करण के लिए भारत की संसद के उच्च सदन द्वारा 01 दिसम्बर, 2016 को निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 पारित किया। 27 दिसम्बर, 2016 को राष्ट्रपति द्वारा इस पर संस्तुति प्रदान की गयी। इस अधिनियम को 17 अध्यायों तथा 102 धाराओं में बाँटा गया है, अध्याय 3 के

अन्तर्गत निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा का धारा 16 से लेकर 18 तक में वर्णन है। जो निम्नलिखित हैं–

6.6.5 निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा

धारा 16– समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी प्रयास करेंगे कि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाएँ निःशक्त बालकों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदान करने का पालन करे । इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करेंगी, –

(1) उन्हें बिना किसी विभेद के प्रवेश देना और अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से खुले और आमोद–प्रमोद गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना।

(2) भवन, परिसर बनाना और पहुँच वाली विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना।

(3) व्यक्तिगत अपेक्षाओं के अनुसार युक्तियुक्त जल, स्वच्छता व स्वास्थ्य सुविधा ।

(4) पर्यावरण जो पूर्ण समावेशन के ध्यये के साथ सुसंगत शैक्षणिक और सामाजिक विकास को उच्चतम सीमा तक बढ़ाते हैं, में व्यक्तिपरक या अन्यथा आवश्यक समर्थन प्रदान करना।

(5) यह सुनिश्चित करना कि व्यक्ति को जो अंधा या बधिर या दोनों हैं संसूचना की समुचित भाषाओं और रीतियों तथा साधनों में शिक्षा प्रदान करना।

(6) यथाशीघ्र बालकों में विनिर्दिष्ट निःशक्तताओं की विद्या का पता लगाना और उन्हें प्राप्त करने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करना।

(7) प्रत्येक निःशक्त छात्र के संबंध में उसकी भागीदारी, लाभ प्राप्ति स्तरों के निबंधनों में उसकी प्रगति और शिक्षा की पूर्णता को मानीटर करना;

(8) निःशक्तताओं वाले बालकों और अधिक सहारे की आवश्यकता वाले निःशक्त बालकों के परिचर के लिए भी परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

धारा 17–समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी धारा–16 के प्रायोजन के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे–

(क) निःशक्त बालकों की पहचान करने के लिए, उनकी विशेष आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने और जिन्हें वह पूरा कर सकेंगे उसके विस्तार तक स्कूल जाने वाले बालकों के लिए सर्वेक्षण संचालित करनाः परन्तु पहला सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर संचालित होगा।

(ख) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को पर्याप्त संख्या में स्थापित करना।

(ग) शिक्षकों को प्रशिक्षित और नियोजित करना जिसके अन्तर्गत निःशक्त अध्यापक भी है जो सांकेतिक भाषा और ब्रेल में अर्हित है और जो बौद्धिक रूप में निःशक्त बालकों के अध्यापन में प्रशिक्षित हैं।

(घ) सम्मिलित शिक्षा के समर्थन के लिए स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रवृत्ति और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।

(ड़.) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग के लिए संसाधन केन्द्रों को पर्याप्त संख्या में स्थापित करना।

(च) वाक् संप्रेषण या भाषा निःशक्तता वाले व्यक्तियों के दैनिक संप्रेषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संप्रेषण ब्रेल और सांकेतिक भाषा के साधनों और रूपविधानों को सम्मिलित करते हुए समुचित संबंधी और अनुकल्पी पद्धतियों के प्रयोग का संवर्धन करना।

(छ) संदर्भित निःशक्त छात्रों को अठारह वर्ष की आयु तक निःशुल्क पुस्तकें, अन्य विद्या सामग्री और उचित सहायक युक्तियाँ।

(ज) संदर्भित निःशक्त छात्रों के समुचित मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान करना।

(झ) निःशक्तताओं वाले छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा में उपयुक्त जैसे परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अधिक समय, एक लिपिक या सचिव की सुविधा, दूसरी और तीसरी भाषा

के पाठ्यक्रमों से छूट के लिए उपयुक्त उपांतरण करना।

(ञ) विद्या सुधारने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना।

(ट) कोई अन्य उपाय जो विहित किए जाएं।

धारा–18 समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी प्रौढ़ शिक्षा में निःशक्त व्यक्तियों की भागीदारी को संवर्धित संरक्षण और सुनिश्चित करने के लिए और उनमें अन्य व्यक्तियों के साथ समान शिक्षा कार्यक्रम जारी रखने के लिए उपाय करेंगे।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. सुगम्य भारत अभियान – 2015 के प्रमुख उद्देश्य लिखिए।

.....

.....

4. निःशक्तजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार 21 प्रकार की दिव्यांगता के नाम लिखिए।

.....

.....

6.7 सारांश

निःशक्तता अभिशाप बोझ नहीं बल्कि एक महत्वपुर्ण मानव संसाधन है। इसलिए उसका पुनर्वास भी नितांत आवश्यक है। इस पुनर्वास की संसाधन से ही राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रीय नीतियां जैसे NPE 1968, NPE 1986, NPE 2015, राष्ट्रीय कार्यक्रम IEDSS (2009), PIED (1987), SSA (2015), राष्ट्रीय कानून RCI Act 1992, PWD ACT 1995, NTA 1999,

निःशक्तजन अधिकार अधिनियम 2016, राष्ट्रीय आयोग –

कोठारी आयोग (1964–66), सार्जेंट आयोग, बहारूल इस्लाम समिति– इत्यादि विभिन्न उपागमों ने निःशक्तजनों के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं। सामाजिक बहिष्क्रमण से समावेशन की तरफ निःशक्तजनों की राह को सुगम बनाया हैं। इस नीतियों, कानूनों, कार्यक्रमों तथा आयोग की संस्तुति व प्रावधानों की महती भूमिका ही है कि आज समाज में निःशक्तजन को समान अधिकार, उनके अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जा रही हैं। देश समावेशन की ओर अग्रसर हैं।

6.8 अभ्यास के प्रश्न

1. वातावरण के निर्माण में सुगम्य भारत अभियान की भूमिका व प्रासंगिता पर चर्चा करें।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में निःशक्तजन हेतु प्राधावानों का टिप्पणी सहित मूल्यांकन करें।
3. निःशक्तजन अधिनियम 1995 को परिभाषित करें तथा इससे हित प्रावधानों का उल्लेख करें।

6.9 चर्चा के बिन्दु

1. निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा कीजिए।

6.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. (1944) में Certral Advisory Board of Education (CABE) रिपोर्ट में निःशक्तजनों की शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकृत करने का सुझाव दिया गया। जहां तक संभव हो सके निःशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ अलग न करने पर जो डाला गया। इय रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया कि निःशक्त बच्चों को आवश्यकतानुसार विशेष ध्यान दिये जाने की जस्रत है। मानसिक या शारीरिक

रूप से निःशक्त बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में समान शिक्षा विभाग द्वारा किये जाने पर जोर दिया गया।

2. प्रथम शिक्षा नीति के आठ वर्ष के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित IDEC योजना का प्रमुख उद्देश्य निःशक्त बच्चों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा के अवसर को सुनिश्चित करना था। इस योजना के अन्तर्गत संसाधन शिक्षकों को वेतनमान, निःशक्त बच्चों में वाहन भत्ते Reade Allowance, Escort Allowance, Boarding and Lodging Allowace, सहायक उपकरणों में रियायत, बाधारहित वातावरण के निर्माण, सामान्य विद्यालय में संसाधन कक्ष बनाने इत्यादि पर जोर दिया गया इस योजना के अन्तर्गत एक विशेष पर अध्यापक 8 छात्र की जिम्मेदारी सुनिशिचत करने का सुझाव दिया गया।

3. सुगम्य भारत अभियान – 2015 के प्रमुख उद्देश्य – लोगों के लिए सुलभ भौतिक परिवेशों में सुगम्यता को बढ़ावा देना (सार्वजनिक परिवहन) और सूचना एवं संचार प्रोद्यौगिकी सेवाओं की सुगम्यता और उपयोगिता को बढ़ावा देना (सूचना एवं संचार प्रोद्यौगिकी) है।

4. 21 प्रकार की दिव्यांगता के नाम –

1. अंधापन (Blindness), 2. कम–दृष्टि (Low-vision), 3. कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति (Leprosy Cured Persons), 4. सुनवाई हानि (बहरा और सुनने में कठिन) (Hearing Impairment), 5. लोकोमोटर विकलांगता (Locomotor Disability), 6. बौनापन (Dwarfism), 7. बौद्धिक विकलांगता (Intellectual Disability), 8. मानसिक बीमारी (Mental Iliness), 9. ऑटिज्म स्पेक्ट्रप विकार (Aulism Spectrum Disorder), 10. सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy), 11. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (Muscular Dystrophy), 12. जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियां (Chronic Neurological Conditions), 13. विशिष्ट सीखने की अक्षमता (Specific Learning Disabilities), 14. मल्टीपल स्केलेरोसिस (Multiple Sclerosis), 15. भाषण और भाषा विकलांगता (Speech and Language Disability), 16. थैलेसीमिया (Thalassemia), 17. हीमोफिलिया (Hemophilia), 18. सिकल सेल रोग (Sickle Cell Disease), 19. बहरापन सहित कई विकलांगता (Multiple Disabilities), 20. एसिड अटैक पीड़ित (Acid Attack Victims), 21. पार्किसंस रोग (Parkinson's disease)

6.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. National Education Policuy 2020: All You Need to Know - Time of India - The Time of India.
2. NCERT National Council of Education Research and Training. Retrieved 12 July 2009.
3. Nitin (13 November 2013). What is Rashtriya Uchatar Shilksha Abhiyaan (RUSA). One India Education. Retrieved 2 February 2014.
4. Ministry of Human Resource Development. Reshtriya Madhyamik Shiksha Abhiya. National Informatics Centre. Retrieved 2 February 2014.
5. Mattoo, Amitabh (16 November 2019). Treating education as a pubilc good. The Hindu ISSN 0971-75X. Retrieved 21 November 2019

खंड– 3 : अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन

खण्ड परिचय

इस खण्ड में आप अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन (अर्थ, अन्तर, आवश्यकता एवं चरण) को समझ सकेंगे संवेदी दिव्यांग, तंत्रिका संबंधी विकार, अस्थि तथा बहु–विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट निर्देशन से अवगत हों सकेंगे। साथ ही साथ प्रतिभावान छात्रों हेतु विभिन्न प्रकार के शिक्षण रणनीतियों से अवगत हों सकगे।इस खण्ड में कुल तीन इकाईयां है।

इकाई – 07 में आप प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनुकूलन, समायोजन तथा संशोधन भिन्न–भिन्न होता है। इस इकाई में आप अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन के अर्थ, अंतर, आवश्यकता एंव विभिन्न चरणों से अवगत होगे।

इकाई – 08 में आप संवेदी दिव्यांग, तंत्रिका संबंधी विकार, गामक अक्षमता तथा बहु–विकलांगता वाले दिव्यांगों के निर्देशन हेतु किस प्रकार के अनुकूलन की आवश्यकता है से अवगत होंगे।

इकाई – 09 में आप प्रतिभावान बालकों का अर्थ ,परिभाषा एवं विशेषताओं को जान पायेंगे। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने में सक्षम हो सकेंगे साथ ही साथ प्रतिभावान बालकों की शिक्षा की विभिन्न विधियों से अवगत हो सकेगे

इकाई– 07 : अर्थ, अन्तर, आवश्यकता एवं चरण

इकाई की संरचना

7.1 प्रस्तावना

7.2 इकाई के उद्देश्य

7.3 अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन के अर्थ

7.3.1 अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन में अंतर

7.3.2 अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन के चरण

7.3.3 अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन की आवश्यकता

7.4 समावेशित विद्यालयों में अनुकूलन

7.5 सारांश

7.6 अभ्यास के प्रश्न

7.7 चर्चा के बिन्दु

7.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

7.1 प्रस्तावना

अनुकूलन समायोजन और संशोधन ये तीनों शब्द एक जैसे प्रतीत एवं प्रयोग होते है, लेकिन जब हम इनका प्रयोग समावेशन के सन्दर्भ में करते है तो इनके अर्थ एक दूसरे से काफी भिन्न हो जाते है। समायोजन और संशोधन दो अलग–अलग प्रकार के पाठ्यचर्या अनुकूलन के रूप में कार्य करते है। पाठ्यचर्या अनुकूलन की अवधारणा को समझना अत्यन्त आवश्यक है। पाठ्यचर्या अनुकूलन में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत सीखने की शैली और रूचियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनुकूलन, समायोजन तथा संशोधन भिन्न–भिन्न होता है। इस इकाई में हम अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन के अर्थ, अंतर, आवश्यकता एंव विभिन्न चरणों से अवगत होगे।

7.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप–

1. समावेशन में अनुकूलन की आवश्यकता को समझ सकेंगे ।
2. समावेशी शिक्षा में समायोजन की आवश्यकता से अवगत हो सकेंग।
3. समावेशी शिक्षा में संशोधन की आवश्यकता को समझ सकेंग।
4. अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन के अंतर को समझ कर समावेशित विद्यालयों में प्रयोग कर सकेंगे।

7.3 अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन के अर्थ

अनुकूलन – पाठ्यक्रम अनुकूलन, पाठ्यक्रम का समायोजन और/या संशोधन है जो सभी विद्यार्थियों (सामान्य एवं दिव्यांग) की विभिन्न शैक्षिक आवश्यकताओं की प्राप्ति में सहायक होती है। व्यक्तिगत शिक्षण का मुख्य तत्व पाठ्यक्रम समायोजन एवं संशोधन है। पाठ्यक्रम अनुकूलन में पाठ्यक्रम घटकों की एक श्रृंखला में परिवर्तन किया जाता है जैसे, पाठ्य उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, शिक्षण विधि, तथा विद्यार्थियों के सीखने के परिणाम आदि। पाठ्यक्रम अनुकूलन शैक्षिक वातावरण में अनुमेय परिवर्तन है जो विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल होने, उपलब्धि स्तर तक पहुँचने एवं लाभ प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करता है। कुछ पाठ्यक्रम अनुकूलन

मूलभूत रूप से किसी मानकों या अपेक्षाओं को परिवर्तित या नीचा नहीं करता है जिसे हम समायोजन कहते है। समायोजन विद्यार्थियों को कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। कुछ अनुकूलन मानकों एवं अपेक्षाओं को नीचा/परिवर्तन करते हैं जिसे संशोधन कहते है। यह संशोधन विद्यार्थियों को पाठयक्रम में भाग लेने का अवसर तो प्रदान करता है किन्तु इस क्रम में मूल्यांकन घटकों का चयन करते समय विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस तरह पाठ्यक्रम का अनुकूलन हम या तो पाठ्यक्रम का समायोजन करके और/या फिर पाठ्यक्रम का संशोधन करके कर सकते है। अर्थात पाठ्यक्रम का समायोजन करके या फिर संशोधन करके या दोनों करके हम पाठ्यक्रम का अनुकूलन कर सकते हैं। पाठयक्रम में अनुकूलन तथा संशोधन के क्रम को यदि हम देखे तो जहाँ तक संभव हो सके पाठ्यक्रम का समायोजन करना चाहिए। यदि समायोजन करने पर भी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही हो तभी पाठ्यक्रम का संशोधन करना चाहिए। विशेष बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कई बार समायोजन या संशोधन या फिर दोनों करना आवश्यक हो जाता है।

समायोजन– समायोजन शब्द मुख्य रूप से निर्देशात्मक सामग्रियों के वितरण या फिर शिक्षार्थियों के प्रदर्शन के तरीकों को संदर्भित करता है। इसमें पाठ्य सामग्री या वैचारिक कठिनाईयों को बदला नहीं जाता है। एक सामान्य पाठ्यक्रम के निर्देशात्मक परिणामों को समान रूप से प्राप्त करने के लिए इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों ही निर्देशात्मक रणनीतियों के परिवर्तनों में एक प्रमुख भूमिका निभाते है। इस परिवर्तन में विभिन्न प्रकार के शिक्षण, शिक्षण विधियों और तकनीकों को शामिल किया जा सकता है। इनमें अब दृश्य सामग्री का उपयोग, प्रोजेक्टर का उपयोग, चित्रमय प्रस्तुतीकरण, निर्देश मात्रा में परिवर्तन, सीखने– सीखाने के समय सीमा में बदलाव आदि शामिल है। ये सारे तकनीक शिक्षार्थियों को समावेशी शिक्षा में लाभ पहुँचाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक शिक्षार्थी की व्यक्गित आवश्यकताओं को पूरा करना है।

अतः यह कहा जा सकता है कि वह अनुकूलन जिसमें पाठ्यक्रम के किसी मानक को नहीं बदला जाता है और न ही सीखने के स्तर में बदलाव किया जाता है समायोजन कहलाता है। अर्थात् वह उपाय जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को अन्य विद्यार्थियों के समान ही परीक्षा एवं दत्तकार्य दिया जाता है किन्तु उनके प्रस्तुत करने के तरीके एवं समय में बदलाव किया जाता है। तात्पर्य यह है कि समायोजन में पाठ्यक्रम के उद्देश्य पाठ्य सामग्री, पाठ्य के मुख्य विषय, ऑकलन एवं मूल्यांकन के स्तर में कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं किया जाता है। समायोजन में मुख्य रूप से शिक्षण –प्रशिक्षण विधि, सामग्री, क्रिया– कलाप या फिर प्रस्तुत करने के तरीके एवं कार्य पूरा करने के समय में बदलाव किया जाता है। इसमें मुख्यतः शिक्षण प्रशिक्षण के प्रक्रिया, स्वरूप एवं समय में बदलाव किया जाता है।

संशोधन– पाठ्यक्रम संशोधन से हमारा तात्पर्य पाठ्यक्रम के विभिन्न अवयवों में बदलाव से है। अतः वे अनुकूलन जिसमें पाठ्यक्रम के उद्देश्यों, पाठ्य सामग्री, वैचारिक कठिनाईयों आदि को परिवर्तित किया जाय पाठ्यक्रम संशोधन कहलाता है। पाठ्यक्रम संशोधन विद्यार्थियों को शिक्षण– प्रशिक्षण प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर तो प्रदान करता हैं परन्तु इसके साथ ही शिक्षकों द्वारा आकलन एवं मूल्यांकन हेतु ऑकलन तत्वों का सावधानी पूर्वक चयन करना अनिवार्य हो जाता है जिससे कि विद्यार्थियों द्वारा अधिगम सामग्री का सही प्रदर्शन किया जा सकें तथा उनका सही आकलन भी किया जा सकें। पाठ्यक्रम संशोधन में मुख्य रूप से पाठ्यक्रम के उद्देश्यों, पाठ्य सामग्री, परीक्षा एवं अन्य परियोजना कार्य में कमी की जाती है, जिससे कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे शिक्षण– प्रशिक्षण या फिर सामान्य पाठ्यक्रम में शामिल हो सके।

7.3.1.– अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन में अन्तर– पाठ्यक्रम समायोजन एवं संशोधन को नीचे दिए गए अन्तर से सही प्रकार समझ सकते है।

पाठ्यक्रम अवयव	अनुकूलन	समायोजन	संशोधन
उद्देश्य	पाठ्यक्रम अनुकूलन में पाठ्यक्रम घटकों की एक श्रृंखला में परिवर्तन किया	पाठ्यक्रम के उद्देश्य सभी के लिए बराबर होते	आवश्यकतानुसार उद्देश्यों को कम किया जाता है।

	जाता है।	है।	
सामग्री	पाठ्यसामग्री, शिक्षण विधि तथा विद्यार्थियों के सीखने के परिणाम।	पाठ्यसामग्री सभी के लिए बराबर होती है।	विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार पाठ्यसामग्री कों कम किया जाता है।
मुख्य अवधारणा	पाठ्यक्रम अनुकूलन शैक्षिक वातावरण में ऐसा परिवर्तन है जो विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होने, उपलब्धि स्तर तक पहुँचने एवं लाभ प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करता है।	समान होती है।	बदली जाती है।
मुख्य बिन्दु	समान होता है।	समान होता है।	बदली जाती है।
शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री एवं समय	बदली जाती है।	बदली जाती है।	बदल भी सकते है/या नहीं भी।
मूल्यांकन तत्व	समान होता है।	समान होता है।	बदला जाता है।
मूल्यांकन प्रस्तुति या तरीका	बदला जाता है।	बदला जाता है।	बदल भी सकते या नहीं भी।
मूल्यांकन समय	कम या अधिक हो सकता है।	कम या अधिक हो सकता है।	कम या अधिक हो सकता है।

7.3.2 अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन के चरण– पाठ्यक्रम के अनुकूलन की आवश्यकता जहाँ कहीं भी होता है वह विषय विशेषज्ञ, कक्षा शिक्षण एवं संसाधन शिक्षक के समूह द्वारा सहयोगात्मक तरीके से किया जाता है। पाठ्यक्रम अनुकूलन करते समय निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है।

- सामान्य कक्षा की गतिविधियों के दौरान बच्चे के व्यक्तिगत शैक्षिक उद्देश्यों पर जोर देना।
- छात्र के प्रदर्शन की अपेक्षाओं को स्पष्ट करें।
- उस शिक्षण सामग्री को निर्धारित करें जिसे सीखाने की आवश्यकता है।
- निर्धारित करें कि कैसें पढ़ाया जाय।

अर्थात यदि संशोधन के बिना विशेष छात्र सक्रिय रूप से भाग ले सकता है और सामान्य सहपाठियों के समान आवश्यक परिणाम प्राप्त कर सकता है तो अनुकूलन की आवश्यकता नहीं है। यदि विशेष छात्र समान परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता है, तो निम्नलिखित अनुसार उपयुक्त अनुकूलन करने की आवश्यकता है।

- इस तरह के निर्देश की संरचना का चयन करें जिससे की दिव्यांग बच्चे के कक्षा की गतिविधियों में भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो सके।
- पाठ के प्रारूप को बदलकर अर्थात गतिविधि पाठ बनाकर बच्चों की भागीदारी बढ़ा सकते है।

- कक्षा में शिक्षार्थियों के अनुरूप आवश्यक विशिष्ट शिक्षण रणनीतियों का चयन किया जाना चाहिए।
- संशोधित शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करें।
- कक्षा में उपलब्ध संसाधन का पता करना।
- कक्षा के भौतिक एवं सामाजिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करना।

यदि उपर्युक्त रणनीतियाँ प्रभावी नहीं होता है तो वैकल्पिक क्रिया कलाप तैयार करना चाहिए एवं उसी आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए।

अनुकूलन को व्यक्तिगत शिक्षा योजना के साथ सहसंबंध करना महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम का अनुकूलन सिर्फ अनुकूलन करने के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों के पहचाने गए जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। समावेशी कक्षा में अनुकूलन आंशिक भागीदारी के सिद्धान्त पर किया जाता है, यानी एक ही गतिविधि के भीतर अलग–अलग उद्देश्यों के साथ छात्र अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ काम करता है।

7.3.3 अनुकूलन, समायोजन एवं संशोधन की आवश्यकता– दिव्यांगता व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू0एन0सी0आर0पी0डी0), 2006 एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के परिणाम स्वरूप परम्परागत कक्षाओं की संरचना बदल रही है, कक्षाओं के अलग–अलग स्तर वाले विद्यार्थियों को न तो एक तरीके से पढ़ाया जा सकता है और न ही पढ़ाना चाहिए। अनुकूलन के बिना कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को उनके क्षमतानुसार प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिल पाता है साथ ही कुछ बच्चे सफलता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। पाठ्यक्रम अनुकूलन में प्रभावी शिक्षण भी शामिल है जो दिव्यांग बच्चों के साथ–साथ कक्षा के अन्य बच्चों के भी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। अक्सर यह भी देखा गया है कि प्रभावी अनुकूलन कक्षा में बच्चों के शैक्षिक एवं सामाजिक दोनों भागीदारी को सुगम बनाता है। अनुकूलन माता–पिता एवं शिक्षकों के साझा सहभागिता को भी बढ़ाता है, जिससे कि दोनों मिलकर एक साथ काम कर सकें, कार्यान्वयन कर सकें तथा मिलकर मूल्यांकन कर सके। पाठ्यक्रम अनुकूलन मुख्य धारा के कक्षा के विभिन्न कठिनाईयों वाले बच्चे को शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है। पाठ्यक्रम का अनुकूलन पाठ्यक्रम को सरल बनाने के साथ–साथ पाठ्य सामग्री को कम करने के लिए किया जाता है जिससे कि कठिनाईयों वाले शिक्षार्थी पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण घटकों का आत्म–सात कर सकें। पाठ्यक्रम अनुकूलन सभी विद्यार्थियों को सार्थक एवं गुणपरक सीखने का अनुभव प्रदान करने में मदद करता है। ऐसी स्थिति में जब विभिन्न कठिनाईयों का अनुभव करने वाले शिक्षार्थी भी पाठ्यक्रम के विषय वस्तु को समझने लगते है तो वे अपने आप को अपवर्जित नहीं समझते है। इस तरह हम देखते है कि पाठ्यक्रम अनुकूलन से सभी बच्चों को लाभ पहुँचने के साथ ही साथ माता–पिता एवं शिक्षकों के भागीदारी को भी बढ़ाता है। यह विद्यार्थियों के शैक्षिक सहभागिता के साथ–साथ उनके सामाजिक सहभागिता को भी बढ़ाता है।

7.4 समावेशित विद्यालयों में अनुकूलन

समावेशित विद्यालयों में शिक्षण प्रदान कर रहे शिक्षकों को अन्य विद्यार्थियों के साथ–साथ विशेष विद्यार्थियों हेतु निर्देशात्मक समायोजन बनाने और कक्षा में अनुकूलन करने में समस्या उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम एंव कक्षा व्यवस्था को किस प्रकार अनुकूलित किया जाय यह एक विशेष समस्या उत्पन्न होती है। अधिकांश पूर्व–सेवा शिक्षकों को समावेशित शिक्षा व्यवस्था के लिए पाठ्योजना बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, परन्तु इन शिक्षकों के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जरूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्योंजनाओं को कैसे समायोजित किया जाय जिससे सभी विद्यार्थी लाभवन्वित हो सके। शिक्षकों को अनुकूलन से अवगत होना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे वे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के व्यक्तिगत आवश्यकता, रूचियों, क्षमताओं के आधार पर पाठ्योजनाओं में अनुकूलन कर उनके पाठ्यक्रम को उनके अनुरूप तैयार कर सकते है।

असाधारण बच्चों के लिए परिषद् 2011 के अनुसार ''ऐसे कई तरीके है जिन पर शिक्षक विभिन्न शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्देशात्मक समायोजन और अनुकूलन बनाते समय विचार कर सकते हैं'' –

- **मौजूदा सामग्री को बदलना (Altering existing materials)-** शिक्षक विद्यार्थियों के आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम में नये तथ्यों को पुर्नगठित कर सकता है, और जोड़ सकता हैं। शिक्षण सहायक सामग्रियों हेतु श्रवण दृश्य सामग्रियों का प्रयोग कर सकता है जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी आवश्यकता के अनुरूप उनका प्रयोग कर सकते है। जैसेः– अध्ययन गाईड़, आडियों टेप, दृश्य सामग्री इत्यादि।

- **मौजूदा सामग्री की मध्यस्थता (Mediating existing materials) -** शिक्षक सामग्री के उपयोग में विद्यार्थियों को अतिरिक्त निर्देशात्मक सहायता, मार्गदर्शन और दिशा प्रदान कर सकते है। शिक्षक को अपने अनुदेशन प्रक्रिया में इस प्रकार से बदलाव करना चाहिए कि विभिन्न अवरोधों को कम कर सकें, उदा0 के लिए विद्यार्थियों से पठन सामग्री का सर्वेक्षण, सहयोगात्मक रूप से पाठ का पूर्वविलोकन और सामग्री की रूपरेखा तैयार करना, सहयोगी सामर्थ्य का विमान करना इत्यादि शामिल है।

वैकल्पिक सामग्री का चयन (Selection alternate materials) - शिक्षक नई सामग्री का चयन कर सकते है जिसे दिव्यांग विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुरूप डिजाइन किया जा सकता है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सकता है। उदा0 इंटरैक्टिव कंम्प्यूटर प्रोग्राम, ग्राफिकल संरचना, शब्दों को परिभाषित करना, कठिन शब्दों का सरलीकरण, दृश्य– श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना अभ्यास और संचयी समीक्षा के लिए अधिक अवसर प्रदान करना।

विकासात्मक अक्षमताओं पर नई जर्सी परिषद (1962) ने नौ विभिन्न प्रकार के अनुकूलन को सूचीबद्ध किया है जिनका उपयोग शिक्षक विभिन्न शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करते समय कर सकते है जो इस प्रकार हैः–

1. **उत्पादन सामग्री (Input)** – शिक्षार्थी को निर्देश देने के तरीके को अपनाना (जैसे कि विभिन्न दृश्य सामग्री का उपयोग करना)
2. **उत्पादन (Output)** – विद्यार्थी निर्देशन का जबाव कैसे दे सकता है (जैसे लिखित प्रतिक्रिया के बजाय मौखिक अनुमति देना) को अपनाना
3. **समय (Time)** – सीखने,, कार्य पूरा करने या परीक्षण के लिए आवंटित समय को अपनाना (जैसे– कार्य के लिए दिया गया समय बढ़ाना या घटाना)
4. **कठिनाई (Difficulty)** – कौशल स्तर की समस्या के प्रकार या नियमों को अपनाना कि विद्यार्थी कैसे काम कर सकता है। (जैसे– निर्देशों को सरल बनाना)
5. **समर्थन का स्तर (Level of Support)** – एक विशिष्ट विद्यार्थी के लिए व्यक्तिगत सहायता की मात्रा मे वृद्धि (जैसे पीयर ट्यूटर को असाइन करना)
6. **आकार (Size)** – विद्यार्थी द्वारा पूरी की जाने वाली वस्तुओं की संख्या को अपनाना (जैसे कि बहुविकल्पीय परीक्षण पर उत्तरों की संख्या को कम करना)
7. **भागीदारी की डिग्री (Degree of Participation)**– किसी गतिविधि में विद्यार्थियों की कितनी भागीदारी होगी (जैसेः विद्यार्थी से बोर्ड पर उत्तर लिखना)
8. **वैकल्पिक लक्ष्य (Alternate Goals)**– समान सामग्री का उपोग करते समय लक्ष्यों या परिणामों की अपेक्षाओं को अपनाना (जैसे कि विद्यार्थियों को पुस्तक और लेखक के नाम दोनों को याद करने के बजाय पुस्तक के शीर्षकों को याद करने में सक्षम होने के लिए कहना)
9. **स्थानापन्न पाठ्यक्रम (Substitute Curriculum)**– एक विद्यार्थी के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न निर्देश और सामग्री प्रदान करना (जैसे कि एक विद्यार्थी को संपूर्ण उपन्यास के बजाय एक पाठ के ग्राफिक उपन्यास संस्करण को पढ़ने के लिए कहना)

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. पाठ्यक्रम अनुकूलन केवल समायोजन और संशोधन के द्वारा नहीं किया जाता है। सही/गलत।

.....

.....

2. पाठ्यक्रम समायोजन में पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को कम कर दिया जाता है। सही/गलत।

.....

.....

3. पाठ्यक्रम संशोधन में पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को कम कर दिया जाता है। सही/गलत।

.....

.....

7.5 सारांश

वर्तमान में हमारे देश के विभिन्न शिक्षा नीति समावेशी शिक्षा के बढ़ावे पर बल देता है। अतः ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम अनुकूलन आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा को सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली विकसित करने के साधन के रूप में प्रस्तावित किया। अतः ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम का अनुकूलन आवश्यक हो जाता है। पाठ्यक्रम अनुकूलन से हमारा तात्पर्य पाठ्यक्रम के सभी घटकों में किए जाने वाले समायोजन तथा संशोधन से है, जो सभी बच्चों को सीखने का समान अवसर प्रदान करता है। पाठ्यक्रम अनुकूलन मुख्यतः समायोजन एवं संशोधन के द्वारा किया जाता है। पाठ्यक्रम का अनुकूलन नौ प्रकार से किया जाता है जिनमें से प्रतिस्थापन प्रकार का प्रयोग मुख्य रूप से विशेष विद्यालयों में किया जाता है। अलग–अलग श्रेणियों के दिव्यांगता बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का अनुकूलन भी अलग–अलग होता है। अनुकूलन के कुछ पहलू ऐसे भी होते है जो सभी के लिए समान होता है। पाठ्यक्रम अनुकूलन से सभी अन्य दिव्यांगता बच्चों के साथ–साथ सामान्य बच्चे भी अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकते है।

शब्दावली

पाठ्यक्रम अनुकूलन – अनुकूलन समायोजयन और/या संशोधन है जो सभी बच्चों को पाठ्यक्रम तक पहुँचने का अवसर प्रदान करता है।

पाठ्यक्रम समायोजन – समायोजन मुख्य रूप से निर्देशात्मक सामग्रियों के वितरण या फिर शिक्षार्थियों के प्रदर्शन के तरीकों को संदर्भित करता है। इसमें पाठ्य सामग्री या बौद्धिक कठिनाईयों को नहीं बदला जाता है।

पाठ्यक्रम संशोधन – पाठ्यक्रम संशोधन में पाठ्यक्रम के उद्देश्यों, पाठय सामग्री, वैचारिक कठिनाइयों आदि को बदला जाता है।

7.6 अभ्यास के प्रश्न

1. अनुकूलन किसे कहते हैं?
2. समायोजन एवं संशोधन में क्या अन्तर है?

7.7 चर्चा के बिन्दु

1. समावेशित विद्यालयों में अनुकूलन की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

7.8 बोध प्रश्न के उत्तर

1. गलत, 2. गलत, 3. सही।

7.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. गुहा.ए. (2016) पाठ्यक्रम अनुकूलन और अनुकूलन के प्रकार, व्याख्यान नोट्स/पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन, इन्टरनेशनल वर्कशॉप ऑन इन्क्लूसिव एजुकेशन शॉर्ट ट्रेनिंग इनिशिएटिव, दिसम्बर 2016, राँची झारखण्ड।

2. बीच, एम. (2020) समायोजन : दिव्यांगता विद्यार्थियों के सहायता (तीसरा संस्करण) टलाहासी, एम एल : असाधारण शिक्षा और छात्र सेवा ब्यूरो, फ्लोरिडा शिक्षा विभाग।

3. डी. वरोई. ए (2016, समावेशी शिक्षा, व्याखान नोट्स/पावर प्वाइंट प्रस्तुति, समावेशी शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, लघु प्रशिक्षण पहल, दिसम्बर 2016, रांची झारखंड।

4. राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांगता संस्थान (2003), बहरे एवं अन्धेपन बच्चों की शिक्षा।

5. कोगा.एन. एक एवं हॉल.टी. (2004) पाठ्यक्रम संशोधन वेकफील्ड, एम एः नेशनल सेन्टर ऑन एक्सेसिंग द जनरल करिकुलम।

6. मैक. मैकिन, एम0सी0 एवं ऐलेन. एम. बी. (1997) फोकस में बदलाव : एक समावेशी प्राथमिक स्कूल कक्षा के भीतर विविध शिक्षर्थियों को पढ़ाना। शिक्षा में समानता एवं उत्कृष्टता।

7. बॉस0सी0एस0 एवं वैगु0 एस0 (1994) स्ट्राटजी फॉर टिचिंग स्टुडेन्ट्स विद लर्निंग एण्ड विहेवियर प्रोबलैम्स, एलिन एवं ब्रेकन, बोस्टन।

इकाई– 08 : संवेदी दिव्यांग, तंत्रिका संबंधी विकार, अस्थि तथा बहु–विकलांगता

इकाई की संरचना

8.1 प्रस्तावना

8.2 इकाई के उद्देश्य

8.3 संवेदी दिव्यांग बच्चों के लिए विशिष्ट निर्देशन

8.3.1 दृष्टि बाधिता

8.3.2 समावेशी शिक्षा में दृष्टि बाधित बच्चे

8.3.3 श्रवण बाधिता

8.3.4 समावेशी शिक्षा में श्रवण बाधित विद्यार्थी

8.4 तंत्रिका संबंधी विकार वाले दिव्यांग बच्चों के लिए विशिष्ट निर्देशन

8.4.1 स्वलीनता या अन्य तंत्रिका संबंधी विकार वाले दिव्यांग बच्चों के लिए विशिष्ट निर्देशन

8.4.2 तंत्रिका संबंधी विकार वाले बच्चों के लिए समावेशन

8.5 अस्थि या गत्यात्मक विकलांगता तथा बहु–विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट निर्देशन

8.5.1 अस्थि या गत्यात्मक विकलांगता

8.5.2 बहुविकलांगता

8.6 सारांश

8.7 अभ्यास के प्रश्न

8.8 चर्चा के बिन्दु

8.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

8.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

8.1 प्रस्तावना

व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। समाज में व्यक्ति द्वारा एक दूसरे से संप्रेषण स्थापित किया जाता है। संप्रेषण स्थापित करने के लिए व्यक्तियों द्वारा अपनी विभिन्न इंद्रियो का उपयोग किया जाता है। इन इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति वातावरण से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करता है एंव इन प्राप्त सूचनाओं का उपयोग वह अपनी दैनिक क्रियाकलापों एंव महत्वपूर्ण कार्यो के संपादन हेतु करता है। जो कि व्यक्ति के सामान्य जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। किसी एक भी इंद्रिय की अनुपस्थिति या उसकी क्षमता में सामान्य से विचलन होने से व्यक्ति को अपने सामान्य जीवन यापन में बहुत सारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है। उसी प्रकार संवेदी दिव्यांग, तंत्रिका संबंधी विकार, गामक अक्षमता तथा बहु–विकलांगता वाले दिव्यांगो को भी बहुत सारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस इकाई में हम संवेदी दिव्यांग, तंत्रिका संबंधी विकार, गामक अक्षमता तथा बहु–विकलांगता वाले दिव्यांगों के निर्देशन हेतु किस प्रकार के अनुकूलन की आवश्यकता है (के समावेशन) से अवगत होंगे।

8.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. संवेदी दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशन की आवश्यकता को समझ सकेंगे।

2. तंत्रिका संबंधी विकार वाले दिव्यांग बच्चों के लिए विशिष्ट निर्देशन से अवगत हों सकेंगे।

3. अस्थि या गत्यात्सक विकलांगता वाले बच्चों के लिए समावेशन की आवश्यकता से अवगत हो सकेंगे।

4. बहुविकलांगता से अवगत हो सकेंगे।

8.3 संवेदी दिव्यांग बच्चों के लिए विशिष्ट निर्देशन

संवेदी अक्षमता के अर्न्तगत दृष्टिहीनता, श्रवण बाधिता इत्यादि प्रकार की दिव्यांगता आता है जो कि संवेदी अंगो के प्रभावित होने के कारण होता है। ये संवेदी अंग हमारे ग्राही हैं, जो हमारे आस–पास की दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दृश्य हानि के अवधारणा के अर्न्तगत अन्धेपन और अल्प दृष्टि की अन्य स्थितियों को सन्दर्भित करती है। श्रवण बाधिता के अर्न्तगत पूर्ण बाधिता एवं अल्प बाधिता की अवधारणा के स्थितियों को संदर्भित करता है।

8.3.1– दृष्टि बाधिताः– मनुष्य अपने आस–पास के परिवेश के बारे में अपने संवेदी अंगों के माध्यम से जानते हैं। सभी संवेदी अंग मिलकर किसी वस्तु की एक सम्पूर्ण प्रतिमा तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए एक आइसक्रीम का पूरा प्रत्यय तब तैयार होगा। जब आँखों से उसका रंग, जीभ से उसका स्वाद, उसकी गंध तथा स्पर्श से उसकी कठोरता या कोमलता का अहसास कर लिया जाये। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी प्रत्यय के पूरे निर्माण के लिये सभी संवेदी अंगों का सही प्रकार क्रियाशील होना आवश्यक है।

इन सभी संवेदी अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग आँख है। सबसे अधिक अनुभव बच्चों को उनकी आँखों से प्राप्त करता है। यहाँ पर दूर स्थित उद्दीपक की भी प्रतिमा बन जाती है। अगर किसी बच्चे में दृष्टि दोष है, तो उसे किसी वस्तु का सही प्रत्यय नहीं मिल सकता और उसका सीखना सदैव दोषपूर्ण अथवा आंशिक होगा।

दृष्टि अक्षमता दो प्रकार की होती हैः–

a) अंधा (Blind)

b) कम दृष्टि (Low Vision)

अंधा (Blind):- अंधता उस अवस्था को निर्दिष्ट करती है जहाँ कोई व्यक्ति निम्नलिखित अवस्था में से किसी एक से ग्रसित हैः–

i. दृष्टि का पूर्ण अभाव, या
ii. सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता जो 6/60 या 20/200 (स्नेलन) से अधिक न हो, या
iii. दृष्टिक्षेत्र की सीमा जो 20 डिग्री कोण वाली या उससे बदतर है।

कम दृष्टि (Low Vision)- अल्प दृष्टिवाला व्यक्ति से आशय ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी उपचार या मानक अपवर्तनीय संशोधन के पश्चात् भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया है किन्तु जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ है। इस दृष्टि निःशक्तता के अंतर्गत व्यक्ति की केन्द्रीय तीव्रता सही चश्में की सहायता से 20/70 से अधिक नही हो पाती है। पीड़ित व्यक्ति पढ़ते समय जल्दी–जल्दी, बार–बार पलकें झपकाता है। आँखों की पुतलियों को लगातार अलग–अलग दिशाओं में घुमाता है। पुस्तक को आँख से अधिक निकट लाकर पढ़ता है। कार्निया ओपेंसिटी, कार्निया दुर्घटना, मानसिक आघात आदि कारणों से ऐसा होता है।

दृष्टि अक्षमता युक्त बालकों को दो प्रमुख आधार पर वर्गीकृत एवं परिभाषित किया जा सकता है।

1. विधिक आधार पर वर्गीकरण
2. शैक्षिक आधार पर वर्गीकरण

1. विधिक आधार पर वर्गीकरण

(a) दृष्टि तीव्रताः दृष्टि तीव्रता से तात्पर्य है आँख की देखने की क्षमता। इसकी माप स्नेलेन चार्ट (Snellen

Chart) के माध्यम से की जाती है। इसे भिन्न (Fraction) के रूप में व्यक्त करते हैं। एक 20/80 दृष्टि तीव्रता से तात्पर्य है कि एक सामान्य आँख जिस वस्तु के 80 फीट की दूरी से देख सकती है, एक प्रभावित या दृष्टि दुर्बल आँख उस वस्तु को 20 फीट की दूरी से देख सकती है। अर्थात् कोई वस्तु यदि 80 फीट की दूरी पर रखी है तो 20/80 दृष्टि तीव्रता वाले व्यक्ति को ठीक प्रकार से देखने के लिये उस वस्तु को 20 फीट की दूरी पर लाना होगा।

(b) दृष्टि–क्षेत्रः दृष्टि–क्षेत्र नेत्र का वह भाग है, जहाँ से देखा जा सकता है। दृष्टि क्षेत्र दो प्रकार से प्रभावित हो सकता हैः–

(1) आँख के केन्द्र में दृष्टि हो किन्तु बाहरी गोलाई की दृश्यता किसी विशेष कोण तक ही सीमित हो।

(2) आँख के केन्द्र में एक धब्बा हो, जिसमें दृष्टि न हो।

2. शैक्षिक आधार पर वर्गीकरण

शैक्षिक आधार पर भी इन बालकों को निम्नलिखित दो वर्गों में रखा गया हैः–

(a) नेत्रहीन

(b) आंशिक दृष्टिहीन

(a) **नेत्रहीन**– नेत्रहीन बच्चों में दृष्टिदोष इतना होता है कि इन्हें दृश्य विधियों द्वारा शिक्षित नहीं किया जा सकता।

"In blinds, vision is so defective that they cannot be educated through visual methods."

अर्थात नेत्रहीन बालकों में दृष्टिदोष इतना अधिक होता है कि इन्हें ब्रेल लिपि द्वारा ही पढ़ाया जा सकता है तथा कोई सहायक दृश्य सामग्री इनके लिये व्यर्थ होती है। इनको शिक्षा देने के लिए हमें श्रवण तथा स्पर्श पर निर्भर रहना पड़ता है।

(b) **आंशिक दृष्टिहीन**– आंशिक दृष्टिहीन बालक वे हैं, जिनकी दृष्टि सुधार के पश्चात् भी दोषपूर्ण होती हैं। इन्हें दृश्य सामग्रियों तथा अनुदेशन की विशेष विधियों की आवश्यकता होती है।''

"Partially sighted children are those who have defective vision even after correction. They require adoption of the visual material and special methods of instructions."

अर्थात् आंशिक दृष्टिहीन बालक वे हैं, जिनमें उनके दोष के सुधार के बावजूद वे सामान्य कक्षा में पूरी तरह लाभान्वित नहीं होते तथा वह सामग्री जो दृश्य रूप में है, इनके लिये लाभदायक नहीं होती, इन्हें इन सामग्री में वांछित परिवर्तनों की आवश्यकता होती है जैसे सामान्य पुस्तक के स्थान पर मोटे अक्षरों में छपी पुस्तक। इन बच्चों को विशेष शिक्षण विधियों की भी आवश्यकता होती है।

8.3.2 समावेशी शिक्षा में दृष्टि दिव्यांग हेतु विशिष्ट निर्देशन– दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की अद्वितीय शैक्षिक आवश्यकता होती है, जिसे शिक्षको अभिभावकों और विद्यार्थी की एक टीम दृष्टिकोण का उपयोग करके सबसे प्रभावी ढ़ग से पूरी की जाती है। अपनी अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए, विद्यार्थियों के पास उपयुक्त मीडिया (ब्रेल सहित) में विशेष सेवाऍं, किताबें और सामग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ विशेष उपकरण और प्रोद्योयोगिकी मूल और विशिष्ट पाठ्यक्रम तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए और उन्हें अपने सथियों के साथ विद्यालय और अतंतः समाज में सबसे प्रभावी ढ़ंग से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिए कार्यक्रम के विकल्पों और सहायक सेवाओं की एक पूरी श्रृखला होनी चाहिए ताकि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम (IEP) के माध्यम से उन्हे शिक्षित एवं प्रशिक्षत किया जा सके। टीम दृष्टिबाधित प्रत्येक व्यक्तिगत विद्यार्थी के लिए कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में सबसे उपर्युक्त प्लेसमेंट का चयन करने हेतु वातावरण का निर्माण करे जिससे विद्यार्थी अपनी रूचि, क्षमता एवं योग्यता के अनुरूप विषयों एवं व्यवसायों का चयन कर सकें।

विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाना चाहिए जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए वित्तीय शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक पाठ्यक्रम की जरूरतों को पूरा करते है। इन विद्यार्थियों के साथ–साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए विशेष कार्मिक विकास के अवसर भी हेाने चाहिए विशेष तौर पर अभिभावको का प्रशिक्षण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

सभी दिव्यांग व्यक्तियों को समान पहुँच प्रदान करना 1975 के पुनर्वास अधिनियम और 1992 के अमेरिकी विकलांग अधिनियम का प्रमुख तत्व है। पहुँच में रैंप प्रदान करने से कहीं अधिक शमिल है। पहुँच भी समावेश का प्रमुख तत्व है । इसमें प्लेसमेंट से कहीं अधिक शामिल है एक विशेष सेटिंग । पहुँच और समावेशन का संबंध उन व्यक्तियों के लिए स्पष्ट नहीं हो सकता है जो एक दृष्टि हानि के शैक्षिक और सामाजिक प्रमाण से परिचित नहीं है। एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी, जिसके पास दृश्यहानि के कारण सामाजिक और भौतिक जानकारी तक पहुँच नहीं है, उन्हे भौतिक वातावरण का निर्माण किये बिना उनका समावेशन किया जाना उपर्युक्त नही होगा। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को तब तक शामिल नहीं किया जाएगा जब तक कि उनकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को उपर्युक्त वातावरण में विशेष रूप से प्रशिक्षित टीम का विनिर्माण कर लिया जाय। और जब तक कि इन विद्यार्थियों को उपर्युक्त विशिष्ट पुस्तकों, सामाग्रियों और उपकरणों के माध्यम से मूल और विशेष पाठ्यक्रम तक समान पहुँच प्रदान नहीं की जाती है।

8.3.3– श्रवण बाधिता– यदि किसी व्यक्ति के कान में संरचनात्मक अथवा क्रियात्मक रूप से कोई ऐसी कमी आये जिसके प्रभाव से व्यक्ति की श्रवण क्षमता सामान्य से कम हो जाये अथवा उस सीमा तक समाप्त हो जाये जिससे व्यक्ति को सामान्य बातचीत सुनने एवं समझने में बाधा महसूस हो। ऐसी स्थिति को श्रवण दोष कहते हैं।

श्रवण दोष की परिभाषा– यदि किसी व्यक्ति के कान में संरचनात्मक अथवा क्रियात्मक रूप से कोई ऐसी कमी आये जिसके प्रभाव से व्यक्ति की श्रवण क्षमता सामान्य से कम हो जाये अथवा उस सीमा तक समाप्त हो जाये जिससे व्यक्ति को सामान्य बातचीत सुनने एवं समझने में बाधा महसूस हो। ऐसी स्थिति को श्रवण यंत्र के प्रयोग से भी सामान्य अवस्था में न लाया जा सके। ऐसी स्थिति को श्रवण दोष तथा ऐसे व्यक्ति को हम श्रवण बाधित कह सकते हैं। यह दो प्रकार की होती है, ऊँचा सुनने वाले लोग तथा बधिर व्यक्ति। यह दो प्रकार का होता हैः–

1–बधिर (Deaf)

2–ऊँचा सुनने वाला (Hard of Hearing)

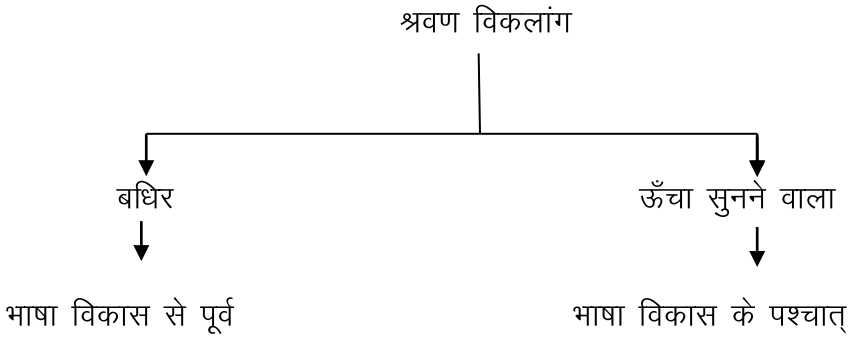

1. **बधिरः**– इस प्रकार के बधिर बच्चों या व्यक्तियों में श्रवण ह्रास इतना अधिक होता है कि वे श्रवण सहायक यंत्र की सहायता से भी सुन नहीं पाते या बहुत कम सुनते हैं। लेकिन वह समझने योग्य ध्वनि नहीं होती केवल सनसनाहट ही सुनाई देती है।

2. **ऊँचा सुनने वाला (Hard of Hearing) -** इस प्रकार के श्रवण अक्षमता में श्रवण शक्ति का पूर्णतया ह्रास नहीं होता तथा ऐसे व्यक्ति या बच्चे श्रवण यंत्र का प्रयोग कर कुछ हद तक सुन सकते हैं। इसमें Degree of Hearing loss महत्वपूर्ण है।

श्रवण विकलांगता की परिभाषा

''श्रवण बाधित संरचनात्मक या कार्यात्मक क्षमता की कमी या खराबी है जिसके कारण सामान्य सुनने वाले

व्यक्ति की तुलना में यहाँ कमी दिखती है।''

Deves and Silvermen के अनुसार (1978)

''श्रवण दोष का अर्थ है सुनने में क्षति यदि किसी बच्चे में उपस्थिति स्थायी या अस्थायी श्रवण क्षति जो कि उसकी शैक्षिक उपलब्धि पर विपरीत प्रभाव डालती है। लेकिन उसको बधिरता के परिभाषा में इंगित नहीं किया जाता है।''

Algozzine के अनुसार (1998)

''बातचीत वाली आवृत्तियों में आवाजों के रेंज में अच्छे कान 60DB या उससे ज्यादा का श्रवण दोष होने पर श्रवण विकलांगता होती है।''

RPWD Act 2016

''जब क्षति 50DB तक होगी तब ऐसे व्यक्ति को सामान्य शिक्षा देनी चाहिये तथा यदि क्षति 70DB तक है, तब उन्हें विशेष शिक्षा या व्यावसायिक कार्य प्रदान करने चाहिए।''

R.C.I., 1992

श्रवण अक्षमता के प्रकार

श्रवण अक्षमता निम्न प्रकार का होता है–

1. **अंग सम्बन्धी श्रवण दोष**– अंग सम्बन्धी श्रवण दोष वह होता है जो कान के किसी भी भाग बाहरी कान, मध्य कान, आन्तरिक कान, आन्तरिक श्रवण यंत्र में होने से होता है। इस प्रकार का श्रवण ह्रास श्रवण प्रणाली में कोई दोष होने पर होता है। जिससे सुनाई देने में बाधा उत्पन्न होती है। इस तरह के श्रवण ह्रास के अर्न्तगत श्रवण तंत्र में एक निश्चित खराबी होती है, यह बाह्य, मध्य तथा आन्तरिक कान तथा श्रवण नसों (Nerve) में हो सकती है जिसके फलस्वरूप श्रवण बाधिता होती है।
2. **अजैविकीय सम्बन्धी श्रवण दोष**– ऐसा श्रवण ह्रास जो कि श्रवण तंत्र में बिना किसी शारीरिक अक्षमता की वजह से होता है, अजैविकीय सम्बन्धी श्रवण दोष कहलाता है। इस प्रकार का श्रवण ह्रास मनोवैज्ञानिक या कार्यात्मक श्रवण ह्रास कहलाता है। यह वह श्रवण दोष होता है जो न तो शारीरिक दोष होता है और न ही संचार प्रणाली में होता है। इस दोष का कारण मनोवैज्ञानिक संरचनात्मक होता है। अन्तर्गत मनोवैज्ञानिक और कार्यात्मक श्रवण ह्रास सम्मिलित होते हैं।
3. **वंशानुगत श्रवण दोष**– वंशानुगत श्रवण दोष वह होता है जिसे बच्चा अपने वंश के आधार पर अपने माँ–बाप से प्राप्त करता है। श्रवण सम्बन्धी दोषों का एक प्रमुख कारण आनुवंशिकता है जिन बालकों के माता–पिता बहरे होते हैं उन्हें श्रवण दोष होता है। यदि व्यक्ति एक ही खून अथवा अपने सगे सम्बन्धी आपस में विवाह करते हें तो एक का खून सकारात्मक तथा दूसरे का खून नकारात्मक एक ही समूह का खून है तो वह बच्चा श्रवण दोष से पीड़ित होगा। प्रायः जननिक कारण को महत्व तब नहीं देते जब माता–पिता दोनों में से किसी एक को श्रवण दोष नहीं है फिर भी बच्चा श्रवण दोष से पीड़ित होता है।
4. **जन्मजात श्रवण दोष**– जन्मजात श्रवण दोष का कारण जननिक है यह दोष जन्मजात होता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी श्रवण तंत्रिका में कुछ कमी आने पर यह दोष उत्पन्न होता है। जन्मजात श्रवण दोष का अर्थ होता है वह श्रवण दोष जो जन्म से पूर्व या जन्म के समय किसी कारणवश होता है। यह जन्मजात श्रवण दोष कहलाता है। जन्मजात श्रवण दोष की दशा में बच्चे का संरचनात्मक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है।
5. **अर्जित श्रवण दोष**– जन्म के उपरान्त किसी भी अवस्था में किन्हीं कारणों से जब श्रवण दोष उत्पन्न होता है तो उसे हम अर्जित श्रवण दोष कहते हैं। इस प्रकार का श्रवण दोष किसी आयु में उत्पन्न होता है यह जानना अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसका प्रभाव बच्चे के विकास एवं सीखने पर पड़ता है। अर्जित श्रवण दोष यदि भाषा विकास के पूर्व उत्पन्न होता है तो उसका गम्भीर प्रभाव बच्चे के भाषा विकास में होता है। दो से तीन वर्ष की अवस्था में बच्चे के बोलने का तीव्र विकास होता है। यदि इस दशा में श्रवण दोष उत्पन्न हो गया तो उसका भाषा विकास अधिक बाधित होगा।

6. **भाषा विकास से पूर्व श्रवण दोष**– जिन बच्चों में भाषा विकास से पूर्व ही श्रवण क्षति हो जाती है। भाषा विकास से पूर्व होने वाला श्रवण दोष बच्चे के जीवन के प्रारम्भिक एक या दो वर्षों में उसकी भाषा बोलने का तीव्र विकास होता है, यदि इस अवस्था में श्रवण दोष उसमें उत्पन्न हो गया तो उसका भाषा का विकास अधिक बाधित होता है। इस प्रकार का श्रवण दोष भाषा विकास से पूर्व श्रवण दोष कहलाता है। चूँकि बच्चे में तीव्रतम भाषा विकास डेढ़ साल से 5 साल के बीच होता है। जिसे संक्रमण काल भी कहते हैं।

7. **भाषा विकास के पश्चात श्रवण दोष (Post-lingual Hearing Loss)**– यह श्रवण दोष भाषा विकास के बाद किन्हीं कारणों से बच्चे में उत्पन्न होता है। अर्थात् 5 साल के बाद क्योंकि प्रारम्भ के 5 वर्षों में बच्चे का तीव्र भाषा विकास होता है

8. **अनायास श्रवण दोष (Sudden Hearing loss)**– अनायास श्रवण दोष वह होता है जिसमें अचानक श्रवण प्रणाली तंत्र में कोई कमी या किसी क्षति के कारण होता है।

डिग्री के आधार पर वर्गीकरण

आशा (ASHA) के अनुसार :– (American Speech & Hearing Association)

Normal	0-25 dB
Mild	26-40 dB
Moderate	41-55 dB
Moderate to severe	56-70 dB
Severe	71-90 dB
Profound	91+dB

8.3.4 समावेशी शिक्षा में श्रवण बाधित विद्यार्थी के लिए विशिष्ट निदेशियन– श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा मे शिक्षक मुख्यधारा के विद्यालायों में श्रवण बाधित बच्चों के समावेशन में अहम भूमिका निभाते है। उनके शैक्षणिक समाजिक, प्रवर्धन और शारीरिक आवश्यकताओं सहित श्रवण बाधित बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते है। शिक्षक विद्यार्थियों के भाषा, वाणी और सुनने की प्रक्रिया के विकास हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करते है। श्रवण बाधित बच्चों का सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व शैक्षिणिक विकास किस प्रकार किया जाय इसके लिए पाठ्यक्रम संरचना का निर्माण करते है।

- यह कार्यक्रम मुख्य धारा समावेशी शिक्षा का मॉडल का मुख्य उद्देश्य श्रवण हानि की प्रारंभिक पहचान करना, आडियोलाजिकल प्रबंधन, माता–पिता को मार्गदर्शन, वाणी भाषा चिकित्सा के माध्यम से मुख्यधारा के विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों को शामिल करना है। सुनने के कौशल और शैक्षिक समर्थन का विकास करना।

- अर्हक श्रवण बाधित विद्यार्थियों को मुख्यधारा की शिक्षा में प्रभावी रूप से शामिल करने में व्यावहारिक क्षमता प्रदान की जाती है। विद्यार्थी, शिक्षक व प्राधानाचार्यों को ज्ञान और श्रवण बाधित बच्चे की शिक्षा को अनुकूलित करने के लिए समावेशी शिक्षक व्यावहारिकताओं से लैंस है।

1. **समावेश मॉड्यूल की मूल बातें**– इस मॉड्यूल में विद्यार्थी श्रवण बाधित को मुख्यधारा के विद्यालयों में शामिल करने के औचित्य को समझना सिखाते है। आज की शिक्षा में प्रासंगिकता के साथ–साथ नैतिक और वित्तीय निहितार्थों पर आधारित विचारों पर चर्चा की जाती है। विद्यार्थी समावेश के क्षेत्र में वैश्विक विकास पर ज्ञान प्राप्त करते है। और समावेश के वैश्विक रूझानों पर विचार करते है।

2. **कान और श्रवण**– विद्यार्थियों को शरीर रचना विज्ञान, कान के रोगों और कान विकृति के उपचार के संदर्भ में कान को समझने के लिए जानकारी प्रदान की जानी है। विद्यार्थियों को कक्षा में सुनने के महत्व और हानि के स्तर से अवगत कराया जाता है।

3. **प्रवर्धन प्रौद्योगिकी**– कक्षा के भीतर और बाहर श्रवण बाधित बच्चों के लिए प्रवर्धन प्रौद्योगिकियों के महत्व और उपयोग को समझने पर चर्चा की जाती है। मॉड्यूल उपलब्ध तकनीको और इन उपकरणों के कामकाज का गहन ज्ञान प्रदान करता है।

4. **सुनने की भाषा और संचार विकास**– सुनना व भाषा परस्पर जुड़े हुए है और सुनना भाषा के विकास को प्रभावित करता है। विद्यार्थी उस प्रभाव के बारे में सीखते है जो भाषा के विकास के साक्षरता और संख्यात्मक विकास दोनों पर पड़ता है इन समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक अतः विषय टीम वर्क पर श्रवणबाधित बच्चे के साथ चर्चा की जाती है।

5. **शामिल करने के लिए शैक्षिक अभ्यास**– कक्षा अभ्यास में श्रवण दोष का प्रभाव और श्रवण बाधित बच्चे को उसकी क्षमता प्राप्त करने में सहायता करने के लिए सीखने के वातावरण को संशोधित करना। श्रवण बाधित बच्चे का समर्थन करने के लिए बच्चे की जरूरतो का समग्र रूप से मूल्यांकन करना और पाठ्यक्रम को अनुकूलित करना शिक्षण विधियों और श्रवण बाधित– बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं के आकलन करना।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. श्रवण बाधिता कितने प्रकार की होती है।

   .....

   .....

2. अर्जित श्रवण दोष से आप क्या समझते है।

   .....

   .....

3. अनायास श्रवण दोष से आप क्या समझते है।

   .....

   .....

8.4 तंत्रिका संबंधी विकार वाले दिव्यांग बच्चों के लिए विशिष्ट निर्देशन–

विकासात्मक विकार (Developmental Disorder) को न्यूरोडेवलपमेंन्टल डिसऑर्डर (Neurodevelopmental Disorder) भी कहा जाता है। इनके होने से प्रभावित व्यक्ति या बच्चे को ध्यान लगाने, कुछ भी सीखने या याद रखने के साथ–साथ सामाजिक परस्पर क्रिया आदि में मुश्किल होती है। कुछ विकासात्मक विकार (Developmental Disorder) में बच्चे बोल या समझ भी नहीं पाते ये विकार बच्चे के जन्म के साथ हो सकते है या उनके विकासात्मक पीरियड़ के दौरान हो सकते हैं। कुछ लोगों को पूरी उम्र इन विकारों के साथ रहना भी पड़ सकता है। हालाकि, इनका कोई उपचार नहीं है। लेकिन अगर शुरूआत में ही इनके लक्षणों को पहचान कर डॉक्टर की सलाह ली जाती है, तो विकासात्मक विकार (Developmental Disorder) के प्रभावों को कम किया जा सकता है। विकासात्मक विकार के उपचार में आवश्यक कौशल विकसित करने में बच्चे की सहायता के लिए दवा और स्पेशलाइज्ड़ ट्रेनिंग आदि को भी शामिल किया जा सकता है।

सेरिब्रल पाल्सी (सी.पी.) एक ऐसी शारीरिक स्थिति है जिसमें मस्तिष्क की क्षति के कारण मांसपेशियों का समन्वय बिगड़ जाता है। यह बच्चे के जन्म के समय या उससे पहले होता है। यह एक प्रगतिशील विकार नहीं है अर्थात यह समय के साथ बढता नहीं है। हालॉकि मॉसपेशियों के इस्तेमाल न होने से समय के साथ स्थिति बिगड़ सकती है। वर्तमान में इस स्थिति का कोई इलाज नहीं है। – RPWD Act- 2016 के अनुसार

विकासात्मक विकार के कारण (Causes of Developmental Disorder)– विकासात्मक विकार (Developmental Disorder) का शिकार अधिकतर बच्चे होते है। ऐसे में माता–पिता को अपने बच्चो में इन समस्याओं के लक्षणों आदि के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए विकासात्मक विकार के निम्न कारण हैः–

- जेनेटिक (Genetic) या क्रोमोसोम एबनारमेलिटि (Chromosome Abnormality) यह डाउन सिंड्रोम और रेट्ट सिंड्रोम जैसी स्थितियाँ का कारण बनते है।
- प्रमुख से पहले किन्हीं नुकसानदायक चीजों का सेवन या संर्पक में आना/ उदाहरण के लिए, गर्भवती होने पर शराब पीने से भ्रूण को एल्कोहल स्पेक्ट्रम विकार हो सकता है।
- गर्भावस्था में कुछ संक्रमण भी विकासात्मक विकार का कारण बन सकते है।
- अपरिपक्व जन्म (Preterm Birth) से भी विकासात्मक विकार हो सकते है।

विकासात्मक विकार के प्रकार –

(Types of Developmental Disorder)

विकासात्मक विकार के निम्न प्रकार से होता है –

1. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसओर्डर (Autism Spectrum Disorder)
2. अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिओर्डर (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
3. लर्निंग डिसेबिलिटी (Learning Disability)
4. रेट्ट सिंड्रोम (Rett Syndrome)

1. **ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसओर्डर (Autism Spectrum Disorder)** – स्वलीनता को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसओर्डर भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का डिसेबिलिटी डिसओर्डर है जो किसी व्यक्ति के सामाजिक कौशल (Individuals Social Skills) कम्युनिकेशन स्किल (Communication Skills), आदि पर बुरा प्रभाव डालता है

   ऑटिज्म के लक्षण (Symptom)– ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों में तीन साल के बाद ही लक्षण देखने को मिलते है कुछ लोगो में जन्म से हीलक्षण दिखाई देते है। इस विकार के लक्षण इस प्रकार है–

1. आखो से सम्पर्क न करना किन्हीं चीजों में बिलकुल रूचि न लेना या किन्हीं विषय में बहुत अधिक रूचि लेना।
   – कई चीजों को बार–बार करना जैसेः कुछ शब्दों को बार–बार बोलना आदि।
   – आवाजो, गंध या कुछ अन्य चीजों के प्रति अधिक संवेदनशील होना।
   – किसी का छूना उसे पंसद नहीं होता ।
   – ऑटिज्म से पीड़ित कुछ बच्चों में दौरे (Seizures) भी पड़ सकते है। लेकिन किशोरावस्था तक ऐसा नहीं होता।

ऑटिज्म के प्रकार (Types of Autism)

इसके निम्न प्रकार है –

- एस्पर्जर सिंड्रोम (Asperger`s Syndrome)

  इसमें बच्चों को भाषा की कोई समस्या नहीं होती। लेकिन उन्हें सामाजिक समस्याएँ हो सकती है।
- ऑटिस्टिक डिसऑर्डर (Autistic Disorder) इसमें सामाजिक बातजीत संचार और तीन साल से छोटे बच्चे में खेलने की समस्याएँ उत्पन्न होती है।
- चाइल्डहुड़ डिसइंन्टिग्रेटिव डिसऑर्डर (Childhood Disintegrative Disorder) – इसमें बच्चों में दो साल तक ठीक विकास होता है और फिर वो अपने सम्प्रेषण या सामाजिक कौशल में कमी महसूस करते है।
- परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर (Pervasive Developmental Disorder) – यदि बच्चा कुछ ऑटिस्टिक व्यवहार करता है जैसे – सम्प्रेषण या सोशल स्किल में देरी होती है तब डॉक्टर इस शब्द का प्रयोग करता है।

ऑटिज्म का उपचार (Treatment of Autism)– ऑटिज्म का कोई इलाज नहीं है लेकिन शुरूआत में ही इसके लक्षणों को कम करने से ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे के विकास में फर्क देखा जा सकता है। ऑटिज्म का इलाज मुख्यतःह तरीको से किया जा सकता है –

1. **बिहेवियरल और कम्युनिकेशन थेरेपी (Behavioral and Communication Therapy) –**

- इसमें सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा दिया जाता है और नकारात्मक व्यवहार को नकारा जाता है।
- ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ड्रेसिंग, ईटिंग और लोगो से सम्बन्धित जैसे लाइफ स्किल में मदत कर सकती है।
- सेंसरी इंटिग्रेशन थेरेपी (Sensory Integration Therapy) :– किसी ऐसे व्यक्ति की मदत कर सकती है जिसे छूने, जगहो या आवाज के साथ समस्या है।
- स्पीच थेरेपी (Speech Therapy) – इसमें संचार कौशल में सुधार किया जाता है।

अटेशन डेफिलिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)– यह एक ऐसी दिमागी विकार है जो प्रभावित व्यक्ति को ध्यान लगाने, सीधा बैठने या व्यवहार को नियंत्रित करने आदि को प्रभावित करता है। यह बच्चों के शैशवावस्था से शुरू होकर युवावस्था तक रहता है।

लक्षण –

- बहुत जल्दी ध्यान भटकना
- किसी बात को सुनने में रूचि न होना
- रोजाना करने वाले कामों को भूल जाना
- ऐसे कामों रूचि न होना जिन्हें बैठ कर करना पड़े
- चीजों को अक्सर खो देना
- दिन में सपने देखना

उपचार –

- थेरेपी का प्रयोग पीड़ित बच्चे के व्यवहार को बदलने के उपचार में प्रयोग किया जाता है।
- साईको थेरेपी (Psycho Therapy) :– इस थेरेपी के अर्न्तगत पीड़ित बच्चे के परेशानियों को दूर किया जाता है। उनमें आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है।
- शोसल स्किल ट्रेनिंग (Social Skill Traning) के अर्न्तगत बच्चे लोगो से घुलना, मिलना, साझा करना आदि सीखते है।

लर्निंग डिसेबिलिटी (Learning Disability)– इससे प्रभावित व्यक्ति को सीखने, समझने, बोलने आदि में समस्या होता है। यह समस्या बच्चो में अधिक देखने को मिलता है। कई बार बच्चे कुछ सीखने में सामान्य से भी अधिक समय लगाते है। अगर ऐसा है तो यह लर्निंग डिसेबिलिटी का संकेत हो सकता है।

लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रकार

लर्निंग डिसेबिलिटी निम्न प्रकार से है :–

डिस्प्राक्सिया (Dyspraxia) – यह व्यक्ति के गामक कौशल को प्रभावित करता है।

डिस्लेक्सिया (Dyslexia) – डिस्लेक्सिया के कारण बच्चों में पढ़ने की समस्या हो सकती है।

डिस्ग्राफिया (Dysgraphia) – डिस्ग्रफिया लेखन क्षमता को प्रभावित करता है।

डिसकैलकुलिया (Dyscalculia)– डिसकैलकुलिया व्यक्ति की गणित करने की क्षमता को प्रभावित करता है।

विजुवल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर (Visual Processing Disorder)– इसमें प्रभावित बच्चे किसी दृश्य की व्याख्या करने में असमर्थ होते है।

लर्निंग डिसेविलिटी के लक्षण (Symptoms of Learning Disability)

इसके लक्षण निम्नवतः है–

– पढ़ने या लिखने के प्रति उत्साह में कमी

– याद करने की परेशानी

– धीमी गाति से काम करना

– दिशाओं का पालन करने में समस्या

– किसी कार्य पर ध्यान केन्द्रित करने में परेशानी

– सामाजिक कौशल में अक्षमता

8.4.1 स्वलीनता या अन्य तंत्रिका संबंधी विकार वाले दिव्यांग बच्चों के लिए विशिष्ट निर्देशन

लर्निंग डिसेविलिटी का सबसे सामान्य उपचार है विशेष शिक्षा यदि कोई बच्चा लर्निंग डिसेविलिटी से पीड़ित है तो इस बात का निदान करने के लिए विशेष शिक्षा की टीम बच्चे के लिए एक वैयक्तिक शैक्षिक कार्यक्रम (Individualized education program) बनाकर बच्चे को विद्यालय में कौन–सी विशेष सेवाओं की जरूरत है इसका पता लगाते है तथा बच्चों के आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण तकनीकि व दैनिक योजनाएँ बनाते है। तथा मीटिंग करके उनके निराकरण हेतु मिल–जुल कर कार्य करते है।

8.4.2 तंत्रिका संबंधी विकार वाले बच्चों के लिए समावेशन

तंत्रिका संबंधी विकार वाले बच्चों के लिए समावेशी विद्यालयों में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं। इन बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में कमी, पठन–पाठन की अक्षमता, मानसिक व शारीरिक अक्षमता, भाषा संबंधी अक्षमता अनेक समस्याएँ होती है ऐसे बच्चों से मौखिक संवाद करना संभव नही है। ऐसे बच्चों के लिए एक विशेष शिक्षा कक्षा या संस्थागत समायोजन ही एकमात्र विकल्प हो सकता है।

ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एवं अन्य तंत्रिका संम्बन्धी विकार वाले बच्चों को सहायता हेतु शीघ्र हस्तक्षेपण करना अत्यंत आवश्यक है इस हेतु बच्चों के अभिभावको, शिक्षकों और चिकित्सकों के बीच आपसी तालमेल होना अत्यंत आवश्यक होता है। आटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों में समझने की क्षमता में कमी, सामाजिक व संसार कौशल में कमी, दूसरों के साथ संबंध बनाने में कमी प्राप्त होती है। अतः ऐसे बच्चों की सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसे बच्चों को आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण तकनीकि का निर्माण कर शिक्षण व प्रशिक्षण देने से अनेक शैक्षिक, सामाजिक व दैनिक क्रियाओं मे सफल बनाया जा सकता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

4. स्वलीनता से आप क्या समझते है?

.....

.....

5. बिहेवियरल और कम्युनिकेशन थेरेपी क्या है?

.....

.....

6. लर्निंग डिसेबिलिटी से आप क्या समझते है?

.....

.....

8.5 अस्थि या गत्यात्मक विकलांगता तथा बहु–विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट निर्देशन

8.5.1 अस्थि या गत्यात्मक विकलांगता –

यदि कोई बच्चा अपने हाथ पैर या शरीर के किसी भी अंग को हिलाने–डुलाने में कठिनाई महसूस करता है तो वह अस्थिय दिव्यांगता की श्रेणी में आता है। यह कठिनाई अंग विच्छेद के कारण या किसी एक अंग में हाथ पैर कमजोरी के कारण या लकवाग्रस्त होने के कारण भी हो सकती है। गत्यात्मक दिव्यांगता बालक को चलने फिरने में तथा गति सम्बन्धित कार्य करने में कठिनाई होती है असमर्थता का सामना करना पड़ता है, ऐसे बालकों को विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बालक के चलने फिरने में कठिनाई को गत्यात्मक असमर्थता कहा है ऐसे बच्चों को शारीरिक रूप से दिव्यांग या विरूपित भी कहा जाता है।

अस्थि या गत्यात्मक विकलांगता के मुख्य कारण –

अस्थि या गत्यात्मक विकलांगता निम्नलिखित स्थिति से उत्पन्न हो सकती हैः

1. मस्तिष्क पक्षाद्यात
2. पोलियो
3. विच्छेदन
4. पक्षाद्यात
5. जन्मजात विकृतियाँ

अस्थि दिव्यांग बालको की मुख्यधारा में निम्नवत शिक्षा की व्यवस्था होना उपयुक्त है –

1. अस्थि दिव्यांग बालक शारीरिक न्यूनता से ग्रसित साधारण बुद्धि के होते है अतः उन्हें शिक्षा द्वारा मानसिक विकास के लिए पूर्ण अवसर देना चाहिए।
2. पृथक्किरण (Segregation) – अस्थि दिव्यांग बालक भिन्न–भिन्न प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित होते है। अतः उन्हें विशेष और व्यक्गित ध्यान की अति आवश्यकता है,इसलिए उन्हें सामान्य कक्षा में न बैढ़ाकर विशेष पृथक कक्षा में बैठाया जाना चाहिए,जहॉ साधक अध्यापक (Resourse Teacher) विशेषज्ञ (Expert) और मनोवैज्ञानिक की देख–रेख में शिक्षा दी जानी चाहिए।
3. शिक्षा द्वारा उनके अन्दर इस प्रकार की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे वे अपनी हीनता कम कर सकें और उपयुक्त से उपयुक्त व्यवहार को विकसित कर सकें।
4. विद्यालय को विद्यार्थियों के अनुरुप व्यवस्थित होना चाहिए, उनके लिए विशेष प्रकार की मेज, कुर्सी आदि होनी चाहिए जिससे वह आराम से बैठ सके और अपने शरीर पर जोर दिये बिना पढ़ने और लिखने का कार्य कर सके।
5. विद्यालय वातावरण बाधामुक्त होना चाहिए सीढ़ियों पर स्लोप, डिसएब्लड़ फ्रैन्डलिय टायलेट इत्यादि की व्यवस्था किया जाना उचित है।

8.5.2 बहुविकलांगता (Multiple Disabilities) – बहुविकलांगता का अर्थ है सहवर्ती क्षति (जैसे बौद्धिक अक्षमता–अंधापन, मानसिक मंदता आर्थोपेडिक हानी, बधिरता– अंधता, (बधिरांध) आदि) जिसके संयोजन से शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे विद्यार्थियों को समावेशित विद्यालयों में शिक्षण प्राप्त करने हेतु रणनीतियों का निर्माण किया जाना उपर्युक्त होता है।

बहु विकलांगता दो या दो से अधिक विकलांगताओं के संयोजन के लिए है। बहु विकलांगता शब्द का अर्थ उन विकलांगताओं से है, जो प्रकृति में कई है, अर्थात एक समय में एक से अधिक विकलांगता का होना उदा0 मस्तिष्क पक्षाद्यात और दृश्य या श्रवण हानि इत्यादि।

बहु विकलांगता के लक्षण – गंभीर या बहु विकलांग व्यक्ति अक्षमताओं में संयोजन एवं गंभीरता और उम्र के आधार पर भिन्न–भिन्न लक्षण प्रदर्शित होते है, इनमें से कुछ लक्षण निम्नवत है :–

मनौवैज्ञानिक कारण –

- अपने को समाज परिवार से बहिस्कृत महसूस करते है।
- समाज से हटने की प्रवृत्ति
- बहु विकलांगता वाले विद्यार्थी जबरदस्ती या अप्रत्याशित परिवर्तनों के कारण भयभीत, क्रोधित और परेशान होते है।

व्यवहारिक कारण –

- कालान्तुक्रमिक उम्र के साथ असंगत एवं अपरिपक्व व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।
- एक आक्रामक व्यवहार और निराशायुक्त स्तर प्रदर्शित करते है।
- पारस्परिक संबंध बनाने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।
- सीमित स्व–देखभाल कौशल और स्वतंत्र सामुदायिक जीवन कौशल में कमी पाई जाती है।

शारीरिक स्वास्थ्य

- गंभीर अक्षमताओं के साथ कई प्रकार की चिकित्सीय समस्याएँ पाई जाती है। जैसे :– दौरे, संवेदी हानि, जलशीर्ष, स्कोलियोसिस इत्यादि।
- शारीरिक रूप से अव्यवस्थित और अजीब तरह के दिख सकते है।
- गामक कौशल वाले खेलों में असफल होते है।

चुनौतियाँ

पारिवारिक समस्याएं

- बहु–विकलांग बच्चे गंभीर अक्षमताओं के साथ कई प्रकार की चिकित्सीय समस्याओं से ग्रसित होते है जैसेः– दौरे आना, संवेदी हानि, हाइड्रोसिफलस और स्कोलियोसिस इत्यादि। दौरे आने की स्थिति में उस समय घर पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है।
- आार्थिक रूप से चिकित्सा/परिवहन खर्च परिवार पर बोझ डाल सकता है।
- व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रयास के लिए परिवार के सदस्यों को बारी–बारी से उस व्यक्ति की देखभाल करने की आवश्यकता होगी।
- बहुविकलांग बच्चों के पास केवल सीमित भाषा व संचार होने के कारण परिवार के सदस्यों को समस्या उत्पन्न होती है।
- कई बहु–विकलांग व्यक्तियों के साथ बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है।

व्यक्तिगत समस्याएँ

- शारीरिक गतिशीलता में कठिनाई
- गामक–कौशलों में कमी के कारण लेखन कौशल अवरूद्व होना
- धीमी लिपिक गति हो सकती है।
- संज्ञानात्मक कौशल में कमी के कारण यादश्त में कमी होना।
- एक स्थिति से दूसरी स्थिति में कौशल को सामान्य करने में परेशानी हो सकती है।
- उच्च स्तरीय सोच और समझ कौशल की कमी हो सकती है।
- समस्या समाधान कौशल में कमी हो सकती है।
- अमूर्त सोच की क्षमता में कमी
- दिव्यांगता मे सीमित कारकों के कारण एक अच्छे परिक्षार्थी होने में कमी हो सकती है।
- ध्वनि का दिशा का पता लगाने में कठिनाई हो सकती है।
- वस्तुओं और वस्तु संबंधो के बारे में सीखने में कठिनाई हो सकती है।
- करियर लक्ष्यों को स्थापित करने में परिपक्वता की कमी हो सकती है।
- साथियों के साथ मेल–जोल में समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

आवास एवं रणनीति

- एक बहु–विभागीय टीम जिसमें विद्यार्थियों के माता–पिता, शैक्षिक विशेषज्ञ और चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल होकर बच्चे को जिस क्षेत्र में समस्याओं का प्रदर्शन करता है, उन्हें आवश्यक सेवाओं की योजना बनाने और समन्वय करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
- उपयुक्त व्यवसायिक (जैसेः– व्यवसायिक चिकित्सक, भाषा चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट इत्यादि) की भागीदारी।
- विद्यालयों, घरों, सार्वजनिक स्थलों को बाधारहित होना चाहिए।
- एक ऐसी प्रणाली का निर्माण किया जाएँ जो दिव्यांग बच्चों की जरूरतों को सुने एवं आवश्यकता अनुरूप सहायता कर सके।
- दिव्यांग बच्चों हेतु क्या व्यवस्था है, कैसे उनकी सहायता की जा सकती है इसके लिए सरल और विशिष्ट और व्यवस्थित निर्देश दिया जाएँ।

समावेशी विद्यालयों में शिक्षण प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों में अलग–अलग क्षमताएँ होती है तथा वे अपनी क्षमताओं के अनुसार ही प्रदर्शन करते है। समावेशी विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों को उनके साथियों द्वारा मजाक भी उड़ाया जाता है, परन्तु इसका यह अर्थ नही है कि साथी ग्रुप को सजा दी जाय बल्कि दिव्यांग विद्यार्थियों को इस प्रकार सशक्त बनाया जाय कि वह अपनी उम्र के अन्य विद्यार्थियों के साथ ताल–मेल बिठाने और सभी विभिन्न क्षमता स्तरों के विद्यार्थियों के साथ काम करने और बातचीत करने के अवसर का सद्उपयोंग कर सके। जब समावेशन प्रभावी ढ़ंग से किया जाता है, तो बच्चे में सुधार होता है तथा कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी अपनी आवश्यकता एवं क्षमता के अनुरूप लाभवंन्तित होते है। पूर्ण–समावेशी कार्यक्रमों में न केवल सामान्य विद्यार्थियों के लिए अपितु सभी विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम को बढ़ाने की क्षमता विकसित होती है। पूर्ण समावेशन कक्षाएँ अलग–अलग निर्देशों के साथ संचालित होती है, जिसमें शिक्षको को व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप सभी विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम को अपनाने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए निर्देशन दिया जाता है, जिससे पाठ्यक्रम में वृद्धि होती है और निर्देशन प्रभावी होता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

7. बहुविकलांगता से आप क्या समझते है।

.....

.....

8. अस्थि या गत्यात्मक विकलांगता के मुख्य कारण क्या है।

.....

.....

9. बहुविकलांगता की पारिवारिक समस्याएँ क्या हैं।

.....

.....

8.6 सारांश

समावेशी विद्यालयों में शिक्षण प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों में अलग–अलग क्षमताएँ होती है तथा वे अपनी क्षमताओं के अनुसार ही प्रदर्शन करते है। समावेशी शिक्षा का मॉडल का मुख्य उद्देश्य विभिन्न दिव्यांगता की प्रारंभिक पहचान करना, तथा उनकी आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों की व्यवस्था कराना जिससे उनकी शैक्षिक,सामाजिक व मनोवैज्ञानिक विकास को पूर्ण समर्थन मिल सकें। पूर्ण–समावेशी कार्यक्रमों में न केवल सामान्य विद्यार्थियों के लिए अपितु सभी विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम को बढ़ाने की क्षमता विकसित होती है। पूर्ण समावेशन कक्षाएँ अलग–अलग निर्देशों के साथ संचालित होती है, जिसमें शिक्षको को व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप सभी विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम को अपनाने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए निर्देशन दिया जाता है, जिससे पाठ्यक्रम में वृद्धि होती है और निर्देशन प्रभावी होता है।

8.7 अभ्यास के प्रश्न

1. पाठ्यक्रम अनुकूलन की व्याख्या कीजिए।
2. पाठ्यक्रम समायोजन एवं पाठ्यक्रम संशोधन के अन्तर को स्पष्ट कीजिए।
3. पाठ्यक्रम अनुकूलन के आवश्यकताओं को लिखिए।
4. श्रवण विकलांगता से आप क्या समझते है? उनके समावेशन को स्पष्ट कीजिए।
5. अधिगम अक्षमता को स्पष्ट कीजिए।
6. बहुविकलांग बच्चों की चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए।

8.8 चर्चा के बिन्दु

1. तंत्रिका संबंधी विकार वाले दिव्यांग बच्चों का समावेशन कैसे किया जाए चर्चा कीजिए।

8.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. यह दो प्रकार का होता हैः–

1. बधिर (Deaf) 2. ऊँचा सुनने वाला (Hard of Hearing)

2. जन्म के उपरान्त किसी भी अवस्था में किन्हीं कारणों से जब श्रवण दोष उत्पन्न होता है तो उसे हम अर्जित श्रवण दोष कहते हैं।

3. अनायास श्रवण दोष वह होता है जिसमें अचानक श्रवण प्रणाली तंत्र में कोई कमी या किसी क्षति के कारण होता है।

4. स्वलीनता को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसओर्डर भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का डिसेबिलिटी डिसओर्डर है जो किसी व्यक्ति के सामाजिक कौशल (Individuals Social Skills) कम्युनिकेशन स्किल

(Communication Skills), आदि पर बुरा प्रभाव डालता है।

5. इसमें सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा दिया जाता है और नकारात्मक व्यवहार को नकारा जाता है।ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ड्रेसिंग, ईटिंग और लोगो से सम्बन्धित जैसे लाइफ स्किल में मदद कर सकती है।सेंसरी इंटिग्रेशन थेरेपी (Sensory Integration Therapy) – किसी ऐसे व्यक्ति की मदत कर सकती है जिसे छूने, जगहो या आवाज के साथ समस्या है। स्पीच थेरेपी (Speech Therapy) – इसमें संचार कौशल में सुधार किया जाता है।
6. इससे प्रभावित व्यक्ति को सीखने, समझने, बोलने आदि में समस्या होता है। यह समस्या बच्चो में अधिक देखने को मिलता है। कई बार बच्चे कुछ सीखने में सामान्य से भी अधिक समय लगाते है। अगर ऐसा है तो यह लर्निंग डिसेबिलिटी का संकेत हो सकता है।
7. बहु विकलांगता दो या दो से अधिक विकलांगताओं के संयोजन के लिए है। बहु विकलांगता शब्द का अर्थ उन विकलांगताओं से है, जो प्रकृति में कई है, अर्थात एक समय में एक से अधिक विकलांगता का होना उदा0 मस्तिष्क पक्षाद्यात और दृश्य या श्रवण हानि इत्यादि।
8. अस्थि या गत्यात्सक विकलांगता निम्नलिखित स्थिति से उत्पन्न हो सकती हैः
   1. मस्तिष्क पक्षाद्यात 2. पोलियो 3. विच्छेदन 4. पक्षाद्यात 5. जन्मजात विकृतियाँ
9. बहु–विकलांग बच्चे गंभीर अक्षमताओं के साथ कई प्रकार की चिकित्सीय समस्याओं से ग्रसित होते है जैसे– दौरे आना, संवेदी हानि, हाइड्रोसिफलस और स्कोलियोसिस इत्यादि। दौरे आने की स्थिति में उस समय घर पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त निम्न पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं–
   - आार्थिक रूप से चिकित्सा/परिवहन खर्च परिवार पर बोझ डाल सकता है।
   - व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रयास के लिए परिवार के सदस्यों को बारी–बारी से उस व्यक्ति की देखभाल करने की आवश्यकता होगी।
   - बहुविकलांग बच्चों के पास केवल सीमित भाषा व संचार होने के कारण परिवार के सदस्यों को समस्या उत्पन्न होती है।
   - कई बहु–विकलांग व्यक्तियों के साथ बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है।

8..10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. मायरेड्डी वी0 एवं नारायण जे0 (1998) फंक्सनल ऐकेडेमिक्स फॉर स्टुडेन्ट विद माइल्ड मेन्टल रिटार्डेशन, एन0आई0एम0एच0 सिकन्दराबाद।
2. नारायण, जे0 एवं कुट्टी ए0टी0टी0 (1989) हेन्डबुक फॉर ट्रेनर्स ऑफ द मेन्टली रिटार्डेड प्रसंस प्री प्राइमरी लेवेल, एन0आई0एन0एच0 सिकन्दराबाद।
3. कैर, जॉन एफ0 ;मकण्द्ध (1977) चेजिंग द करिकुलम, लंडन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन प्रेस लिमिटेड।
4. राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांगता संस्थान (2003), बहरे एवं अन्धेपन बच्चों की शिक्षा।
5. बीच, एम. (2020) समायोजन : दिव्यांगता विद्यार्थियों के सहायता (तीसरा संस्करण) टलाहासी, एम एल : असाधारण शिक्षा और छात्र सेवा ब्यूरो, फ्लोरिडा शिक्षा विभाग।
6. डी. वरोई. ए (2016, समावेशी शिक्षा, व्याखान नोट्स/पावर प्वाइंट प्रस्तुति, समावेशी शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, लघु प्रशिक्षण पहल, दिसम्बर 2016, रांची झारखंड।
7. कोगा.एन. एक एवं हॉल.टी. (2004) पाठ्यक्रम संशोधन वेकफील्ड, एम एः नेशनल सेन्टर ऑन एक्सेसिंग द जनरल करिकुलम।
8. मैक. मैकिन, एम0सी0 एवं ऐलेन. एम. बी. (1997) फोकस में बदलाव : एक समावेशी प्राथमिक स्कूल कक्षा के भीतर विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाना। शिक्षा में समानता एवं उत्कृष्टता।
9. बॉस. सी0एस0 एवं वैगु0 एस0 (1994) स्ट्राटजी फॉर टिचिंग स्टुडेन्ट्स विद लर्निंग एण्ड विहेवियर प्रोबलैम्स, एलिन एवं ब्रेकन, बोस्टन।

इकाई– 9 : प्रतिभावान बच्चे

इकाई की संरचना

9.1 प्रस्तावना

9.2 इकाई के उद्देश्य

9.3 प्रतिभावान बालक का अर्थ एवं परिभाषाएँ

9.4 प्रतिभावान बालाकों की विशेषताएँ

9.5 प्रतिभावान बालक की पहचान

9.6 प्रतिभावन बालक की पहचान की विधियाँ

9.7 प्रतिभावन बालकों हेतु शिक्षा

9.8 सारांश

9.9 अभ्यास के प्रश्न

9.10 चर्चा के बिन्दु

9.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

9.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

9.1 प्रस्तावना

विशिष्ट बालकों की श्रेणी में पूर्व की इकाईयों में हमने विभिन्न प्रकार के बालकों के संबंध में चर्चा की है। विशिष्ट बालकों के प्रत्ययों के बारे में सर्वप्रथम मस्तिष्क में दिव्यांग बालक या विभिन्न दिव्यांगताओं से ग्रस्त बालकों के बारे में ध्यान आता है। परंतु आपको इस बारे में अवगत करवाना चाहते है कि विशिष्ट बालको की श्रेणी में प्रतिभावान बालकों को भी सम्मिलित किया जाता है।

जिस प्रकार दिव्यांग बालकों के अध्यापन में अध्यापकों को समस्या का सामना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार प्रतिभावान छात्रों के अध्यापन हेतु अध्यापको को विशेष तरीके का सहारा लेना पड़ता है। विशिष्ट बालकों हेतु उनकी शैक्षिक आवश्यकता के आधार पर विशेष तरीके एवं सामग्री आवश्यकता पड़ती है। ताकि उनके शैक्षिक कार्यक्रमों में इन बालकों को अधिकतम शैक्षिक लाभ प्राप्त हो सकें।

उपरोक्त संदर्भ में यह अति आवश्यक है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में प्रतिभावान छात्रों की पहचान करना अति आवश्यक है। प्रतिभावान छात्रों मे ऐसे छात्रों को शमिल किया जा सकता हैं। जो शैक्षिक, कलात्मक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक योग्यताओं को अपने व्यक्तित्व में प्रर्दशित करते हैं। प्रतिभावान छात्रों के लिए परम्परागत पाठ्यक्रम अनुपयुक्त साबित होता है तथा इन छात्रों के शैक्षित विकास हेतु अग्रिम एवं विशेष चुनौतियों का सामना करने के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम नहीं दिया जाता है।

शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने के उपरांत जहाँ विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए बाधासहित वातावरण तैयार करने हेतु उन्हें विशेष तकनीकी एवं सामग्री द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। परन्तु प्रतिभावन छात्रों द्वारा उपलब्ध पाठ्यक्रम को समझने हेतु पुर्व में ही तैयारी कर ली जाती है तथा प्रतिभावान छात्रों द्वारा अपने सहपाठियों की सहायता उनके शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति मे सहायता प्रदान करते हैं।

इस तथ्य से भी इनकार नही किया जा सकता है कि सामान्य कक्षा में छात्रों की अपने पसंद के क्षेत्र को खोज करने की आजादी नहीं होती हैं। जिसके कारण वे आपने पाठ्यक्रम को समय से पुर्व ही समाप्त कर कक्षा के अन्य छात्रों को परेशान करना प्रारम्भ कर देते है जिसे कक्षा कक्ष का अनुशासन भंग हो सकता है तथा सामान्य छात्रों को अध्ययन से ध्यान भंग हो सकता है।

अतः विशिष्ट बालकों के अर्न्तगत दिव्यांग एवं प्रतिभावान दोनों प्रकार के बालकों को सम्मिलित किया जाता

है क्योंकि दो प्रकार के बालकों की आवश्यकताएं विशिष्ट होती है जिन्हें पूर्ण करने हेतु शिक्षक को विशेष प्रयास करने पड़ते हैं।

9.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. प्रतिभावान बालकों का अर्थ एवं परिभाषा जाने पायेंगे।
2. प्रतिभावान बालकों की विशेषताओं को जान पायेंगे।
3. प्रतिभावान बालकों को पहचान करने में सक्षम हो सकेंगे।
4. प्रतिभावान बालकों की शिक्षा की विभिन्न विधियों से अवगत हो सकेगे।
5. प्रतिभावान बालकों की शिक्षा के बारें में चर्चा कर सकेंगे।

9.3 प्रतिभावान बालक का अर्थ एवं परिभाषाएँ

प्रतिभावान बालक के संबंध कुछ मिथ्या धारणा भी है जैसे अधिकांश व्यक्तियों की सूची में प्रतिभावान बालकों में केवल उन बालकों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी बुद्धिलाब्धि 130 या उससे अधिक होती है। परंतु आपको इस बात से अवगत करवाना अति आवश्यक है कि केवल बौद्धिक योग्यता के आधार पर ही किसी बालक को प्रतिभावान बालक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। प्रतिभावान बालक की श्रेणी में उन बालकों को रखा जाता है जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों से अधिक हो अर्थात् उनकी बुद्धिलाब्धि 120 से अधिक होने के साथ–साथ जो बालक किसी कार्य का निष्पादन उच्च स्तर पर करता हो तथा उसके द्वारा निष्पादित कार्यों में निरंतरता बनी रहे। यदि कोई बालक किसी कार्य का निष्पादन उच्च स्तर पर करता है परंतु उसी कार्य को किसी और समय अथवा उसी प्रकार के कार्य के निष्पादन में पूर्व की तरह श्रेष्ठता नहीं दिखा पाता है तो उसे प्रतिभावान बालक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

किसी भी बालक को प्रतिभावान बालक की श्रेणी में रखने के लिए निम्नलिखित कार्यों को कौशलता पूर्ण करना आवश्यक हैः

1. बालक समाज के द्वारा निश्चित की गयी सभी परिपाटियों को निभाने में सक्षम हो अर्थात् बालक एक सामाजिक प्राणी होना चाहिए।
2. बालक के अंदर कलात्मकता का गुण होना चाहिए।
3. बालक विद्यालय में सभी पाठ्यसहभागी क्रियाओं में प्रतिभाग लेता हो।
4. बालक में संगीतिक गुण होना चाहिए।
5. बालक को भाषीय ज्ञान होना चाहिए। भाषीय ज्ञान से अभिप्राय उन सभी भाषाओं से है जिन्हें बालक को कक्षा में सिखाया जा है।
6. बालक शारीरिक रूप से स्वाश्थ्य होना चाहिए।
7. बालक अपने शैक्षिक कार्यो में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए।

उपरोक्त सभी गुण यदि किसी एक बालक के अंदर हो तो हम उस बालक को प्रतिभावान बालक की श्रेणी में रख सकते है।

हालाकि प्रतिभावान बालक के मूल्यांकन के संबंध में विभिन्न विशेषज्ञों की अपनी अलग–अलग राय है जिसके आधार पर उन्होने प्रतिभावान बालक की प्ररिभाषाओं का निमार्ण किया है। उनमें से कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है।

स्किनर व हैरीमैन के अनुसार ''प्रतिभावान शब्द का प्रयोग उन एक प्रतिशत बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे बुद्धिवान होते है।''

क्रो एवं क्रो ने प्रतिभावान बालक की परिभाषा को और अधिक स्पष्ट करते प्रतिभावान बालक के दो प्रकार की श्रेणी में विभक्त किया है प्रथम श्रेणी में उन बालकों को सम्मिलित किया है जिनकी बुद्धिलब्धि 130 से अधिक होती है तथा दूसरी श्रेणी में उनको रखा है जो बालक कला, गणित, संगीत, अभिनय आदि में से एक या अधिक में विशेष योग्यता रखते है।

टरमन व ओडन के अनुसार ''प्रतिभावन बालक शारीरिक गठन, समाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचानाओं और रूचियों की एक रूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते है।''

यदि हम सामान्य प्रायिकता वक (Normal Probability Curve) को ध्यान से निरीक्षण करे तो हमे ज्ञात होगा कि कक्षा के सभी बालकों में से एक बहुत बड़ी संख्या सामान्य बुद्धिलब्धि बालकों की होती है तथा बहुत कम ऐसे बालक होते है जिनकी बुद्धिलब्धि सामान्य बालकों के कम होती है या अधिक होती है। जिन बालकों की बुद्धिलब्धि सामान्य बालकों की बुद्धिलब्धि से अधिक होती है, जिनकी संख्या भी काफी कम होती है उन्हे हम प्रतिभावान बालक की श्रेणी में रखते हैं।

9.4 प्रतिभावान बालकों की विशेषताएं

उपरोक्त वर्णन के पर हम प्रतिभावान बालकों की सामान्य विशेषताओं को बता सकते है।

प्रतिभावान बालकों की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैः–

1. प्रतिभावान बालक अपने किये गये कार्य को पूर्णतावादी () की तरह से करने में सक्षम होते है।
2. प्रतिभावान बालक के द्वारा किया गया कार्य आर्दशवादी होता है अर्थात् उनके द्वारा किया गया कार्य सभी के लिए आर्दश प्रस्तुत करता है।
3. प्रतिभावान बालक द्वारा किये गये कार्य पूर्ण रू‍प से अनुक्रम रूप से किये जाते है।
4. सामान्यता प्रतिभावान बालक की आयु उसकी मानसिक आयु से कम होती है अर्थात् उसके द्वारा किये गये कार्य उसकी आयु के हिसाब से अधिक होते है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिभावान बालक अपनी कक्षा का आधे से अधिक पाठ्यक्रम विद्यालय के प्रारम्भ होने से पहले ही समाप्त कर लेते है।
5. प्रतिभावान बालक समस्याओं का समाधान करने में सझम होते है।
6. प्रतिभावान बालक को कक्षा में सफल होने के लिए सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में रखा जाता है। यदि वह अपनी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ की स्थिति को नही बना पाते तो उन्हें सफल अभियार्थों की श्रेणी में रखा जाता है जो प्रतिभावान बालक को असफलता महसूस होती है।
7. प्रतिभावान बालक में रचनात्मक सोच होती है।
8. प्रतिभावान बालक में सामान्य बालकों के मुकाबले अच्छी नेतृत्व की क्षमता होती है।
9. प्रतिभावान बालक में सामान्य बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों के मुकाबले अधिक/अच्छी होती है।
10. प्रतिभावान बालक की भाषा योग्यता अच्छी होती है तथा उसके भाषा शब्द कोष विशाल होता है।
11. प्रतिभावान बालक अमूर्त विषयों में अधिक चिंतन करता है तथा उस सभी कार्यों को करने में रूचि दिखाता है।
12. प्रतिभावान बालक द्वारा अपने पाठ्यक्रम के सभी विषयों में अधितीय सफलता प्राप्त करता है।

9.5 प्रतिभावान बालक की पहचान

प्रतिभावान बालक कौन हो सकते है इसकी पहचान हम निम्न आधार पर कर सकते है।

1. यदि बालक स्वतंत्र रू‍प से किसी के बारे विचार करता हो।

2. यदि बालक किसी समस्या का एक से अधिक समाधान लेकर आये या आपकी की समास्या को विभिंन्न प्रकार से सुलझाये।
3. यदि बालक के विचार अन्य व्यक्तियों या बालकों से भिन्न हो तो भी बालक द्वारा उस पर किसी प्रकार का बुरा न माने।
4. किसी भी प्रकार के रचनात्मक कार्यों को करने के लिए चुनौती ले।
5. यदि बालक कठिन परिस्थितियों में भी मुश्किल कार्यो को करने में सक्षम हो।
6. यदि बालक एक अच्छा निरीक्षणकर्ता हो।
7. यदि बालक किसी नये सुझावों से प्रोत्साहित हो।
8. बालक का अधिगम अत्यंत तीव्र गति से हो।
9. यदि बालक द्वारा किसी कार्य स्वयं ही प्रारंभ कर ले।
10. यदि बालक की स्मरण करने की क्षमता अच्छी हो।
11. यदि बालक सामान्य कौश्लों के ज्ञान को तुरंत सीख ले।
12. बालक द्वारा स्वयं ही अपने उत्तरदायित्वों को समझ ले।
13. यदि बालक द्वारा स्वयं फैसले एवं निर्णय लेने में सक्षम हो।
14. यदि बालक द्वारा खेल कूद की कियाओं में प्रतिभावान करना पसंद करे।
15. यदि बालक में उच्च स्तरीय ऊर्जा हो।
16. यदि बालक द्वारा नृत्य, नाटक एवं संगीत इत्यादि द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करने एवं अपनी भावनाओं एवं मनोदशा एवं स्वभाव को दिखाने की क्षमता हो।
17. प्रतिभावान बालक में आश्चर्यजनक कल्पना, मौलिकता, तथा साधन सुलभता का गुण होता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. हम किन बालकों को प्रतिभावान बालकों की श्रेणी में रख सकते हैं?

   .....
   .....

2. प्रतिभावान बालकों की विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिये।

   .....
   .....

3. आप प्रतिभावान बालकों की पहचान किस आधार पर कर सकते है?

   .....
   .....

9.6 प्रतिभावान बालक की पहचान की विधियाँ

सामान्यता ऐसा हो सकता है कि उपरोक्त विशेषताएं किसी बालक में प्रदर्शित न हो। उसका कारण बालक को अवसर प्राप्त न होना भी सकता है। अतः प्रतिभावान बालक की पहचान के लिए आभा सनी बिष्ट ने

निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया है:–

1. **वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा** – इस प्रकार की परीक्षा के लिए बालकों के सम्मुख शैक्षिक निष्पति, रूचि परीक्षण से संबंधित प्रश्न, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न, तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्नों को रखा जा सकता है। जिससे बालक की अधिकांश कौशल एवं योग्यताओं का ज्ञान प्राप्त हो सके। हांलकि अधिकांश विशेषज्ञ इस प्रकार की परीक्षा को तर्क संगत नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि केवल बुद्धिलब्धि के द्वारा ही बालक की प्रतिभावान क्षमता को मापा जा सकता है। और यदि बालक की बुद्धिलब्धि से अधिक है तो इस परीक्षा को वह आसानी से सफलता प्राप्त कर लेगा।

2. **अध्यापक के विचारो द्वारा** – अध्यापक द्वारा भी साधारण बालक में से प्रतिभावान बालक की खोज कर सकते हैं पर यह विधि अधिक वैध नहीं है। अध्यापक अपने निर्णय त्रुटि भी कर सकता है। कभी–कभी अध्यापक ऐसे बालक को प्रतिभावन समझ लेता है जो अधिक आयु के कारण अच्छा कार्य कर लेता है या माता–पिता के प्रयासों से अधिक योग्यता प्रदर्शन करने में सफल होता है। अतः प्रतिभावान बालकों की खोज के लिए आवश्यकता है कि अध्यापकों की सामूहिक राय जानने के साथ–साथ बुद्धि परीक्षण का प्रयोग भी किया जाना चाहिए।

3. **विद्यालय की परीक्षाओं के द्वारा** – विद्यालयों की परीक्षाओं में निरंतर सबसे अच्छे अंक प्राप्त करना भी प्रतिभा का द्योतक है। परंतु इस विधि पर अधिक विश्वास करना कठिन है। इसका कारण यह है कि विद्यालय परीक्षाओं के अंक को प्रतिभा कम और अन्य घटक अधिक प्रभावित करते हैं। अतः विद्यालयों में अंकों के साथ वस्तुनिष्ट परीक्षाओं कर आयोजन अपरिहार्य है।

9.7 प्रतिभावान बालकों हेतु शिक्षा

प्रतिभावान बालकों की शिक्षा की पूर्ति निम्न प्रकार से की जा सकती है–

1. **कक्षोन्नति का प्रावधन** – प्रतिभावान बालकों की शिक्षा के प्रारूप के अंर्तगत प्रतिभावान बालकों को उनके योग्यता के अनुसार एक वर्ष में प्रस्तुत कक्षा के पाठ्यक्रम को समाप्त करने के उपरांत बालक की शैक्षिक निष्पति की परीक्षा के उपरांत बालक को उसी वर्ष में आगामी कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है। अर्थात् एक प्रतिभावान बालक एक वर्ष में एक से अधिक कक्षा में पदोन्नत किया जा सकता है। परंतु यह प्रारूप तभी सफल हो सकता है जब प्रतिभावान बालक सभी विषय में सर्व श्रेष्ठ हो तथा बालक में यह योग्यता हो कि यदि वह किसी वर्ष के मध्य में किसी उच्च कक्षा में पहुँच जाता है तो वह बालक उस कक्षा में पूर्व के समाप्त किये गये पाठ्यक्रम को स्वयं करने व समझने में सक्षम हो। हांलकि मनोवैज्ञानिकों में इसमें मतभेद है कि बालक उच्च कक्षा में पहुँचने पर बालक को समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

2. **पाठ्यक्रम में विस्तारण** – मनोवैज्ञानिकों एवं विशिष्ट शिक्षा के विशेषज्ञों द्वारा एक वर्ष में कक्षोन्नति का प्रावधान के स्थान पर प्रतिभावान बालकों के लिए कक्षा विशेष के पाठ्यक्रम के विस्तारण के प्रावधान का सुझाव दिया है। प्रतिभावान बालकों की शिक्षा के इस प्रारूप के अनुसार प्रतिभावान बालक की कक्षा के पाठ्यक्रम को विस्तृत करने का अभिप्राय कक्षा विशेष के पाठ्यक्रम में अधिक एवं कठिन बना दिया जाये। जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभावान बालक द्वारा अपनी प्रतिभा एवं योग्यता के आधार अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। पाठ्यक्रम के स्तर में कठिनाई होने के कारण प्रतिभावान बालकों में सामान्य बालकों के मुकाबले अधिक शैक्षिक योग्यता का अर्जन होगा। स्किनर द्वारा भी इस प्रारूप का समर्थन किया है उनके अनुसार इससे बालक की मौखिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्याता और तर्क शक्ति, चिंतन एवं रचनात्मक शक्यिों का विकास हो सकेगा। परंतु इस प्रारूप की सीमा में अंर्तगत् यह बताना अति आवश्यक है कि एक ही कक्षा में दो प्रकार के पाठ्क्रम को लागू करना प्रायोगिक तौर पर संभव नहीं हो सकता।

3. **अध्यापक द्वारा प्रतिभावान बालकों पर विशेष ध्यान देना** – प्रतिभावान बालकों की शिक्षा के इस प्रारूप के अंर्तगत् कक्षा कक्ष के अध्यापकों को प्रतिभावान बालकों के प्रति व्यक्तिगत एवं विशेष ध्यान देने के

लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अध्यापक द्वारा प्रतिभावान बालकों के द्वारा किये जाने वाले कार्यों को अलग से समय देकर देखना चाहिए। अध्यापक द्वारा समय–समय पर प्रतिभावान बालकों का परामर्श देना चाहिए एवं यथासंभव उन्हें दिये गये कार्य को और अधिक उत्तम तरीके से करने हेतु निर्देशित करना चाहिए। जिसे प्रतिभावान बालकों का सम्पूर्ण योग्यता का उपयोग हो सके एवं उनकी प्रगति में भी सकारात्मक विकास हो सके। हलाँकि इसकी प्रारूप के अंतर्गत यदि अध्यापक अपनी उत्तरदायित्व को नही निभाता है तो संभव है कि प्रतिभावान बालक के द्वारा कक्षा कक्ष का अनुशासन बिगड़ने की संभावना बनी रहती है।

4. **प्रतिभावान बालकों को उत्तरदायित्व देना** – प्रतिभावान बालक की शिक्षा की विधि के अंतर्गत प्रतिभावान बालकों द्वारा कक्षा के संचालन में उत्तरदायित्व दे देना चाहिए। इन उत्तरदायित्वों के अंतर्गत प्रतिभावान बालकों को कक्षा में मोनिटर बनाया जा सकता है या कक्षा में शैक्षिक रूप से कमजोर बालको के पहचान के उपरांत प्रतिभावान बालकों को एक छोटे से शैक्षिक रूप से कमजोर बालकों के समूह को पढ़ाने का उत्तरदायित्व दिया जा सकता है। इस विधि में प्रतिभावान बालकों द्वारा शैक्षिक रूप से कमजोर बालकों के पढ़ने के परिणामस्वरूप उनके पाठ्यक्रम का पुनः दोहराना हो जायेगा जिससे उनकी शैक्षिक कौशल को विकसित करने में सहायता मिलेगी तथा साथ ही साथ कक्षा में कमजोर बालकों को शैक्षिक सहायता भी प्राप्त हो जायेगा। इस विधि के द्वारा प्रतिभावान बालकों में नेतृत्व का प्रशिक्षण भी प्राप्त हो जायेगा।

5. **सामान्य कक्षा में अध्ययन** – प्रतिभावान बालकों की शिक्षा की यह विधि उस विधि के प्रतिकुल है जिसमें प्रतिभावान बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाने के स्थान पर विशिष्ट कक्षों या विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाने का समर्थन करते है। मनोवैज्ञानिकों का यह तर्क है कि यदि प्रतिभावान बालकों के लिए विशिष्ट कक्षा या विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान किया जायेगा तो प्रतिभावान बालकों में घमंड की भावना पैदा हो सकती है तथा वह सामान्य बालकों को हीनता की भावना से देखना प्रारंभ कर सकते हैं। अतः आवश्यक है कि प्रतिभावान बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे प्रतिभावान बालकों एवं सामान्य बालकों के बीच मधुर संबंध बनाये जा सके तथा भविष्य में प्रतिभावान एवं सामान्य बालकों को एक दूसरे के साथ समायोजन करने में किसी प्रकार की समस्या का सामाना न करना पड़े।

6. **प्रतिभावान बालाकों को अन्य विषयों में रूचि पैदा करना** – प्रतिभावान बालकों की शिक्षा के लिए आवश्यक है कि उनमें अपनी पाठ्यक्रम की पुस्तिकों के साथ–साथ अन्य विषयों के पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस क्रिया में अध्यापक द्वारा प्रतिभावान बालकों को उचित निर्देश एवं परामर्श देना चाहिए। परन्तु यह तभी संभव हो सकता है यदि विद्यालय में प्रतिभावान बालकों की पुस्तकें उपलब्ध हों। इसके लिए विद्यालय प्रशासन को भी अपने विद्यालय में एक पुस्तकालय का निर्माण करवाना अति आवश्यक है।

7. **प्रतिभावान बालकों हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करवाना** – जैसा कि पूर्व में ही बताया जा चुका है कि प्रतिभावान बालकों की शैक्षिक योग्यता ही नहीं बल्कि उनकी रूचि से संबंधित अनेक कार्यों में पारंगत होते हैं। अतः प्रतिभावान बालकों को शिक्षा प्राप्ति के अर्न्तगत विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी कार्यक्रमों का भी आयोजन करवाया जाना चाहिए ताकि प्रतिभावान बालकों की चहुँमुखी प्रतिभा का विकास हो सके। प्रतिभावान बालकों पाठ्यसहगामी क्रियाओं के आयोजन में भी सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि उनमें समन्वम, सहायता, नेतृत्व आदि गुणों का विकास हो।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

4. प्रतिभावान बालकों की शिक्षा की पूर्ति किस प्रकार की जा सकती है?

.....

.....

5. प्रतिभावान बालकों को पहचानें की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए?

.....

.....

9.8 सारांश

प्रतिभावान छात्रों में ऐसे छात्रों को शमिल किया जा सकता है जो शैक्षिक, कलात्मक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक योग्यताओं को अपने व्यक्तित्व में प्रर्दशित करते है। शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने के उपरांत जहाँ विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए बाधारहित वातावरण तैयार करने हेतु उन्हें विशेष तकनीकी एवं सामग्री द्वारा अध्यापन करवाना जाता है। परंतु प्रतिभावान छात्रों द्वारा उपलब्ध पाठ्यक्रम को समझने हेतु पूर्व में ही तैयारी कर ली जाती है तथा प्रतिभावान छात्रों द्वारा अपने सहपाठियों की सहायता उनके शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करते हैं।

प्रतिभावान बालक के संबंध कुछ मिथ्या धारणा भी है जैसे अधिकांश व्यक्तियों की सूची में प्रतिभावान बालकों में केवल उन बालकों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी बुद्धिलाब्धि 130 या उससे अधिक होती है। प्रतिभावान बालक की श्रेणी में बालकों को रखा जाता है जिनकी बैद्धिक क्षमता सामान्य बालकों से अधिक हो अर्थात् उनकी बुद्धिलाब्धि 120 से अधिक होने के साथ–साथ जो बालक किसी कार्य का निष्पादन उच्च स्तर पर करता हो तथा उसके द्वारा निष्पादित कार्यों में निरंतरता बनी रहे। यदि काई बालक किसी कार्य का निष्पादन उच्च स्तर पर करता है परंतु उसी कार्य किसी और समय अथवा उसी प्रकार के कार्य के निष्पादन में पूर्व की तरह श्रेष्ठता नहीं दिखा पाता है तो उसे प्रतिभावान बालक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

बालक एक सामाजिक प्राणी होना चाहिए। बालक के अंदर कलात्मकता का गुण होना चाहिए। बालक विद्यालय में सभी पाठ्यसहगामी क्रियाओं में प्रतिभाग लेता हो। बालक में संगीतिक गुण होना चाहिए। बालक को भाषीय ज्ञान होना चाहिए। भाषीय ज्ञान से अभिप्राय उन सभी भाषाओं से हैं जिन्हें बालक को कक्षा में सिखाया जाता है। बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। बालक द्वारा अपने शैक्षिक कार्यो में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए।

प्रतिभावान बालक की पहचान की विधियों तीन प्रकार से हो सकती है प्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा, द्वितीय अध्यापक के विचारों द्वारा एवं विद्यालय की परीक्षाओं के द्वारा प्रतिभावान बालकों को हेतु कक्षोन्नति का प्रावधान के द्वारा, पाठ्यक्रम में विस्तारण के द्वारा एवं अध्यापक द्वारा प्रतिभावान बालकों पर विशेष ध्यान देने के द्वारा, प्रतिभावान बालकों को उत्तरदायित्व देने के द्वारा एवं सामान्य कक्षा में अध्ययन के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा सकती है।

9.9 अभ्यास के प्रश्न

1. प्रतिभावान बलाकों को शैक्षिक कार्यों में सम्मिलित रखने हेतु दो क्रियाकलापों का निर्माण कीजिये।
2. प्रतिभावान बालक समाज में कुछ रचनात्मक कार्य कर सकते है? कौन– कौन से उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

9.10 चर्चा के बिन्दु

1. प्रतिभावान बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है? चर्चा कीजिए।
2. प्रतिभावान बालकों कैसे शिक्षित करेंगे? चर्चा कीजिए।

9.11 बोध प्रश्नों का उत्तर

1. प्रतिभावान बालको में केवल उन बालकों को सम्तिलित किया जाता है जिनकी बुद्धिलाब्धि 130 या उससे अधिक होती है। इसके अतिरिक्त प्रतिभावान बालक में समाजिक प्राणी होना चाहिए। बालक के अंतर कलात्मक गुणा एवं पाठ्यसहागामी क्रियाओं में प्रतिभाग करता हो। बालक में संगीतमीय गुण, भाषीय ज्ञान एवं शैक्षिक कार्यों के साथ–साथ शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।

2. प्रतिभावान बालकों के विशेषता के अंतर्गत बालक पूर्णतावादी एवं अनुकम रूप में कार्य करने में सक्षम हो। बालक में आर्दशवादी गुण होना चाहिए। प्रतिभावान बालक की आयु उसकी मानसिक आयु से कम होती है। वह सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो। उनमें रचनात्मक सोच एवं नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। प्रतिभावान बालक की भाषा योग्यता अच्छी होती है एवं अमूर्त विषयों के बारें में चिंतन करते है। प्रतिभावान बालकों को सभी विषयों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।

3. प्रतिभावान बालक स्वतंत्र रूप से किसी के बारे में विचार कर किसी समस्या का एक से अधिक समाधान लेकर आते हैं। उनके द्वारा रचनात्मक कार्यों को करने के लिए चुनौती स्वीकार करते है। प्रतिभावान बालक कठिन परिस्थितियों में भी मुश्किल कायों को करने में सक्षम होते है। बालक में अच्छा निरीक्षणकर्ता के गुण होने चाहिए एवं नये सुझावों को प्रोत्याहित करना चाहिए। उनका अधिगम अत्यंत तीव्र गति से होता है एवं स्वयं कार्य प्रारंभ करते है। प्रतिभावान बालकों की स्मरण क्षमता अच्छी होनी चाहिए। बालक द्वारा स्वयं ही अपने उत्त्रदायित्वों को समझते है। तथा बलाक स्वयं फैसले एवं निर्णय लेने में सक्षम हो। प्रतिभावान बालक खेल कूद की क्रियाओं में प्रतिभाग करे एवं उसमें उच्च स्तरीय ऊर्जा होनी चाहिए।

4. प्रतिभावान बालकों की शिक्षा की पूर्ति कक्षा में कक्षोन्नति का प्रावधान के द्वारा, पाठ्यक्रम में विस्तारण के द्वारा, अध्यापक द्वारा प्रतिभावान बालकों पर विशेष ध्यान देना, प्रतिभावान बालकों को उत्तरदायित्व देना, सामान्य कक्षा में अध्ययन, प्रतिभावान बालाकों को अन्य विषयों में रूचि पैदा करना आदि के द्वारा कक्षा में प्रतिभावान बालकों की शिक्षा की पूर्ति की जा सकी है।

5. प्रतिभावान बालकों को पहचाननें की विभिन्न विधियाँ निम्नलिखित हैं–

i. वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा

ii. अध्यापक के विचारो द्वारा

iii. विद्यालय की परीक्षाओं के द्वारा

9.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Adapting Activities & Materials for Young Children with Disabilities (early Intervantion Techincal Assitance, 1995)
2. Famaily violence Children's Activity Book Children's Activities A NSW Aoriginal Justice Adivisory Council Family Violence Awareness Initiative.
3. Copin with crisis activity book.
4. Helping Children learn in kids with Autism.
5. Tips for Teachers: Teaching Students with Disabilities.

खण्ड– 04 : समावेशी शैक्षणिक निर्देशन

खण्ड परिचय

इस खण्ड में आप अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प को समझ सकेगें। विभेदित एंव सहकर्मी मध्यस्थता निर्देशन किस प्रकार दिव्यांग विघार्थियों के लिए आवश्यक है उससे अवगत हों सकेगे।दिव्यांग एवं सामान्य विघार्थियों हेतु निर्देशन हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायक हों सकती है इससे अवगत हो सकेंगे।।इस खण्ड में कुल तीन इकाईयां है।

इकाई –10 में आप समावेशी विद्यालयों में विद्यार्थियों की विविध अधिगम शैली एवं आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण कार्य को लचीला एवं प्रभावी बनाने के तरीके से अवगत हो सकेगे।

इकाई – 11 में आप विभेदित अनुदेशन की विविध अधिगम शैली एवं आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण कार्य को लचीला एवं प्रभावी बनाने के तरीके एंव सह–शिक्षण विधि के अर्थ एंव शिक्षण प्रशिक्षण विधि में अनुप्रयोग से अवगत होंगे।

इकाई – 12 में आप सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का अर्थ,दिव्यांग एवं सामान्य विघार्थियों हेतु इसकी उपायदेयता व समावेशी शिक्षा में उसकी भूमिका से अवगत हो सकेगे।

इकाई 10 : अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प

इकाई की संरचना

10.1 प्रस्तावना

10.2 इकाई के उद्देश्य

10.3 सार्वभौमिक अभिकल्प की अवधारणा

10.4 अनुदेशन के प्रभावी उपागम एंव बहुआयामी माध्यम

10.5 अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प के सिद्धान्त

10.6 पाठ योजना के नियोजन एवं अनुदेशन में यू.डी.एल. के सिद्धान्तों का अनुप्रयोग

10.7 सारांश

10.8 अभ्यास के प्रश्न

10.9 चर्चा के बिन्दु

10.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

10.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

10.1 प्रस्तावना

समावेशी कक्षा मे शिक्षण वास्तविक रूप से चुनौती पूर्ण कार्य है, शिक्षण के दौरान विविध क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान रखना पड़ता है अतः चाहे सामान्य अध्यापक हो या विशेष अध्यापक उन्हें अनुदेशन की संरचना इस तरीके से करने की आवश्यकता है जिससे कि दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ–साथ सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा सकें। आज की कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता है जिसमें विभिन्न क्षमताओं वाले विद्यार्थी शामिल है, दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न सीखने की जरूरतें और प्राथमिकताएं पाठ्यक्रम को सफलता पूर्वक प्राप्त करना शिक्षकों के लिए अहम कार्य है। विद्यार्थियों की विविध अधिगम शैली एवं आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण कार्य को लचीला एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जब आप श्रवण दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षण कार्य करते है तब आप श्याम–पट्ट एवं दृश्य सामग्री जैसे– चार्ट, फ्लो डाइग्राम, मॉडल के साथ–साथ धीरे–धीरे एवं स्पष्ट वाणी का प्रयोग करते है।यह सभी बच्चों के लिए तथा खासतौर पर दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यक एवं उपयोगी है। अगर आपकी कक्षा में दृष्टि दिव्यांग विघार्थी है तब शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है। कि दृश्य साधनों के अतिक्ति मौखिक रूप से वर्णन करना तथा ऐसे मॉडल का प्रयोग करना जिससे दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थी स्पर्श करके उसके बारे मे जानकारी प्राप्त कर सकें। इन क्रियाओं से सिर्फ दिव्यांग नहीं अपितु सभी विद्यार्थियों को सहायता मिलती है। वह छात्र जो सीखने में मन्द है उनके द्वारा सरल सम्प्रत्यय को भी समझनें में कठिनाई होती है। यदि सीखने में मन्द विद्यार्थी को छोटे–छोटे सोपान एवं पुनरावृत्ति कराकर शिक्षण कार्य किये जाये तो उनके द्वारा सरल सम्प्रत्यों को भी समझने में कठिनाई नहीं होगी।

कक्षा को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक विभिन्न शिक्षण कौशलों का प्रयोग समावेशी कक्षा में करते है। समावेशी कक्षा में कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रभावी अनुदेशन की महत्ता को समझने की आवश्यकता है। जिससे दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ–साथ अन्य विद्यार्थी को भी सीखने में आसानी होती है तथा वह दैनिक जीवन में प्रत्येक सम्प्रत्यय को क्रियाविन्त कर सकते है।

एक अकेला व्यक्ति एक काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकता जितना कि दो या दो से अधिक व्यक्ति या संस्थायें एक दूसरे की सहायता से कर सकते है। दोनों तरफ से कार्य सकारात्मक अन्तः क्रिया, परामर्श और सम्प्रेषण से चलता है। जितनी अच्छी अन्तः क्रिया, परामर्श व सम्प्रेषण से संभव हो सकेगा शिक्षा के उद्देश्य उतने ही सरलता से प्राप्त हो सकेगे। सहयोग कल्याण भाव होता है और अन्तिम रुप से यह भाव अच्छे सम्बन्ध बनाता है। जब एक समूह दूसरे समूह को सहयोग देता है तो दोनों में एक दूसरे के प्रति आदर व सम्मान का भाव रहता

है, इस इकाई में आप समावेशी विद्यालयों में विद्यार्थियों की विविध अधिगम शैली एवं आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण कार्य को लचीला एवं प्रभावी बनाने के तरीके से अवगत होंगे।

10.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन करने के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. सार्वभौमिक रचना की अवधारणा को समझ सकेंगे।
2. अनुदेशन के प्रभावी उपागमों से अवगत हो सकेंगे।
3. अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प के सिद्धान्त को समझ सकेंगे।
4. पाठ योजना के नियोजन एवं अनुदेशन में यू0डी0एल0 के सिद्धान्तों का अनुप्रयोग कर सकेंगे।

10.3 सार्वभौमिक अभिकल्प की अवधारणा

शिक्षा एक अधिकार है जिसे सभी को समान शर्तो पर उपलब्ध होना चाहिए। विद्यार्थियों की विविधताएं 21वीं सदी की कक्षा में ऐसी पाठ्यचर्या के ढांचे जिसमें सभी सम्मिलित हो को लागू करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, तथा कक्षा में प्रत्येक बच्चे के लिए उपयुक्त निर्देशात्मक रणनीति और समावेशी प्रयासों को बढ़ावा देता है। सामान्य शिक्षा कक्षा में सभी शिक्षार्थियों की शिक्षा की ओर बढ़ते आंदोलन के साथ सामान्य शिक्षा में प्रगति और प्रगति के साथ दिव्यांग विद्यार्थियों के आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम पर जोर देता है। शिक्षक पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने निर्देशात्मक रणनीतियों को संशोधित करने के तरीके खोज रहे है। और उन तरीकों से विद्यार्थी का मूल्यांकन कर रहे है, जिससे वे अपने शिक्षण कौशलों का स्वतः मूल्यांकन कर पा रहे है, कि उनके पास क्या है तथा विद्यार्थियों को क्या सीखाया गया है?

उपरोक्त सभी समस्याओं के समाधान के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प का उभरता हुआ सर्वोत्तम अभ्यास है। यूनिवर्सल डिजाइन (UDL) पाठ्यक्रम डिजाइन के हर क्षेत्र में कई प्रकार सें सीखने के अवसर प्रदान करता है। यह ऐसे ढ़ांचे की पेशकश करता है, जो समावेशी ढ़ांचे को बढ़ाने वाले शैक्षिणक वातावरण को डिजाइन करता है।

सार्वभौमिक रचना एक अवधारणा है, जो सभी उत्पादों, वातावरण तथा सूचना प्रणाली में मानव योग्यता के वृहद् सम्भावित क्रम को पहचानती, स्वीकार करती, मूल्यों को समझती तथा समायोजन का प्रयास करती है।

सीखने के लिए यूनिवर्सल डिजाइन का दृष्टिकोण बाधाओं को कम करना और सभी छात्रों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करना है। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी आवश्यकता होती है। सबकी अपनी पृष्ठभूमि, प्राथमिकतांए, आवश्यकताएँ और रूचि होती है। उन्हें इस प्रकार की पाठ्यचर्या प्रदान करना चाहिए जिससे प्रत्येक विद्यार्थियों को सीखने का समान अवसर प्रदान किया जा सके।

1950 के दशक में यू0एस0 में अवरोध रहित डिजाइन की दिशा में गति प्राप्त होने लगी। उस समय व्हीलचेयर, रैप, आडियो सिस्टम, स्वचालित दरवाजे और अन्य अनुकूलन भौतिक सीमाओं वाले लोगो के लिए बाधाओं को कम करने में मद्द की।

"सार्वभौमिक रचना" की संकल्पना भवन– शिल्पी रोनाल्ड मेस द्वारा दिया गया है, जिसने औसत उपयोगकर्ताओं के लिए रचना के परम्परागत उपागम को चुनौती दिया तथा अधिक सुगम्य और उपयोगी उत्पादों एवं वातावरण के लिए रचना फाउण्डेशन स्थापित किया। मेस तथा अन्य दूरदर्शी विशेषज्ञों ने सार्वभौमिक रचना की परिभाषा विकसित किया, जिसे सर्वप्रथम नार्थ कैरोलिन स्टटे यूनिवार्सिटी के सार्वभौमिक रचना केन्द्र उपयोग किया गया, जो इस प्रकार हैः–

"उत्पादों एवं वातावरण की रचना को सभी उम्र एवं योग्यता के लोगो द्वारा जितना अधिक से अधिक सम्भव हो उपयोग किया जा सके" (मूलर एवं मेस 1998)

21वीं सदी में दिव्यांग लोगो के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कानून पारित किया गया था। इन कानूनों ने आर्किटेक्ट के रूप में सार्वभौमिक अभिकल्प के अनुपालन को प्रभावित किया, इस डिजाइन ने सभी के लिए यर्थावादी वित्तीय और मानवीय लाभों का एहसास कराया।

1984 में शिक्षाविद्, शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के एक समूह ने सेंटर फॉर एप्लाइड स्पेशल टेक्नोलॉजी (CAST) पता लगाया कि शिक्षा को सभी के लिए सुगम कैसे बनाया जा सकता है? और कहा कि एक लचीली दृष्टिकोण शिक्षण विधियों और सामाग्रियों क माध्यम से व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकें, उससे सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन कहते है। यह डिजाइन स्वरोजगार के कौशल को विकसित करने में सहायक हों जिससें दिव्यांग व्यक्तियो के साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों के सीखने में वृद्धि हो सकें।

1999 की शुरूआत में, सेंटर फॉर एप्लाइड स्पेशल प्रौद्योगिकी (सीएएसटी) ने यूडीएल के सिद्धांतों और प्रथाओं को विकसित किया, जिसका अर्थ है शैक्षिक अभ्यास का मार्गदर्शन करने के लिए वैज्ञानिक रूप से मान्य रूपरेखा विकसित हों जो कि निम्नवत है –

1. विद्यार्थिओं की जवाब देने के तरीके या तरीको के बारे में जानकारी प्रस्तुत की जाती है।
2. निर्देशो में बाधाओं की आवश्यकतायों को कम करता है।
3. बाधारहित वातावरण का निर्माण करता है।
4. सभी विद्यार्थियों के लिए उच्च उपलब्धि की उम्मीदों को बनाए रखता है।

10.4 अनुदेशन के प्रभावी उपागम एंव बहुआयामी माध्यम

दिव्यांग विद्यार्थियों की मुख्य चुनौती अधिगम है। प्रभावी रूप से इन चुनौतियों को कक्षा शिक्षण में सरल बनाना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। निम्नवत सारणी की सहायता से दिव्यांग विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकता को शिक्षको द्वारा पूरा किया जा सकता है–

सारणी 1 : समावेशी कक्षा में शिक्षण चुनौतियों का समाधान –

दिव्यांगता	**आपूर्ति के क्षेत्र**	**पाठ्य विषय को प्रस्तुत करने का शैली**		
		श्रवण सम्बन्धी	स्पर्श / गतिज सम्बन्धी	भावावेग सम्बन्ध
दृष्टि दिव्यांगता	दृष्टि	• मौखिक रूप से विषय वस्तु एवं सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण • स्वर वाचन	• भ्रमण • प्रदर्शन • ब्रेल	छोटे–छोटे समूह का गठन एकल शिक्षण नाटकीयकरण विद्यार्थियों की अभिरूचि अनुसार शिक्षण
श्रवण दिव्यांगता	श्रवण एवं सम्प्रेषण	दृश्य सम्बन्धी	स्पर्श / गतिज सम्बन्धी	भावावेग सम्बन्धी
		• चित्रित पुस्तको का वाचन • विडियो अथवा स्लाइड शो • क्रिया कलाप या प्रदर्शन • सांकेतिक भाषा	• भ्रमण • प्रदर्शन	उपरोक्त सभी

बौद्धिक एवं अधिगम दिव्यांगता	संज्ञान एवं प्रकरीकरण	दृश्य सम्बन्धी	श्रवण सम्बन्धी	स्पर्श / गतिज सम्बन्धी	भावावेग सम्बन्धी
		• चिन्हित पुस्तको का वाचन विडियो अथवा स्लाइड शो क्रिया कलाप या प्रदर्शन	• मौखिक रूप से वषयवस्तु एवं सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण • सस्वर वाचन	• भ्रमण • प्रदर्शन	उपरोक्त सभी

विषय वस्तु प्रस्तुतीकरण के उपरोक्त तरीके कक्षा के समस्त विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद है। जब शिक्षक विभिन्न माध्यम का उपयोग करते हुए विषय वस्तु का प्रस्तुतीकरण करते है तो विद्यार्थियों को लाभ होता है जैसेः– बहु संवेदी उपागम तथा विद्यार्थियों की अभिरूचि और प्रोत्साहन का ध्यान रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया की जाती है, तब कक्षा के सभी विद्यार्थी प्रभावी रूप में शिक्षण प्राप्त कर सकतें है। विविध विद्यार्थियों के समूह की विशेषता तथा वैयक्तिक रूप से विद्यार्थियों की आवश्यकता को प्रभावी अनुदेशन के माध्यम से समाधान किया जा सकता है। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प सिद्धान्त एवं मार्गदर्शक की जानकारी प्राप्त करने पर शिक्षक समावेशी कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण तथा अनुदेशन का नियोजन करने के बहु– आयामी माध्यमों का प्रयोग कर समझते है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. यू0 एस0 में अवरोध रहित डिजाइन की दिशा में गति किस दशक में प्राप्त होने लगी थी?

.....

.....

2. सार्वभौमिक रचना की संकल्पना किसकी द्वारा दिया गया।

.....

.....

3. CAST का पूरा नाम लिखिए।

.....

.....

अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प के बहुआयामी माध्यम

समावेशी कक्षा में किसी एक विधि द्वारा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा नही किया जा सकता हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि अनुदेशन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहु आयामी विधि का प्रयोग किया

जाय। यू0डी0एल0 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए केवल एक तकनीक ही नही है, बल्कि सभी विद्यार्थियों की अधिगम को बढ़ाने के लिए एक रणनीति है। शुरूआती स्तर पर यू0डी0एल0 का इस्तेमाल, स्थापत्य कला, जैसे भवन का नियोजन आदि में सुगम्यता लाने हेतु किया जाता था। जिससे दिव्यांगों की सुगमता को सुनिश्चित किया जा सकें, परन्तु इससे गैर दिव्यांगो को भी सहुलियत प्राप्त हुई है। उदाहरण के लिए रैम्प के द्वारा न केवल व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों के लिए आसान हुआ बल्कि बुजुर्ग व्यक्तियों और छोटे बच्चों तथा मरीजो को आवा–जाही में सहायक साबित हुआ है।

अनुसंधानों से प्रमाणित हुआ है कि समूह के लिए सहायता देने हेतु किया गया कार्य सभी व्यक्तियों के लिए सहायक सिद्ध हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धान्त का प्रयोग भी किया जाने लगा है। व्यापक रूप से शिक्षको को यह समझने की आवश्यकता है कि दिव्यांग विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकता को पूरा करने हेतु बनायी जाने वाली शिक्षण रणनीति सामान एवं उपकरण न केवल दिव्यांगो को बल्कि सभी बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं। उदाहरण के लिए विविध प्रकार के सहायक तकनीकी जैसे स्पीच टू टेक्स्ट साफ्टवेयर आर्गनाइजेश्न्, सॉफ्टवेयर एवं इन्टरेक्टिव, वाइट बोर्ड सभी प्रकार के विद्यार्थियों की आवश्यकताओ को पूरा करने में समर्थ हुआ है, जबकि शुरूआती स्तर पर केवल विशेष आवश्यकता वाले कक्षा में प्रयोग होते थे। वर्तमान समय में कक्षा में टेक्नोलाजी के प्रयोग में वृद्धि हुई हैं। जिससे ना केवल दिव्यांग विद्यार्थी अपितुं सामान्य विद्यार्थियों भी लाभान्वित हुए है।

10.5 अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प के सिद्धान्त (Principal of Universal Design of Learning)

सार्वभौमिक रचना विविधता तथा समावेशित दोनों को अधिक महत्व देती है।स्कॉट एवं मैकगुइरी (2001) के अनुसार सार्वभौमिक रचना के अनुदेशन हेतु निम्नलिखित 9 सिद्वांन्त मार्गदर्शन प्रदान करते हैः–

1. **सभी के लिए शिक्षा (Education for all)** – श्रोत व मेयर 2001 के अनुसार यू0डी0एल0 का निर्माण यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण अभिकल्प का निर्माण इस तरह से बनाया जाए जिससे सभी विद्यार्थियों की सामर्थ्य एवं उनकी आवश्यकता के अनुरूप हो। यू0डी0एल0 में सार्वभौमिकता का अर्थ यह नही कि सभी विघार्थियों के लिए एक विधि सर्वोत्कृष्ट है बल्कि इसके द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के विशिष्ट विशेषताओं की जागरूकता एवं विविधताओं के आधार पर अनुकुल बनाना। ऐसे अधिगम अनुभव का सृजन करना जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पुर्ति एवम् योग्यतानुसार उनकी प्रगति को उच्चतम सीमा तक बढ़ाता है। इसका तात्पर्य है कि अधिगम अवसर का नियोजन इस प्रकार से करें कि सभी विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके चाहे विद्यार्थी की उपलब्धि का स्तर कैसा भी हो।

2. **लचीला एवं समावेशी (Flexible & Indusive)** – शिक्षण का नियोजन एवं विभिन्न क्रिया कलापों हेतु शिक्षक के द्वारा निधारित समय लचीली होनी चाहिए जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को वास्तविक अधिगम दिया जा सकें (प्रदर्शन स्तर के आधार पर) विद्यार्थियों को कक्षा में समायोजित करने के लिए निम्नलिखित तकनीकि का उपयोग किया जा सकता है –
   i. विविध शिक्षण रणनीतियों एवं शिक्षण सहायता सामग्री,जो प्रासंगिक हो तथा विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं के अनुरूप हो जिससे विद्यार्थियों को व्यस्त रखा जा सके (विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों का इस्तेमाल कर सके एवं विभिन्न स्वरूपों, तरीको से तथा विभिन्न कठिनता के स्तर के आधार पर)
   ii. विभिन्न टेक्नोलॉजी एवं मल्टीमीडिया उपकरण
   iii. विविध प्रकार के ऑकलन उपकरण एवं प्रारूप तथा उत्तर देने का विकल्प
   iv. विविध प्रकार के उपयोगी जगह
3. **उपयुक्त ढ़ांचागत स्थान (Appropriate Design Place)** – एक उपयुक्त अधिगम वातावरण में निम्नलिखित का होना आवश्यक हैः–
   i. सभी विद्यार्थी कक्षा में शिक्षक को देख सकें।
   ii. कक्षा शिक्षण में प्रयोग होने वाली प्रत्येक सामग्री विद्यार्थियों के पहुँच में हो।

iii. सहायक उपकरण शिक्षक सहायको के लिए उपयुक्त स्थान।

4. **सरलता (Simplicity)** – कक्षा में विद्याथियों के अधिगम को बाधा पहुँचाने वाली सामग्री अनावश्यक जटिलताओं को निम्न तरीको से दूर किया जा सकता है –

   i. बच्चों के साथ निरन्तर सम्प्रेषण करना

   ii. विद्यार्थियों के साथ सहयोग करना

   iii. विद्यार्थी अनुरूप स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करना

   iv. क्रमानुसार सूचनाओं को व्यवस्थित करना तथा महत्ता को स्पष्ट करना

   v. अनुदेशनों को छोटे–छोटे टुकड़ों में बांटना

   vi. अनुदेशन के दौरान वर्णनात्मक प्रतिपुष्टि देना

5. **सुरक्षा (Safety / Sceurity)** – अधिगम हेतु सुरक्षा जरूरी है। कक्षा भौतिक एवं संवेगात्मक रूप से सुरक्षित हो। शिक्षको से यह अपेक्षित है कि देखभाल युक्त एवं सुरक्षित वातावरण में बच्चों को विभिन्न क्रिया कलापों में व्यस्त रखें, समावेशी बनाये तथा सभी विधार्थियों का सम्मान एवं उनकी उपलब्धि (योग्यतानुसार अधिगम के लिए प्रेरित करें। यू0डी0एल0 के द्वारा शि़क्षण के कई द्यटकों पर विचार किया जा सकता हैः–

   i. समग्र एवं विशिष्ट उम्मीद तथा अधिगम ध्येय

   ii. शिक्षण रणनीतियॉ एवं अधिगम परिस्थितियां

   iii. शैक्षणिक सामग्री

   iv. तकनीकि उपकरण

   v. विविध उत्पादन (अधिगम परिस्थितियों से प्राप्त)

   vi. ऑकलन एवं मूल्यांकन

6. **गलती के लिए सहनशीलता (Tolerance for Error)** – बहुत से कार्यक्रमो में कुछ विद्यार्थी शिक्षण– कक्ष में अनेको जानकारी की पृष्ठभूमि के साथ जाते है, जबकि दूसरे ऐसा नहीं करते है। एक प्रयास द्वारा विभिन्न मात्रा में पूर्व ज्ञान वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ अध्यापक शिक्षण कक्ष में परिचयात्मक सामग्री प्रदान करते है तथा विद्याथियों को उच्च ज्ञान स्तर तक पहुँचाने के लिए बाहर पढ़ने के लिए भी कहते है। अगली कक्षा में अधिक जटिल जानकारी पर चर्चा की जाती है तथा उसके बाद के शीर्षक का परिचय दिया जाता है। यह उपागम परिचयात्मक तथा उच्चीकृत सूचनाओ को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा उपागम परिचयात्मक अथवा अधिक उच्चीकृत स्तर पर अग्रिम सूचना के लिए कार्यक्रम वेवसाइट का सर्म्पक (लिंक) प्रदान करता है। इसका विषय क्षेत्र के ज्ञान को उद्देश्य विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना होता है, जिससे वे अपने विषय क्षेत्र के ज्ञान को बढ़ाने के लिए अपनी गति से सीख सकें।

7. **न्यून शारीरिक प्रयास (Low physical Efforts)** – इस सिद्धान्त की प्रमुख समस्या शिक्षण कक्ष में विद्यार्थी की सजगता को बनाये रखना तथा थकान को कम करना होता है। बहुत से अध्यापक अपने अनुदेशन की विविधता में व्याख्यान, वैयक्तिक व्यायाम तथा समूह कार्य को सम्मिलित करके न्यून शारीरिक प्रयास पर बल देते है। यह विविधता विद्यार्थी को आस–पास जाने तथा प्रत्येक अलग कार्य पर उनके ध्यान को बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। इस सिद्धान्त को लागू करने का दूसरा तरीका, विद्यार्थियों को उनकी निबन्ध परीक्षा लिखने को लिए हाथ या कम्प्यूटर से लिखने का विकल्प प्रदान करना होता है।

8. **उपागम हेतु आकार एवं स्थान (Size and Space for Application)** – अधिकांशतः अध्यापको के शिक्षण –कक्ष कार्य पूर्व नियोजित होते है और उन्हें डेस्क शैली या भौतिक स्थानों पर बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। इस सिद्धान्त के लिए महत्वपूर्ण है कि शिक्षण–कक्ष के भौतिक स्थान के विषय में जानकारी रखा जाय तथा आने वाले समय में स्थानो को विभिन्न तरीके से उपयोग करने के विषय में सोचा जाय। उदाहरण के लिए जब आप कार्यक्रम तथा डेस्क की व्यवस्था की जाने वाली विविध प्रकार की सामग्री के

विषय में सोचते है, तो इसका तात्पर्य है कि आप टखने (ankle) में मोच वाले विद्यार्थी तथा व्हीलचेयर में बैठे विद्यार्थी के लिए बैठने की व्यवस्था हेतु तैयारी कर रहे होते है।

9. **शिक्षार्थियों का समुदाय (Community of Learners)** – शिक्षार्थियों का एक समुदाय तैयार करने के लिए अध्यापको को पूर्व ज्ञान के विभिन्न स्तरों पर लचकदार, जानकार एंव सहनशील रहने की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों के ध्यान बढ़ने के उपागम तथा भौतिक स्थान का उपयोग करने के तरीको के विषय में जागरूक होना चाहिए। शिक्षार्थियों का एक सकारात्मक समुदाय तैयार करने के लिए अध्यापको को अनुदेशात्मक सिद्धान्तों हेतु सार्वभौमिक रचना के सभी पहलुओं से जुडने की आवश्यकता होती है। शिक्षण कक्ष में विद्यार्थियों से सीखने की इच्छा शिक्षार्थियों के समुदाय के विकास को बढ़ावा देती है।

सार्वभौमिक रचना का निर्माण बाधामुक्त रूप–रेखा तथा वास्तुकला सुगमता से सम्बन्धित होता है। सार्वभौमिक रचना केन्द्र के अनुसार "सार्वभौमिक रचना उत्पादो एवं वातावरण की रूप–रेखा है, जिसके बिना अनुकुलन की आवश्यकता अथवा विशेषीकृत संरचना के सभी लोगो द्वारा, जहाँ तक सम्भव हो उपयोग किया जा सकें। वर्तमान के वर्षो में यह उपागम जिसे वास्तव में भवन रचना के लिए उपयोग किया जाता है, उसे अनुदेशात्मक अभ्यासो के लिए भी उपयोग किया जा रहा है।"अनुदेशन की सार्वभौमिक रचना प्रत्येक विद्यार्थी की अधिगम आवश्यकताओं के लिए शिक्षण के बेहतर अभ्यास को लक्षित करती है।"

10.6 पाठ्य योजना के नियोजन एवं अनुदेशन में यू0डी0एल0 के मुख्य सिद्धान्तों का अनुप्रयोग

यू0डी0एल0 का प्रयोग कक्षा–कक्ष में सकारात्मक वातावरण पर आधारित है। यू0डी0एल0 के मुख्य सिद्धान्तो को पाठ योजना तथा अनुदेशन में अनुप्रयोग करने से पूर्व इसके समग्र अभिकल्प पर विचार करना होगा जैसे सभी बच्चों के लिए अधिगम अनुभव मुहैया करना, स्थान का उपयोग करना तथा सूचनाओं को प्रस्तुत करना। इसके अतिरिक्त निष्पक्षता सुगम्यता, लचीलापन, समावेशी सरलता एवं सुरक्षा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। निम्न सारणी के द्वारा यू0डी0एल0 के विभिन्न सिद्धान्तों के उपयोग को समझा जा सकता है–

सारणी

क्र.सं.	सिद्धान्त	उपयोग कैसे करें
1.	प्रस्तुतीकरण का विविध माध्यम	प्रत्यक्षिकरण, भाषा एवं समझ आदि के आधार पर शिक्षार्थियों की सामर्थ्यनुसार कक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रस्तुतीकरण करें, जिससें शिक्षार्थी को समायोजित किया जा सकें। उदाहरण के लिए श्रव्य एंव दृश्य सूचनाओं का विकल्प मुहैया करना, नये–नये शब्दों को एवं चिन्हों को स्पष्ट करना। विविध टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, चिन्हित करना आदि।
2.	क्रिया एवं अभि–व्यक्ति	विद्यार्थियों के विभिन्न भौतिक सम्प्रत्यय एवं क्रियात्मक सामर्थ्य के आधार पर अध्यापक को क्रिया एवं अभिव्यक्ति हेतु विविध माध्यम का इस्तेमाल करना होगा, उदाहरण के लिए विविध सहायक उपकरण का इस्तेमाल, विद्यार्थियों के उत्तर देने हेतु विकल्प, लक्ष्य निर्धारण, नियोजन तथा समय प्रयोजित हेतु विद्यार्थियों को सहायता देना।
3.	संलग्नता हेतु विभिन्न माध्यम	विद्यार्थियों को विभिन्न रूप, विधान, आत्म नियन्त्रण के दृष्टिगत संलग्नता हेतु विविध माध्यम का इस्तेमाल करना जैसे पसन्द के अनुसार शिक्षण, प्रासंगिकता, प्रमाणिकता, विकर्षण को दूर करना, सह सम्बन्ध को बढ़ाना आदि।

कक्षा शिक्षण में यू0डी0एल0 सिद्धान्त का प्रयोग करते हुए शिक्षकों को निम्नलिखित

बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है–

- विविध संवेदना के आधार पर शिक्षण सहायक समग्री का प्रयोग।
- दृष्य, श्रव्य एवं गतिज प्रारूप आदि के माध्यम से प्रस्तुतीकरण देना।
- विभिन्न प्रकार के सूचना सम्प्रेषण तकनीकी की सुगमता को सुनिश्चित करना।
- पर्याप्त स्थान का निर्धारण करना।
- विकर्षण को हटाना जिससे विद्यार्थियों को अनुदेशात्मक कार्यो में व्यस्त रखा जा सकें।
- कक्षा को देखभाल युक्त तथा सुरक्षित अधिगम वातावरण के रूप में तैयार करना।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

4. स्कॉट एवं मैकगुइरी (2001) के अनुसार सार्वभौमिक रचना के अनुदेशन हेतु कितने सिद्वांन्तो मार्गदर्शन प्रदान करते हैं?

.....

.....

5. कक्षा शिक्षण में यू0डी0एल0 सिद्धान्त का प्रयोग करते हुए शिक्षकों को किन– किन बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है?

.....

.....

10.7 साराश

सार्वभौमिक रचना एक अवधारणा है, जो सभी उत्पादों, वातावरण तथा सूचना प्रणाली में मानव योग्यता के वृहद् सम्भावित क्रम को पहचानती, स्वीकार करती, मूल्यों को समझती तथा समायोजन का प्रयास करती है। सार्वभौमिक डिजाइन काम के विकल्प विकसित करने के साथ–साथ दिव्यांग विद्यार्थियों के बाधाओं को कम कर सभी विद्यार्थियों के सीखने एवं मार्गदर्शक की जानकारी प्राप्त कर शिक्षक समावेशी कक्षा में अधिगम वातावरण का निमार्ण तथा अनुदेशन का नियोजन कर सकता है।

10.8 अभ्यास के प्रश्न

1. सार्वभौमिक अभिकल्प के अनुदेशन के प्रभावी उपागम को स्पष्ट कीजिए।
2. अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प के बहुसमाग्री माध्यम की विवेचना कीजिए।

10.9 चर्चा के बिन्दु

1. कक्षा शिक्षण में यू0डी0एल0 सिद्धान्त का प्रयोग करते हुए समावेशित विद्यालय में पाठ्योजना निर्माण पर चर्चा कीजिए।

10.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. 1950 में दशक में।
2. सार्वभौमिक रचना की संकल्पना भवन–शिल्पी रोनाल्ड मेस द्वारा दिया गया।
3. सेंटर फॉर एप्लाइड स्पेशल टेक्नोलॉजी (Center For Applied Special Technology) ।
4. 09 सिद्वांन्तो मार्गदर्शन प्रदान करते है।
5. कक्षा शिक्षण में यू0डी0एल0 सिद्धान्त का प्रयोग करते हुए शिक्षकों को निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता हैः–

- विविध संवेदना के आधार पर शिक्षण सहायक समग्री का प्रयोग।
- दृष्य, श्रव्य एवं गतिज प्रारूप आदि के माध्यम से प्रस्तुतीकरण देना।
- विभिन्न प्रकार के सूचना सम्प्रेषण तकनीकी की सुगमता को सुनिश्चित करना।
- पर्याप्त स्थान का निर्धारण करना।
- विकर्षण को हटाना जिससे विद्यार्थियों को अनुदेशात्मक कार्यो में व्यस्त रखा जा सकें।
- कक्षा को देखभाल युक्त तथा सुरक्षित अधिगम वातावरण के रूप में तैयार करना।

10.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Ambrose, S., Bridges, M.W., DiPietro, M., Lovett, M.C., & Norman, M.K. (2010). How learning works: Seven research-based principles for smart teaching. San Francisco: Jossey-Bass. Chapter 6: 'Why do Student Development and Course Climate Matter for Student Learning?
2. Aronson, J., Fried, C.B., & Good, C. (2002). Reducing the effects of stereotype threat on African American college students by shaping theories of intelligence. Journal of Experimental Social Psychology, 38, 113–125. Available online
3. Arvanitakis, J. & Hornsby, D.J. (Eds.) (2016). Universities, the citizen scholar and the future of higher education. Palgrave Critical University Studies.
   Begrer, W. (2016). A more beautiful question: The power of inquiry to spark breakthrough ideas. Bloomsbury.
4. Borghi, S., Mainardes, E., Silva, E. (2016). Expectations of higher education students: A comparison between the perception of student and teachers. *Teritary Education and Management 22 (2),* 171-188.
5. Freeman, T. M., Anderman , L. H., & Jensen, J. M. (2007). Sense of belonging in college freshmen at the classroom and campus levels. The Journal of Experimental Education, 75(1), 203-220.
6. Gurin, P., Dey, E.L., Hurtado, S., & Gurin, G. (2002). Diversity and higher education: Theory and impact on educational outcomes. Harvard Educational Review, 72(3), 330-366.
7. Hockings, C. (2010) Inclusive learning and teaching in higher education: A synthesis of research. York: Higher Education Academy. Available online
8. Hook, J. N., Davis, D. E., Owen, J., Worthington Jr., E. L., & Utsey, S. O. (2013). Cultural humility: Measuring openness to culturally diverse clients. Journal of Counseling Psychology.
9. Kardia, D. & Saunders, S. (n.d.) Creating inclusive college classrooms. Available online
10. Nagda, B.A., Gurin, P., Sorensen, N., Zuniga, X. (2009). Evaluating intergroup dialogue: Engaging diversity for personal and social responsibility. Diversity & Democracy 12(1), 4-6.
11. Nash, R. J., Bradley, D.L., & Chickering, A.W. (2008). How to talk about hot topics on campus: From polarization to moral conversation. San Francisco: Jossy-Bass Publishers.
12. Nolinske, T. (1999). Creating an inclusive learning environment. Essays on teaching excellence. Toward the Best in the Academy 11, 3. Available online

इकाई– 11: विभेदित एंव सहकर्मी मध्यस्थता निर्देशन

इकाई की संरचना

11.1 प्रस्तावना

11.2 इकाई के उद्देश्य

11.3 विभेदित अनुदेशन का अर्थ

11.3.1 विभेदित अनुदेशन के अनुप्रयोग के सिद्वान्त

11.3.2 विभेदित अनुदेशन और अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प के लिए सामान्य कक्ष रणनीतियाँ

11.4 सहकर्मी मध्यस्थता निर्देश का अर्थ और परिभाषा

11.4.1 पीयर मध्यस्थता निर्देश के लाभ

11.4.2 सहकर्मी मध्यस्थता निर्देश के प्रकार

(क) कक्षा आधारित सम–कक्षी शिक्षण

(ख) सहकर्मी सहायता प्राप्त सीखने की रणनीतियाँ

11.5 सारांश

11.6 अभ्यास के प्रश्न

11.7 चर्चा के बिन्दु

11.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

11.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

11.1 प्रस्तावना

प्रभावी शिक्षक विद्यार्थियों की विविध अधिगम शैली एवं आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण कार्य को लचीला एवं प्रभावी बनाने पर जोर देते हैं। विभेदित अनुदेशन शिक्षण का ऐसा उपागम है जिसमे विविध क्षमताओं से युक्त विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इसके द्वारा कक्षा में विद्यार्थियों की सामर्थ्य एवं सीमाओ के आधार पर अनुदेशन के नियोजन तथा प्रस्तुतीकरण में सहायता मिलती है। एक अकेला व्यक्ति किसी काम को इतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकता जितना कि दो या दो से अधिक व्यक्ति या संस्थायें एक दूसरे की सहायता से कर सकते हैं। दोनों तरफ से कार्य सकारात्मक अन्तःक्रिया, परामर्श और सम्प्रेषण से चलता है। जितनी अच्छी अन्तःक्रिया, परामर्श व सम्प्रेषण होंगा उद्देश्यों के उतने ही सरलता से प्राप्त किया जा सकेगा। सहयोग कल्याण भाव होता है और अन्तिम रुप से यह भाव अच्छे सम्बन्ध बनाता है। जब एक समूह दूसरे समूह को सहयोग देता है तो दोनों में एक दूसरे के प्रति आदर व सम्मान का भाव रहता है,

इस इकाई में आप विभेदित अनुदेशन की विविध अधिगम शैली एवं आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण कार्य को लचीला एवं प्रभावी बनाने के तरीके एंव सह–शिक्षण विधि के अर्थ एंव शिक्षण प्रशिक्षण विधि में अनुप्रयोग से अवगत होंगे।

11.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन करने के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. विभेदित अनुदेशन के अवधारणा को समझ सकेंगे।
2. विभेदित अनुदेशन के अनुप्रयोग के सिद्वान्त से अवगत हो सकेंगे।
3. विभेदित अनुदेशन और अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प के लिए सामान्य कक्ष रणनीतियों का अनुप्रयोग

कर सकेंगे।

4. सह–शिक्षण विधि का अर्थ एवं प्रकार से अवगत हो सकेंगे।
5. सहकर्मी मध्यस्थता निर्देश का अर्थ समझ सकेंगे।

11.3 विभेदित अनुदेशन

विभेदित अनुदेशन शिक्षण का ऐसा उपागम है जिसमे ं विविध क्षमताओ ं से युक्त विद्यार्थियों को अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है इसके द्वारा कक्षा में विद्यार्थियो की सामर्थ्य एवं सीमाओ के आधार पर अनुदेशन के नियोजन तथा प्रस्तुतीकरण में सहायता मिलती है। जैसा कि पूर्व में यू0डी0एल0 के बारे में बताया गया है कि अनुदेशन अनेक प्रकार के है जिससे विद्यार्थी सूचनाओं को विविध तरीके से प्राप्त कर सकते है तथा विभिन्न उपागमों के माध्यम से अपने व्यक्तिगत क्षमता तथा कौशल के अनुसार विभिन्न सम्प्रत्य को समझ सकते है, तथा व्यक्त कर सकते है, इसलिए आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि विषयवस्तु के मुख्य बिन्दुओं और भागों को नियोजन करें जिससे विद्यार्थी गहराई से अधिगम कर सके। वांछित परिणाम को पूर्ण करने हेतु विभेदीकरण अनुदेशन, लचीला समूह शैली (कभी पूरे समूह को तो कभी छोटे–छोटे समूह को) में प्रयोग होता है।

विभेदित अनुदेशन के प्रमुख चरण

विभेदित अनुदेशन के प्रमुख चरण निम्नवत् है–

(1) विद्यार्थियों की क्षमता जानने तथा शिक्षण के लिए नियोजन करना जैसे कि कुछ बच्चे खेलना पसन्द करते है तो कुछ बच्चे खेलना, गीत गाना आदि पसन्द करते हैं। बच्चों की इन क्षमतानुसार अध्यापक अनुदेशन के उपागम का निर्धारण करें जिससे विद्यार्थी रूचि लेगें।

(2) विद्यार्थियों की क्षमता प्रदर्शन स्तर एंव आवश्यकता के आधार पर अनुदेशन के विषय वस्तु में बदलना। इसका आशय यह नहीं है कि विषय वस्तु के आवश्यक पहलुओं में बदलाव करना बल्कि विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर के आधार पर प्रस्तुतीकरण में विविधता लाना।

(3) विद्यार्थियों की विशेषता,सहायता का स्तर के आधार पर अनुदेशात्मक उपागम पाठयोजना एवं समूह में बदलाव विद्यार्थियों की विविधता अनुदेशात्मक सहायता को निर्धारित करता है। विद्यार्थियो की विविध आवश्यकता के आधार पर शिक्षको को कई रणनीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है जैसे– पाठ को सरल से जटिल, बच्चों के समूह को शुरूआत में बड़े समूह में और बाद में छोटे–छोटे समूह में एवं अनुदेशन के विभिन्न उपागम में बदलाव करना।

(4) विद्यार्थियों के द्वारा किये गये अधिगम को प्रदर्शित करने हेतु विविध तरीकों पर विचार करना। कक्षा के कुछ विद्यार्थियों के लिए आकलन के वैकल्पिक तरीकों जैसे मौखिक रूप से उत्तर लेना। इससे यह निर्धारित किया जाता है कि विद्यार्थी के द्वारा पाठ विषय को किस रूप में अभ्यास किया गया है। परन्त, निमाणात्मक मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों के आकलन करना आवश्यक है।

11.3.1 विभेदित अनुदेशन के अनुप्रयोग के सिद्वान्त

विभेदित अनुदेशन के अनुप्रयोग के सिद्वान्त निम्नवत है –

विभेदित विषय वस्तु

- विद्यार्थियों के आवश्यकता के अनुरूप विषय वस्तु में बदलाव करना (जेसे विषय वस्तु के कठिनता के स्तर का निर्धारण कर विद्यार्थियों का ज्ञानात्मक और कौशलात्मक विकास करना) जिसमें विद्यार्थियों की पूर्व प्रस्तुति, अभिरूचि, प्रोत्साहन की आवश्यकता तथा अधिगम शैली को ध्यान रखा जाए।
- पाठ्यचर्या के बड़े–बड़े अवधारणाओं को पूर्ण प्राप्त करने योग्य ध्येय बनाना।
- नये अधिगम एवं विद्यार्थियों के विकासात्मक निकटवर्ती क्षेत्र के अनुरूप बनाना।

विभेदित प्रक्रिया

- विद्यार्थियों की क्षमता, अधिगम शैली, अभिरूचि एवं तैयारी के अनुरूप विविध आकलन रणनीति का प्रयोग करना।
- विविध अधिगम क्रिया कलाप का उपयोग एवं विविध समूह बनाने की रणनीति को अपनाना, जिससे विद्यार्थियों की क्षमता एवं कितनी सहायता की आवश्यकता है का पता लगाना।
- कक्षा में अनुदेशन एवं प्रबन्धन रणनीतियों का विभिन्न तौर तरीको के द्वारा क्रियान्वयन करना।
- विभिन्न क्रिया– कलाप और परियोजनाओं में से विद्यार्थियों को विकल्प चुनने का अवसर प्रदान करना।
- विभेदित रणनीति के अनुरूप विद्यार्थी की प्रगति प्रतिदिन रिकार्ड करना एवं नजर रखना।
- दिव्यांग छात्रों की वैयक्तिक शैक्षिक योजना (IEP) में उल्लेख विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकता के आधार पर समायोजित अथवा संसोधन करना।

विभेदित परिणाम

- विविध आकलन उपकरणों के द्वारा उपलब्धि के आकंड़ों का एकत्रीकरण करना।
- विविध प्रकार की परियोजना एवं समस्या समाधान क्रियाकलाप में सम्मिलित कर विद्यार्थियों की रूचियों का ध्यान रखना।
- विद्यार्थियों की अधिगम क्षमताओं के प्रति जागरूक बनाना, आत्मकेन्द्रित बनाना, प्रस्तुतीकरण हेतु विभिन्न प्रारूप का चयन करने का प्रशिक्षण देना।

11.3.2 विभेदित अनुदेशन और अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्पके लिए सामान्य कक्ष रणनीतियाँ

सहयोगी अधिगम – सहयोगी अधिगम के अन्तर्गत कुछ विद्यार्थियों के संवेगात्मक आवश्यकताएं तथा सीखने के तरीकों के लिए छोटे समूह कार्यो को वितरित किया जाता है,जिससे समूह में विद्यार्थियों के अलग–अलग प्रतिभा एवं क्षमता से युक्त होने के कारण प्रत्येक विद्यार्थी को अपने क्षमता का मूल्य अनुभव करने में सहायता मिलती है। किसी विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने हेतु विद्यार्थी समूह में कार्य करते है जिससे विद्यार्थियों में सकारात्मक जिम्मेदारी एवं परस्पर निर्भरता की भावना का विकास होता है। समूह में कार्य की संरचना इस प्रकार से की जाती है जिससे एक विघार्थी अकेले अपने बल पर नहीं कर सकता है जिससे एक दूसरे से मदद लेने, तैयार करने एवं समूह में कार्य करने की भावना का विकास होता है।

परियोजना आधारित उपागम – किसी निश्चित प्रकरण या विषय पर विभिन्न प्रकार की परियोजना के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम्य बनाया जाता है एवं विद्यार्थी को अपने मनपसन्द विषय में अपने स्तर अनुरूप तथा अपने गति अनुसार कार्य करने हेतु अनुमति देता है। विघार्थी अपने संवेगात्मक आवश्यकता एवं अधिगम शैली के आधार पर स्वतन्त्र रूप से अथवा मिश्रित रूप से समूह बनाकर परियोजना पर कार्य करते है। सामूहिक परियोजना में शिक्षक के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है। निश्चित विघार्थी अलग–अलग परियोजना में एक समय मे अलग– अलग काम कर सकता है तथा शिक्षक यह अवलोकन करते है कि विद्यार्थियों को आवंटित कार्य में उनका प्रयास एवं अनुदेशात्मक स्तर की पूर्ति हो रही है या नहीं।

समस्या समाधान उपागम – विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान एवं प्रस्तुति के अनुसार यथार्थवादी समस्याओं को विभिन्न रणनीतियों एवं उपागमों के माध्यम से अलग–अलग परिस्थितियों में समाधान करते है। शिक्षकों से यह अपेक्षित है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उपयुक्त संज्ञानात्मक चुनौतियों का नियोजन करे।

विभेदित अनुदेशन के प्रमुख रणनीति लचीला समूह का निर्माण है। विद्यार्थियों की क्षमता, अभिरूचि, अधिगम शैली तथा तैयारी के आधार पर अलग–अलग समूह में अलग–अलग कार्य करवाना शिक्षक के लिए आसान होता है। विद्यार्थियों के समूह उनकी अभिरूचि के आधार बनाए जाते है परन्तु विभिन्न क्रियाकलापों को जटिलता के

विभिन्न स्तर पर बांटा जा सकता है जैसे प्रश्नोत्तर का स्तर, अमूर्त चिन्तन की प्रक्रिया आदि। यह प्रक्रिया विद्यार्थियों की अधिगम शैली श्रव्य, दृष्य एवं गतिज आदि का ध्यान रख कर की जाती है। शिक्षकों को यह ध्यान रखना होगा कि इस अनुदेशन में किसी भी विद्यार्थी को कक्षा से अलग न माना जाय तथा विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से, छोटे समूह में या बड़े समूह में एक साथ अधिगम क्रियाओं को करें जिससे, अनुदेशन के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

सह–शिक्षण विधि का अर्थ

समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत जब एक सामान्य शिक्षक तथा विशेष शिक्षक सामान्य तथा दिव्यांग विद्यार्थियों को आवश्यकता को उनके शिक्षण को अनुरूप आयम में मिलकर शिक्षण योजना निर्देशन व्यूह रचनाएँ करते है, तो इस प्रकार के शिक्षण विधि को हम सह–शिक्षण विधि कहते है। दूसरे तरीके से हम कह सकते है कि सह– शिक्षण विघार्थी के लिए दो या दो से अधिक लोगो से सीखने का एक आन्नददायक तरीका है, जिनके सोचने या सीखने के अलग–अलग तरीके हो सकते है। कुछ विद्वानों के अनुसार सह–शिक्षण दूसरो से जूड़ने और उनकी मद्द करने का एक रचनात्मक तरीका है। जिसमें अन्तर्गत सभी बच्चे सीखते है। अन्य विद्वानों के अनुसार सह–शिक्षण विद्यालयों को और अधिक प्रभावी बनाने का एक तरीका हैं। सह–शिक्षण का एक सामान्य उदाहरण आज कई समावेशी कक्षाओं में देखा जा रहा है। जहाँ एक सामान्य शिक्षक और एक विशेष शिक्षक कक्षा प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी लेता है,तथा शिक्षण प्रक्रिया हेतु मिलकर व्यूह रचना करता है। सह–शिक्षण को दो से अधिक रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो निम्न है –

1) कम से कम आम सार्वजनिक रूप से सहमत–लक्ष्य पर प्राप्त करने के लिए अपने काम का समन्वय करें।

2) एक विश्वास प्रणाली साझा करें कि सह–शिक्षण टीम के प्रत्येक सदस्य के पास अद्वितीय और आवश्यक विशेषज्ञता है।

3) वैकल्पिक रूप से शिक्षक और शिक्षार्थी विशेषज्ञ और नौसिखिए ज्ञान या कौशल के दाता और प्राप्तकर्ता की दोहरी भूमिकाओ में संलग्न होकर समानता प्रदर्शित करें।

4) नतृत्व के एक वितरित कार्य सिद्धान्त का उपयोग करें जिसमें पांरपरिक अकेले शिक्षक के कार्य और संबंध कार्य सभी सह–शिक्षण समूह के सदस्यों के बीच वितरित किए जाते है।

5) एक सहकारी प्रक्रिया का उपयोग करें जिसमें आमने–सामने बातचीत सकारात्मक अन्योन्याक्षयता, प्रदर्शन साथ ही पारस्परिक कौशल और व्यक्तिगत जबाव देही की निगरानी और प्रसंस्करण शामिल है। अधिगम विद्यालय की साथ उपविषयों आदि कार्य मिल जुल कर करते है।

सह–शिक्षण विधि के लाभ

शिक्षको के लिए सह–शिक्षण विधि के लाभ :–

- विद्यार्थी के व्यवहार की निगरानी करना आसान है।
- यह व्यवसायिक तथा व्यक्तिगत समूहों के लिए सबंधं और अवसर बनाता है।
- यह निदेशात्मक गतिविधियों के दौरान अधिक सहायता प्रदान करता है।
- यह एक दूसरे से पृष्ठपोषण प्राप्त करने में मदद करता है।
- यह अधिक लचीला समूहीकरण प्रदान करता है।
- यह कौशल सीखने हेतु उपयुक्त शिक्षण सामग्री के चयन करने में उपयुक्त है।

विद्यार्थियों के लिए सह–शिक्षण के लाभ

विद्यार्थियों को सह–शिक्षण से निम्न लाभ है –

- यह समान्य शिक्षा पाठ्यक्रम तक पहुँच प्रदान करता है।
- यह अधिक निर्देशात्मक समर्थन प्रदान करता है।
- यह साथियों से सीखने के कौशल को बढ़ाता है।

- यह सामाजिक निर्देशों के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है।
- यह सभी विद्यार्थियों के लिए सम्मान और समझ को बढ़ाता है।

सह–शिक्षण विधि के तरीके

मैरिल फ्रेंड और लिन कुक (1996) ने सह–शिक्षण के विभिन्न तरीके प्रस्तुत किये है जो दो शिक्षको को एक कक्षा में एक साथ काम करने का तरीका प्रदान करते है। उनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

1. एक सिखाओं एक सहायता (One teach One Assist)
2. स्टेशन शिक्षण मॉडल (Station – Teaching Model)
3. समानांतर शिक्षण (Paraller Teaching)
4. वैकल्पिक शिक्षण (Alternative Teaching)
5. टीम शिक्षण (Team Teaching)

1. **एक सीखाओ एक सहायता (One teach One Assist)** – एक सीख एक सहायता मॉडल के अन्तर्गत शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी शिक्षण योजना का निर्माण करना होता है। तथा साथ ही दूसरा शिक्षक कक्षा में उपस्थिति छात्रों की मदद करता है। तथा यदि उनके विशेष व्यवहारों का अवलोकन करता है। उदाहरण के लिए यदि एक शिक्षक पर्यावरण से सम्बन्धित पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। तब दूसरा शिक्षक कक्षा में भ्रमण करते हुए विद्यार्थियों की शिक्षण आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण सामग्रियों का वितरण करता है। जिससे शिक्षण सुचारू व प्रभावी रूप से संचालित हो सकें तथा कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को सरल व प्रभावी शिक्षण ग्रहण कर सकें।

    - विद्यार्थियों को समय पर व्यक्तिगत सहायता प्राप्त होती है।
    - शिक्षक की निकटता के कारण विद्यार्थियों को काम करना आसान हो जाता है।
    - शिक्षण सामग्री वितरण करने से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है।

इस दृष्टिकोण के कुछ नुकसान हैं जो इस प्रकार हैं–

- विद्यार्थियों की दृष्टि से एक शिक्षक का दूसरे शिक्षक से अधिक नियंत्रण होता है।
- विद्यार्थियों अक्सर एक व्यक्ति को शिक्षक के रूप में और दूसरे को शिक्षक सहयोगी के रूप में सम्बंधित करते है।
- पाठ् के दौरान शिक्षक का घूमना–फिरना कुछ विद्यार्थियों का ध्यान भंग करने वाला हो सकता है।

2. **स्टेशन शिक्षण मॉडल (Station -Teaching Model)** – स्टेशन शिक्षण मॉडल के अन्तर्गत सामान्य शिक्षक एवं विशेष शिक्षक दोनों आपस में निर्देशात्मक सामग्री को विभाजित करते है। और प्रत्येक इसके हिस्से की योजना का निर्माण करने एवं शिक्षण कराने की जिम्मेदारी लेता है। स्टेशन शिक्षण में कक्षा को विभिन्न शिक्षण केन्द्रों में विभाजित किया जाता है। दोनों शिक्षक विशेष स्टेशन पर है, अन्य स्टेशन स्वतंत्र रूप से विद्यार्थियों या शिक्षक सहयोगी द्वारा चलाए जाते है। उदाहरण के लिए तीन या अधिक विज्ञान स्टेशन, प्रत्येक में एक अलग प्रयोग वाले दो स्टेशनों के साथ काम करने वाले दोनों शिक्षकों के साथ आयोजित किया जा सकता है। जिन्हें सबसे अधिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। स्टेशनों की निगरानी के लिए एक सहयोगी या अभिभावक स्वंयेसवक या प्रशिक्षु शिक्षक का उपयोग करना भी संभव है।

इस उपाय के कुछ फायदे इस प्रकार हैं –

- प्रत्येक शिक्षक की स्पष्ट शिक्षण जिम्मेदारी होती है।
- विद्यार्थियों को छोटे समूहों में काम करने का लाभ मिलता है।
- शिक्षक कम समय में अधिक शिक्षण सामग्री को प्रदर्शित कर सकते है।

इस दृष्टिकोण के कुछ नुकसान हैं जो निम्नलिखित हैं–

- प्रभावी ढंग से काम करने के लिए इस दृष्टिकोण के लिए बहुत पहले से योजना बनाने की आवश्यकता होती है।
- सभी सामग्रियों को पहले से तैयार और व्यवस्थित किया जाना चाहिए।
- शोर का स्तर अधिकतम होगा।

3. **समानांतर शिक्षण (Parallel Teaching)** – समानंतर शिक्षण में, दोनों शिक्षक संयुक्त रूप से योजना बनाते है। लेकिन एक ही समान जानकारी पढ़ाने के लिए कक्षा को आधे में विभाजित करते है। उदाहरण के लिए, दोनों शिक्षक कमरे के दो अलग–अलग हिस्सों में एक ही गणित समस्या–समाधान पाठ की व्याख्या कर सकते है। यदि कमरे में दो कम्प्यूटर हो, तो प्रत्येक शिक्षक आधी कक्षा के लिए इन्टरनेट या एक नए सॉप्टवेयर के उपयोग को मॉडल करने के लिए एक कम्प्यूटर का उपयोग कर सकते है। पाठ अध्ययन के दौरान कक्षा के आधे विद्यार्थियों के लिए साहित्य अध्ययन समूह में शामिल किया जा सकता है।

इस दृष्टिकोण के कुछ फायदे हैं जो इस प्रकार हैं–

- पिछले बेहतर शिक्षण पूर्व योजना बनाना।
- प्रत्येक शिक्षक के पास समान पाठ्य पढ़ाने के लिए अलग से काम करने का आसान स्तर होता है।

इस दृष्टिकोण के कुछ नुकसान हैं जो इस प्रकार हैं–

- दोनों शिक्षकों को शिक्षण –सामग्री में सक्षम होना चाहिए ताकि छात्र समान रूप से सीख सकें।
- पाठ्य की गति समान होनी चाहिए ताकि वे एक ही समय पर समाप्त हों।
- कक्षा में दो समूहो को समायोजित करने के लिए पर्याप्त लचीला स्थान होना चाहिए।

4. **वैकल्पिक शिक्षण (Alternative Teaching)** – वैकल्पिक शिक्षण में एक शिक्षक अधिकांश कक्षा का प्रबंधन करता है जबकि अन्य शिक्षक कक्षा के अंदर या बाहर एक छोटे समूह के साथ काम करते है। छोटे समूह में वर्तमान पाठ्य के साथ एकीकरण नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक एक विद्यार्थियों को उसके पूर्ण न हुए अधिन्यास को पूरा करने हेतु उसे अलग से कमरे में ले जाकर निर्देशन देता है। तथा दूसरा शिक्षक मुल्यांकन उद्देश्यों के लिए एक व्यक्ति या एक छोटे समूह के साथ काम कर सकते है। या सामाजिक कौशल सीख सकते है। विद्यार्थियों का एक छोटा समूह उपजारात्मक या विस्तारित चुनौतियों के काम के लिए मिलकर काम कर सकते है।

इस दृष्टिकोण के कुछ फायदे हैं जो इस प्रकार हैं–

- छोटे समूहों या व्यक्तियों के साथ काम करने सें छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।
- दोनों शिक्षक कक्षा में रह सकते है। ताकि एक शिक्षक अनौपचारिक रूप से दूसरे शिक्षक के अच्छे शि़क्षण तकनीकियों का अनुकरण कर सके।

इस दृष्टिकोण के कुछ नुकसान हैं जो इस प्रकार हैं–

- समुह का उद्देश्य समूह की संरचना के साथ अलग–अलग होना चाहिए।
- विद्यार्थियों बड़े समूहो के साथ काम करने वाले शिक्षक को नियंत्रण वाले शिक्षक के रूप में देख सकते है।
- यदि दोनों शिक्षक कक्षा में काम कर रहे है। तो शोर के स्तर को नियंत्रण किया जाना चाहिए।

5. **टीम शिक्षण (Team Teaching)** – टीम शिक्षण मॉडल के अर्न्तगत दोनों शिक्षक नियोजन के लिए जिम्मेदार होते है, और वे सभी विद्यार्थियों को निर्देशन साझा करते है। पाठय दोनों शिक्षको द्वारा पढ़ाए जाते है। इस मॉडल के द्वारा शिक्षक व्याख्यान विधि पर जोर न देकर विद्यार्थियों से वार्तालाप करने हुए शिक्षण प्रक्रिया करता है। जिससे विद्यार्थियों पाठ के शिक्षण के अर्तगत आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा कर उसे समझ सकें। दोनों शिक्षक कक्षा प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल होते है तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते है। यह दृष्टिकोण कक्षा शिक्षक और एक छात्र शिक्षक या दो छात्र शिक्षको के साथ मिलकर काम

करने के साथ बहुत प्रभावी हो सकता है।

इस दृष्टिकोण के कुछ फायदे हैं जो इस प्रकार हैं–

- प्रत्येक शिक्षक की सक्रिय भूमिका होती है।
- विद्यार्थी दोनो शिक्षको को सम्मान देते है।
- दोनो शिक्षक कक्षा संगठनों और प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल किया जा सकता है।

इस दृष्टिकोण के कुछ नुकसान हैं जो इस प्रकार हैं–

- पूर्व नियोजन में काफी समय लगता है।
- साझा जिम्मेदारी के लिए शिक्षक की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सह–शिक्षण विधि का अर्थ बताइये।

   .....

   .....

2. समानांतर शिक्षण से आप क्या समझते है?

   .....

   .....

3. टीम शिक्षण के फायदे बताइये।

   .....

   .....

11.4 सहकर्मी मध्यस्थता निर्देश का अर्थ और परिभाषा

वर्तमान समय में समावेशी विद्यालयों मे सामान्य और विशेष शिक्षकों को लगातार शिक्षण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योकि कक्षाओं में विद्यार्थियों की विविधता बढ़ रही है। इन सभी चुनौतियों पर काबू पाने का एक समाधान सहकर्मी मध्यस्थ निर्देश और हस्तक्षेप (पीएमआईआई) का कार्यान्वयन एक उपाय है। सामान्य तथा विशेष शैक्षिक प्रणाली में सहकर्मी मध्यस्थता निर्देश व्यापक रूप से लागू और शोधित शैक्षिक हस्तक्षेप है।

सहकर्मी–मध्यस्थ निर्देश और हस्तक्षेप एक वैकल्पिक कक्षा व्यवस्था है जिसमें छात्र सहपाठियों या अन्य छात्रों के साथ एक निर्देशात्मक भूमिका निभाते है। इसके अन्तर्गत कई दृष्टिकोण विकसित किये गए है जिसमें छात्र जोड़े या छोटे सहकारी शिक्षण समूहों में काम करते है। इसे सकारात्मक रूप से प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक हैं कि छात्रो को व्यवस्थित ढंग से प्रतिक्रियाएँ प्राप्त करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए निर्देशात्मक प्रकार में भूमिकाएँ सिखाई जानी चाहिए। विभिन्न अनुसंधान द्वारा भी सिद्ध किया गया है कि वैकल्पिक अभ्यास गतिविधियों रूप में इन दृष्टिकोणों को उपयोग का समर्थन करता है। साथ ही नई निर्देशात्मक सामग्री में निर्देश प्रदान करने के लिए साथियों के उपयोग की प्रशंसा करता है।

मायरेड्डी, वी.गुडलाड और हरूर्ट (Myreddi, V, Goodlad and Hirst, 1989) ने पीयर ट्यूटरिंग या पीयर मध्यस्थता निर्देश को **"शिक्षा की प्रणाली जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे की मदद करते है और शिक्षण द्वारा सीखते है"** के रूप में वर्णित किया है। ("The System of instruction in which learners help each other and learn by teaching")

डेमन और फेलेप्स (Damon and Pheleps) के अनुसार "पीयर ट्यूटरिंग एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें एक बच्चा दूसरे को उस सामग्री पर निर्देश देता है। जिस पर पहला विशेषज्ञ होता है और दूसरा नौसिखिया होता है।" ("Peer tutoring is an approach in which one child instructs another child on material on which the first is an expert and the second is novice")

11.4.1 पीयर मध्यस्थता निर्देश के लाभ (Advantages of peer mediated Instruction) – वर्तमान समय में अपने संभावित लाभो के कारण सहकर्मी मध्यस्था निर्देश समावेशी विद्यालयों में एक पसंदीदा अभ्यास रहा है। सहकर्मी मध्यस्थता निर्देश विशेष जरूरत वाले बच्चों और अन्य सभी बच्चों को लाभान्वित करता है। इसमें शिक्षको द्वारा विशेषज्ञ शिक्षण से जुड़े कई समस्यायों का समाधान देने की क्षमता है। यदि शिक्षको द्वारा व्यवस्थित कार्यक्रम संचालित किया जाय तो पीयर ट्यूटर कार्यक्रम विशेष आवश्यकता वाले बच्चो की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त गतिविधियों को प्रदान कर सकते है। यदि शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन जिम्मेदारी पूर्वक करता है। तो वे सभी शिक्षार्थियों के सीखने की प्रक्रिया, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकता है।

सहकर्मी मध्यस्थता निर्देश आमतौर पर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों और उनके सहकर्मी शिक्षको के बीच स्वस्थ सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देता है। यह नियमित कक्षा के विद्यार्थियों और विशेष जरूरत वाले लोगों के बीच सकारात्मक बातचीत को भी प्रोत्साहित करता है और व्यक्तियों को सहकारी कार्य हेतु एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण करता है। जिसमें सभी एक साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को साझा करें तथा व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत अन्योन्याश्रयता और सीखने के परिणामों को विकसित कर सकते है।

11.4.2 सहकर्मी मध्यस्थता निर्देश के प्रकार – Ryan, Reid, and Epstein (2004) ने सहकर्मी मध्यस्थता निर्देश के प्रकार का वर्णन किया है जो निम्नवत है।)

(क) कक्षा आधारित समकक्षी शिक्षण (Class wide peer tutoring (CWPT))

(ख) सहकर्मी सहायता प्राप्त सीखने की रणनीतियाँ (Peer Assisted Learning Strategies)

(क) कक्षा आधारित समकक्षी शिक्षण (Class wide peer tutoring (CWPT) – कक्षा आधारित सम–कक्षी शिक्षण के अंतर्गत पूरी कक्षा एक कक्षीय शिक्षण में भाग लेती है। प्रत्येक सम–कक्षी शिक्षण सत्र के दौरान विद्यार्थी सम–कक्षी शिक्षक या शिक्षककर्ता के रूप में भाग ले सकते है। कक्षा आधारित सम–कक्षी शिक्षण सहकर्मी– मध्यस्थ निर्देश का एक रूपांतर है, जिसका उपयोग प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय तथा हाई स्कूल की कक्षाओं में प्रयोग किया गया है।

कक्षा आधारित सम–कक्षी शिक्षण कार्यक्रम मूल रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों को समाज के मुख्यधारा की कक्षाओं में शिक्षण प्राप्त करने हेतु तैयार किया गया था, परन्तु यह न केवल चयनित विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हुआ अपितु समावेशी कक्षा में शिक्षण प्राप्त कर रहें सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यता एंव क्षमता के स्तर पर लाभान्वित कर रहा है। विभिन्न शोधो से यह स्पष्ट हो गया है कि कक्षा आधारित सम–कक्षी शिक्षण निम्न विद्यार्थियों हेतु लाभप्रद हैः–

- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी।
- शैक्षिक रूप से लेबल किए गए विद्यार्थी।
- विद्यार्थियों को स्कूल की विफलता का खतरा।
- जो विद्यार्थी सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध है।
- Attention Deficit Disorder (ADD) अवधान न्यूनतम विकार एंव Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) अवधान न्यूनतम एंव अतिक्रियाशीलता विकार
- पूर्व–प्राथमिक विद्यालय से हाई स्कूल और उसके आगे के विद्यार्थी।

(ख) सहकर्मी सहायता प्राप्त सीखने की रणनीतियां (Peer Assisted Learning Strategies) – फुच्च एंव अन्य सहयोगी (1997) द्वारा विकसित सहकर्मी सहायता प्राप्त सीखने की रणनीति कक्षा आधारित सम–कक्षी शिक्षण का

एक संशोधित स्वरूप है,जहॉ शिक्षक उन बच्चों का मूल्यांकन और पहचान करते हैं, जिन्हें विशिष्ट कौशल में साथ मदद की आवश्यकता होती है और उन कौशलों के साथ उनकी सहायता के लिए कक्षा में सबसे उपयुक्त बच्चों का निर्धारण करते हैं। विद्यार्थियों को कोच और खिलाड़ियों के रूप में जोड़ा जाता है, लेकिन गतिविधियों में बदलाव के रूप में भूमिकाए परिवर्तित की जाती है, व विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के कौशलों पर काम करने की आवश्यकता होती है।

सहकर्मी सहायता प्राप्त सीखने की रणनीति शिक्षक द्वारा सिखाये गए गणित या पढ़ने के पाठ्यक्रम को अभ्यास करने के लिए विद्यार्थियों हेतु डिजाइन किया गया है।अनुसंधानों द्वारा यह स्पष्ट है कि विद्यार्थी कक्षा में समूह या जोड़ो में किसी भी कार्य को अधिक सरलता सें सीख सकते है,जबकि शिक्षक निर्देशित गतिविधियॉ कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा कर सकती है,लेकिन सभी विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नही है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

4. CWPT का पूरा नाम बताइये।

.....

.....

5. कक्षा आधारित समकक्षी शिक्षण किन विद्यार्थियों हेतु लाभप्रद है?

.....

.....

11.5 सारांश

विभेदित अनुदेशन शिक्षण का ऐसा उपागम है जिसमे ं विविध क्षमताओ ं से युक्त बालकों को अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है इसके द्वारा कक्षा में विद्यार्थियो की सामर्थ्य एवं सीमाओं के आधार पर अनुदेशन के नियोजन तथा प्रस्तुतीकरण में सहायता मिलती है। विभेदित अनुदेशन के प्रमुख रणनीति लचीला समूह का निर्माण है विद्यार्थियों की क्षमता, अभिरूचि, अधिगम शैली तथा तैयारी के आधार पर अलग–अलग समूह में अलग–अलग कार्य करवाना शिक्षक के लिए आसान होता है। विद्यार्थियों के समूह उनकी अभिरूचि के आधार बनाए जाते है परन्तु विभिन्न क्रियाकलाप को जटिलता के विभिन्न स्तर पर बांटा जा सकता है। समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत जब एक सामान्य शिक्षक तथा विशेष शिक्षक सामान्य तथा दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण के विभिन्न आयामों में मिलकर शिक्षण योजना हेतु व्यूह रचना का निर्माण करते है, तो इस प्रकार के शिक्षण विधि को सह–शिक्षण विधि कहते है।

11.6 अभ्यास के प्रश्न

1. विभेदित अनुदेशन के प्रमुख चरण का उल्लेख कीजिए।
2. विभेदित अनुदेशन के अनुप्रयोग के सिद्वान्त का सविस्तार उल्लेख कीजिए।
3. सहकर्मी मध्यस्थता निर्देश के प्रकार को स्पष्ट कीजिए।

11.7 चर्चा के बिन्दु

1. टीम शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए समावेशी कक्षा में पर्यावरण संरक्षण विषय पर एक पाठ्ययोजना तैयार करने हेतु चर्चा कीजिए।

11.8 बोध पश्नों के उत्तर

1. समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत जब एक सामान्य शिक्षक तथा विशेष शिक्षक सामान्य तथा दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण के विभिन्न आयामों में मिलकर शिक्षण योजना हेतु व्यूह रचना का निर्माण करते है, तो इस प्रकार के शिक्षण विधि को सह–शिक्षण विधि कहते है।
2. समानांतर शिक्षण में, दोनों शिक्षक संयुक्त रूप से योजना बनाते है। लेकिन एक ही समान जानकारी पढ़ाने

के लिए कक्षा को आधे में विभाजित करते है। उदाहरण के लिए, दोनों शिक्षक कमरे के दो अलग–अलग हिस्सों में एक ही गणित समस्या–समाधान पाठ की व्याख्या कर सकते है। यदि कमरे में दो कम्प्यूटर हो, तो प्रत्येक शिक्षक आधी कक्षा के लिए इन्टरनेट या एक नए सॉप्टवेयर के उपयोग को मॉडल करने के लिए एक कम्प्यूटर का उपयोग कर सकते है। पाठ अध्ययन के दौरान कक्षा के प्रत्येक आधे विद्यार्थियों के लिए साहित्य अध्ययन समूह में शामिल किया जा सकता है।

3. इस दृष्टिकोण के कुछ फायदे हैः–
    - प्रत्येक शिक्षक की सक्रिय भूमिका होती है।
    - विद्यार्थी दोनो शिक्षको को सम्मान देते है।
    - दोनो शिक्षक कक्षा संगठनों और प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल किया जा सकता है।
4. कक्षा आधारित सम–कक्षी शिक्षण (Class wide peer tutoring)
5. कक्षा आधारित सम–कक्षी शिक्षण निम्न विद्यार्थियों हेतु लाभप्रद हैः–
    - विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी
    - शैक्षिक रूप से लेबल किए गए विद्यार्थी
    - विद्यार्थियों को स्कूल की विफलता का खतरा
    - जो विद्यार्थी सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध है।
    - अवधान न्यूनतम विकार Attention Deficit Disorder (ADD) एंव
    - अवधान न्यूनतम एंव अतिक्रियाशीलता विकार Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
    - पूर्व–प्राथमिक विद्यालय से हाई स्कूल और उसके आगे के विद्यार्थी।

11.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Hook, J. N., Davis, D. E., Owen, J., Worthington Jr., E. L., & Utsey, S. O. (2013). Cultural humility: Measuring openness to culturally diverse clients. Journal of Counseling Psychology.
2. Kardia, D. & Saunders, S. (n.d.) Creating inclusive college classrooms. Available online
3. Nagda, B.A., Gurin, P., Sorensen, N., Zuniga, X. (2009). Evaluating intergroup dialogue: Engaging diversity for personal and social responsibility. Diversity & Democracy 12(1), 4-6.
4. Nash, R. J., Bradley, D.L., & Chickering, A.W. (2008). How to talk about hot topics on campus: From polarization to moral conversation. San Francisco: Jossy-Bass Publishers.
5. मायरेड्डी वी0 एवं नारायण जे0 (1998) फंक्सनल ऐकेडेमिक्स फॉर स्टुडेन्ट विद माइल्ड मेन्टल रिटार्डेशन, एन0आई0एम0एच0 सिकन्दराबाद।
6. वोवरटन टी0 (1992) एसेसेमेन्ट इन स्पेशल एजुकेशन एन अप्लाइड एप्रोच, मैकमिलन न्यूयार्क।
7. नारायण, जे0 एवं कुट्टी ए0टी0टी0 (1989) हेन्डबुक फॉर ट्रेनर्स ऑफ द मेन्टली रिटार्डेड प्रसंस प्री प्राइमरी लेवेल, एन0आई0एन0एच0 सिकन्दराबाद।
8. डॉल, आर0सी0 (1986), करिकुलम इमप्रुवमेंट : डिसिजन मेकिंग एण्ड प्रोसेस बोस्टन : एलेन एण्ड बेकन।
9. मुरूनालनी, टी (2008) करिकुलम डवलमेंट हैदराबाद नीलकमल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड।
10. कैर, जॉन एफ0;मकण्द्ध (1977) चेजिंग द करिकुलम, लंडन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन प्रेस लिमिटेड।

इकाई– 12 : निर्देशन हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

इकाई की संरचना

12.1 प्रस्तावना

12.2 इकाई के उद्देश्य

12.3 सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) का अर्थ तथा शिक्षा में उपायदेयता

12.4 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित करने में आई.सी.टी.

12.5 संचार कौशल की सुविधाओं के लिए प्रौद्योगिकी

12.6 विशेष शिक्षा में प्रौद्योगिकी से दिव्यांग विद्यार्थियों को लाभ

12.7 आई.सी.टी. का उपयोग करने में शिक्षक क्षमताएँ

12.8 विभिन्न दिव्यांगों के लिए प्रौद्योगिकी का अनुकूलन

12.9 आई.सी.टी. और समावेशी शिक्षा

12.10 सारांश

12.11 अभ्यास के प्रश्न

12.12 चर्चा के बिन्दु

12.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

12.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें

12.1 प्रस्तावना

सूचना व संचार प्रौद्योगिकी समाज में गतिशील परिवर्तन कर रहा है। यह जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित कर रहा है। इसका प्रभाव विद्यालयों में अधिक से अधिक देखने को मिल रहा है, क्योंकि यह विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों की व्यक्गित आवश्कताओं के अनुरूप सिखाने व सीखने में अधिक अवसर प्रदान कर रहा है। समाज/समुदाय भी स्कूलों व विश्वविद्यालयों को इस तकनीकी नवाचार के लिए बदलने को मजबूर कर रहा है। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी ने आजकल लोंगो के काम करने के तरीके में क्रांति ला दिया है और वह शिक्षा प्रणाली में भी व्यक्तियों तक अपना पहुँच बना लिया है। विगत कुछ वर्षों में ऐसे कई शोध हुए हैं जो इस तथ्य का समर्थन करती है कि सूचना व संचार प्रौद्योगिकी दिव्यांग बच्चों को स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम बना रही है। वर्तमान समय में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी दिव्यांग बच्चों के सामाजिक और शैक्षणिक समावेशन का एक उपकरण बन गया है। इस इकाई में आप सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का अर्थ उपायदेयता व समावेशी शिक्षा में उसकी भूमिका से अवगत होगे।

12.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई0 सी0 टी0) की अवधारणा को समझ सकेंगे।
2. विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के संचार के लिए आई0 सी0 टी0 के लाभों से अवगत हो सकेंगे।
3. शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के तरीकों का प्रयोग कर सकेंगे।
4. आई0 सी0 टी0 का उपयोग करने में शिक्षक दक्षताओं को समझ कर प्रदर्शित करेंगे।
5. समावेशी शिक्षा में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगों के लिए संचार के लिए उपलब्ध संसाधनों और प्रौद्योगिकीयों

का प्रयोग कर सकेंगे।

12.3 सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) का अर्थ तथा शिक्षा में उपायदेयता

21 वीं सदी में विद्यार्थियों को आवश्यक ज्ञान और कौशल सिखाने के लिए दुनिया भर की शैक्षिक प्रणालियों पर नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का दबाब बढ़ रहा है। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (आई0सी0टी0) उन प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करती है जो दूर संचार के माध्यम से सूचनाओं तक पहुँच प्रदान करती है। यह सूचना प्रौद्यौगिकी के समान है, लेकिन मुख्य रूप से संचार प्रौद्योगिकी पर केन्द्रित है। इसमें इन्टरनेट, वायरलेंस नेटवर्क, सेलफोन और अन्य संचार माध्यम शामिल है।

पिछले कुछ दशकों में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी ने समाज को नई संचार क्षमताओं का एक विशाल सारणी (रेंज) प्रदान की है जैसे– त्वरित संदेश, वॉइस ओवर, आई0पी, वीडियो कान्फ्रेसिंग, फेसबुक इत्यादि।

1998 की यूनेस्को विश्व शिक्षा रिपोर्ट के अनुसार," वर्तमान समय में बदलती दुनिया में शिक्षक व शिक्षण, पारंपरिक शिक्षण व सीखने के लिए नई सूचना व संचार प्रौद्योगिकियों के कट्टरपंथी प्रभावों का वर्णन करती है। यह शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया के परिवर्तन की भविष्यवाणी करता है और जिस तरह से शिक्षक और शिक्षार्थी ज्ञान और सूचना तक पहुँच प्राप्त कर सकते है, उसके लिए दिशा निर्देशन करता है।"

यूनेस्को (2010) ने सूचना व संचार प्रौद्योगिकी को निम्न रूप से परिभाषित किया है–

"तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का विविध सेट,जो सूचना प्रसारित करने, स्टोर करने तैयार करने, साझा करने या विनिमय करने के लिए उपयोग किया जाता है। इन तकनीकी उपकरणों और संसाधनों में कम्प्यूटर, इंटरनेट (वेबसाइट, ब्लॉग और ईमेल) लाइव ब्रॉड, कास्टिंग टेक्नोलॉजी (रेडिया, टेलीविजन और वेब कास्टिंग), रिर्काडेड़ ब्रॉडकास्टिंग टैक्नोलॉजी (पॉड कास्टिंग, ऑडियो, विडियो प्लेयर और स्टोरेज डिवाइस) और टेलीफोन सम्मिलित है।"

राउज, एम (2019) के अनुसार – "सूचना व संचार प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढॉचा और वे घटक जो आधुनिक कम्प्यूटिंग को सक्षम करता है।"

वर्तमान समय में कम्प्यूटर आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग विभिन्न कारणें से दिन –प्रतिदिन की आवश्यकता बनती जा रही है। तकनीकी प्रगति ने रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, फिल्में जैसे परिष्कृत हार्डवेयर और सॉप्टवेयर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता लाया है। वर्तमान समय में पेशेवर/शिक्षक, शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी तरीकें से बढ़ाने के लिए कक्षा में कई सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (आई0सी0टी0) समर्थित विधियों और सामग्रियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु नियोजित करते है।

जैसा कि वर्तमान युग समावेशन का युग है, जहॉ शिक्षा प्रत्येक बच्चों का मौलिक अधिकार है, तथा सभी बच्चों तक शिक्षा पहुँचाना प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य है। वर्तमान समय में भारत सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजना सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को नियमित स्कूलों में नामांकित किया जा रहा है। नियमित विद्यालयों में शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के कौशल में पिछड़ जाते है, दिव्यांग बच्चों के लिए आईसीटी समर्थित शिक्षण विधियों के बारे में ज्ञान उनके लिए बिना किसी भेदभाव के पूरी कक्षा को संभालने के लिए एक बड़ा वरदान है।

समावेशी शिक्षा मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक सिद्वांत पर आधारित एक रणनीति है जो सभी प्रकार के भेदभाव का सामना करती है। समावेशी शिक्षा सीखने की सभी बाधाओं को दूर करने से संबंधित है और बहिष्कृत और हाशिए पर रहने वाले सभी शिक्षार्थियों की भागीदारी के साथ है। यह एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जिसे सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जिससे सभी बच्चे सीखने में सफल हो सकें, यह सभी बच्चों के लिए सीखने की सफलता की सुविधा प्रदान करता है। इसलिए नियमित शिक्षकों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वे अपनी कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ–साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण–प्रशिक्षण व देखभाल करें, इसलिए वे अपने शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जिस आईसीटी का उपयोग करें, वह दिव्यांग बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप हों जैसे कि सीखने की अक्षमता वाले बच्चे, अल्प बौद्धिक अक्षम बच्चे, आटिज्म, सुनने की दुर्बलता और दृश्य हानि इत्यादि।

12.4 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित करने में आई.सी.टी.

आज के मानको और कल के जीवन के लिए सभी विद्यार्थियों को शिक्षित करने में निश्चित रूप से प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। स्वयं देखभाल, शिक्षा, रोजगार, मनोरंजन, अवकाश और सामुदायिक जीवन के क्षेत्रों में दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने में प्रौद्योगिकी अहम् भूमिका निभा सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी की पहुँच समस्या समाधान और उच्च क्रम सोच कौशल विकसित करने और कक्षाओं से परे दुनिया में कार्य करने के लिए सार्थक सीखने के अनुभव प्रदान कर सकती है। सीखने के वातावरण में प्रौद्योगिकी के उपयुक्त और सफल एकीकरण में सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की क्षमता है। जैसा कि सभी राज्यों में कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाये अधिनियम 2001 के लिए आवश्यक शैक्षिक सुधार की आवश्यकताओं को लागू करने के लिए प्रौद्यौगिकी एक सफल माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है। शिक्षा से वंचित सभी बच्चे मुख्यतः दिव्यांग बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया में सुधार कर प्रौद्योगिकी के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर उन्हें शिक्षित व प्रशिक्षित किया जा सकता है तथा विद्यालय में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है।

विशेष रूप से प्रौद्योगिकी दिव्यांग विद्यार्थियों की निम्न प्रकार से सहायता करती है–

- शैक्षणिक और रोजगार कार्यो में अधिकतम स्वतंत्रता
- कक्षा चर्चा में भाग लेने में स्वतंत्रता
- साथियों, आकाओं और रोल मॉडल तक पहुँच प्राप्त करने में।
- स्व–अधिवक्ता
- शैक्षिक विकल्पों की पूरी ऋंखला तक पहुँच प्राप्त करने में।
- ऐसे अनुभवों में भाग लेने में, जो अन्यथा संभव न हों
- कार्य–आधारित सीखने के अनुभवों में सफल होने में।
- स्वतंत्र शिक्षा के उच्च स्तर को सुरक्षित करने में।
- कॉलेज और करियर में बदलाव के लिए तैयारी करने में।
- साथियो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने में।
- उच्च–शिक्षण कैरियर क्षेत्रों में प्रवेश करने और
- सामुदायिक और मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने में

यूनेस्को के अनुसार "समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि विद्यालय सभी विद्यार्थियों को उनकी अलग–अलग क्षमताओं के बावजूद एक अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकता है। सभी बच्चों को सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, शिक्षकों को अपने लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए सक्रिय और जानबूझकर काम करना चाहिए।"

बोध प्रश्न
टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. यूनेस्को (2010) के अनुसार सूचना व संचार प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए?

.....

.....

2. यूनेस्को के अनुसार समावेशी शिक्षा का अर्थ बताइयें।

.....

.....

12.5 संचार कौशल की सुविधाओं के लिए प्रौद्योगिकी

प्रौद्योगिकी किसी भी उपकरण को संदर्भित कर सकती है किसी भी आवाज या भाषण को सुनने वाले व्यक्ति तक पहुॅचाने में सहायता करती है। पढ़ना, लिखना और सुनना संचार कौशल के तीन सबसे महत्वपूर्ण कारक है। 21वीं सदी में दिव्यांग बच्चों को सीखने और सिखवाने के लिए समावेशी कक्षाओं में प्रयोग बढ़ रहा है। आई0 सी0 टी0 के प्रयोग से इनके सीखने की गति में भी वृद्धि हो रही है। डिजिटल और वायरलेंस प्रौद्योगिकीयों के विकास के साथ, अधिक से अधिक उपकरण सुनने, आवाज, भाषण और विकारों वाले लोगों की सहायता के लिए उपलब्ध हो रहे हैं जिनके माध्यम के अर्थ पूर्ण संवाद संभव हो रहा है। कुछ तकनीकी उपकरण निम्नवत है :–

- **सहायक सुनवाई उपकरण (Assisted Listening Device)-** यह उपकरण उस ध्वनि को बढ़ाने में मदद करता है जिसे आप सुनना चाहते हैं, खासकर जहाँ के वातारण में काफी शोरगुल होता है। इन उपकरणों का उपयोग उन लोगों के लिए अधिक उपयोगी होता है, जिन्होंने श्रवण सहायक यंत्र का प्रयोग, एवं कोक्लियर इंप्लांट का प्रयोग कर रहे है उन्हें आवाज को सुनने में काफी मदद प्राप्त होती है। ये उपकरण निम्न है जैसेः– प्रेरण लूप प्रणाली, आवृत्ति, मॉड्यूलेटेड सिस्टम, इन्फ्रारेड सिस्टम और व्यक्तिगत एम्पलीफायर इत्यादि।

- **संवर्धी एवं वैकल्पिक संचार उपकरण (Augmentative and alternative communication)-** ये उपकरण व्यक्तियों को अपने विचारो एवं सम्प्रेषण को व्यक्त करने में मदद करता है। ये उपकरण साधारण से हो सकते है जैसे :– पिक्चर बोर्ड, कीबोर्ड, टचस्क्रीन, भाषा संश्लेषण और भाषा उत्पन्न करने के लिए कम्प्यूटर प्रोग्राम इत्यादि।

- **चेतावनी उपकरण (Alert device)–** ये दरवाजे की घंटी, टेलीफोन, घड़ी या अलार्म से जुडते है, जिनसे ध्वनि, कंपन, प्रकाश जोर से निकलता है। जो श्रवण हानि वाले बच्चों के लिए काफी उपयोगी होता है। दृश्य या कंपन चेतावनी संकेतक दिव्यांग लोगों की विभिन्न प्रकार की निगरानी में मदद करता है। प्रौद्योगिकी विद्यार्थियों के संचार कौशल को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिखित अथवा मौखिक संचार हेतु प्रौद्योगिकी विशेष आवश्यक वाले विद्यार्थियों हेतु निम्नवत सहायक है –

1. मौखिक संचार और प्रौद्योगिकी –

- **ऑडियो टेप** – ग्रहणशील कौशल विकास हेतु टेप प्लेयर विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के वक्ताओं को सुनने के लिए सबसे आसान तरीका है, इसके माध्यम से विद्यार्थी संवाद, साक्षात्कार, व्याख्यान कहानियाँ, गीत, कविताएँ इत्यादि चीजे सुन सकते हैं।

- **वीडियोटाइप/डिजिटल मूवीज/डिजिटल स्टोरीटेलिंग**– इससे विद्यार्थियों को भाषा के मौखिक संचार का निरीक्षण, समझने और अनुकरण करने में मदद प्राप्त होता है। होंठ के आकार, एवं आकृति के माध्यम से वाक्य संरचना, एवं चेहरे की अभिव्यक्ति, शोर इत्यादि के माध्यम से भाषा का विकास करने में सहायता प्राप्त होती है।

- **भाषा लैब** – भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने आदि के लिए एक नियंत्रित वातावरण प्रदान किया जाता है। इससे विद्यार्थी अपने ईयर फोन के माध्यम से बिना बाहरी ध्वनि व्यवधान के स्पष्टतः सुन सकते है। धीमी गति वाले विद्यार्थी द्वारा अन्य विद्यार्थियों के अध्ययन से बिना व्यवधान डाले स्वगति से अभ्यास करना सम्भव है भाषा लैब के माध्यम से विद्यार्थी ध्वनि–भेद बोधन, उच्चारण–अनुकरण अभ्यास, कुललेखन सामग्री–श्रवय इत्यादि आसानी से कर सकते है।

- **वॉयर मेल** – यह विद्यार्थियों को मौखिक असाइनमेंट करने में मदद करता है जिसे आप सुन सकते है और आकलन कर सकते है।

- **ऐप्स** – विभिन्न प्रकार के ऐप्स के माध्यम से विद्यार्थियों के मौखिक संचार कौशल को विकसित किया जा सकता है जैस – पेपर, टेलीफोन, वॉयस, थ्रेड, वोक्सर, शेक–ए–वाक्यांश इत्यादि विद्यार्थियों के मौखिक संचार कौशल बढ़ाने हेतु शिक्षक बहस, चर्चाएँ और प्रस्तुतियाँ इत्यादि अन्य तरीको के माध्यम का प्रयोग कर सकते है।

2. **लिखित संचार और प्रौद्योगिकी** – विद्यार्थियों के लिखित संचार को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी का काफी बड़ा योगदान है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से लेखन संचार की गुणवत्ता में काफी विकास हुआ है। प्रौद्योगिकी के द्वारा लेखन प्रक्रिया में संगठनात्मक संरचना, पूर्वलेखन, प्रारुपों का प्ररुपण, संपादन, संशोधन, उपयोग आदि का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें न्याकरण यंत्रिकी, वर्तनी में सुधार किया जाता है।

प्रौद्योगिकी विद्यार्थियों को शैक्षिक रुप से प्रासंगिक कार्यो को पूरा करने में सुविधा प्रदान करती है। इसके द्वारा कार्यो में दक्षता, निपुणता, उत्पादकता और आत्मविश्वास का विकास होता है। इसके द्वारा व्यक्ति अधिक सीखते है और अपने काम को साझा करने के माध्यम से खुद को व्यस्त रखते है तथा एक दूसरे की सहायता करते है। निम्नलिखित संचार में निम्न प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है –

- पोजिशनिंग एड्स (स्लैंट बोर्ड, पेज धारक, पुस्तक स्टैंड, क्लिपबोर्ड इत्यादि
- कंट्रास्ट एड्स (हाइलाइटर पेन/टेप, हेल्पर, रंगीन ओवरले इत्यादि पढ़ना
- अनुकूलित लेखन वर्तन (पेंसिल, पेन, पकड़, अनुकूलित कीबोर्ड आदि)
- अनुकूलित पेपर/राइटिंग गाइड (बोल्ड उठाए गए रेखांकित, रंगीन, शुष्कमिट बोर्ड आदि)
- व्यक्तिगत शब्दावली/वर्तनी शब्दकोश (हैंडबुक, नोटबुक, त्वरित शब्द बुकमार्क आदि)
- हैंडहेल्ड वर्ड पहचान एड्स (बात करना, शब्दकोश, वर्तनी कलेक्टर, बोलना शब्दकोश, थिसॉशन आदि)
- रिकार्डर (डिजिटल, स्मार्टपेन, कैसेट आदि)
- हैंडहेल्ड स्कैनर (नोटटर्स, आईसि कलम इत्यादि)
- मुद्रित, ग्राफिक आयोजकों (शिक्षक द्वारा निर्मित, माइक्रोसॉफ्ट शब्द, ऑनलाइन प्रिंट करने योग्य आदि)
- पोर्टेबल वर्ड प्रोसेसर (अल्फामार्ट, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक आदि)
- पाठ सुधार सॉफ्टवेयर
- इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट्स
- वीडियो पहचान सॉफ्टवेयर आदि

दिव्यांग लोगों की शिक्षा में आई0 सी0 टी0 एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विभिन्न प्रकार के दिव्यांगों की आवश्यकता के अनुरुप उनके शैक्षिक, समाजिक व्यक्तिगत बाधकों को दूर करने में सहायक हो रही है। दिव्यांग को समाज में समावेशित करने में योगदान कर रहा है। परन्तु अभी इन क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता है जिससे अधिक से अधिक विशिष्ट आवश्यकता वाले लोगों की सहायता की जा सकें।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. मौखिक संचार प्रौद्योगिकी के नाम लिखिये।

.....

.....

4. चेतावनी उपकरण से आप क्या समझते है।

.....

.....

12.6 विशेष शिक्षा में प्रौद्योगिकी से दिव्यांग विद्यार्थियों को लाभ

सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नेत्रहीन, मूक–बधिर, डिस्लेक्सिया, लकवाग्रस्त यानी शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग लोगो तक टेक्नोलाजी के लाभ पहुँचाने के लिए तमाम कोशिशें की जाती रही हैं। कंम्यूटर पर उनके लिए उपलब्ध सुविधाएँ महज नरेटर (वाचक), स्टिकी कीज (की–बोर्ड सुविधा) और टेक्स्ट जूम (टेक्स्ट बड़ा करके दिखाने की सुविधा) तक ही सीमित नहीं है। ऐसे बहुत से सॉप्टवेयर आ चुके हैं जिसे प्रयोग करके वह अपने काम को पहले से कहीं ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। उनके लिए उपलब्ध कुछ बहुत उपयोगी सॉप्टवेयर निम्नवत हैः–

ब्रेल सर्फ फोर (www.snv.jussieu.fr/inova/bs4) – यह एक खास किस्म का वेब ब्राउजर है जो वेबसाइट्स की सामग्री को सामान्य टेक्स्ट के रूप में दिखाता है और उसे पढ़कर सुना सकता है। इसका आउटपुट ब्रेल डिस्प्ले यूनिट के जरिये ब्रेल लिपि में भी लिया जा सकता हैं। जो लोग नेत्रहीन नहीं हैं लेकिन दृष्टि बहुत कमजोर है, वे वेबसाइट्स के टेक्स्ट को बड़े आकार में पढ़ सकते हैं जिसके लिए कोई शुल्क नहीं किया जाता है।

कैमरामाउस (http://cameramouse.org) – जो लोग दिव्यांगता के कारण अपने हाथों से माउस नहीं चला सकते, वे कैमरामाउस के जरिए वही काम अपने सिर से कर सकते हैं। सेरेब्रल पैल्सी, स्पाइनल मस्क्यूलर डिस्ट्राफी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पक्षाघात आदि से पीड़ित लोग इस श्रेणी में आते हैं। इस फ्री सॉप्टवेयर का प्रयोग करने के लिए सिर्फ एक यूएसबी वेब कैमरे और विंडोज एक्सपी (या उससे आगे के ऑपरेटिंग सिस्टम) की जरूरत है। इसे इस्तेमाल करने के लिए सिर पर कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है। **कैमरामाउस** का सॉप्टवेयर वेबकैम के जरिये आपके चेहरे के किसी एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित रखता है और उसकी गति के अनुसार माउस करसर को ऑपरेट करता है।

क्लिक–एन–टाइप (cnt.lakefolks.com) – यह मॉनीटर स्क्रीन पर दिखने वाला वर्चुअल की–बोर्ड है जिसे माउस आधारित टाइपिंग के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस सॉप्टवेयर का विकास एक ऐसी युवती की मदद के लिए किया गया था जिसके दायें हाथ में बहुत कम हरकत होती थी। वह माउस का प्रयोग तो कर सकती थी लेकिन की–बोर्ड का नहीं। **क्लिक–एन–टाइप** का प्रयोग करते समय पूरे शब्द टाइप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक दो अक्षर टाइप होने के बाद वह खुद कई शब्द सुझाता है जिनमे से सही शब्द का चयन किया जा सकता है जिसके लिए कोई शुल्क नहीं देने पड़ते।

ई–स्पीकिंग (e-speaking.com) – अगर आप बोल कर अपने कम्पयूटर को चलाना चाहते हैं तो यह फ्री सॉप्टवेयर बड़े काम का है। माउस करसर को एक लाइन नीचे लाने के लिए बस इतना बोलिए "डाउन वन"। इसी तरह ई–मेल खोलने के लिए "ओपेन ई–मेल" और किसी फाइल को खोलने के लिए "फाइल ओपेन" बोलिये।यह सॉप्टवेयर आपके साथ बातें भी कर सकता है। वर्ड प्रोसेसर के "एडिट" मेन्यू में दि गयी "फाइंड" कमांड का प्रयोग करने के लिए आपको "एडिट फाइंड" कहना होगा। इस पर सॉप्टवेयर पूछेगा "फाइंड व्हाट?" अपने मतलब का शब्द बताइए और डॉक्यूमेंट में उसे ढूंढने का काम सॉप्टवेयर कर देगा। ई–स्पीकिंग को एक महिने तक फ्री इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद महज चौदह डॉलर (लगभग पौने सात सौ रूपये) देकर इसका लाइसेंस खरीदा जा सकता है।

सुपर मैग्नीफाई (http://bit.ly/aZyOJ) – स्क्रीन पर दिये अक्षरों को पंद्रह गुना तक बढ़ाकर देखने के लिए केविन सोल्वे द्वारा विकसित इस फ्री सॉप्टवेयर का इस्तेमाल कमजोर नजर वाले लोगों के लिए काफी उपयोगी है। इसकी सबसे मुख्य बात यह है कि कई गुना बड़े होने के बाद भी अक्षरों के आकार में कोई विकृति नहीं आती।

जॉज फॉर विंडोज – यह एक "टेक्स्ट टू स्पीच" सिंथेसाइजर है जो दिव्यांगों, खासकर नेत्रहीनों को बेहतर ढंग समझता है। यह कम्पयूटर स्क्रीन पर दिखने वाले टेक्स्ट को पढ़कर सुनाता है, चाहे वह वेबसाइट और ई–मेल हो या माइक्रोसॉप्ट वर्ड जैसे दस्तावेज। उसी टेक्स्ट को यह ब्रेल लिपि में भी दिखा सकता है हालांकि उसे पढ़ने के लिए यूजर को ब्रेल डिस्प्ले युनिट्स (नेत्रहीनों के लिए ब्रेल के संकेत दिखाने वाली पिन युक्त डिवाइस) की जरूरत होगी। इसे फ्रीडम साइंटीफिक (www.freedomscientific.com) नाम की एक कंपनी की ओर से जारी किया गया है जो कि फ्री उपलब्ध नहीं है।

आई–कम्यूनिकेटर (www.icommunicator.com) – यह मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखने वाले टेक्स्ट को साउंड और साउंड को टेक्स्ट में बदल सकता है इसलिए श्रवण बाधित और नेत्रहीनों दोनों के लिए काफी उपयोगी है। दिलचस्प बात यह है कि यह टेक्स्ट को सांकेतिक भाषा (अमेरिकन साइन लैंग्वेज) में भी बदल सकता है।किसी वेबसाइट पर

जाने के लिए आप उसका यू.आर.एल बोलकर टेक्स्ट में बदल सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और शब्दकोश जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। श्रवण बाधित चाहें तो इसका इस्तेमाल दूसरों के साथ बातचीत के लिए भी कर सकते हैं। बाकी लोगों के बोले हुए वाक्यों को यह साइन लैंग्वेज में बदलकर वीडियो के रूप में दिखाएगा, जिसका जवाब की–बोर्ड पर टाइप करके दिया जा सकता है, जो कंप्यूटर जनित ध्वनि के रूप में दूसरों को सुनाई देगा।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

5. ब्रेल सर्फ फोर का अर्थ लिखिये।

.....

.....

6. सुपर मैगनीफाई से आप क्या समझते है?

.....

.....

12.7 आई. सी. टी. का उपयोग करने में शिक्षक क्षमताएँ

समावेशी शिक्षण प्रक्रिया में सभी विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षकों को आई0 सी0 टी0 में प्रशिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है।

2013 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी आई0 सी0 टी0 ने शिक्षकों के लिए एक आई0 सी0 टी0 पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया था। इससे पहचाना कि शिक्षकों को इनमें सक्षम होना चाहिए।

- आई0 सी0 टी0 टूल्स, सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन और डिजिटल संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने में
- आई0 सी0 टी0 को शिक्षण सीखने और मूल्यांकन में एकीकृत करने में
- डिजिटल संसाधन प्राप्त, व्यवस्थित और तैयार करने में
- शिक्षकों के नेटवर्क में भागीदारी करने में
- संसाधनों का मूल्यांकन और चयन करने में
- आई0 सी0 टी0 के उपयोग के व्यावहारिक, सुरक्षित, नैतिक और कानूनी रास्तों को जानने में
- कक्षाओं को अधिक समावेशित बनाने के लिए आई0 सी0 टी0 का उपयोग करने में

12.8 विभिन्न दिव्यांगों के लिए प्रौद्योगिकी का अनुकूलन

21 वीं सदी में दिव्यांग बच्चों को सीखने और सिखाने के लिए कक्षाओं में आई0 सी0 टी0 का प्रयोग दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आई0 सी0 टी0 के प्रयोग से इनके सीखने की गति में भी वृद्धि हुई है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी का अनुकूलन निम्नवत है :–

- आई0 सी0 टी0 के माध्यम से किसी भी पाठ्यक्रम सामग्री को आसान व सरल तरीकें से अनुकूलित कर दिव्यांग बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते है जैसे आडियो विडियो, एनीमेसन इत्यादि माध्यम से।
- कम्प्यूटर आधारित निर्देश विद्यार्थी को तुरंत प्रतिक्रिया या जवाब दे सकते है। अतः यह बिना शिक्षक के भी दिव्यांगों को पढ़ाने में सक्षम है।
- कम्प्यूटर का इस्तेमाल देश या विदेश गाँव या शहर में कही भी बैठे लोगों से जुड़ सकते है और अपने अनुभव को साझा कर सकते है।
- दिव्यांग विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट या असेन्मेंट कम्प्यूटर की सहायता से बना सकते हैं।

विभिन्न दिव्यांग बच्चों के लिए आई0 सी0 टी0 की उपयोगिता – हर तरह के दिव्यांगों के लिए अलग–अलग प्रकार का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर सिखाने में कारगर होती हैं जो इस प्रकार से है –

- ऑटिस्टिक बच्चों के लिए आई0 सी0 टी0 ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों में एक बड़ी समस्या यह है कि ये सीधे आँखों से संपर्क बनाए रखने में मुश्किल अनुभव करते हैं। लैब में ऐसे बच्चों के लिए सरल गेम विकसित किये जा रहे हैं। जिसकी सहायता से बच्चे नेत्र संपर्क स्थापित कर सके। इसी तरह ऑटिस्टिक बच्चे कुछ जानवरों से प्यार करते हैं अतः इन जानवरों से सम्बंधित खेल या कोई शिक्षण प्रोग्राम विकसित करने से इनको लाभ मिल सकता है।

दृष्टि अक्षम बच्चों के लिए आई0 सी0 टी0 – वर्तमान में आई0 सी0 टी0 दृष्टि बाधित बालकों के पढ़ने लिखने में काफी मदद कर रही हैं और ऑडियो पुस्तकालय जो विभिन्न किताबों का ऑडियो रखता है बोलने वाला कैलकुलेटर, शब्दों या पाठ्य को सिखाने वाला मौखिक प्रोग्राम आदि से मदद कर रहा है।

श्रवण अक्षम बच्चों के लिए आई0 सी0 टी0 – ऐसे बच्चे जो सुनने में अक्षम होते है अपने आँखों पर ज्यादा निर्भर होते है। अतः ऐसे बच्चों को सांकेतिक भाषा में बनाया गया विडियो काफी कारगर साबित होता हैं।

गतिशीलता अक्षम बच्चों के लिए आई0 सी0 टी0 – ऐसे बच्चों को चलने फिरने में अक्षम उनके लिए चेयर का निर्माण करना जो कंम्प्यूटर निर्देशन से चलते हो और कई प्रकार की जानकारियाँ रखता है।

सीखने में अक्षम बच्चों के लिए आई0 सी0 टी0 – ऐसे बच्चे जिन्हें पढ़ने, लिखने और बोलने में कठिनाई होती है उन्हें सीखने में अक्षम या डिस्लेक्सिया कहते है। ऐसे बच्चों के लिए Optical Character Reconition (OCR) पेज काफी मददगार साबित होती है। डिजिटल टॉकिंग बुक प्लेयर, ऑडियो और विडियो शिक्षण सामग्री आदि।

विद्यार्थी पारंपरिक शिक्षा की तुलना में आईसीटी गतिविधियो को क्यों पसंद करते है?

पारंपरिक शिक्षा की तुलना में विद्यार्थियों द्वारा आईसीटी गतिविधियों को अधिक वरीयता दी जाती है जिसका मुख्य कारण निम्नवत है –

- आईसीटी असीम धैर्यवान है।
- कभी नहीं थकता।
- कभी निराश या क्रोधित नहीं होता।
- विद्यार्थियों को निजी तौर पर काम करने की अनुमति देता है।
- सही करना या प्रशंसा करना कभी नहीं भूलता।
- मजेदार व मनोरंजक है।
- व्यक्तिगत सीखने के तरीके में मदद करता है।
- स्वचालित है।
- गल्ती करने वाले विद्यार्थियों को शर्मिंदा नहीं करता।
- विभिन्न विकल्पों के साथ प्रयोग करना संभव बनाता है।
- तत्काल प्रतिक्रिया देता है।
- शिक्षकों की तुलना में विद्यार्थियों के साथ अधिक सार्थक संपर्क देता है।
- जाति या जातीयता के लिए निष्पक्ष है।
- महान प्रेरक है।

- सीखने पर नियंत्रण की भावना देता है।
- प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए उत्कृष्ट है।
- दृष्टि, श्रवण और स्पर्श का उपयोग करने के लिए कहता है।
- छोटे वेतन वृद्वि में सिखाता है।
- विद्यार्थियों को उनकी वर्तनी सुधारने में मदद करता है।
- कम्पयूटर उपयोग में दक्षता का निर्माण करता है,जो बाद में जीवन में उपायदेयता को बढ़ाता है।
- कुछ सीखने की गतिविधियों को हाथ से अभ्यासों की कड़ी मेहनत को समाप्त करता है (उदाहरण के लिए ग्राफ बनाना)।
- मानव विचार की दर से कई गुना तेजी से काम करता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

7. आई0सी0टी0 का उपयोग करने में शिक्षकों को आने वाली चुनौतियों को स्पष्ट कीजिये।

.....

.....

12.9 आई.सी.टी. और समावेशी शिक्षा

समावेशन को एक लंबे समय तक चलने वाली प्रकिया के रूप में माना जाना चाहिए, जिसके लिए शिक्षकों द्वारा सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थियों की शिक्षा में शामिल सभी लोगों द्वारा समय, प्रयास, क्षमता और दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है। समावेशी कक्षा निर्विवाद रूप से संचालित करने में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। (एंडरसन आल,2007,) लेकिन इस तरह के एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए यह भी आवश्यक है कि उपयुक्त, प्रभावी और बाधामुक्त शैक्षिक साधनों को नियोजित किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से, आईसीटी संसाधन आशाजनक है। दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण प्राप्त हो सके उसमें आईसीटी अहम भूमिका निभाता है। वह विद्यार्थियों के सीखने की बाधाओं को दूर करता है।इस प्रकार विद्यार्थियों की स्वायत्तता, इच्छा और आत्म सम्मान के साथ उनकी विद्यालयी उपलब्धि में वृद्वि होती है। वास्तव में, शैक्षिक अनुसंधान इस बात का पुख्ता सबूत प्रदान करता है कि "आईसीटी" समावेशी अभ्यास का समर्थन करने में एक माध्यम और एक शक्तिशाली उपकरण दोनो है। आईसीटी संचार के लिए व्यापक सर्मथन प्रदान करता है, जिनमें वे भी शामिल है जिन तक पहुॅचना मुश्किल है, और कुछ बाधाओं को तोड़ने में मदद करता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

8. सूचना व संचार प्रौद्योगिकी क्या है ?

.....

.....

9. लिखित संचार में किन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है?

.....

.....

10. जॉज फॉर विंडोज क्या है?

.....

.....

12.10 सारांश

समाज में दिव्यांगजनों का समावेशन अभी भी चुनौतियों में से एक है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सेवाएँ विशेष शिक्षा व पुर्नवास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रही हैं। दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण प्राप्त हो सके उसमें आईसीटी अहम भूमिका निभाता है। वह विद्यार्थियों के सीखने की बाधाओं को दूर करता है। इस प्रकार विद्यार्थियों की स्वायत्तता, इच्छा और आत्म सम्मान के साथ उनकी विद्यालयी उपलब्धि में वृद्वि होती है। आज के मानकों और कल के जीवन के लिए सभी विद्यार्थियों को शिक्षित करने में निश्चित रूप से प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। स्वयं देखभाल, शिक्षा, रोजगार, मनोरंजन, अवकाश और सामुदायिक जीवन के क्षेत्रों में दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने में प्रौद्योगिकी अहम् भूमिका निभा सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी की पहुँच समस्या समाधान और उच्च क्रम सोच कौशल विकसित करने और कक्षाओं से परे दुनिया में कार्य करने के लिए सार्थक सीखने के अनुभव प्रदान कर सकती है। सीखने के वातावरण में प्रौद्योगिकी के उपयुक्त और सफल एकीकरण में सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की क्षमता है। शिक्षा से वंचित सभी बच्चे मुख्यतः दिव्यांग बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया में सुधार कर प्रौद्योगिकी के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर उन्हें शिक्षित व प्रशिक्षित किया जा सकता है, तथा विद्यालय में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है।

12.11 अभ्यास के प्रश्न

1. सूचना व संचार प्रौद्योगिकी क्या है ? इसके शिक्षा के क्षेत्र को लिखें?
2. विशेष शिक्षा में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है?

12.12 चर्चा के बिन्दु

1. समावेशी शिक्षा में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी दिव्यांग बच्चों के उत्थान में किस प्रकार सहायक है? चर्चा कीजिए।

12.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. यूनेस्को के अनुसार "तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का विविध सेट,जो सूचना प्रसारित करने, स्टोर करने तैयार करने, साझा करने या विनिमय करने के लिए उपयोग किया जाता है। इन तकनीकी उपकरणों और संसाधनों में कम्प्यूटर, इंटरनेट (वेबसाइट, ब्लॉग और ईमेल) लाइव ब्रॉड, कास्टिंग टेक्नोलॉजी (रेडिया, टेलीविजन और वेब कास्टिंग), रिर्काडेड़ ब्रॉडकास्टिंग टैक्नोलॉजी (पॉड कास्टिंग, ऑडियो, विडियो प्लेयर और स्टोरेज डिवाइस) और टेलीफोन सम्मिलित है।"
2. यूनेस्को के अनुसार "समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि विद्यालय सभी विद्यार्थियों को उनकी अलग–अलग क्षमताओं के बावजूद एक अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकता है। सभी बच्चों को सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, शिक्षकों को अपने लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए सक्रिय और जानबूझकर काम करना चाहिए।"
3. ऑडियो टेप, वीडियोटाइप, डिजिटल मूवीज, डिजिटल स्टोरीटेलिंग इत्यादि।
4. चेतावनी उपकरण (Alert device) ये दरवाजे की घंटी, टेलीफोन, घड़ी या अलार्म से जुडते है, जिनसे ध्वनि, कंपन, प्रकाश जोर से निकलता है। जो श्रवण हानि वाले बच्चों के लिए काफी उपयोगी होता है। दृश्य या

कंपन चेतावनी संकेतक दिव्यांग लोगों की विभिन्न प्रकार की निगरानी में मदद करता है। प्रौद्योगिकी विद्यार्थियों के संचार कौशल को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

5. यह एक खास किस्म का वेब ब्राउजर है जो वेबसाइट्स की सामग्री को सामान्य टेक्स्ट के रूप में दिखाता है और उसे पढ़कर सुना सकता है। इसका आउटपुट ब्रेल डिस्प्ले यूनिट के जरिये ब्रेल लिपि में भी लिया जा सकता हैं। जो लोग नेत्रहीन नहीं हैं लेकिन दृष्टि बहुत कमजोर है, वे वेबसाइट्स के टेक्स्ट को बड़े आकार में पढ़ सकते हैं जिसके लिए कोई शुल्क नहीं किया जाता है।
6. स्क्रीन पर दिये अक्षरों को पंद्रह गुना तक बढ़ाकर देखने के लिए केविन सोल्वे द्वारा विकसित इस फ्री सॉप्टवेयर का इस्तेमाल कमजोर नजर वाले लोगों के लिए काफी उपयोगी है। इसकी सबसे मुख्य बात यह है कि कई गुना बड़े होने के बाद भी अक्षरों के आकार में कोई विकृति नहीं आती।
7. आई0सी0टी0 का उपयोग करने में शिक्षकों को आने वाली चुनौतियॉ निम्नवत है–
    - आई0 सी0 टी0 टूल्स, सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन और डिजिटल संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने में
    - आई0 सी0 टी0 को शिक्षण सीखने और मूल्यांकन में एकीकृत करने में
    - डिजिटल संसाधन प्राप्त, व्यवस्थित और तैयार करने में
    - शिक्षकों के नेटवर्क में भागीदारी करने में
    - संसाधनों का मूल्यांकन और चयन करने में
    - आई0 सी0 टी0 के उपयोग के व्यावहारिक, सुरक्षित, नैतिक और कानूनी रास्तों को जानने में।
8. सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (आई0सी0टी0) उन प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करती है

    जो दूर संचार के माध्यम से सूचनाओं तक पहँच प्रदान करती है।
9. लिखित संचार में निम्न प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है –
    - पोजिशनिंग एड्स (स्लैंट बोर्ड, पेज धारक, पुस्तक स्टैंड, क्लिपबोर्ड इत्यादि
    - कंट्रास्ट एड्स (हाइलाइटर पेन/टेप, हेल्पर, रंगीन ओवरले इत्यादि पढ़ना
    - अनुकूलित लेखन वर्तन (पेंसिल, पेन, पकड़, अनुकूलित कीबोर्ड आदि)
    - अनुकूलित पेपर/राइटिंग गाइड (बोल्ड उठाए गए रेखांकित, रंगीन, शुष्कमिट बोर्ड आदि)
    - व्यक्तिगत शब्दावली/वर्तनी शब्दकोश (हैंडबुक, नोटबुक, त्वरित शब्द बुकमार्क आदि)
    - हैंडहेल्ड वर्ड पहचान एड्स (बात करना, शब्दकोश, वर्तनी कलेक्टर, बोलना शब्दकोश, थिसॉशन आदि)
    - रिकार्डर (डिजिटल, स्मार्टपेन, कैसेट आदि)
    - हैंडहेल्ड स्कैनर (नोटटर्स, आईसि कलम इत्यादि)
    - मुद्रित, ग्रफिक आयोजकों (शिक्षक द्वारा निर्मित, माइक्रोसॉफ्ट शब्द, ऑनलाइन प्रिंट करने योग्य आदि)
    - पोर्टेबल वर्ड प्रोसेसर (अल्फामार्ट, नियो, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक आदि)
    - पाठ सुधार सॉफ्टवेयर
    - इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट्स

- वीडियो पहचान सॉफ्टवेयर आदि

10. यह एक "टेक्स्ट टू स्पीच" सिंथेसाइजर है जो दिव्यांगों, खासकर नेत्रहीनों को बेहतर ढंग समझता है। यह कम्पयूटर स्क्रीन पर दिखने वाले टेक्स्ट को पढ़कर सुनाता है, चाहे वह वेबसाइट और ई–मेल हो या माइक्रोसॉप्ट वर्ड जैसे दस्तावेज।

12.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. मंगल एस.के. मंगल यू. (2014) शिक्षा तकनीकी दिल्ली. पी. एच. आई. लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।
2. ऑबराय एस.सी. (2008) एजुकेशनल टेक्नालॉजी नई दिल्ली : आर्या बुक डिपो।
3. यूनेस्को (2011) आई.सी.टी. इन एजुकेशन फॉर पीपुल विद् डिसैबिलीटीज : रिव्यू ऑफ इनोवेटिव प्रैक्टिस. कॉलिन बी, लारा एस, (2018) टेली कम्यूनिकेशन रेगुलेशन हैण्डबुक दि इंटरनेशनल बैंक फार (रिकन्स्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट : दि वर्ल्ड बैंक।
4. लिअंग एल (2014) एबिलिटी एक्सस एण्ड अर्फोडिबिलिटी क्रॉस 'डिजिटल डिवाईस' कॉमन इक्सपिरियन्स एमान्गास माइनारिटी ग्रुप, अमेरिकन जर्नल ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन एण्ड डिजीटल इकानॉमी वाल्यूम 2 नं0.2

खण्ड– 05 : समावेशी शिक्षा के लिए समर्थन और सहयोग

खण्ड परिचय

इस खण्ड में आप समावेशी शिक्षा के हितधारक कौन है? तथा दिव्यांग विघार्थियों के समावेशन के लिए वकालत और नेतृत्व में उनकी भूमिका से अवगत हों सकेगे। दिव्यांग विघार्थी के समावेशन में परिवार एवं समाज की भागीदारी को समझ सकेगे। समावेशी शिक्षा हेतु संसाधन जुटाने के विभिन्न संसाधनों से अवगत हो ।इस खण्ड में कुल तीन इकाईयां है।

इकाई – 13 में आप समावेशी शिक्षा के हितधारक कौन है? उनकी क्या जिम्मेदारियों है तथा वे किस प्रकार समावेशन का नेतृत्व कर सकेंगे, इनके बारे में विस्तार से अवगत होगें।

इकाई – 14 में आप समावेशी शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता तथा समावेशी शिक्षा को लागू करने के कारणों से अवगत हो सकेंगे। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा में माता–पिता की भूमिका एवं समावेशी शिक्षा में समुदाय की भूमिका से भी अवगत हों पायेगें।

इकाई – 15 में आप समावेशी शिक्षा हेतु संसाधनों की आवश्यकता,स्त्रोतों की पहचान कर पायेंगे। समावेशी शिक्षा हेतु संसाधन जुटाने के विभिन्न तरीकों सें अवगत हो पायेगें।

इकाई–13 : समावेशी शिक्षा के हितधारक, समावेशन के लिए वकालत और नेतृत्व

इकाई की संरचना

13.1 प्रस्तावना

13.2 इकाई के उद्देश्य

13.3 समावेशी शिक्षा के हितधारक और उनकी जिम्मेदारियाँ

13.3.1 समावेशी शिक्षा के हितधारक

13.3.2 हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

13.4 समावेशी शिक्षा में शामिल करने के लिए वकालत और नेतृत्व

13.4.1 समावेशी शिक्षा में शामिल करने की हिमायत/वकालत

13.4.2 समावेशी शिक्षा में शामिल करने के लिए नेतृत्व

13.5 परिवार का समर्थन और शिक्षा में भागीदारी

13.5.1 परिवार समाज की आधारशिला

13.5.2. परिवार के समर्थन और भागीदारी के लिए तर्क

13.5.3 भारत में मूल संगठनों के उदाहरण

13.6 समावेशन के लिए समुदाय की भागीदारी

13.6.1 समुदाय को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना

13.6.2 समुदाय का उपयोग

13.7 समावेशी शिक्षा के लिए संसाधन जुटाना

13.7.1 संसाधन जुटाने का महत्व

13.7.2 संसाधन जुटाने के तरीके

13.8 सारांश

13.9 अभ्यास के प्रश्न

13.10 चर्चा के बिन्दु

13.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

13.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

13.1 प्रस्तावना

समावेशी शिक्षा का आशय एक ऐसी पद्धति से है जिसका उद्देश्य सभी को समान अवसर और सभी को पूर्ण सहभागिता प्राप्त करने के निमित एक उपयुक्त अनुकूल माहौल जुटाना है। साथ ही विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा के क्षेत्राधिकार में उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बाधारहित वातावरण का निर्माण करना भी आता है। समावेशन विद्यार्थी की विविध आवश्यकताओं को स्वीकार करता है तथा उपयुक्त पाठ्यचर्या, शिक्षण कार्यनितियाँ, अनुसमर्थन सेवाओं और समुदाय की भागीदारी के माध्यम के स्तरीय शिक्षा सुनिशचित करता है। समावेश का अर्थ है कि विद्यालय की संरचना समुदाय की भागीदारी के माध्यम से स्तरीय शिक्षा का सुनिशचित करना। यह सभी तक शिक्षा पहुचाने का एक तरीका है। यह एक ऐसा दर्शन है जिसका उद्देश्य कक्षा में सभी बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

यद्यपि समावेशी शिक्षा की अवधारणा को तीन दशकों से अधिक समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढावा दिया जा रहा है, परन्तु दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने में अनेको समस्याए आ रही है, जैसेः– लोगों में जानकारी का अभाव, समाज में सभी स्तरों पर दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण, शिक्षा के अधिकार की निरंतर उपेक्षा उपरोक्त तथ्य आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा प्रक्रिया में नामांकन और भागीदारी की दिशा में न्यूनतम प्रगति के उदाहरण है। परंपरागत रूप से अनुमान लगाया गया है कि एशिया–प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशो में दिव्यांग बच्चों में से 10 प्रतिशत से भी कम विद्यालय में प्रवेशित है।

दूसरे शब्दों में हम कह सकते है कि शिक्षा सभी बच्चों का अधिकार है। दिव्यांग बच्चों के लिए समान अधिकार स्पष्ट रूप से अनिवार्य किया गया है, लेकिन उनके अधिकारों को व्यापक रूप से बरकरार नहीं रखा जा रहा है। अधिक लचीली, प्रासंगिक और उत्तरदायी शिक्षा की ओर बढ़ते रूझान को 1990 में बढ़ावा दिया गया है। Salamanca Statement ने भी शिक्षा को एक प्रेरक प्रणाली की दृष्टि प्रदान की जो स्कूल से परे एक भूमिका निभाएगी और समावेशी शिक्षा और गैर–भेदभावपूर्ण समाज के निर्माण में योगदान देगी। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को लाभान्वित करेगी क्योकि इसमें शिक्षण का तरीका विकसित किया गया है। जो व्यक्तिगत मतभेदों व विविधता का जबाव देने की क्षमता रखता है। इसके अलावा, वे लागत प्रभावी हेागे, दिव्यांग बच्चों के लिए अलग विद्यालय प्रणाली की आवश्यकता को दूर करेगें।

समावेशी शिक्षा के स्पष्ट लाभों के बावजूद, विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की संख्या में कमी के ऑकडे यह स्पष्ट करते है कि यह प्रक्रिया काफी धीमी रूप से सुचारू हो रही है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी शिक्षार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। एक समावेशी विद्यालय प्राप्त करने के लिए, पूरे समुदाय के समर्थन की आवश्यकता होती है निर्णय लेने वाले से लेकर अंतिम उपयोगकर्ता, सफाईकर्ता और उनके परिवारों तक सभी स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता है। शिक्षकों और अन्य शिक्षा पेशेवरों को शामिल करने के लिए सभी प्रशिक्षण पहलुओं–प्रशिक्षण कार्यक्रमों, दैनिक प्रयासों, वित्त आदि में बदलाव की आवश्यकता है शिक्षक और शिक्षा पेशेवरों को सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षत होने की आवश्यकता है, जिससे वे युवा पीढ़ी का सही मागदर्शन कर सके।

इस इकाई में आप समावेशी शिक्षा के हितधारक कौन है? उनकी क्या जिम्मेदारियों है तथा वे किस प्रकार समावेशन का नेतृत्व कर सकेंगे, इनके बारे में विस्तार से अवगत होगें।

13.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. समावेशी शिक्षा के विभिन्न हितधारकों से अवगत हो सकेंगे।
2. हितधारकों के जिम्मेदारियों को समझ सकेंगे।
3. वकालत और नेतृत्व की व्याख्या कर सकेंगे।

13.3 समावेशी शिक्षा के हितधारक और उनकी जिम्मेदारिया

13.3.1 समावेशी शिक्षा के हितधारक

समावेशी शिक्षा सीखने के माहौल में और उसके भीतर बाधाओं को कम करके शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करने और प्रतिक्रिया देने की एक प्रक्रिया है। समावेशी शिक्षा का समग्र लक्ष्य इस प्रकार एक ऐसे विद्यालय (या किसी भी संगठित शैक्षिक प्रावधान) की रचना है जहाँ सभी शिक्षार्थी भाग ले और उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। यह किसी भी कारणवश शिक्षा से वंचित रह गये शिक्षार्थियों की तलाश कर उन तक शिक्षा पहुचाने का प्रयास करता है।

वास्तव में भारत सरकार ने सर्व शिक्षा जिसे वर्तमान में समग्र शिक्षा के नाम से जाना जाता है के माध्यम से "सभी के लिए शिक्षा" प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण धनराशी का आवंटन किया है।लेकिन ऐसा करने के लिए हमें हितधारकों को उपयुक्त रूप से तैयार और शामिल करने की आवश्यकता है। कुछ हितधारकों में नियमित शिक्षक, विशेष/संसाधन शिक्षक, स्कुल प्रशासन, विशेष जरूरतों वाले बच्चों के माता–पिता और उनके साथियों के माता–पिता शामिल है, जिनके बच्चों की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। स्वयं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और

सामान्य आवश्यकता वाले बच्चे सभी। संक्षेप में हम कह सकते है कि समाज के सभी वर्ग जिनका बच्चों की शिक्षा में प्रत्यक्ष तथा अपत्यक्ष रूप से हित है। समावेशन की सफलता सभी हितधारको के सभांवित और सहयोगात्मक प्रयासों में निहित है।

13.3.2 हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ

क) एक प्रमुख कदम के रूप में शुरू की गई समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षको की एक बदलती भूमिका के रूप मे उभरती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली (आर0सी0आई) द्वारा अनुमोदित विशेष शिक्षको के शैक्षिक कार्यक्रम दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए तैयार करते है। विशेष शिक्षक से तात्पर्य ऐसे शिक्षक से है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की आवश्यकता को समझ सके। तथा उनकी शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु कुछ विशिष्ट प्रविधियों एवं उपागमों का प्रयोग करता है। इसके अलावा प्रेरित वातावरण तैयार करता है। एवं उचित शिक्षण सामग्री का भी प्रयोग करता है। इस प्रकार की वैकल्पिक सामग्री का प्रयोग, विधि एवं पाठ्यक्रम अनुकूलन करके बच्चों को सिखाना विशेष शिक्षा कहा जाता है। एवं इन समस्त उपायों को क्रियान्वित करने वाले शिक्षको के विशेष शिक्षक कहा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान (SSA) ने विशेष शिक्षक बनने का रास्ता खोज दिया है। जहाँ उनसे समावेशी विद्यालयों का दौरा करने तथा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को आवश्यकता के उन्हे को पूरा करने के लिए नियमित शिक्षकों के संरक्षण के कक्षा में कार्य करने की अपेक्षा की जाती हैं। तथा आधुनिक तकनीकी से अवगत कराने हेतु विशेष शिक्षकों को भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित सतत् पुनर्वास शैक्षिक कार्यक्रम (CRE) के माध्यम से समय –समय पर शिक्षित व प्रशिक्षित किया जाता है।

ख) संसाधन शिक्षक और नियमित शिक्षक (Resource Teachers and Regular Teachers) – समावेशी विद्यालयों में यद्यपि सभी बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी नियमित शिक्षको के पास होती है। संसाधन शिक्षकों से अपेक्षा की जाती हैं, कि वे नियमित विद्यालयों में विद्यार्थियों और शिक्षकों का समर्थन करकें समावेशी शिक्षा में सहयोग प्रदान करें। एक सहज, निर्बाध समावेशन हेतु यह आवश्यक है कि संसाधन शिक्षक और नियमित शिक्षक मिलकर शैक्षिक कार्य योजना का निर्माण करें, जिससे समावेशी विद्यालयों के सभी विद्यार्थियो को लाभान्वित किया जा सकें।

ग) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और उनके साथी (Children with Special Needs and ther's Peers) – एक सफल समावेशन हेतु यह आवश्यक है कि समावेशीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों और उनके साथ शिक्षा प्राप्त कर रहें अन्य बच्चों का आपस में समायोजन हो ताकि वे एक–दूसरे की आवश्यकता को समझ सकें एंव उनके शिक्षण में सहयोग प्रदान कर सकें। दिव्यांग बच्चे तथा उनके साथी वर्ग में भावनात्मक एंव व्यवहारिक प्रक्रिया का संचालन होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे वे उनपर दया या उनका मजाक न उड़ा सके अपितु उनका सहयोग करने में सदा तत्पर हो सकें तथा उनके साथ समानुभूति की भावना रख सकें।

ग) दिव्यांग एंव सामान्य बच्चों के माता–पिता (Parents of children with and without disabilities) – दिव्यांग एंव सामान्य बच्चों के माता– पिता को समावेशन के लिए पूर्ण रूप से तैयार किया जाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि दिव्यांग बच्चों के माता–पिता में यह आशंका बनी रहती है कि समावेशीय शिक्षा में उनके बच्चों को सुरक्षात्मक वातावरण प्राप्त होगा या नहीं, साथ ही साथ शिक्षकों का व्यवहार उनके बच्चों के प्रति कैसा होगा। उसी प्रकार सामान्य बच्चों के माता–पिता इस बात से डरते है कि, उनका बच्चा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ रहकर एक अजीब व्यवहार कर सकता है। ये समावेशन से सबंधित कई मुद्दों के कुछ उदाहरण हैं, जिनका निराकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है,ताकि एक सफल समावेशन प्रक्रिया किया जा सकें।

घ) विद्यालय प्रशासक (School Administration) – समावेशन को सफल बनाने में विद्यालय प्रशासन का एक अहम भूमिका होता है। व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए रैंप प्रदान करके कक्षाओं तक पहुॅच, उज्वल रोशनी और हवादार कमरे की व्यवस्था ताकि जो बच्चे सुन नहीं सकते वे शिक्षक को स्पष्ट रूप से देख सकें उनका ओष्ठ पढ़न कर सकें और कम दृष्टि वाले बच्चे बेहतर ढंग से देख सकें, कक्षा में पर्दे की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ध्यान की कमी वाला बच्चा विचलित न हो और पढ़ते समय वाह्य बाधा अवरोध न कर सके, साथ ही साथ प्रशासकों द्धारा किया गया कार्य एंव व्यवहार समावेशीय हितधारकों को प्रभावित करता है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि प्रशासकों का समावेशन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है,जो एक सफल समावेशन की दिशा में एक प्रमुख मील का पत्थर हासिल किया जा सकता है।

ड़) भारत सरकार और राज्य सरकारें – भारत सरकार ने समावेशी शिक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इसे सफल बनाने के लिए, सभी हितधारकों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि समावेशित शिक्षा सही मायने में हासिल की जा सकें। सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। इसे पूरा करने हेतु हम सब अपना सहयोग प्रदान करे, तथा प्रत्येक बच्चे में अधिकतम क्षमता का विकास करें, जिससे देश के भावी, भविष्य का निर्माण किया जाय, आज का बच्चा कल के देश के भविष्य का नेता है।

सरकारों को गैर–सरकारी संगठनों के साथ घनिष्ठ सहयोग से काम करना चाहिए, जिससे दिव्यांग बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें तथा उन्हें नियमित सामुदायिक विद्यालयों में शामिल करने के लिए रणनीति विकसित करना चाहिए। सभी बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में जुड़ने का सुअवसर प्रदान करना चाहिए। सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों के संगठनों और दिव्यांग बच्चों के माता–पिता के साथ, नीतियों के विकास और स्कूल प्रणाली में बदलाव के साथ परामर्श करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित होसके कि उन बच्चों को नियमित रूप से शामिल किया गया है।सामुदायिक स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के आवश्यकता के अनुरूप उनकी जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए।

च) स्कूल और समुदाय – गैर–सरकारी संगठनों को यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ जुड़ना चाहिए कि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा में शामिल किये जाने हेतु कौन –कौन सी योजनाएँ तैयार की जा रही है तथा उनका संचालन किस प्रकार करना उपयुक्त होगा। दिव्यांग लोगों के संगठन के अधिकारों को पूर्ण करने हेतु शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को शिक्षित करना चाहिए, साथ ही साथ उनके अभिभावकों को अपने बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के भीतर स्थानीय एंव सामुदायिक स्कूलों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. समावेशी शिक्षा के हितधारकों के नाम लिखिए।

.....

.....

2. समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बच्चों के माता–पिता की समस्याएँ लिखिए।

.....

.....

13.4 समावेशी शिक्षा में शामिल करने के लिए समर्थन और नेतृत्व

13.4.1 शिक्षा में शामिल करने की हिमायत

दिव्यांग बच्चों के माता–पिता के संगठनों और दिव्यांग लोगों के सगठनों द्वारा शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए वकालत एक बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है, ताकि इससे स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को शामिल करने के लिए अधिक इच्छुक और अधिक सक्षम बनाया जा सकें, और यह सुनिश्चित किया जा सकें कि स्कूल उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता हैं। कई देशों में जहॉ विशेष स्कूल स्थापित किये गए हैं, वे गैर–सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी से काम कर रहे है। अन्य देशों में वे नियमित प्री– स्कूलों, प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को शामिल करने के लिए सरकारों को प्रोत्साहित करने में सहायक हो रहे है।

विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क ने दिव्यांग व्यक्तियों के स्वयं सहायता संगठनों और संबंधित परिवार तथा अभिभावक संघों को दिव्यांग व्यक्तियों के दूसरे दशक के लिए पहली प्राथमिकता के रूप में मजबूत करने की पहचान की है, और अपने एंव अन्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वकालत करते है। इसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल है।

समावेशन की वकालत का मानना है कि दिव्यांग बच्चों को अपनी पसंद की समावेशी शिक्षा उसी तरह से मिलनी चाहिए जैसे कि व्यापक समुदाय में विद्यार्थियों के लिए विकल्प उपलब्ध हैं। विद्यालयों में समुदाय के सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए और बच्चों के अद्वितीय योगदान को खुले तौर पर पहचानना चाहिए, जिनके पास दिव्यांगता है वे भी सामुदायिक जीवन बना सकें, इसके लिए यह आवश्यक हैं कि दिव्यांग बच्चों के व्यक्तिगत संबंधों

और सामाजिक नेटवर्क को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए एक समावेशी शिक्षा का समर्थन किया जाए। प्रत्येक बच्चे का समर्थन व्यक्तिगत और लचीला होना चाहिए, जबकि उस समय उनकी विशेष जरूरतों के लिए प्रासंगिक रहना चाहिए।

वकालत में नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी शामिल है,और शक्ति संतुलन को बदलने और परिवर्तन लाने के लिए जन जागरूकता और समर्थन बढ़ाना शामिल है, यह एक दीर्घकालिक, चक्रीय प्रक्रिया है जोः–

- मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, यथार्थवादी और समयबध्य लक्ष्य है।
- सही दर्शकों को संबोधित करता है, उचित जानकारी का उपयोग करता है, और एक स्पष्ट संदेश प्रसारित करता है।
- गठबंधन बनाता है और स्थानीय धन जुटाता है।

समावेशी शिक्षा का एहसास करने के लिए, विभिन्न अभिनेताओं को संबोधित किया जाना चाहिए। उदा.– सरकार, जिला प्राधिकरण, अंतराष्ट्रीय संगठन, सामुदायिक नेता, स्कूल बोर्ड, शिक्षक, माता–पिता और बच्चे इत्यादि।

13.4.2 समावेशी शिक्षा में शामिल करने के लिए नेतृत्व

समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए, प्रशासकों को नई दृष्टि को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करने, दृष्टि के लिए आम सहमति बनाने और सभी हितधारकों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। प्रशासक विशेष शिक्षकों द्वारा महत्वपूर्ण रूप में पहचाने जाने वाले चार प्रकार के समर्थन प्रदान कर सकते हैः–

- व्यक्तिगत और भावनात्मक जैसे– समस्या को सुनने व समझने के लिए तैयार होना
- जानकारी प्रदान करना जैसे– प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- वाह्य सहायता जैसे– शिक्षक से मिलने का समय बनाना।
- मूल्यांकन जैसे– नई प्रथाओं के कार्यान्वयन से संबंधित रचनात्मक प्रक्रिया देना।

दूरदर्शी नेता मानते हैं कि विद्यालय सहित किसी भी संगठन को बदलना एक जटिल कार्य है। वे जानते है, कि संगठनात्मक परिवर्तन के लिए समावेशी दृष्टि हेतु आम सहमति पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। नई तकनीकियों के साथ प्रेरित करने के लिए अतिरिक्त सामान्य नियोजन, समय और वित्तीय मानव तकनीकी और संगठनात्मक संसाधनों का प्रावधान और एक विद्यालय की संस्कृति और अभ्यास को बदलने के लिए एक अच्छी कार्ययोजना तैयार करना एंव उनका क्रियान्वयन हेतु विकसित संचार माध्यमों का प्रयोग आवश्यक है।

समावेशन को एक शैक्षिक सुधार के रूप में तेजी से समझा जाता है जो सभी शिक्षार्थियों की विविधता का जबाब देता है, हाशिए पर रहने, बहिस्करण और कम उपलब्धि को चुनौती देता है, जो समावेश के लिए "अंतर" नेतृत्व के सभी रूपों के परिणामस्वरूप हो सकता है।

13.5 परिवार का समर्थन और शिक्षा में भागीदारी

13.5.1 परिवार समाज की आधारशिला

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रगति का इतिहास और व्यवस्था परिवर्तन हमें दिखाते हैं कि सकारात्मक कार्य परिवर्तन, नए दृष्टिकोण और परिवारों के विचारों में अनवरत् परिवर्तन आए है। यह वर्षो का संघर्ष रहा हैं, मजबूत दृष्टि या रचनात्मक सोच और मजबूत सामाजिक शक्तियों ने दिव्यांगता के बारे में जागरूकता पैदा की है और विशेष जरूरतों वाले बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता प्रदान किया है।

गॉधीजी के अनुसार, "हमें वह परिवर्तन करना चाहिए जो हम देखना चाहते हैं" वास्तव मे दिव्यांग बच्चों का परिवार दोहरी भूमिका निभाते है, एक उनका देखभाल करना तथा दूसरा उन्हें समाज में समायोजित करने हेतु प्रयास करना। परिवारों को बच्चे की शिक्षा में शामिल होने और अपने बच्चे और स्कूल समुदाय से संबंधित निर्णयों

में स्कूल के साथ भाग लेने का अधिकार है। व्यापक शोध ने शिक्षा में माता –पिता की भागीदारी से होने वाले लाभों को दर्शाया है। इन लाभों में अब तक की बेहतर उपस्थिति, अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण व्यवहार एंव उच्च स्नातक दर इसके अलावा परिवारों के साथ अच्छी तरह से समन्वयन करने वाले स्कूल तथा बेहतर शिक्षक अभिभावको के मनोबल बढ़ाने मे वृद्धि करते है।

13.5.2. परिवार के समर्थन और भागीदारी के लिए तर्क

परिवारों के समर्थन और भागीदारी हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कई विचार दिये जाते है। जव हम परिवारों के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब आमतौर पर माता–पिता से होता है। हालांकि विशेष जरूरतों वाले बच्चे को अपनाने और उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों पर विचार करना महत्वपूर्ण हैं। समान अवसर दिव्यांग बच्चों को प्रदान करने हेतु निम्न लोगों की भूमिका अनिवार्य हैः–

- माता–पिता और परिवार के सभी सदस्य बच्चे के लिए प्रमुख सामाजिक प्रतिनिधि हैं, सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वासों और परंपराओं के प्राथमिक ट्रांसमीटर (वाहक) है।
- जब परिवार के सदस्य गृह शिक्षण में भाग लेते हैं तो दिव्यांग बच्चे विकासात्मक कौशलों को अधिक तेजी से प्राप्त करते है।
- हस्तक्षेप कार्यक्रम में भागीदारी अभिभावकों को अन्य अभिभावकों से समर्थन और अपने स्वयं के बच्चे की ताकत और जरूरतों के बारे में बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करती है।
- वयस्क अपेक्षाओं की निरंतरता को बनाए रखा जा सकता है,जब वयस्क अपेक्षाओं पर सहमत नहीं होते है तो छोटे बच्चे चिंतित हो जाते हैं।
- माता–पिता अपने बच्चे को शिक्षकों या चिकित्सकों से बेहतर जानते हैं इसलिए अभिभावक अद्वितीय जानकारी के स्त्रोत हैं।
- परिवार के सदस्य बच्चे को स्कूल से घर और पड़ोस में सीखने में मदद कर सकते है।
- बच्चे विद्यालय में कुछ ही घंटे व्यतीत करते है अधिकांश समय घर पर परिवार के साथ ही व्यतीत करते है। अतः परिवार इनके शिक्षण का प्राथमिक स्त्रोत है।

13.5.3 भारत में मूल संगठनों के उदाहरण

भारत में निम्न मूल संगठन दिव्यांगों के हेतु कार्यरत हैः–

- परिवार–बंगाल, परिवार का हिस्सा (माता–पिता संगठनों का राष्ट्रीय परिसंघ) ने पश्चिम बंगाल के जिलों में माता–पिता को सशक्त बनाया है।
- बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमता वाले युवा वयस्कों के लिए स्वयं वकालत।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. भारत में दिव्यांगों के लिए कार्यरत मूल संगठनों के उदाहरण दीजिए।

.....

.....

13.6 समावेशन के लिए समुदाय की भागीदारी

13.6.1 समुदाय को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना – समाज दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, रोजगार और पुनर्वास जैसी सेवाओं के प्रावधान में तत्परता से शामिल हो सके इसके लिए उन्हे जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। दिव्यांग व्यक्तियों तक सेवाओं को पहुचाने में विकासशील देशों में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि, कई देशों ने सभी विकासात्मक गतिविधियों में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने के लाभों को महसूस किया है। उनके जीवन की सुरक्षा व सुधार के लिए नीतियॉ अपनाई गई है और समुदाय आधारित पुनर्वास (सी0बी0आर) और समावेशी शिक्षा जैसे कार्यक्रम लागू किए गए हैं।इन कार्यक्रमों का समग्र उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की क्षमता का विकास करना और समान अवसर प्राप्त करना है।

13.6.2 समुदाय का उपयोग – समावेशी शिक्षा यह मानती है कि सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूरे समुदाय को शामिल करने की आवश्यकता है जो उनका बुनियादी मानव अधिकार है। इसका मतलब है कि हमें यह सोचना होगा कि हमारे समुदायों में कौन है और वे समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया का समर्थन कैसे कर सकते हैं। निम्नलिखित लोग समुदाय का एक हिस्सा है –

- माता–पिता और परिवार के सदस्य
- शिक्षक, प्राचार्य, स्कूल बोर्ड, स्कूल समीक्षा अधिकारी
- स्थानीय शिक्षक, चर्च, समुदाय के नेता, महिला समितियॉ, युवा समूह आदि।
- स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता
- स्थानीय व्यवसायी–दुकानदार, बस चालक
- स्थानीय खेल समूह
- स्थानीय अभिभावक समूह और दिव्यांग लोगों के संगठन

स्कूल अपने समुदाय का उपयोग धन जुटाने में मदद करने, माता–पिता द्वारा अन्य माता–पिता का समर्थन प्रदान करने, परिवहन में मदद करने, परामर्श देने, शिक्षक के सहायक, सांस्कृतिक कौशल सिखाने (बुनाई, खाना पकानें) में मदद करने के लिए कर सकते है। स्कूल प्रबंधन जन–जागरूकता कार्यक्रम को संचालित कर समाज को दिव्यांगता से अवगत करा सकते हैं। नर्स/स्वास्थ कार्यकर्ता, विशेष शिक्षक, इंटिनरेंट शिक्षक माता–पिता को ज्ञान प्रदान करते हैं और उन बच्चों को खोजने में मदद कर सकते है, जो स्कूल नहीं जाते हैं। दिव्यांगता से संबंधित संगठनों के सदस्य बातचीत कर सकते हैं। विद्यालय, जन जागरूकता बढ़ाएँ और बच्चों को शामिल करने के तरीके सुझाएँ।

13.7 समावेशी शिक्षा के लिए संसाधन जुटाना

13.7.1 संसाधन जुटाने का महत्व

समावेशी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर नीतिगत कार्यवाही की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को समावेशी शिक्षा को अनिवार्य करने वाले नए कानूनों को लागू करना चाहिए, जबकि स्थानीय स्तर पर विद्यालय और समुदाय को क्षमता निर्माण, संसाधन जुटाने और ज्ञान पैदा करने में भाग लेना चाहिए। संसाधन जुटाने की सफलता के लिए अनिवार्य हैं कि देश में सेवाओं के प्रावधान को सक्षम करने के लिए संसाधनों की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया जाय। सेवाओं के लिए विशेष मानव, सामग्री और भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है।

सरकार आवश्यक विशिष्ट शिक्षण हेतु शिक्षकों एंव कर्मचारियों की व्यवस्था कर रही है। विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग शिक्षार्थियों को उनके गैर– दिव्यांग साथियों की तुलना में उनकी शिक्षा के लिए अधिक और विशेष सामग्री एंव संसाधनों की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत स्तर व विद्यालयी स्तर दोनों पर भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है।

सरकार आवश्यक विशिष्ट शिक्षण हेतु शिक्षकों एंव कर्मचारियों की व्यवस्था कर रही है। विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग शिक्षार्थियों को उनके गैर–दिव्यांग साथियों की तुलना में उनकी शिक्षा के लिए अधिक और विशेष सामग्री एंव संसाधनों की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत स्तर व विद्यालयी स्तर दोनों पर भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती हैं। सामग्री की प्रकृति और प्रकार की आवश्यकता दिव्यांगता के प्रकार और डिग्री पर निर्भर करती हैं। भौतिक वातावरण जहॉ विशेष और दिव्यांग शिक्षार्थी काम करते हैं, उनके लिए सुलभ होना चाहिए और दिव्यांगता के अनुकूल होना चाहिए। भौतिक संरचनाओं में सुधार करने और व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के अनुरूप सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षण संस्थानों को सामग्री संसाधनों के पर्याप्त आवंटन की आवश्यकता होती है, जिससे विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थी की बुनियादी शिक्षण सहायता किया जा सकें।

13.7.2 संसाधन जुटाने के तरीके

उपलब्ध संसाधनों की परवाह किए बिना,विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक सेवाओं का वित्तपोषण और समर्थन सभी देशों के लिए एक प्राथमिक चिंता है। फिर भी अनुसंधान के बढ़ते निकाय का दावा है कि समावेशी शिक्षा न केवल लागत प्रभावी भी है, बल्कि लागत अनुरूप भी है और यह समानता व उत्कृष्टता का मार्ग है।

क) सरकारी वित पोषण सूत्र – कई माता–पिता विशेष आवश्यकताओं और दिव्यांग शिक्षार्थियों द्वारा आवश्यक सहायक और कार्यातमक उपकरणों को वहन नहीं कर सकते, क्योंकि वे महंगे और पहुॅच से बाहर हैं। सरकार बुनियादी शिक्षण सहायता प्रदान कर रही हैं, हालांकि अपर्याप्त संसाधनों और धन के कारण सहायक/कार्यात्मक उपकरणों का प्रावधान अभी भी एक बाधा है। इन्हें अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा पूरक किया जाएगा, जिसमें व्यक्तियों के विश्वास आधारित संगठन, नागरिक समाज संगठन, कॉपरिट क्षेत्र, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियॉ शामिल हैं।

ख) सार्वजनिक बाध्य बजट प्रणाली – कभी–कभी मुख्यधारा के विद्यालय उन बच्चों (और उनके बजट) को अपनी दीवारों के भीतर रखने के लिए उत्सुक होते है, यह संभावना है कि वे उन बच्चों (बजट के साथ) को पसंद करते है। इस बजट का उपयोग वे दिव्यांग बच्चों पर बहुत कम करते है। माता–पिता अपने बच्चों के विशेष आवश्यता की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे अधिक मात्रा में धन प्राप्त करने का प्रयास करते है। आमतौर पर यह वांछनीय है कि, धन का प्रयोग नौकरशाही के बजाय विशेष शिक्षा (एक समावेशी सेटिंग में) पर किया जाए एंव उसका प्रयोग दिव्यांग छात्रों के निदान, वर्गीकरण, हस्तक्षेपण, संसाधनों की उपलब्धता हेतु किया जाना उपयुक्त होगा।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

4. समावेशी शिक्षा हेतु प्रशासक विशेष शिक्षकों से कौन–कौन से समर्थन प्राप्त कर सकते है?

.....

.....

5. समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में समुदाय के किन लोगों की उपयोगिता है।

.....

.....

13.8 सारांश

समावेशी शिक्षा का आशय एक ऐसी पद्धति से है जिसका उद्देश्य सभी को समान अवसर और सभी को पूर्ण सहभागिता प्राप्त करने के निमित एक उपयुक्त अनुकूल माहौल जुटाना है। समावेशन की वकालत का मानना है कि दिव्यांग बच्चों को अपनी पसंद की समावेशी शिक्षा उसी तरह से मिलनी चाहिए जैसे कि व्यापक समुदाय में विद्यार्थियों के लिए विकल्प उपलब्ध हैं। विद्यालयों में समुदाय के सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए, और बच्चों के अद्वितीय योगदान को खुले तौर पर पहचानना चाहिए, जिनके पास दिव्यांगता है वे भी सामुदायिक जीवन बना सकें, इसके लिए यह आवश्यक हैं कि दिव्यांग बच्चों के व्यक्गित संबंधों और सामाजिक नेटवर्क को बनाए रखने

और मजबूत करने के लिए एक समावेशी शिक्षा का समर्थन किया जाए। समावेशी शिक्षा यह मानती है कि सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूरे समुदाय को शामिल करने की आवश्यकता है जो उनका बुनियादी मानव अधिकार है। समावेशी शिक्षा को सफल बनाने हेतु समुदाय के निम्न सदस्यों का समर्थन आवश्यक हैः–माता–पिता और परिवार के सदस्य, शिक्षक, प्राचार्य, स्कूल बोर्ड, स्कूल समीक्षा अधिकारी, स्थानीय शिक्षक, चर्च, समुदाय के नेता, महिला समितियॉ, युवा समूह, स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्थानीय व्यवसायी–दुकानदार, बस चालक, स्थानीय खेल समूह इत्यादि।

13.9 अभ्यास के प्रश्न

1. समावेशन से आप क्या समझते है ? समावेशन के लिए समुदाय की भागीदारी हेतु आप कैसे प्रोत्साहित कर सकते है? स्पष्ट कीजिए।
2. समावेशी शिक्षा के लिए संसाधन जुटाने के विकल्पों को स्पष्ट कीजिए।

13.10 चर्चा के बिन्दु

1. समावेशी शिक्षा में सम्मिलित करने के लिए समर्थन और नेतृत्व पर चर्चा कीजिए।

13.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. समावेशी शिक्षा के हितधारकों के नाम निम्न है–

   संसाधन शिक्षक और नियमित शिक्षक, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और उनके साथी, माता–पिता और दिव्यांग एंव सामान्य बच्चे, विद्यालय प्रशासक, भारत सरकार और राज्य सरकारें, स्कूल और समुदाय इत्यादि।

2. दिव्यांग एंव सामान्य बच्चों के माता– पिता को समावेशन के लिए पूर्ण रूप से तैयार किया जाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि दिव्यांग बच्चों के माता–पिता में यह आशंका बनी रहती है कि समावेशीय शिक्षा में उनके बच्चों को सुरक्षात्मक वातावरण प्राप्त होगा या नहीं, साथ ही साथ शिक्षकों का व्यवहार उनके बच्चों के प्रति कैसा होगा। उसी प्रकार सामान्य बच्चों के माता–पिता इस बात से डरते है कि, उनका बच्चा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ रहकर एक अजीब व्यवहार कर सकता है। ये समावेशन से सबंधित कई मुद्दों के कुछ उदाहरण हैं, जिनका निराकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है,ताकि एक सफल समावेशन प्रक्रिया किया जा सकें।
3. भारत में निम्न मूल संगठन दिव्यांगों के हेतु कार्यरत हैः–
   - परिवार–बंगाल, परिवार का हिस्सा (माता–पिता संगठनों का राष्ट्रीय परिसंघ) ने पश्चिम बंगाल के जिलों में माता–पिता को सशक्त बनाया है।
   - बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमता वाले युवा वयस्कों के लिए स्वयं वकालत।
4. समावेशी शिक्षा हेतु प्रशासक विशेष शिक्षकों से निम्न समर्थन प्राप्त कर सकते हैः–
   - व्यक्तिगत और भावनात्मक जैसेः– समस्या को सुनने व समझने के लिए तैयार होना
   - जानकारी प्रदान करना जैसेः– प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
   - वाह्य सहायता जैसेः– शिक्षक से मिलने का समय बनाना।
   - मूल्यांकन जैसेः– नई प्रथाओं के कार्यान्वयन से संबंधित रचनात्मक प्रक्रिया देना।
5. समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में समुदाय के निम्न लोगों की उपयोगिता हैः–

   माता–पिता और परिवार के सदस्य, शिक्षक, प्राचार्य, स्कूल बोर्ड, स्कूल समीक्षा अधिकारी, स्थानीय शिक्षक, चर्च, समुदाय के नेता, महिला समितियॉ, युवा समूह, स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्थानीय व्यवसायी–दुकानदार, बस चालक, स्थानीय खेल समूह इत्यादि।

13.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. पेशावरिया आर., मेनन डी0के0, स्टफेन्सन एल (2000), एन0आई0एम0एच0 जेम क्यूशचनेयर : सिकन्दराबाद, एन0 आई0 एम0 एच0
2. रीडिंग्स्स आफ मेंटल रिटारडनेशन (1991), फेमिली एण्ड कम्यूनिटी सिकन्दराबाद : एन आई एम0एच0
3. शैपिरो जे. (1994), पीपुल विथ डिसेबिलिटी फार्जिग न्यू सिविल राईट मूवमेंट : नौ पिटी नई दिल्ली यूनिवर्सल बुक ट्रेडस

इकाई– 14 : समावेशन के लिए परिवार एवं समुदाय की सहायता भागीदारी

इकाई की संरचना

14.1 प्रस्तावना

14.2 इकाई के उद्देश्य

14.3 समावेशी शिक्षा का अर्थ

14.4 समावेशी शिक्षा की विशेषताएं

14.5 समावेशी शिक्षा को लागू करने के कारण

14.5.1 दिव्यांग बालकों हेतु समावेशित शिक्षा का महत्व

14.6 समावेशी शिक्षा में माता–पिता की भूमिका

14.6.1 दिव्यांग बालकों के प्रति माता–पिता की अभिवृत्तियाँ

14.6.2 दिव्यांग बालकों के प्रति माता–पिता का समावेशन के प्रति सहयोग

14.7 समावेशन में समुदाय की भूमिका

14.8 समुदाय सहभागिता की आवश्यकता

14.9 समुदाय का समावेशी शिक्षा में सहयोग

14.10 सारांश

14.11 अभ्यास के प्रश्न

14.12 चर्चा के बिन्दु

14.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

14.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें

14.1 प्रस्तावना

भारतीय संविधान की अधिनियम की धारा 21(ए) के अनुसार शिक्षा बालक का मौलिक अधिकार है। जिसके अंर्तगत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को शिक्षा देने का उत्तरदायित्व सरकार का है तथा सभी बालकों का शिक्षा पाने का अधिकार है।

दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 तथा RPWD, 2016 के अनुसार सभी 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के दिव्यांग बालको को सरकार द्वारा निशुल्क शिक्षा प्रदान करवाये जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2006 मे युनाईट नेशन में पारित यू एन सी आर पी डी (UNCRPD) की धारा 24 के अंर्तगत् सभी दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है तथा शिक्षा प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार कोई मतभेद नही होना चाहिए।

वर्ष 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम मे अंर्तगत यह प्रावधान किया गया कि सभी बालक बिना किसी भेदभाव जैसे लिंग, जाति, घर्म, दिव्यांगता आदि के अपने नजदीक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

उपरोक्त वर्णित सभी अधिनियम का केवल एक उद्देश्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना है। सरकार द्वारा सभी बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किये गये हैं। इन प्रावधानों में दिव्यांग बालकों की शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाता हैं। अतः भारतीय संविधान के किसी भी अधिनियम में जहाँ बालकों की शिक्षा के बारे में वर्णन किया गया है उसके अंर्तगत् दिव्यांग बालक भी समहित होते है

परन्तु भारतीय संविधान में दिव्यांग बालकों की शिक्षा हेतु प्रावधान होना काफी नहीं हैं। शिक्षा के विभिन्न प्रावधान में दिव्यांग बालकों को समावेशित शिक्षा प्रदान करने बल दिया गया है।

14.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. समावेशी शिक्षा का अर्थ समझ सकेंगे।
2. समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं से परिचित हो सकेंगे।
3. समावेशी शिक्षा को लागू करने के कारणों से अवगत हो सकेंगे।
4. समावेशी शिक्षा में माता–पिता की भूमिकाओं को समझ सकेंगे।
5. समावेशी शिक्षा में समुदाय की भूमिका को स्पष्ट कर सकेंगे।
6. समावेशी शिक्षा में समुदाय के सहभागिता की आवश्कताओं के बारें में चर्चा कर सकेंगे।

14.3 समावेशी शिक्षा का अर्थ

समावेशी शिक्षा के अंर्तगत दिव्यांग बालको को सामान्य कक्षाओं में सम्मिलित करना होता हैं। परंतु समावेशी शिक्षा का आदर्श अर्थ से काफी विस्तृत माना गया है। समावेशी शिक्षा का अभिप्राय शिक्षा की ऐसी प्रणाली से है जिसमें बालकों को उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, जातियॅ, भाषीय, रहन–सहन की परिस्थिति, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, लिंग, दिव्यांगता आदि भेदभाव के बिना सभी बालकों को एक ही शिक्षा प्रणाली में समहित किया जाता है। समावेशी शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से बाल केद्रित प्रणाली के रूप में जानी जाती है।

14.4 समावेशी शिक्षा की विशेषताएं

अंतराष्ट्रीय दिव्यांगता एवं विकास महासंध की 1998 की विचारगोष्ठी के अनुसार समावेशित शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैः–

1. इस बात को स्वीकार करना कि सभी बालकों में सीखने की क्षमता होती है अर्थात् सभी बालक सीख सकते हैं।
2. बालकों की विभिन्नताओं को स्वीकार करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए।
3. शैक्षिक ढाचों, प्राणालियों को इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि वह सभी बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

14.5 समावेशी शिक्षा को लागू करने के कारण

सरकार द्वारा दिव्यांग बालकों की समावेशी शिक्षा लागू करने के निम्न मुख्य कारण हैः–

1. समावेशी शिक्षा प्राणाली एक मतव्ययी शिक्षा प्राणली है। यदि हम दिव्यांग बालकों के बारे में चर्चा करें तो ज्ञात होगा कि पूर्व में दिव्यांग बालकों हेतु विशेष विद्यालयों का निमार्ण किया जाता था। परंतु समावेशी शिक्षा के अंर्तगत् दिव्यांग बालकों को सामान्य विद्यालयों में ही पढ़वाने का प्रावधान हैं। अतः दिव्यांग बालकों हेतु विशेष विद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता नहीं है। जिससे विशेष विद्यालय की स्थापना में लगने वाले धन का प्रयोग कहीं और हो सकता हैं।
2. समावेशी शिक्षा के द्वारा दिव्यांग बालकों को अपने घर के पास ही शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। यह उन दिव्यांग बालकों के लिए अधिक उपयोगी होता है जिनके अभिभावक एवं माता–पिता अपने दिव्यांग बालकों को सुरक्षा की दृष्टि से अपने पास ही रखना चाहते हैं।
3. समावेशी शिक्षा के द्वारा दिव्यांग बालकों को अपने समाज में समायोजन करने में आसनी होती हैं।
4. समावेशी शिक्षा में बालकों का निरंतर विकास होता रहता है।

5. समावेशी शिक्षा से दिव्यांग बालकों का सकलांग बालकों के साथ पारस्परिक संबंध एवं अतः वैयक्तिक कौशल विकासित करने में आसानी होती है।

6. समावेशी शिक्षा के अंर्तगत् दिव्यांग बालको की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं को पहचानते हुए साकरात्मक परिवेश का निर्माण किया जाता है।

7. समावेशी शिक्षा बाल केद्रित शिक्ष प्रणाली के रूप में जानी जाती है अतः शिक्षक द्वारा दिव्यांग बालकों के अध्यापन हेतु उपयुक्त एवं शिक्षा पद्धतियों का उपयोग किया जाता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. समावेशी शिक्षा के प्रत्यय को समझाईए ?

   .....

   .....

2. समावेशी शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं?

   .....

   .....

3. समावेशी शिक्षा को लागू करने के विभिन्न तर्कों का समझाईए?

   .....

   .....

14.5.1 दिव्यांग बालकों हेतु समावेशित शिक्षा का महत्व

1. समावेशी शिक्षा के अंर्तगत् दिव्यांग बालकों को अपने सकलांग साथियों के साथ सामाजिक अंतःकिया करने का अवसर प्रदान करती हैं। जो कि भविष्य में दिव्यांग बालकों को समाज में समावेशित करने में सहायक होती हैं।

2. समावेशी शिक्षा प्रणाली बालकों के बीच एक प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलता हैं जिससे उनके मनोबल का विकास होता है।

3. समावेशी शिक्षा के अंर्तगत् दिव्यांग बालकों को सकलांग बालकों के साथ अध्ययन करते है जिससे सकलांग बालकों को दिव्यांग बालकों की योग्यता का ज्ञान होता है जिससे सकलांग बालकों में दिव्यांग बालकों के प्रति व्यवहार में साकरात्मक परिर्वतन आता है।

4. समावेशी शिक्षा में शिक्षक दिव्यांग बालकों के लिए कुछ स्तरीय शिक्षण पद्धतियों का विकास कर लेते है।

14.6 समावेशी शिक्षा में माता–पिता की भूमिका

दिव्यांग बालकों की समावेशी शिक्षा में समाज के विभिन्न वर्गों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन विभिन्न वर्गें में दो सबसे महत्वपूर्ण वर्गों दिव्यांग बालक के माता–पिता या समुदाय दिव्यांग बालकों की समावेशी शिक्षा के प्रति साकरात्मक रवैया नहीं रखता है तो दिव्यांग बालकों को समाज में समावेशी शिक्षा प्रदान करना काफी कठिन कार्य हो जायेगा।

आईए। अब हम सबसे पहले समावेशी शिक्षा के प्रति दिव्यांग बालकों के माता–पिता के बारे में चर्चा करते है। परंतु सबसे पहले हम इस बात को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि क्या दिव्यांग बालक के माता–पिता अपने दिव्यांग बालक को शिक्षित करना चहाते है।

इसके लिए सर्वप्रथम हम दिव्यांग बालक के माता–पिता के विभिन्न अभिवृतियों के बारे में चर्चा करेगें।

14.6.1 दिव्यांग बालकों के प्रति माता–पिता की अभिवृत्तियां

महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि बालक की प्रथम पाठशाला उसका अपना धर होता है एवं माता–पिता उसके प्रथम अध्यापक होते हैं । किसी भी बालक के विकास, शिक्षा, आत्मनिर्भता एवं बालक की उन्नति उसके परिवार के साकरात्मक अभिवृति पर निर्भर करता है। परिवार एवं बालक की उन्नति उसके परिवार के साकरात्मक अभिवृति, प्यार, प्रेरणा एवं सहयोग दिव्यांग बालकों के लिए अधिक आवश्यक होती है क्योंकि विकलांग के कारण उन्हें काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः दिव्यांग बालकों के माता–पिता का दिव्यांग बालकों के प्रति निम्न पांच प्रकार की अभिवृतियों को देखा गया हैः–

1. दिव्यांग बालक को पूर्णतया अस्वीकार कर देना माता–पिता की यह अभिवृति दिव्यांग बालकों के अभिशाप की तरह होता है जिसमें माता–पिता बालक की दिव्यांगता के कारण उसे पूर्ण रूप से अस्वीकार कर देते हैं तथा वह किसी भी प्रकार से बालक को अपने से अलग करने की कोशिश करते हैं। माता–पिता की इस प्रकार की अभिवृति दिव्यांग बालकों को शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास जैसे विकासों से दूर रखती हैं। इस प्रकार की अभिवृति दिव्यांग बालक को शिक्षा ग्रहण करने में बाधक साबित होती है।

2. दिव्यांग बालक को परोक्ष रूप से अस्वीकार करना माता–पिता की अभिवृति के अंर्तगत् माता–पिता दिव्यांग बालक को समाज के सामने तो स्वीकार करने का ढ़ोग करते हैं परंतु वास्तविक तौर पर वह दिव्यांग बालकों को अस्वीकार करते हैं। इस प्रकार की अभिवृति में माता–पिता दिव्यांग बालक की शिक्षा के बारे में नकारत्मक दृष्टिकोण रखते हैं जिसे दिव्यांग बालक को शिक्षा के बारे प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं।

3. दिव्यांग बालक की दिव्यांगताओं के प्रभावों का अस्वीकार करना– माता–पिता की इस प्रकार की अभिवृति के अंर्तगत् माता–पिता अपने बालक की दिव्यांगता के प्रभावों को नजरअदाज करने का प्रयास करने हैं। माता–पिता द्वारा यह मान लिया जाता है कि उनका दिव्यांग बालक एक सामान्य बालक की तरह की सभी कार्य का संपादन कर सकता है। माता–पिता के इस प्रकार की अभिवृति से दिव्यांग बाले का अपने पर से विश्वास कम होने लगता है क्योंकि माता–पिता की उम्मीदें दिव्यांग बालक से सकलांग बालक की तरह ही होती हैं ताकि दिव्यांग बालक अपनी सीमाओं के कारण उनकी उम्मीदों को पूरा करने मे असफल हो जाता हैं। दिव्यांग बालक का अपने आप से विश्वास समाप्त होना ही असकी शिक्षा में सबसें बड़ी बाधा साबित होती है।

4. दिव्यांग बालक का अत्यधिक संरक्षण प्रदान करना। माता–पिता के इस प्रकार की अभिवृति दिव्यांग बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। माता–पिता की दिव्यांग बालक की प्रति इस प्रकार की अभिवृति दिव्यांग बालको के अधिगम के अवसरों में बाधक होती है। दिव्यांग बालक के माता–पिता उसकी सुरक्षा की चिंता में उसे अपने से दूर नहीं जाने देते तथा दिव्यांग बालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे विभिन्न अधिगम के अवसर प्रदान नहीं करते। जिसके कारण बालक की शैक्षिक एवं अन्य विकास विकसित नहीं करते।

5. दिव्यांग बालकों को उसकी दिव्यांगजा के साथ स्वीकार करना– माता–पिता की इस प्रकार की अभिवृति दिव्यांग बालक के सभी प्रकार के विकास में सहायक होती है। इस अभिवृति के अंर्तगत दिव्यांग बालक के माता–पिता दिव्यांग बालक को उसकी दिव्यांगता के साथ स्वीकार करते हैं तथा माता–पिता को बालक की सभी गुणों एवं सीमाओं से अवगत रहते हैं। इस प्रकार की अभिवृति दिव्यांग बालक के सर्वोंगण विकास में सहायक होती हैं तथा माता–पिता अपने दिव्यांग बालक के विकास के लिए उसे उपयोगी शिक्षा प्रदान करवाने में पूर्ण योगदान देते हैं।

माता–पिता के उपरोक्त पांचों अभिवृतियों में माता–पिता द्वारा बालक को उसकी दिव्यांगता के साथ स्वीकार करने की अभिवृति ही दिव्यांग बालक की शिक्षा एवं उसके पुर्नावास में सहायक होती है। वर्तमान में माता–पिता अपने दिव्यांग बालक की शिक्षा के प्रति काफी जागरूक होते हैं। तथा वह समावेशी शिक्षा की महत्ता को समझते हैं। अतः वह अपने दिव्यांग बालक की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा का चुनाव करना अधिक पसंद करेंगे।

14.6.2 दिव्यांग बालकों के माता–पिता का समावेशन के प्रति सहयोग

दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख योगदान उसके माता–पिता का हसेता हैं। जैसा कि आपके माता–पिता के विभिन्न अभिवृतियों के बारे में अवगत करवाया गया है जो दिव्यांग बालकों को एवं उनकी दिव्यांगता को स्वीकार कर लेते हैं। माता–पिता के द्वारा बालक की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के प्रयास किये जाते हैं। इन आवश्यकताओं के अंतर्गत् बालक की शैक्षिक आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता हैं।

शैक्षिक आवश्यकता में भी माता–पिता को अपने दिव्यांग बालक की आवश्यकता के आधार पर शैक्षिक प्रारूप का चयन करते हैं। पूर्व में दिव्यांग बालक की शैक्षिक आवश्यकताओं को केवल विशिष्ट विद्यालयों में ही पूरा किया जा सकता था। परंतु भारत सरकार के सकारात्मक कदमों के कारण अब दिव्यांग बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं को शिक्षा के समावेशी प्रारूप के द्वारा भी पूरा किया जा सकता हैं। समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बालकों के शिक्षा सकलांग बालकों के साथ सामान्य विद्यालय में दी जाती है। हांलकि वर्तमान में समावेशी शिक्षा के उत्थान एवं प्रचलन के बाद भी विशिष्ट विद्यालयों को महत्ता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वर्तमान में विशिष्ट विद्यालय में गंभीर एवं अतिगंभीर दिव्यांगता से ग्रस्ति बालकों को शिक्षा प्रदान के लिए सहायक होते हैं।

माता–पिता निम्न प्रकार से अपने दिव्यांग बालक हेतु समावेशी शिक्षा में सहयोग कर सकते हैं –

1. सर्वप्रथम माता–पिता प्रांरभिक हस्तक्षेप के द्वारा बालक की योग्यताओं का पता लगाने एक उपयुक्त मूल्यांकन करवायें जिससे माता–पिता को बालक की क्षमताओं एवं कमी का ज्ञान हो सकें। पगारंभिक हस्तक्षेप के द्वारा ही माता–पिता को दिव्यांग बालक की किलांगता का स्तर ज्ञान हो जाता हैं। जिसके आधार पर दिव्यांग बालक के माता–पिता बालक की शिक्षा हेतु उपयुक्त शिक्षण प्रणाली के बारे में योजना का निर्माण कर सकें। यदि बालक की दिव्यांगता मंद या मध्याम स्तर की है तो अवश्य ही माता–पिता द्वारा अपने बालक को समावेशी शिक्षा प्रणाली में नामांकन का प्रयास करेंगे। हांलकि काफी उदाहरण इस तथ्य की तरफ इंगित करते हैं कि माता–पिता अपने बालक को समावेशी प्रणाली में इस लिए नामांकन कराते हैं ताकि समाज के अन्य वर्ग को यह ज्ञात न हो कि उनका बालक दिव्यांग है। परंतु माता–पिता की यह अभिवृति बालक की दिव्यांगता को स्वीकार न करने वाली ही होती हैं जो कि बालक की शिक्षा के लिए नहीं अपितु बालक की दिव्यांगता को छुपाने के लिए समावेशी शिक्षा में नामांकन करवाने की कोशिश करते हैं जो कि दिव्यांग बालक के विकास के लिए काफी हानि कारक होता है।
2. माता–पिता द्वारा अपने दिव्यांग बालक की क्षमता एवं कमी को जानने के उपरांत वे अपने बालक के सफल समावेशी शिक्षा हेतु विभिन्न स्रोत्रों को खोजने की कोशिश कर सकते हैं।
3. सफल समावेशन के लिए माता–पिता समाज के अन्य व्यक्यिों जो कि समावेशी शिक्षा के पक्षधर हैं उनसे समावेशी शिक्षा के बारे में अपने शंकाओं को समाधान हेतु संपर्क कर सकते हैं। जिससे भविष्य में सतावेशन में दिव्यांग बालक को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े तो माता–पिता समावेशी शिक्षा में अपने दिव्यांग बालक की सहायता करा सकें।
4. माता–पिता द्वारा चाहिए कि वह सरकार द्वारा चलाई जा रही समावेशी शिक्षा प्रणाली के बारे में उनकी विभिन्न योजनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करे एवं आवश्यकता पड़ने पर उन योजनाओं के द्वारा वह अपने दिव्यांग बालकों की समावेशी शिक्षा में सहायता करें।
5. ऐसा संभव नहीं कि केवल अर्थिक रूप से व्यक्ति ही अपने दिव्यांग बालकों समावेशी शिक्षा में डाल सकते हैं या वे व्यक्ति ही अपने दिव्यांग बालकों हेतु समावेशी शिक्षा में सहयोग कर सकते हैं। समाज के सभी वर्ग के दिव्यांग बालकों को समावेशी शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार हैं। इस वर्ग में ऐसे व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जाता है जो अपने बालक को समावेशी शिक्षा में तो नामांकन करवा देते हैं परंतु उसके लिए उपयोगी सहायक उपकरणों को क्रय करने में सक्षम नहीं होते हैं। इस लिए ऐसी माता–पिता को अपने बालक की समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए भारत सरकार की एडीप योजना के बारे में जानाकारी होनी अति आवश्यक है जिससे अंतर्गत दिव्यांग बालकों को मुफ्त में सहायक उपकरण प्रदान किये जाते हैं ताकि बालक सफलता पूर्वक अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सके। एक दिव्यांग बालक के माता–पिता को अपने बालक की सफल समावेशी शिक्षा हेतु भारत सरकार की इस प्रकार की योजना की

जानकारी होना आवश्यक है जो कि समावेशी शिक्षा में सहायक होती है।

6. दिव्यांग बालक के माता–पिता को अपने बालक की सफल समावेशी शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा दिव्यांगों को दिये जाने वाले वजीफों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जिससे दिव्यांग बालकों को समावेशी शिक्षा में किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता की आवश्यकता होने पर वह भारत सरकार के उपक्रम एन0एच0एफ0डी0सी0 से वजिफे के लिए आवेदन कर सकें। माता–पिता द्वारा यदि इस उपक्रम की जानकारी होगी तो वह अपने दिव्यांग बालक की सफल समावेशी शिक्षा में भागीदार बन सकेंगे।

7. एक सफल समावेशी शिक्षा के सहयोग हेतु माता–पिता को अपने दिव्यांग बालक के विभिन्न अधिकारों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक हैं। माता–पिता को यह ज्ञान होना आवश्यक है कि भारत के संविधान के विभिन्न अधिनियमों में उसके दिव्यांग बालकों के लिए कौन–कौन से अधिकार के लिए संधर्ष कर सकें जो कि समावेशी शिक्षा मे सफल सहयोग के लिए आवश्यक हैं।

8. एक दिव्यांग बालक के सफल समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसके माता–पिता को ऐसी सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों के साथ मिलकर रहना चाहिए जो समावेशी शिक्षा के प्रचार प्रसार में अमूल्य योगदान दे रहे हैं या समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हो ताकि आवश्यकता पड़ने पर दिव्यांग बालक के माता–पिता ऐसी संस्थाओं प्राप्त कर सकें। जोकि उनके दिव्यांग बालक हेतु सफल समावेशी शिक्षा में मददगार साबित होगा। माता–पिता को चाहिए कि वह भी इस प्रकार की संस्थाओं के सदस्य बन समावेशी शिक्षा के बढ़ावे में सहायता करें।

9. सफल समावेशी शिक्षा में सहयोग करने हेतु माता–पिता को चाहिए कि वह अपने दिव्यांग बालक में समावेशी शिक्षा के प्रति साकरात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करे तथा समावेशी शिक्षा के बारे में अपने दिव्यांग बालक की सभी शंकाओं का निवारण करें ताकि दिव्यांग बालक द्वारा समावेशी शिक्षा में नामांकन के उपरांत यदि किसी प्रकार की समस्या आती हो तो वह उसके बारे में पूर्व में अवगत हो जिससे वह उस परिस्थिति में अपने आप को आसानी से समायोजित कर सके।

10. अध्यापक समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए एक महत्वपुर्ण अवयव है। दिव्यांग बालक के माता–पिता द्वारा विद्यालय में अभिभावक अध्यापक ऐसोशियेशन के साथ मिलकर अध्यापकों हेतु समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए समय–समय पर छोटी–छोटी कार्यशालाओं को आयोजित करना चाहिए। ताकि विद्यालय में कार्यरत् अध्यापक भी दिव्यांग बालक एवं उनकी आवश्यकताओं के बारे में जान सके एवं उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह सभी कार्य दिव्यांग बालक के माता–पिता के सहयोग के कारण ही संभव हो सकता है।

11. दिव्यांग बालक के माता–पिता एवं संबंधित संस्थाओं को समावेशी विद्यालय में अध्ययनरत् सकलांग बालकों के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे सभी सकलांग बालक दिव्यांग बालक के बारे में जान पाये। माता–पिता को कोशिश करनी चाहिए कि समावेशी विद्यालय में अध्ययनत् सकलांग बालकों में अपने साथ पढ़ने वाले दिव्यांग बालकों के लिए नकारात्मक व्यवहार समाप्त हो एवं सकारात्मक व्यवहार का विकास हो। एक सफल समावेशी शिक्षा के लिए यह अति आवश्यक होता है।

12. दिव्यांग बालकों के सफल समावेशी शिक्षा के सहयोग हेतु उनके माता–पिता को बालक के अध्ययन अधिगम किया में अपने आप को आवश्य सम्मिलित करना चाहिए। जिससे कि दिव्यांग बालक को यह एहसास न हो नही तो वह अपने सकलांग भाई–बहनों से अलग है। माता–पिता का अपने दिव्यांग बालकों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार बालक के सफल समावेशी शिक्षा में अमूल्य योगदान देता है।

13. माता–पिता को अपने दिव्यांग बालक के सफल समावेशी शिक्षा के सहयोग के लिए समुदाय में उपस्थिति संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना एवं उन संसाधनों का उपयोग दिव्यांग बालक के समावेशी शिक्षा में करना चाहिए।

14. माता–पिता को अपने दिव्यांग बालकों को विद्यालय में होने वाले विभिन्न प्रकार की पाठ्यसहगामी क्रियाओं में प्रतिभाग लेने के लिए प्रोत्साहित करनते रहना चाहिए। इसका मुख्या कारण बालक द्वारा अपने सकलांग साथियों के साथ मिलकर काम करने की भावना का विकास होगा तथा दिव्यांग बालक के द्वारा इस प्रकार

के कार्यक्रमों के प्रतिभाग के कारण उसके सकलांग साथियों में उसे प्रति सम्मान बढ़ेगा एवं विकालांग बालक समस्त विद्वालय के सामने अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलेगा। जिससे विद्यालय में उसके प्रति सभी की अभिवृति में परिवर्तन होने की संभावना होगी। जोकि बालक के सफल समावेशी शिक्षा के लिए लाभदायक होगा।

15. एक दिव्यांग बालक के सफल समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है कि माता–पिता समय–समय पर अपने दिव्यांग बालक एवं उसके अध्यापक से उसकी कक्षा में प्रगति के बारे में पूछे। यदि बालक को कक्षा में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो माता–पिता को चाहिए ि कवह स्वय अथवा अध्यापक की सहायता से बालक के सफल समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक होती है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

4. दिव्यांग बालकों हेतु समावेशी शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए?

.....

.....

5. एक दिव्यांग बालक के माता–पिता किस प्रकार उसके समावेशन में सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

.....

.....

14.7 समावेशन में समुदाय की भूमिका

भारत जैसे विकासशील देशों मे दिव्यांगों की शिक्षा के लिए प्रारंभ में विशेष विद्यालय में दी जाती थी। परंतु समय के विकास के साथ–साथ दिव्यांगों की शिक्षा के प्रारूपों में विकास के साथ बदलाव किये गये। विशेषज्ञों द्वारा विशिष्ट विद्यालयों को एक संकुचित दृष्टि से देखा जाने लगा और उसमें दिव्यांग बालकों के सर्वांगीण विकास में होने वाली कमियों को दर्शाते हुए विशिष्ट विद्यालय के तलाशना प्रारंभ कर दिया। इसके उपरांत दिव्यांग बालकों हेतु समेकित विद्यालय में शिक्षा का प्रबंध किया जाने लगा। वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा प्राणली की महत्ता का ध्यान में रखते हुए दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया जाने लगा हैं।

समावेशी शिक्षा के विकास का एक मुख्य कारण इसमें समुदाय की भागीदारी को सुनिशिचत करना था। जैसा कि विदित है कि अधिकांश विशिष्ट विद्यालय में दिव्यांग बालको के लिए छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं एवं विकलोग छात्रों काफी दूर से इन विद्यालयों में अध्ययन हेतु आते हैं जिसके कारण वह अपने परिवार से अलग रहते हैं। क्योकि विशिष्ट विद्यालय दिव्यांग बालक के घरों से दूर होते हैं इसलिए अधिकांश माता–पिता अपने दिव्यांग बालकों को अपने से अलग नहीं भेजना चाहते जिस कारण वह अपने बालक को विद्यालय नहीं भेजते थे। समावेशी शिक्षा के उत्थान के उपरांत बालक अपने माता–पिता एवं समुदाय में रहने लगते हैं जिसके कारण वे समुदाय के एक सामाजिक, संस्कृति एवं आर्थिक हिस्सा बन सकते हैं।

भारत के ग्रामीण एवं शहरी प्रत्येक क्षेत्र में मानव संसाधन आसानी से एवं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यदि इस मानव संसाधन का उपयुक्त प्रकार से उपयोग किया जाये तो दिव्यांग बालकों की शिक्षा एवं पुर्नावास में काफी सहायता प्राप्त हो सकती है। समुदाय की सहभागिता का अभाव में समावेशी शिक्षा के उद्देश को प्राप्त करना कठिना है।

14.8 समुदाय सहभागिता की आवश्यकता

दिव्यांग बालकों की समावेशी शिक्षा में समुदाय एक महत्वपुर्ण भूमिका का निवहन करता है। उदाहरण के तौर पर समावेशी शिक्षा की सफलता की एक कुंजी माता–पिता एवं अभिभावकों के हाथ में रहती है। उनके द्वारा

दिव्यांग बालक की बेसिक आवश्यकताओं को पूरी करने का उत्तरदायित्व होता है जैसे दिव्यांग बालक की दैनिक कौशल को सिखना, संप्रेषण कौशल को विकसित करने में सहायक, चलिष्णुता आदि देने के अलावा मनोवैज्ञानिक रूप से भी शक्ति प्रदान करवाते हैं। उनके द्वारा दिव्यांग बालकों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के बारे में काफी अच्छी तरह से जान चुके होते हैं।

14.9 समुदाय का समावेशी शिक्षा में सहयोग

भारत में समुदाय में सम्मिलित करके मानव संसाधन का उपयोग समावेशी शिक्षा के लिए कारगर साबित हो सकता हैं। समुदाय दिव्यांग बालकों की शिक्षा हेतु एक साकरात्मक भूमिका निभा सकता है। समुदाय का दिव्यांगों की शिक्षा के प्रति भूगिका निश्चित है एवं यह कार्यक्रम को कियांवयान करने वाली एजेंसी होती है कि वह किस प्रकार प्रकार समुदाय को उसके उत्तरदायित्व के बारे में अवगत कराये एवं समुदाय किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। समुदाय निम्न प्रकार से समावेशी शिक्षा के विकास में सहायक होता है –

1. समाज में दिव्यांगता के प्रति सकारात्मक प्रचार प्रसार करना समुदाय द्वारा समावेशी शिक्षा हेतु सबसे मुख्य कार्य समाज के सभी वर्गों के मध्य दिव्यांग बालकों एवं व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक सोच का विकास करता है। सामान्यता समाज के एक बड़े भाग का यह सोचना है कि दिव्यांग व्यक्ति समाज पर केवल एक बोझ है जो समाज के संसाधनों को व्यर्थ कर रहे हैं एवं उनकी रहना, खाना, पीना आदि समाज पर बोझ हैं। समुदाय द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों एवं बालकों के प्रति समाज की इस सोच का साकरात्मक रूप से बदलना है। समाज का इस बात से अवगत करवाना अति आवश्यक है कि यदि दिव्यांग बालकों एवं व्यक्तियों को उत्तम समावेशी शिक्षा दी जाये तो वह भी समाज में एक उत्पादक की भूमिका निभा सकते हैं तथा समुदाय, समाज एवं देश की तरक्की में भागीदार बन सकते हैं।

2. ग्राम स्तर दिव्यांग बालकों की समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता हेतु कैम्प लगाना – समावेशी शिक्षा हेतु समुदाय द्वारा विशेष तौर पर ग्राम स्तर पर जागरूकता के लिए शिविर लगवाने चाहिए। इन शिविरों में दिव्यांगता के प्रति समाज के आम व्यक्तियों को जानकारी प्रदान कयायी जानी चाहिए। समाज को अवगत करवाना चाहिए कि यदि समाज में कोई दिव्यांग बालक है तो उसे समावेशी शिक्षा के द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। समुदाय द्वारा समावेशी शिक्षा के लाभों के बारे में समाज के विभिन्न वर्गो को अवगत कराया जाना चाहिए।

3. सामान्य विद्यालय के अध्यापकों एवं अध्यापकों प्रधानाध्यपकों को प्रशिक्षण प्रदान – आप सभी इस बात से अवगत है कि समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवयव सामान्य विद्यालय में कार्यरत् अध्यापक एवं प्रधानाध्यक होते हैं। इनके सहयोग के अभाव में समावेशी शिक्षा के विकास की कल्पना करना संभव नही हैं। इसलिए समुदाय द्वारा सामान्य विद्यालयों में कार्यरत् अध्यापकों एवं प्रधानध्यापकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियोजन किया जाना चाहिए। जहाँ इस को समावेशी शिक्षा के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा के अंर्तगत् दिव्यांग बालकों के समस्याओं, उन समस्याओं के समाधान हेतु उपायों, दिव्यांग बालकों की समावेशी शिक्षा की निहितार्थ, सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों, दिव्यांग बालकों की शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार, अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व, प्रधानाध्यापको का समावेशी शिक्षा के लागु करवाने हेतु संसाधन आदि सभी बातों को इनके प्रशिक्षण के अंर्तगत बताया जाना चाहिए ताकि सामान्य विद्यालय में कार्यरत् अध्ययापक एवं प्रधानध्यापक समावेशी शिक्षा का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन कर सके।

4. एजेसी के द्वारा समाज में से ही दिव्यांगो की शिक्षा के विकल्प तलाशना – समुदाय में समावेशी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न संस्थाएं कार्य कर रही हैं। ऐसी सभी संस्थओं को समाज के अंदर जाकर दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प तलाशने की आवश्यकता है। एजेंसी द्वारा दिव्यांग बालको की शिक्षा के विभिन्न विकल्पों के बारे में सामज को अवगत करवाना चाहिए तथा उन्हें दिव्यांगों के लिए शिक्षा के समावेशी प्रारूप के बारे में समाज को अवगत करवाना चाहिए।

5. समुदाय में रहने वाले व्यक्तियों को समावेशी शिक्षा के बारे में अवगत करवाना अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों

समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए समाज में रहने वाले अन्य व्यक्यिों मे सबसे महत्वपुर्ण है। ऐसा पाया गया हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्ति अपने बालकों को दिव्यांग बालकों के साथ शिक्षित नहीं करवाना चाहते। इसका कारण उनकी समावेशी शिक्षा के प्रति अनभिन्नता है। अतः उन व्यक्तियों को समावेशी शिक्षा के लाभों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए साथ ही साथ उन्हें दिव्यांग बालकों के गुणों के बारे में भी अवगत करवाना चाहिए ताकि वह इस मिथ्या से निकल सके कि दिव्यांग बालकों के साथ अध्ययन करने से उनके बालकों में दिव्यांग बालकों के नकारात्मक गुणों का समावेशन हो जायेगा।

6. समावेशी शिक्षा के प्रचार प्रसार से नुक्कड़ नाटक – समावेशी शिक्षा के लिए समुदाय के लोगों द्वारा समाज के अलग–अलग भागों मे जाकर दिव्यांग बालकों हेतु समावेशी शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। इसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसका एक लाभ यह भी होगा कि समाज के किसी हिस्से में कोई दिव्यांग बालक है एवं उसकें माता–पिता को उसकी शिक्षा के बारे में किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है तो इन नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से दिव्यांग बालक के माता–पिता को भी अपने बालकों की शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त हो जायेगी।

7. समावेशी शिक्षा के प्रति सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत करवाना – समावेशी शिक्षा के सफलता के लिए चाहिए कि आम जनता को समावेशी शिक्षा का अभिप्राय का ज्ञान हो तथा साथ ही साथ भारत एवं राज्य सरकारों द्वारा समावेशी शिक्षा के लिए किये जाने वाले प्रावधानों के बारे में अवगत करवाना है। इन प्रावधानों के परिणामस्वरूप दिव्यांग बालक किस प्रकार लाभांन्वित हो सकेंगे, इन सभी बातों से समाज को समावेशी शिक्षा का विकास किस प्रकार हो सकता हैं इन से समाज को अवगत करवाना चाहिए जिससें समावेशी शिक्षा को प्रभावी ढ़ग से लागू किया जा सकें।

8. समावेशी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम का विकास करना – समावेशी शिक्षा हेतु आवश्यक है कि दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए।

   दिव्यांग बालकों के लिए यदि पाठ्यक्रम में यदि किसी प्रकार की अनुकूलन की आवश्यकता होती है तो यह अनुकूलन किया जाना चाहिए। इस प्रकार के पाठ्यक्रम के उपरांत ही समावेशी शिक्षा को प्रभावी रू॰ से लागू किया जा सकता है।

9. बाधारहित वातावरण का निर्माण करना – समावेशी शिक्षा हेतु समुदाय को चाहिए कि वह समुदाय, विद्यालय एवं ऐसी प्रत्येक जगह जहॉ दिव्यांग बालकों को किसी प्रकार की बाधा का सामना करना पड़ता है उन सभी जगह एवं वातावरण को दिव्यांगो हेतु बाधारहित बनवा देना चाहिए क्योंकि एक बाधारहित वातावरण ही समावेशी शिक्षा की सफलता की कुंजी है। परंतु बाधारहित वातावरण से अभिप्राय केवल भौतिक वातावरण नहीं अपितु शैक्षिक, सामाजिक आदि वातावरण से भी है जो समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

6. समुदाय के सहयोग के आभाव में दिव्यांग बालकों के समावेशन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। समझाइए?

.....

.....

14.10 सारांश

आप इस बात से अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार के लिए विभिन्न अधिनियमों को लागू किये गया है ताकि सभी बालकों को शिक्षा प्रदान की जा सके। समावेशी शिक्षा एक ऐसा उपकरण है जो भारत

सरकार के इस उद्देश्यों को पूर्ण करने में काफी सहायक है। समावेशी शिक्षा के अंर्तगत सभी बालकों को बिना किसी भेदभाव के एक सामान्य विद्यालय में शिक्षा प्रदान करवाने का प्रावधान होता है। समावेशी शिक्षा को इस आधार पर लागू किया जाता है कि सभी बालकों में सीखने की क्षमता होती है। समावेशी शिक्षा को लागू करने के कारण उसका मतव्ययी होना, बालकों को शिक्षा उनके घर के पास प्रदान करवाना, दिव्यांग बालकों को समाज में आसानी से समायोजन होना, बालकों का निरंतर विकास होना आदि है। समावेशी शिक्षा दिव्यांग बालकों के लिए भी महत्वपुर्ण है। परंतु हम इस बात से इनकार भी नही कर सकते कि समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए दिव्यांग बालक के माता–पिता की महत्वपूर्णा भूमिका रहती है। इसके लिए दिव्यांग बालक के माता–पिता का बालकों के शिक्षा के प्रति अभिवृतियों को बदलने की आवश्यकता होती है ताकि वे दिव्यांग बालकों की समावेशी शिक्षा में सहयोग कर सकें। इसी प्रकार समावेशी शिक्षा के लिए समुदाय का सहयोग होना भी अति आवश्यक है।

14.11 अभ्यास के प्रश्न

1. समुदाय एवं समावेशन विषय पर एक निबन्ध लिखिए?
2. एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यालय में समाावेशी शिक्षा हेतु क्या–क्या रणनीतियाँ बनायेंगे?

14.12 चर्चा के बिन्दु

1. समावेशी शिक्षा हेतु सामान्य बालकों के माता–पिता के क्या अभिवृत्ति हो सकती है? चर्चा कीजिए।
2. समावेशी शिक्षा में समुदाय का क्या योगदान है? चर्चा कीजिए।

14.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. समावेशी शिक्षा का अभिप्राय शिक्षा की ऐसी प्रणाली से है जिससें बालकों को उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, जातीय, भाषीय, रहन–सहन की परिस्थिति, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, लिंग, दिव्यांगता आदि भेदभाव के बिना सभी बालकों को एक ही शिक्षा प्रणाली में समहित किया जाता है।
2. समावेशी शिक्षा बाल केद्रिन्त होती है तथा इस बात का स्वीकार किया जाता है कि सभी बालकों में सीखने की क्षमता होती है। हमें दिव्यांग बालकों की विभिन्नताओं को स्वीकार कर उनका सम्मान करना चाहिए तथा ऐसी शैक्षिक ढ़ांचे तैयार करना ताकि सभी बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकें।
3. यह एक मितव्ययी प्रणाली है। दिव्यांग बालक अपने घर के नजदीक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्राणाली के माध्यम से वे समाज में आसानी से समायोजन कर सकते हैं तथा बालकों का निरंतर विकास होता है। समावेशी शिक्षा दिव्यांग बालकों हेतु सकारात्मक परिवेश का निर्माण करने में सहायक होती है।
4. समावेशी क्रिया में दिव्यांग बालक आपने सकलांग साथियों के साथ अंतःक्रिया करते है। इस प्रणाली में सकलांग एवं दिव्यांग बालकों में स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। सकलांग बालकों में दिव्यांग बालकों के प्रति व्यवहार में सकारात्मक परिर्वतन होता है।
5. माता–पिता द्वारा प्रारंभिक हस्तक्षेप के उपरांत बालक की योग्यता हेतु एक उपयुक्त मूल्यांकन करवाया जाता है। समावेशी शिक्षा हेतु माता–पिता द्वारा दिव्यांग बालकों हेतु विभिन्न स्रोत्रों को खोजने की कोशिश की जाती है। वे समावेशी शिक्षा के पक्ष में रहने वाले व्यक्तिओं से समावेशी शिक्षा में आ रही समस्याओं के बारे में समाधान प्राप्त कर सकते हैं। माता–पिता अपने दिव्यांग बालकों के विकास के लिए समावेशी शिक्षा के लिए सरकार के विभिन्न नियमों एवं योजनाओं का लाभ उठा सकने हैं। माता–पिता अपने बालक की समावेशी शिक्षा के लिए विभिन्न अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा दिव्यांग बालकों हेतु अन्य गैर सरकारी संस्थाओं से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। माता–पिता अपने दिव्यांग बालक मे समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण कर सकते हैं। माता–पिता द्वारा विद्यालय में अभिभवाक अध्यापक ऐसोसियेशन के साथ मिलकर अध्यापको हेतु समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए समय–समय पर छोटी–छोटी कार्यशालाओं को आयोजित करना चाहिए। माता–पिता एवं संबधित संस्थाओं को समावेशी विद्यालय में अध्ययनरत् सकलांग बालकों के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिससे सभी सकलांग बालक दिव्यांग बालक के बारे में जान पायें।
6. समुदाय दिव्यांगता के प्रति सकारात्मक माहौल का निर्माण करता हैं। समुदाय ग्राम स्तर दिव्यांग बालकों की

समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता हेतु कैम्प लगाता है तथा सामान्य विद्यालय के अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों को समावेशी शिक्षा के विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करवाता है। समुदाय में समावेशी शिक्षा के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं समावेशी शिक्षा हेतु समाज से ही विकल्प तलाशने का प्रयास करते हैं तथा समुदाय के विभिन्न तबकों को समावेशी शिक्षा एवं उसके महत्वों को बताते हैं। समाज समावेशी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करते हैं।

14.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. UNICEF (2012) 'The right of children with disabilities to education: A right-based approach to Inclusive Education" Position Paper
2. Bartkett. L.D., & Weisentein. G.R. (2003). Successful Inclusion for Education Leaders. New Jersey: Prentice Hall.
3. Choate, J.S. (1997). Successful Inclusive Teaching. Allyn and Bacon.
4. Hegarthy, S. & Alur, M.(2002). Education of Children with Special Needs: from Segregation to Inclusion, Corwin Press, Sage Publishers.

इकाई–15 : समावेशी शिक्षा हेतु संसाधन जुटाना

इकाई की संरचना

15.1 प्रस्तावना

15.2 इकाई के उद्देश्य

15.3 समावेशी शिक्षा हेतु संसाधनों की आवश्यकता

15.4 संसाधन जुटाने के स्त्रोत

15.5 संसाधन जुटाने के तरीके

15.6 सारांश

15.7 अभ्यास के प्रश्न

15.8 चर्चा के बिन्दु

15.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

15.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

15.1 प्रस्तावना

समावेशी शिक्षा का विकास एवं प्रचार–प्रसार किसी एक व्यक्ति या संस्था के द्वारा नहीं किया जा सकता तथा यह भी संभव नहीं है समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए किसी प्रकार की समय सीमा को निशिचत किया जाये। समावेशी शिक्षा के लिए व्यावक स्तर पर संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। यह संसाधन किसी भी एक संस्था या व्यक्ति विशेष के द्वारा उपलब्ध करवाना काफी कठिन है।

संसाधनों को जुटाना भी सभी व्यक्तियों के लिए आसान कार्य नही है। इस हेतु भी विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। इन कौशलों के अंर्तगत् व्यक्ति विशेष में संसाधन जुटाने के उद्देश्यों को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए, व्यक्ति द्वारा उन उद्देश्यों के समाज के बारे में हितों को समाज को समझाने का कौशल होना चाहिए, व्यक्ति संप्रेषण कौशल में निपुण होना चाहिए एवं व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि वह अन्य व्यक्तियों को अपने विचार के सुनाने में सक्षम हो। यदि किसी व्यक्ति जोकि संसाधन जुटाने का कार्य कर रहा है एवं उसमें उक्त गुण नहीं है तो संभव है कि उसे संसाधन जुटाने में बाधाओं का सामना करना पड़ता सकता है। सामान्यता यह समस्या व्यक्ति द्वारा प्रारंभिक स्तर पर अधिक आती हैं। उसका मुख्य कारण व्यक्ति द्वारा अपने उद्देश्यों को अमुर्त रूप से समाज के सम्मुख रखना होता है जिसमें समाज के विभिन्न तबकों को उस उद्देश्य विशेष में विश्वास करने में कठिनाई होती है। एक बार व्यक्ति या संस्था विशेष अपने द्वारा उद्देश्य को मूर्त रूप देने के उपरांत वे किसी भी व्यक्ति या संस्था जिससे संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं उसके सामने अपनी गतिविधियों को प्रस्तुत कर सकते हैं एवं भविष्य में अपने द्वारा किये जाने वाले उद्देश्य के बारे मे विस्तार से अवगत करवा सकते हैं तथा संसाधन प्रदान करने वाला व्यक्ति या संस्था भी उस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकता हैं।

दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा का स्वरूप भी इसका एक नवीन उदाहरण है। समावेशी शिक्षा को अमूर्त से मूर्त रूप में लाना भी एक कठिन चुनौती है। जिसके लिए संसाधन जुटाने की आवश्यकता होती है।

संसाधनों की पहचान करने एवं संसाधन जुटाने में किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत् प्रयासों के स्थान पर यदि यह कार्य किसी संस्था द्वारा किया जाता है तो इस कार्य को काफी प्रभावपुर्ण बनाया जा सकता है। समावेशी शिक्षा का कार्य किसी एक व्यक्ति के स्थान पर संस्था द्वारा किया जाना अधिक सकारात्मक लगता है संसाधन प्रदान करने वाले व्यक्ति या संस्था किसी विशेष के मुकाबले संस्था पर अधिक विश्वास करते हैं। संस्थओं को किसी विशेष व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों पर अपने संसाधनों के लिए निर्भर नही रहना चाहिए जोकि संस्था के लिए आवश्यक जीवनदायिनी साबित होता हैं।

15.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि –

1. समावेशी शिक्षा हेतु संसाधनों की आवश्यकताओं को समझ सकेंगे।
2. समावेशी शिक्षा हेतु संसाधनों के स्त्रोतों की पहचान कर सकेंगे।
3. समावेशी शिक्षा हेतु संसाधन जुटाने के तरीकों में अपना योगदान कर सकेंगे।

15.3 समावेशी शिक्षा हेतु संसाधनों की आवश्यकता

समावेशी शिक्षा हेतु संसाधन जुटाने से पूर्व यह जानना या ज्ञात करना अति आवश्यक है कि समावेशी शिक्षा के विकास के लिए किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता है। आईए हम आपको यह बताने के कोशिश करते हैं कि समावेशी शिक्षा के लिए कौन–कौन से संसाधनों की आवश्यकता होती है।

समावेशी शिक्षा हेतु निम्न संसाधनों की आवश्यकता होती है –

1. **नगदी** – किसी भी कार्य को पूर्ण करने हेतु नगदी एक प्रमुख संसाधन हैं इसके अभाव में किसी भी कार्य की नीव रखना संभव नहीं हैं। समावेशी शिक्षा के लिए प्रासंगिक एवं सर्व प्रमुख संसाधनों में नगदी है जो कि समावेशी शिक्षा को प्रारंभ करने हेतु आवश्यक है।
2. **विशेषज्ञता** – समावेशी शिक्षा के अन्य एवं महत्वपुर्ण संसाधन में समावेशी शिक्षा में कार्य करने वालों की विशेषज्ञता है। आपको अवगत करावाना अति आवश्यक है कि विशेषज्ञता का अभिप्राय केवल शिक्षण कार्य में विशेषज्ञता से ही नहीं है। विशेषज्ञता के विभिन्न रूपों को समावेशी शिक्षा में शामिल किया जा सकता हैं जैसे समावेशी शिक्षा हेतु धन का प्रंबध करने विशेषज्ञ, समावशी शिक्षा की शिलान्यास करने वाले विशेषज्ञ, समावेशी शिक्षा का संचालन करने वाले प्रबंध, समावेशी शिक्षा में अध्ययापन कार्य करने वाले विशेषज्ञ इत्यादि।
3. **समावेशी शिक्षा के प्रचार हेतु संसाधन** – समावेशी शिक्षा हेतु ऐसी संसाधनों की भी आवश्यकता होती है जो कि समावेशी शिक्षा के गुणों या फायदों को आम जनता तक पहुँचायें एवं ऐसे अवसरों के बारे में समावेशी शिक्षा का प्रारंभ करने वाली संस्था को अवगत करायें जिससे समावेशी शिक्षा के बारे में अधिक से अधिक व्यक्तियों के इसके बारे में सूचनाएं एवं जानकारी प्राप्त हो सकें।
4. **योजना का निर्माण करने वाले व्यक्ति** – समावेशी शिक्षा के विकास के लिए हमें ऐसे संसाधनों की आवश्यकता होती है जो समावेशी शिक्षा की योजना को मूर्त रूप देने में सहायक हो तथा इसके निर्माण में अपना सहयोग एवं योगदान दे सकें।
5. **संबंध निर्माण में सहायक** – समावेशी शिक्षा हेतु हमें ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं की सहायता लेनी होती है जो किस समावेशी शिक्षा के बारे में समाज के साथ मधुर संबंध बनाने में सहायक होती हैं।
6. **अन्य संसाधन** – उपरोक्त संसाधन के अतिरिक्त समावेशी शिक्षा हेतु हमें भवन, फर्नीचर, उपकरण आदि संसाधनों की आवश्यकता होती है।

समावेशी शिक्षा के लिए उपरोक्त संसाधनों को तभी जुटा सकते है जब संस्था अपने कार्य या अपने विचारों को सफलता पुर्वक समाज के बीच बता सकेगें एवं समाज के अंदर अपने कार्य हेतु विश्वास आर्जित कर सकेगें।

15.4 संसाधन जुटाने के स्रोत

वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करना – समावेशी शिक्षा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण संसाधन वित्तीय संसाधनों को जुटाना होता हैं। हांलकि यह आवश्यक नहीं है कि समावेशी शिक्षा को प्रारंभ करने के लिए वित की आवश्यकता नहीं पड़े । समावेशी शिक्षा के प्रांरभ करने के लिए कुछ वित्त की तो आवश्यकता होती हैं। समावेशी शिक्षा के लिए वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करने के निम्नलिखित तरीके है –

1. हमें समावेशी शिक्षा में कार्यरत् व्यक्तियों में ऐसे कौशलों का विकास करना चाहिए जो समावेशी शिक्षा के बारे में समाज के आम व्यक्तियों को अवगत करवाये एवं उसके वित्तीय सहायता प्राप्त करें। इसके लिए समावेशी शिक्षा हेतु कार्य वाले व्यक्तिगत् रूप से वित्तीय सहायता हेतु निवेदन या आग्रह करें।

2. वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु समावेशी शिक्षा का संचालन करने वाली संस्था ऐसी संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करें जो कि समावेशी शिक्षा हेतु अनुदान देना चाहती हैं। सरकारी संस्थाओं या सरकारी योजनाओं या अन्य स्त्रोतों से वित्तीय संसाधन प्राप्त कर सकते हैं।

3. वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए समावेशी शिक्षा में कार्यरत् संस्था एक कमेटी का निर्माण भी कर सकती है जो केवल संस्था के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए रणनीति का निर्माण करें।

4. वित्तीय संसाधनों के जुटाने हेतु संस्था के सदस्य कुछ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। जैसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों द्वारा निर्माण की गई वस्तु की प्रदर्शनी, विशिष्ट बालकों द्वारा किये जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, नृत्य कार्यक्रम इत्यादि। इन सभी कार्यक्रमों के द्वारा समाज में विशेष आवश्यकता वाले बालकों की योग्यता का प्रदर्शन भी हो जायेगा साथ ही साथ समाज को समावेशी शिक्षा के आवश्यकताओं के बारे में ज्ञान प्रदान करने में सहायक होती है।

5. समावेशी शिक्षा हेतु संसाधन जुटाने वाले व्यक्ति समाज के उन मणमान्य व्यक्तियों से अनुदान देने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो समाज के विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना चाहते हैं।

6. समावेशी शिक्षा हेतु संसाधन जुटाने वाले व्यक्ति समाज के उन गणमान्य व्यक्यिों से अनुदान देने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो समाज के विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना चाहते हैं।

7. समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम कार्य करने से संस्था की साख का निर्माण होता हैं जिससे संस्था के संचालक मंडल संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्यों की साख को भुना सकते हैं एवं समाज के आम जनता से आसानी से चंदे के रूप में अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

परंतु उपरोक्त तरीकें से वित्तीय संसाधन प्राप्त करने में दिव्यांग के लिए समावेशी शिक्षा का दूसरा पहलू भी सामने आ सकता हैं जो कि निम्न लिखित हैं –

1. दिव्यांग बालकों हेतु समावेशी शिक्षा के लिए वित्तीय प्राप्त करने के यह तरीके समाज में दिव्यांग के प्रति हीन भावना का विकास करती है जैसे आम व्यक्ति द्वारा उन्हें दया की दृष्टि से देखा जायेगा, वे समाज में असहाय एवं जरूरतमंद के तौर पर देखे जा सकते हैं।

2. वित्तीय संसाधनों के देने वालों के मन में इस बात की शंका पैदा हो सकती हैं कि केवल पैसा देना ही समावेशी शिक्षा के प्रसार के लिए काफी नहीं हैं।

3. यदि संस्था द्वारा समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय कार्य नही होता हैं तो वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं में समावेशी शिक्षा हेतु कार्य करने वाली संस्था के प्रति भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती हैं।

4. अवित्तीय संसधानों को जुटाना समावेशी शिक्षा के विकास के लिए वित्तीय साधन के साथ–साथ कुछ अवित्तीय साधनों की आवश्यकता होती हैं। उन अवित्तीय संसाधनों के अंर्तगत कुशल शिक्षक, अच्छी प्रबंधक समिति सेवी, स्वयं सेवक आदि व्यक्तियों की आवश्यकता होती हैं।

समाज सेवी एवं स्वम सेवकों से प्राप्त सुविधाएं या संसाधन अवित्तीय संसाधनों के अंर्तगत आते हैं। स्वंय सेवक के अंतर्गत विद्यालय या विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् छात्र–छात्राएं, अधिवक्ता, पेशेवर व्यक्ति हो सकते हैं जो अपनी स्वंम की इच्छा से अपने कौशल एवं प्रतिभा को गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना चाहता हैं। स्वयं सेवकों की समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में वह रचनात्मक कार्य के अनुदेशक के रूप में कार्य कर सकते हैं। जोकि दिव्यांग बालकों के समावेशन के लिए काफी लाभकारी प्रतीत होता हैं। कछु स्वयं सेवकों द्वारा समावेशी शिक्षा के लिए दिव्यांग बालकों के लिए पठन–लेखन के कार्य भी किये जाते हैं। इस प्रकार

कार्य की सहायता से दिव्यांग बालकों को समावेशी शिक्षा प्रणाली के अंर्तगत् शिक्षा ग्रहण करने में काफी सहायता प्राप्त होती है साथ ही साथ दिव्यांग बालकों का आत्म विश्वास भी बढ़ता हैं। स्वयं सेवकों द्वारा दिव्यांग बालकों के लिए एक व्यक्तिगत सहायक के रूप में भी कार्य करते हैं।

सर्वप्रथम आपको यह बताना आवश्यक हैं कि हम स्वयं सेवकों की सेवाओं को कहां से प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं सेवकों की सेवाएं हम निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं।

1. **विद्यालयों में अवकाशों के समय** – समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में कार्य करने वाली संस्थाएं विभिन्न विद्यालयों में जाकर विद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों एवं उनके अध्यापकों अथवा प्रधानाध्यापक से उसके विद्यालय के छात्रों को समावेशी शिक्षा की सफलता हेतु कुछ समय के लिए स्वयं सेवकों की सेवा हेतु प्रार्थना कर सकते हैं।
2. **छात्रों के परियोजना की विषय वस्तु** – कुछ छात्रों की शिक्षा के अंर्तगत् परियोजना कार्य में दिव्यांग की शिक्षा से संबंधिन प्रत्ययों को सम्मिलित किया जाता हैं जिसे छात्रों को पूरा करना होता हैं इसलिए इन छात्रों द्वारा समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् छात्रों के साथ कार्य करना होता हैं। इस प्रकार के कार्य के अंर्तगत् उनके द्वारा दिव्यांग बालकों की विभिन्न स्तर पर सहायता की जाती हैं।
3. **पेशेवर व्यक्तियों द्वारा सहायता** – समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् बालकों की सेवाएं एवं सहायता हेतु कुछ पेशेवर व्यक्ति समाज सेवा की भाव या अपने शौक के लिए दिव्यांग बालकों की सहायता करते हैं।

15.5 संसाधन जुटाने के तरीके

समावेशी शिक्षा हेतु संसाधन समाज एवं समुदाय द्वारा की प्राप्त किये जा सकते हैं। अतः आवश्यकता है कि हमें समाज के अंदर समावेशी शिक्ष के प्रति विश्वास जागृति करना होगा और समाज को यह अवगत कराना होगा कि हम दिव्यांगों के विकास के लिए समावेशी शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। हम समाज से समावेशी शिक्षा हेतु निम्न प्रकार से संसाधन जुटा सकते हैं।

1. हम समाज के स्थानीय नेताओं को समावेशी शिक्षा के बारे में अवगत करायें तथा उन्हें दिव्यांग बालाकों के संदर्भ में समावेशी शिक्षा की उपयोगिता बताकर उनसे इस कार्य को करने में उनकी सहायता मांगे।
2. अपने समुदायों को पूर्ण रूप से तथा दृढ़ संकल्प कार्य करते रहे तथा समावेशी शिक्षा के क्रियाकलापों में समाज के अन्य व्यक्तियों को उसमें सम्मिलित करने की कोशिश करें।
3. समाज के विभिन्न वर्गों में समावेशी शिक्षा के बारे में लगातार सूचनाएं उपलब्ध करवाते रहें जिससे समात के अन्य वर्गों द्वारा इस क्षेत्र में रूझान बढ़े एवं व इस कार्य को अपना सहयोग प्रदान कर सकें।
4. आप समावेशी शिक्षा के विस्तार हेतु हमेशा ईमानदार बने रहें एवं कभी भी समाज में समावेशी शिक्षा के प्रति मिथ्या या भ्रम की स्थिति पैदा न करें। इससे समाज में आपके एवं समावेशी शिक्षा के प्रति विश्वाय जागृति होगा एवं वे जुड़ने की कोशिश करेगें।
5. समुदाय में समावेशि शिक्षा हेतु जागरूकता बढ़ये एवं उन्हें बताये कि वे समावेशी शिक्षा को क्यों लाना चाहते हैं एवं समावेशी शिक्षा के लिए क्या–क्या कर रहे हैं। ऐसा संभव हो सकता है कि समुदाय के कुछ लोगों को समावेशी शिक्षा के बारे में बहुत कम ज्ञान हो जिसके कारण समावेशी शिक्षा के प्रति नकरात्मक भावना हो। इसके लिए विभिन्न तरीकें हैं जैसे समावेशी शिक्षा की सफलता की कहानी सुनाकर, नाटक, गानें, फिल्म आदि के द्वारा जिससे आप दिव्यांगों की शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा के बारे में उनके नकरात्मक भाव में परिर्वतन ला सकते हैं एवं समावेशी शिक्षा के बारे में जागरूकता पैदा कर सकतें हैं। परंतु इस बार का ध्यान रखना आवश्यक है कि समावेशी शिक्षा हेतु दिये जाने वाले संदेश काफी आसान होना चाहिए जोकि यह संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग की समझ में आसानी से आ जायें। जिस तरीके यह संदेश दिया जायें वह तरीका वहाँ की स्थानीय संस्कृति के आधार पर हो। इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम में दिव्यांग व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इससें जागरूकता के स्तर पर वृद्धि होती हैं। सबसे मुख्या बात यह हैं कि हमें यह पता होना चाहिए कि इस प्रकार की अभिवृति परिवर्तन के लिए समय लगता हैं।

6. समुदाय को समावेशी शिक्षा में प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना अति आवश्यक हैं।

7. समावेशी शिक्षा के लिए समुदाय में समावेशी शिक्षा मे कार्य करने हेतु अवसरों का निर्माण करने की आवश्यता होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति समावेशी शिक्षा के विकास में अपना योगदान देना चाहता हो तो उसे पूर्ण अवसर प्राप्त होना चाहिए।

8. समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक हैं कि समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले मुख्य व्यक्तियों को साथ लाकर इसके विकास को बढ़ायें।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

(क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. समावेशी शिक्षा की सफलता हेतु कौन–कौन से संसाधनों की आवश्यकता होती हैं?

.....

.....

2. समावेशी शिक्षा के वित्तीय संसाधनों को स्त्रोतों को लिखिए।

.....

.....

3. हम समावेशी शिक्षा हेतु किस प्रकार सत्रोतों को इक्ठ्ठा कर सकते हैं?

.....

.....

15.6 सारांश

समावेशी शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं लागू करने के लिए आवश्यक है कि समावेशी शिक्षा के आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो। समावेशी शिक्षा के जो संसाधन सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाते वह काफी नहीं होता हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हमें कुछ संसाधन अपने समुदाय से भी प्राप्त करने होते हैं जिससे समावेशी शिक्षा को आसानी से लागू किया जा सकें। समावेशी शिक्षा के लिए संसाधनों में वित्तय संसाधनों की आवश्यकता होती हैं जिसके अभाव में समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन करना कठिन हो सकता है। इसी प्रकार इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की भी आवश्यकता होती हैं। समावेशी शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं इसके क्रियांन्वयन के लिए प्रबंधकों की आवश्यकता की पूर्ति भी समुदाय द्वारा की जा सकती हैं। समावेशी शिक्षा हेतु संसाधन जुटाने के विभिन्न स्त्रोत होते हैं। वित्तीय संसाधनों के लिए सरकार की विभिन्न योजनओं पर निर्भर रहने के साथ–साथ समाज के विभिन्न तबकों से अनुदान प्राप्त कर सकता हैं। समावेशी शिक्षा के द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों व तबकों का दिव्यांग बालकों एवं व्यक्तियों के प्रति अभिवृति को परिवर्तित किया जा सकता है। अवित्तीय संसाधनों के द्वारा भी दिव्यांग बालकों को समावेशी शिक्षा के विस्तार में सहायता प्राप्त होती हैं। अवित्तीय संसाधनों में समुदाय के व्यक्तियों को समावेशी शिक्षा में स्वयं सेवक के रूप में लागू करने के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालयों में पढ़ने वाले बालक भी समावेशी शिक्षा में सहायक हो सकते हैं।

15.7 अभ्यास के प्रश्न

1. समाज की व्याख्या करते हुए समाज द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करने के विभिन्न उपायों को समझाईए।

2. समावेशी शिक्षा के विस्तार हेतु समाज द्वारा विभिन्न स्त्रोतों को एकत्रित करने उपायों को लिखिए।

15.8 चर्चा के बिन्दु

1. समावेशी शिक्षा हेतु विभिन्न संसाधन किस प्रकार उपयोगी हैं? चर्चा कीजिए।

15.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. वित्त, कार्य में विशेषज्ञता, समावेशी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सूचनाएं, योजनाओं क निर्माण करने वाले व्यक्ति, संबंध निर्माण करने सहायक संसाधन तथा अन्य संसाधन जैसे भवन, फर्नीचर, इत्यादि ऐसे संसाधन है जो समावेशी शिक्षा कर सफलता के लिए आवश्यक होते हैं।

2. समावेशी शिक्षा में कार्यरत् व्यक्तियों में ऐसे कौशलों का विकास करना चाहिए जो समावेशी शिक्षा के बारे में समाज के आम व्यक्तियों को अवगत करवाये एवं उसके लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करें। ऐसी संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करें जो कि समावेशी शिक्षा हेतु अनुदान देना चाहता हैं तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं की द्वारा भी अनुदान प्राप्त किया जा सकता हैं। एक समिति का निर्माण किया जा सकता है जो समावेशी शिक्षा के लिए वित का प्रंबध करें। वित्त प्राप्त करने हेतु संस्था के सदस्य कुछ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। समाज के गणमान्य व्यक्तियों से अनुदान देने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं।

3. समावेशी शिक्षा हेतु समाज के प्रतिनिधियों जैसे नेताओं को समावेशी शिक्षा की उपयोगिता से अवगत करवाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। समाज में दृढ रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों को समावेशी शिक्षा में सम्मिलित किये जा सकते हैं। समावेशी शिक्षा के प्रचार प्रसार कर समाज के अन्य लोगों को इसकी सफलता हेतु जोड़ा जा सकता हैं। समाज में समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल का निर्माण करें जिससे समाज के अन्य वर्ग में नकारात्मक भावना समाप्त की जा सकें।

15.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Mr. Kempaiah (2012), 'Involvement of the community for effective Inclusion". ICEVI Publication : Banglore
2. Punani and Rawal (2005), 'A Mannual on Community Based Rehabiliation". Blind People Association : Ahmedabad
3. World Health Organisation (2010). Guidelines on Community-Based Rehabilitation : CRB Guidelines
4. Krefting, Douglas (2001): Community Approaches to Handicap in Development. Dhaka:Centre for Disability Development

शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, प्रयागराज – 211013

"अपने भाइयों को मै सचेत करना चाहता हूँ कि मोम न बनें और आसानी से पिघल न जायें। छोटी-छोटी सी बातों के लिए ही हम अपनी भाषा को या संस्कृति को न बदलें।"

राजर्षि पुरूषोत्तमदास टंडन

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

प्रयागराज

शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, प्रयागराज - 211013

www.uprtou.ac.in

टोल फ्री नम्बर- 1800-120-111-333